राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 7

गुरुवार,

10 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूसिंह राठौड़।

कुई ईन्दा ग्राम पंचायत (जोधपुर) में आबंटित आवासीय भूखण्ड

57. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत कुई ईन्दा में विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 25.12.1974 को आवासीय भूखण्ड आबंटन हेतु पट्टे जारी किए गए थे? यदि हां, तो कितने आबंटियों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पट्टा आबंटन के दो वर्षों के अन्दर मकान या झोंपड़ा इत्यादि बनाकर काबिज होना अनिवार्य था? यदि हां, तो तत्समय दो वर्षों में कितने आबंटी आबंटन अनुसार काबिज हुए व कितने नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने पट्टे आबंटन होने के दो वर्षों के भीतर काबिज नहीं होने वाले आबंटियों के पट्टे निरस्त कर दिए हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो निरस्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार उक्त आबंटी जो मौके पर अब तक काबिज नहीं हैं, उन्हें काबिज होने का अवसर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा की एक एम.एल.ए. साहब के बच्चे का अपहरण हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिए। यह क्वेश्चन आवर है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक विधायक के, यह एक बहुत बड़ी घटना है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह गम्भीर घटना है। मेहरबानी करके आप सुनिए। (व्यवधान) उसके बच्चे का इस तरह अपहरण हो कर गोलीकांड हो जाए। गोली मार देना, बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। आज एक एम.एल.ए. का लड़का ही सुरक्षित नहीं है। पूरा राजस्थान आज असुरक्षित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) दिनांक 25.12.1974 को आवासीय भूखण्ड आबंटन हेतु पट्टे जारी करने की पट्टा मिसल एवं पट्टे की प्रति पंचायत समिति कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण विभाग के ध्यान में आने पर दिनांक 02.03.2011 को मौके पर सर्वे करवाया गया। उक्त सर्वे के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 621 (कुई ईन्दा) में कुल 51 भूखण्डों के पट्टे पाए गए हैं जिनमें मौके पर 13 आबंटी काबिज पाए गए। इसके अतिरिक्त 2 पट्टाधारियों ने अपना कब्जा इन पट्टों के आधार पर खसरा नम्बर 531 (कुईजोधा) में बताया है जहां उनके निवास हैं। सर्वे के दौरान उपलब्ध पट्टों के अनुसार 53 पट्टेधारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(2) उपलब्ध कराए गए पट्टों की शर्त संख्या-8 के अनुसार 'इस भूमि पर आबंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपड़ा इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आबंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारण बतलाए जाने पर आबंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है,' की शर्त है। वर्ष 1974 में किए गए उक्त आबंटन से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सर्वे के अनुसार 53 में से मौके पर 15 व्यक्तियों के ही मकान/ झोंपड़े पाए गए हैं।

(3) पंचायत व पंचायत समिति में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब नियमानुसार उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं।

(4) पट्टे की शर्तों के अनुसार मकान या झोंपड़ा नहीं बनाने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
उचित निर्णय लेने के निर्देश विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को दे दिए गए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में आपने बताया है कि खसरा नम्बर 621 कुई ईन्दा में 51 भूखण्ड। आपको विभाग द्वारा असत्य जानकारी दी गई है। खसरा नम्बर 621 गोचर भूमि में 52 प्लाट सड़क के एक तरफ। खसरा नम्बर 621 आबादी घोषित, 102 प्लाट और वे काबिज हैं। खसरा नम्बर 531, 468 में 55 प्लाट आबंटन। कुल 219 प्लाट और 219 का रिकार्ड मेरे पास है। जब प्रश्न लगा तो पंचायत समिति से अधिकारियों की मिलीभगत से जो भू-माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके द्वारा वह रिकार्ड गायब कराया गया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 51 प्लाट पर 37 वर्ष बाद भी आबंटी काबिज नहीं हुए। जमीन की किस्म गोचर है। भू-माफियाओं ने प्रश्न लगते ही रिकार्ड गायब कराया। अब 52 प्लाटों पर चारदीवारी बना रहे हैं। क्या सरकार गोचर भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है ? स्पष्ट करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कल ही पैरा नम्बर 107 में चरागाह, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए घोषणा की है और इस घोषणा के अन्दर आया हुआ है। खण्ड-1 में और खण्ड-2 में-' विशेष कारण बतलाये जाने पर आबंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है।' यह 8 नम्बर में है तो खण्ड-2 में 37 वर्ष पश्चात् भी आबंटी काबिज नहीं हुए। कौन से विशेष कारण बतलाए जाने से 37 वर्ष तक समय सीमा में वृद्धि की गई? यह दो बताएं। तीसरे, चौथे बिन्दु पर आपसे और बात करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 37 वर्ष पूर्व 1974 में एक अभियान के तहत पट्टे आबंटन किए गए थे और उस टाइम तहसीलदार को, विकास अधिकारी को, सरकार ने एक अभियान चलाया था और गोचर भूमि, जो भी भूमि उपलब्ध है, उसमें पट्टे देने की कार्यवाही की गई थी। उसके तहत यह पट्टे आबंटन किए गए थे। उसके बाद 1974 से आज 37 साल बाद यह मामला पहली बार इस प्रश्न के माध्यम से माननीय सदस्य ने माननीय सदन की जानकारी में जब लाया तो उसके बारे में इसकी तत्काल जानकारी प्राप्त की गई और जैसा कि उत्तर दिया गया है, विकास अधिकारी के माध्यम से उसकी पूरी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और मौके की स्थिति के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दूसरे खण्ड का बताओ। खण्ड-2 में मैंने पूछा था न कि यह विशेष कारण क्या रहे?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या चीज?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या विशेष कारण रह गए जिसके कारण इनमें वृद्धि कर दी, पट्टा आबंटन में?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या विशेष कारण?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपने लिखा है कि- 'विशेष कारण बतलाये जाने पर आबंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है।' उसके बारे में बतायें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विशेष कारण तो, 37 साल हो गये। उसके बाद छह-सात बार पंचायतों के चुनाव हो गए। यह अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है कि अगर उस पट्टे का उपयोग नहीं करता है तो सरपंच खुद ही उस पंचायत के पट्टे को निरस्त कर सकता है। सात चुनाव हो गये हैं। सात बार सरपंच आए और चले गए। इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे एक बहुत गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान माननीय सदस्य ने दिलाया है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारी पंचायत व्यवस्था चल रही है। कभी किसी ने प्रयत्न नहीं किया कि जो पट्टे हम आबंटन करते हैं, जो देते हैं, कभी उसका रिकार्ड मेनटेन नहीं किया होगा। अभी आपकी पंचायत के अन्दर जब 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान चला तो मुझे खेद है कि जो बात सदन में माननीय सदस्य उठा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात पर आपने ध्यान दिलाया है, उस 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के अन्दर, जहां सब जन-प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, एम.एल.ए. भी उसका अधिकार रखता है ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैंने लिख कर दिया है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):...विकास अधिकारी उपस्थित थे, 150 पट्टे और दिए गए मगर इस बिन्दु पर किसी ने कोई उस 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के अन्दर, कैम्प में कहीं उसका जिक्र नहीं हुआ। यहआपके 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान हुआ ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कोई वहां पर नहीं मिलता। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ,मैंने जिला कलक्टर को लिखित रूप में दिया है। यह पूरा नक्शा है। आपके पास रिकार्ड आया नहीं। यह 52 प्लाट गोचर भूमि में हैं, 102 आबादी में हैं और यह कांग्रेस की, नेताओं की मिलीभगत, वहां के शेरगढ़ इकाई के अध्यक्ष और वहां के पी.सी.सी. मेम्बर ने यह चारदीवारी 52 प्लाटों पर, चारदीवारी शुरू कर दी है। वह पूरी की पूरी जमीन आज भी गोचर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों की मिलीभगत और आपके नेताओं की मिलीभगत से इस गोचर भूमि पर चारदीवारी बनाई जा रही है जिसको ग्रामीण लोगों ने रुकवाया है। यह चारदीवारी की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रश्न यह है कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो। क्या सरकार गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है और उनको हटाना चाहती है? यह अभी तक 52 प्लाटों पर काबिज नहीं हैं, उन पर कह रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले ही इस बात को बता चुका हूं, सदन को भी बता चुका हूं कि यह जो गोचर भूमि का जो 1974 में आबंटन किया गया था, यह गोचर भूमि का अधिकार था, उसके तहत ही यह भूमि का आबंटन हुआ है और उसका इन्द्राज जो है पंचायत में नहीं किया। उसकी वजह से 37 साल तक इस प्रकार की स्थिति हुई। किसी ने भी अगर भवन नहीं बनाया है तो उसको निरस्त करने का आगे भी अधिकार ग्राम पंचायत में है और ग्राम पंचायत ही ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप जिला स्तरीय कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं जो विचार रखता हूं, मैं आपके समक्ष इस बात की जानकारी लाना चाहता हूं कि जब 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान, विभिन्न कैम्पों में जाकर मैंने स्थिति का अवलोकन किया और पंचायतों के रजिस्टर देखे तो मैंने यह महसूस किया कि पंचायतों के अन्दर सरपंच आते हैं और चले जाते हैं। बाजार से अपनी पंचायत की स्टेशनरी खरीद कर लेते हैं और उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति है, पंचायत नहीं है...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और हमने जिला कलक्टर को लिखित में दिया है और गांव वालों ने लिखित में दिया है, 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान में दिया है। इनके पास रिकार्ड आया नहीं है। यह अतिक्रमण हो रहा है, इनके नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। पूरे 52 प्लाटों पर कम से कम 15 बीघा जमीन गोचर भूमि, चारदीवारी बनाकर इनके लोग रोक रहे हैं और ये प्रश्रय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम। अगला प्रश्न।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): या तो सरकार निष्पक्ष कार्यवाही करना चाहती है तो इस बारे में बतायें। (व्यवधान) तो मैं यह आपको टेबल कर सकता हूं, पूरा रिकार्ड और पूरी सी.डी. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कमेटी बनाकर जांच की जाए और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक पंचायत का छोटा-सा मामला है, आपके स्तर का मामला ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया। (व्यवधान) 52 प्लाट उन प्लाट होल्डर्स को नहीं मिले लेकिन उन 52 प्लाट पर, जो कि गोचर भूमि है, उस पर दूसरे लोग चारदीवारी बनाकर कब्जा कर रहे हैं। उसका मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया। वह जवाब चाहिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई है, रिपोर्ट तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं टेबल कर दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सी.डी. और फोटोग्राफ। मैं टेबल कर सकता हूं, आप आज्ञा दें तो मैं टेबल कर सकता हूं। यह गोचर भूमि है। अगर यह कह सकते हैं, जांच कराने के लिए तो यह कमिट करें। मुख्य मंत्रीजी बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए मैं धरना दूंगा। (व्यवधान) लोग गोचर भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अमरारामजी। नेक्स्ट क्वेश्चन।

विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि

58. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने विद्युत दर एवं स्थायी सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजे हैं ?

(2) घरेलू विद्युत उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता के विद्युत मीटरों की दो वर्ष पूर्व कीमत क्या थी एवं अब मीटर जलने पर क्या कीमत ली जा रही है?

(3) क्या कृषि उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर एवं मीटर विद्युत सप्लाई में आये व्यवधान के कारण जलने पर भी किसान से मीटर चार्ज लिया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह) : ((1) जी हां।

(2) दो वर्ष पूर्व घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता के विद्युत मीटर की खरीद का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के दोष के कारण मीटर जलने पर मीटर की कीमत ली जाती है जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने उत्तर के भाग संख्या-1

(श्री अमराराम)

में कहा है कि विद्युत वितरण की तीनों कम्पनियों ने नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव दिये हैं विद्युत दरों में वृद्धि के लिये और अन्य शुल्क के लिये, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों को नियामक आयोग के द्वारा लागू करने के बाद एक साल में कितना राजस्व इन तीनों कम्पनियों को प्राप्त होगा ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिस मीटर की बात कर रहे हैं, घरेलू उपभोक्ताओं का मीटर घर से निकालकर आपने घर के बाहर लगा दिया; एग्रीकल्चर के उपभोक्ता का मीटर आपने गुमटी से हटाकर ट्रांसफार्मर में लगा दिया, फिर उसकी क्या जिम्मेवारी है ? मैं समझता हूं यह जो कीमत ली जा रही है, जहां आपने कीमत बताई है, एग्रीकल्चर मीटर की कीमत आपने बताई है 1600 रुपये और आप ले रहे हैं 3000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज आप खरीदोगे, अगर एक किलो चीनी खरीदेंगे और उसका तुला टूट गया, अगर ट्रक को आप कांटा कराते हैं और कांटा खराब हो गया तो क्या उसकी तीन लाख रुपये कीमत उस ट्रक मालिक से ली जायेगी? जब आपकी प्रजेंस में आपने उसको वेल्ड कर दिया तो क्या यह लूट आप समाप्त करना चाहते हैं ? मंत्री महोदय, इस लूट को समाप्त करेंगे? और नाजायज रुप से तीनों कम्पनियों ने पैसा वसूल किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा कीजिये, एक महीने में 10 एच.पी. का एक महीने का बिल 850 रुपये आता है, मुश्किल से 900 रुपये आता होगा और एक-एक उपभोक्ता से 10 दिन के अन्दर 6010 रुपया ले रहे हैं। इससे बड़ी कोई लूट हो नहीं सकती। यह मीटर के नाम से ले रहे हैं। मैं चाहूंगा, एक उपभोक्ता है खाटू श्यामजी, जगन्नाथ पुत्र श्री जवारा, जिससे 20.9.10 को 3005 रुपये मीटर के नाम से ले लिया और 29 तारीख को फिर, इनके ट्रांसफार्मर इतने घटिया किस्म के हैं कि 10 दिन भी नहीं चलते, फिर जल गया। जब ट्रांसफार्मर ही जल गया तो मीटर कहां से बचेगा। यह तो कम्पनी की जिम्मेवारी है, उनकी प्रजेंस में उनके द्वारा वेल्ड किया हुआ है। इसलिये किसी भी कीमत पर यह मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि मीटर की कास्ट के नाम पर उपभोक्ता और किसान से लूट बंद की जाये और जितना पैसा लिया गया है, वह पैसा वापस किसानों को लौटाने का कष्ट करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक सवाल, साथ में, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। यह भाषण का समय नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। भाषण न दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वह राज्य है जो 18 स्टेट्स में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक साल में कितना आयेगा, यह बताओ।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): एक साल में, आनरेबल सर, 2,880 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी हमारे निगम को और एस्टिमेटेड तीन हजार करोड़ उसमें होगी। क्योंकि दरें नहीं बढ़ी थीं गत पांच साल से, अत: ये दरें रिवाइज कर रेग्यूलेटरी कमीशन के सामने भेजी गयीं। दांतारामगढ़ से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य, माननीय अमरारामजी, सदा किसानों के हितैषी रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दो न इनके पूरक प्रश्न का। आप भाषण चालू कर रहे हो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सर, जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं प्लीज।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सर, जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनो आप। सैक्शन थर्टी में 'मीटर का प्रतिस्थापन, 'इसमें स्पष्ट लिखा है- ''किसी मीटर के बंद हो जाने/त्रुटिपूर्ण हो जाने/जल जाने पर निगम निरीक्षण कर मीटरिंग यंत्र को, जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाये कि उपभोक्ता द्वारा अधिक भार सहित मीटर में किसी भी प्रकार से हेराफेरी की गयी है या उसे क्षति पहुंचाई गई है, जिस मामले में उपभोक्ता व्यय वहन करेगा, अपने व्यय पर प्रतिस्थापित करेगा।''

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मानतीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरारामजी साहब ने जो प्रश्न उठाया, मैं उसके बारे में आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आपने दो वर्ष पूर्व की रेट पूछी थी, वह मैंने परिशिष्ट 'अ' में अंकित की है। वर्तमान रेट्स के आधार पर, जो कि वर्तमान रेट है, उसके आधार पर जो ओरिजनल कास्ट आफ द मीटर अलोंग विद् फिफ्टी परसेंट आफ द एक्सपेंसेज एंड इंस्टालेशन, वह रेट, माननीय अध्यक्ष महोदय, 3005 आई। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आप सदा से किसानों के हिमायती रहे हैं, जितने भी कंजूमर हैं, सर जस्ट ए मिनट, जो कि फाल्ट पर नहीं हैं, उनको हमारा विभाग स्वयं मीटर चेंज कर देता है, उसके अन्दर बिना कोई राशि लिये। यह राशि सिर्फ उनसे ली जाती है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। कृपया जवाब आने दीजिये। मंत्रीजी का जवाब सुनिये पहले। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंज्यूमर अकोर्डिंग टू सेक्शन 30 अगर फाल्ट पर नहीं है, उसके मीटर को निगम फ्री चेंज करता है और अगर किसी तरह के टेम्परिंग आफ द मीटर पाया गया या उसमें कोई और इर्रेग्यूलेरिटी पाई गयी, उसके आधार पर उससे राशि वसूल की जाती है। यह मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दर बढ़ाने और तीन हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता से लेने का बता दिया। कल

(श्री अमराराम)
जो पांच पैसा शहरी क्षेत्र में पर-यूनिट है, उसको मिलाकर मैं समझता हूं कि 4000 करोड़ रुपये जनता पर टैक्स लादा। छूट दी आपने 250 करोड़ रुपये की और अकेले बिजली में आप 4000 करोड़ रुपये लूटेंगे। उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूरक प्रश्न यह है कि जब मीटर ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है कि जब ट्रांसफार्मर आपका जलता है, किसान की गुमटी के आपने ट्रांसफार्मर वेल्ड कर दिया, जब ट्रांसफार्मर ही जल गया तो मीटर कहां बचेगा। ट्रांसफार्मर जलता है, किसान उसको लेकर जाता है तो कहते हैं पहले 3005 रुपये जमा कराओ, उसके बाद ट्रांसफार्मर मिलेगा। मंत्री महोदय बतायें, उनकी जांच तो एक महीने तक नहीं होगी, एक महीने तक किसान सफर करेगा तो उसकी फसल चौपट तो 10 दिन में ही हो जायेगी। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि यह जो मीटर आपकी परिधि में है, किसान की गुमटी में होता तो आप 600 रुपये लेते तो बात समझ में आती थी उसके टेम्पर करने की।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय यह जो ट्रांसफार्मर में मीटर रखने के बाद एक-एक किसान को जहां 900 रुपये चार्ज के बजाय 6000 रुपये, मैंने नाम बताये हैं बाकायदा कि 6000 मीटर की कॉस्ट के नाम से जो लुटाई हो रही है, इसको बंद करने की घोषणा करें और जिनसे नाजायज पैसे लिये हैं, उनको वापस करने की घोषणा करो जिससे राजस्थान के किसानों को यह तसल्ली हो कि सरकार आपके पक्ष में है। आप चाहें तो मैं नाम गिना दूं। ट्रांसफार्मर ही जब मिलता है तीन हजार रुपये और 10-10 दिन में 6-6 हजार रुपये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तुरन्त इस लूट को बंद किया जाये और जिनसे यह राशि लूटी है, अजमेर, जोधपुर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप। जबाव आने दीजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): घटिया किस्म के ट्रांसफार्मर्स खरीदे गये हैं। तांबे के, कापर की जगह एल्यूमिनियम दे दिया जबकि कीमत दुगनी मिल गयी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: जबाव आने दीजिए। कृपया विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। जबाव आने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिनकी फ्लैट रेट है, उनसे मीटर की कास्ट ले ली गयी। इससे ज्यादा लूट और क्या हो सकती है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। जबाव आने दीजिए मंत्रीजी का पहले। आपका पूरक प्रश्न नहीं है, मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जबाव आने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न को उठाया, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि 93 परसेंट जो हमारे कंजूमर थे उनके मीटर चेंज किये, वे विदाउट कास्ट पर किये। मात्र सात परसेंट जिसमें कि रेग्यूलेटरी कमीशन के अनुसार फाल्टेड पाये गये, उनसे हमने राशि वसूल की है। उसके उपरान्त भी उपभोक्ता की गलती ...(व्यवधान) मैं जबाव दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मंत्रीजी जबाव दे रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है आपका।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक क्वेरी की है, कुछ मीटर्स के बारे में इन्होंने कहा है कि वह फाल्टेड नहीं थे और उनसे वसूली की गयी है, अगर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उपभोक्ता की गलती के बगैर मीटर की वसूली की गयी है तो मैं ऐसे प्रकरणों की विभाग द्वारा जांच करवा लेता हूं और जो भी कार्यवाही होगी, रिफंड होगा या जो भी होगा, बिल में एडजस्ट करवा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ट्रांसफार्मर नहीं बदलते इसलिए किसान की तो मजबूरी है। तीन हजार रुपये मीटर के नाम पर ले लिया जाता है, यह सबसे बड़ी चीटिंग हो रही है, यह सबसे बड़ी लूट हो रही है। हर किसान से यह लिया जा रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही पता करना चाहती हूं कि यह प्रश्न नियामक आयोग के पास गया है, आप कह रहे हैं बढ़ाने वाले हैं, मैं इतना पूछना चाहती हूं कि नियामक आयोग द्वारा यह कितना प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव आया है? कितना किया है? यह हाउस को बताया जाए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो पूछा है, हमारे जो 89 लाख उपभोक्ता हैं, उनमें से नियामक आयोग को विभाग द्वारा भेजा गया है। उसमें से हमारे जो 10.79 लाख उपभोक्ता कृषि के हैं उनकी रेट वही रखी गयी है। जो भी बढ़ा है उसको सब्सिडी के माध्यम से गवर्नमेंट, 90 पैसे रेट है और वही यथावत रहेगी। नम्बर 2, पचास यूनिट जो बी पी एल है, उनके लिए 85 एन पी यथावत रखा गया है। जो कास्ट बढ़ायी गयी है, वह यथावत है, उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी के द्वारा बढ़ायी और जो कंज्यूमर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: जबाव तो आने दीजिए। जबाव सुनेंगे तब ही तो कोई बात पैदा होगी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): यह 56 लाख कंज्यूमर में ये रेट्स नहीं बढ़ाये गये हैं। उसमें बी पी एल आ गया, पचास यूनिट से नीचे आ गया और एग्रीकल्चर के आ गये। जो रेट्स बढ़ी है, उन रेट्स के अन्दर है। इसके अलावा जो अबूव पचास यूनिट... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): स्टेट का 56 प्रतिशत दबा हुआ तबका है, जो एग्रीकल्चरिस्ट की है, उसे नहीं बढ़ाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज जबाव आने दीजिए पूरा। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं आपको। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने जो डैटा भेजा है उनके पास तो नियामक आयोग निर्णय करेगा और जो भी कास्ट बढ़ी है, उन्होंने क्वेरीज की है डिपार्टमेंट से, चालीस एप्लीकेशंस आयी हैं, डिपार्टमेंट रिप्लाई देगा, फिर जनरल हियरिंग होगी। उसमें किसान भी होंगे, लीडर्स भी होंगे और ओवर आल नियामक आयोग डिसाइड करेगा। राजस्थान अभी भी दस-ग्यारह प्रान्तों से सबसे सस्ता राज्य है। वह इम्प्लीमेंट होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने विद्युत नियामक आयोग को कितना प्रतिशत पैसा उपभोक्ता का बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। मूल बात यह है। नियामक आयोग सुनवाई करेगा, हम जाएंगे और भी जाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ इतना है कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने कितना प्रतिशत पैसा बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश भेजी है, यह बता दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को सबसे पहले डिफेंड करना था किसानों को। (व्यवधान). Sir, I am replying.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, मैं यह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, प्रश्न यह पूछा है कि आपने कितना प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की है? बी पी एल की और उसकी बात नहीं सुननी है हमको। मूल बात यह है कि कितना प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश भेजी है, यह बता दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा नियामक आयोग को बाकी की जो रेस्ट 44 प्रतिशत थे, उनके अन्दर 19 से 24 प्रतिशत उनकी कास्ट बढ़ाने के लिए विभाग ने लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह लूट है राजस्थान के लोगों के साथ। 24 प्रतिशत विद्युत की बढ़ोतरी! इतनी बड़ी लूट! एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम विद्युत की दरें नहीं बढ़ायेंगे ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों के खिलाफ इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना बड़ा स्टेप उपभोक्ताओं के अंगेस्ट लिया जा रहा है, हम वाक-आउट करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हमारा दल भी वाक-आउट करता है।

(भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक परनामी। श्री कालीचरण सराफ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से हाउस से इश्यू के लिए बायकाट किया, वह अनफार्चुनेट है क्योंकि इन लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि जब से रिफार्म्स हुए हैं, उसके बाद रेग्यूलेटरी कमीशन निर्धारित करता है तमाम प्रक्रिया अपनाकर। सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं भेजती है, तब भी वह निर्णय कर सकता है। तब भी उसको अधिकार है कि वह निर्णय कर सकता है।

(श्री अशोक गहलोत)

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज हालत कम्पनियों की है, मैंने पिछली बार जब रिप्लाई दिया था अभिभाषण के वक्त में, तब भी मैंने आह्वान किया था, नेता, उप नेता प्रतिपक्ष उस वक्त में थे, नेता हैं, प्रतिपक्ष में उप नेता थे, तब भी मैंने कहा था कि कुछ इश्यू ऐसे हैं जो हमें मिल कर तय करने पड़ेंगे। आज कम्पनियों की हालत जो हुई है, राजस्थान के अन्दर दस हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जब 2009-10 में खरीफ की जो स्थिति बनी, जिस प्रकार से मानसून ने धोखा दिया तो 1600 करोड़ रुपये की बिजली खरीद कर हमने देखा, जितनी सम्भव हो, फसलें बचनी चाहिए किसान की क्योंकि पहले से ही वह बरबाद हो रहा है। रबी की फसल के अन्दर भी मेन्टेन करने के लिए 3200 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी गयी और पांच साल तक हम बिजली की दरें नहीं बढ़ायेंगे, यह जो घोषणा की गयी, उसके पेटे करीब 3000 करोड़ रुपया खर्च होगा उसके लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर 10 हजार करोड़ के घाटे कम्पनियों को हो रहे हैं और अभी तक करीब 30 हजार करोड़ के घाटे हो चुके हैं। तो मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष और तमाम सदस्यों को आह्वान किया था, कुछ इश्यू ऐसे हैं चाहे वे पानी के हों, चाहे बिजली के हों, पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है, अगर हम लोग, सरकारें आती हैं, बदलती हैं, हम वापस आये हैं परन्तु अगर इन इश्यू के ऊपर मिल कर काम, बात नहीं करेंगे, आज राजस्थान, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जान कर खुशी होगी कि चाहे दिल्ली राजधानी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अधिकांश राज्यों में पावर कट लग रहा है, राजस्थान एक मात्र वह राज्य है जहां पर आज कोई पावर कट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये कृपया, सदन के नेता को सुनिये। कृपया विराजें। (व्यवधान) आप कृपया विराजें। आप विराजें, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया एक मिनट। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है, कृपया आप विराजें।

देखिये, सदन में कोई मर्यादा होती है। प्रतिपक्ष की नेता बोलें उस वक्त इधर शांति से सुनना चाहिए, सदन के नेता बोलें तो आपको भी शांति से सुनना चाहिए। जवाब देने का अवसर देने के लिए मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूं। इसलिए कृपया सदन के नेता की बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में व्यवधान न करें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह बहुत अनफार्चुनेट है कि जो परम्पराएं कायम रही हैं 50 साल तक, उसको तोड़ने का प्रयास ना यह पक्ष करे, ना वह पक्ष करे जिससे कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष बोलें, नेता सदन बोलें, उनकी बात कम से कम पूरा सदन सुन सके, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यह परम्परा पिछले कुछ अरसे से टूटने लगी है, वह अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है, उस परम्परा का आने वाले वक्त में दोनों पक्ष निर्वाह करेंगे।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज राजस्थान में कोई पावर कट नहीं है। अगर मीटर को लेकर, ट्रांसफार्मरों को लेकर के, हम जन-प्रतिनिधि हैं, आप भी गांवों में जाते हैं, हम लोग भी गांव में जाते हैं, यह शिकायत किसान की बनी रहती है, ट्रांसफार्मरों को लेकर के उसको खुद ले जाकर के ठीक कराना पड़ता है। यह शिकायत रहती है, मैं आपसे सहमत हूं, मीटर की शिकायत भी हो सकती है। जब इलेक्ट्रोनिक मीटर लगे थे तब इश्यू बना था राजस्थान के अन्दर हमारे खिलाफ में कि नये मीटर काहे के लगा दिये, इससे बहुत जम्पिंग हो रहा है। दिल्ली के अन्दर भी यह इश्यू बने थे, धीरे-धीरे वे इश्यू खतम हो गये। जब सत्ता बदली थी तब आपके वक्त भी वे मीटर, जो आपने कहा था कि मीटर करंट मारते हैं वह करंट कहां गायब हो गया ? मीटर वे ही लगे रहे आपके वक्त में भी और वे बाकायदा आज भी चल रहे हैं।

तो जमाना बदलने के साथ में, रिफोर्म्स होने के साथ-साथ में जो नयी तकनीकें आती हैं उनको अपनाना पब्लिक इंटरेस्ट में भी होता है, जो हमने साहस करके अपनायी थीं। हो सकता है, कुछ किसानों को तकलीफ भी हो उससे, हो सकता है, कुछ शिकायतें भी आयी हों, उसको माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया उसमें कि मैं उसको दिखाऊंगा, उसको मैं ठीक करूंगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह पावर इश्यू इतना बड़ा इश्यू है जिसको आने वाले वक्त में अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो आज तो हम पावर जनरेशन में प्रायोरिटी देकर सरकार चला रहे हैं, पिछली बार भी हम नम्बर वन थे देश के अन्दर, आज भी जिस प्रकार से आते ही हमने फैसले किये हैं उसका आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा।

मैं स्वीकार कर चुका हूं कि पावर ब्लॉक को लेकर जो तकलीफ आ रही है उसके कारण से हमारे पावर प्लांट डिले हो रहे हैं। इसमें कोई मुझे कहते हुए संकोच नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, पावर ब्लाक जल्दी मिलें क्योंकि हमारे टेंडर हो चुके हैं, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, जमीन अलाटमेंट करा चुके हैं,

(श्री अशोक गहलोत)

पानी का इंतजाम हो गया है। आगे हम नहीं बढ़ पाये, यह मैं स्वीकार कर रहा हूं, इससे हमारे पावर प्लांट डिले हो रहे हैं। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हम जनरेशन में बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम दोनों पक्ष मिल कर के कैसे जनरेशन बढ़े, किस प्रकार से रिफार्म्स को हम लागू कर सकें, कम्पनी घाटे में जायेंगी, यह तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेग्यूलेटरी कमीशन जिस प्रकार से एकाउंटेंट जनरल ने जो कमेंट्स किये हैं, सरकार के ऊपर भी, आपको भी मालूम होगा, अगर उन कमेंट्स को हम ठीक नहीं करेंगे तो वह एक तरफ फैसला कर सकता है। तो वह पक्ष, किसान पक्ष हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, सरकारी कम्पनी अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद में वह फैसला करता है। खाली प्रस्तावित करने से रेग्यूलेटरी कमीशन मानने वाला नहीं है। हो सकता है, किसान अपना पक्ष रखेंगे, किसान क्या रखेंगे, औद्योगिक घराने रखेंगे, उसके बाद में फैसला होगा, वह फैसला सब को मान्य होता है। यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, चर्चा समाप्त करिये, बहुत हो गयी, अब नहीं। बहुत हो गयी अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बहुत अच्छी बात कही, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का था...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, आप अलाउ कर रहे हो क्या, सर ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी को नियामक आयोग के सामने याचिकाएं लग गयीं और आज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में 120 दिन में याचिका पर फैसला होना है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करिये, स्पष्टीकरण हो गया है। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।मैं आधा घंटे से ज्यादा एक प्रश्न पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा रहता कि घोषणा पत्र में यह बात नहीं कहते कि हम दरें नहीं बढ़ायेंगे। 24-24 फीसदी दरें बढ़ जानी, राजस्थान के इतिहास में भूतो न भविष्यति।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक परनामी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज तक इतनी बड़ी दर कभी नहीं बढ़ी। 24 प्रतिशत दर कभी नहीं बढ़ी। यह सारा काम आपके जिम्मे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सैनिक कल्याण मंत्रीजी, जवाब दें।

सैनिकों/परिजनों को देय सुविधाओं में वृद्धि

59. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) व **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -:

(1) क्या यह सही है कि सेना में शौर्य प्रदर्शन करने पर राज्य के सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान स्वरूप भेंट राशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? यदि हां, तो किस आधार पर कितनी राशि व सुविधाएं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के सैनिकों को अन्य राज्यों के मुकाबले कम राशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राज्य के सैनिकों व उनके परिजनों को उनकी वीरता प्रदर्शन पर देय पुरस्कार राशि व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ?यदि हां, तो कितनी व कब तक ?

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी) : (1) जी हां। वर्तमान में शौर्य पदक धारकों को पदक अनुसार दी जाने वाली राशि व अन्य सुविधाओं का विवरण प्रपत्र 'क' में संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। राज्य के सैनिकों को अन्य राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड को छोड़ कर) के मुकाबले अधिक राशि एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। उक्त राज्यों द्वारा केवल नकद राशि ही प्रदान की जा रही है जबकि राज्य सरकार नकद राशि एवं विकल्प के रूप में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना–द्वितीय में 25 बीघा भूमि दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में सैनिकों की भर्ती, अधिकारियों की भर्ती एक गम्भीर समस्या है। अभी रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि 15 हजार अधिकारियों की कमी रक्षा मंत्रालय में है। ऐसे समय में राज्य सरकारों द्वारा सैनिकों के प्रति उदासीनता दिखाना ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): प्रश्न पर ही आ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं दें। (व्यवधान) कृपया विराजिये आप।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसके अतिरिक्त मेरे कुछ प्रश्न हैं मंत्री महोदय से। प्रश्न नम्बर एक- राज्य सरकार द्वारा कितने परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना/वायु/नौसेना मेडल विजेताओं के कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? प्रकरण लम्बित होने के क्या कारण हैं? सम्पूर्ण विवरण से अवगत कराएं।

प्रश्न नम्बर दो- शौर्य पदक विजेताओं को देय सुविधाओं में वृद्धि हेतु पिछले दो बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया और मुझे इस बात का दुःख है कि इस वर्ष में भी कोई प्रावधान नहीं करने के कारण क्या सरकार पूर्व सैनिकों के प्रति उतनी गम्भीर नहीं है ?

प्रश्न नम्बर तीन- सीकर एवं झुन्झुनूं में निर्माणाधीन युद्ध विधवा पुनर्वास केन्द्रों एवं छात्रावास कोटा में कोचिंग छात्रावास के निर्माण की यह स्कीम 2008-09 में स्वीकृत कर दी गयी थी, निर्माण में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ? विचारधारा से अवगत कराएं। करौली, झालरापाटन, कोटा, सवाई माधोपुर में सैनिक विश्राम गृह एवं गुर्जर बाहुल्य जिलों में देवनारायण योजनान्तर्गत बानसूर में निर्माण कार्यों में काफी समय से हो रहे विलम्ब को क्या कारण हैं? वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): किताब मंगा लो, अध्यक्ष जी, इनसे। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर समस्या है देश के सामने और उसके प्रति ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुछ भूल गये हों तो वह भी पता कर लो इधर-उधर से।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं यह सदन को बताना चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए, फिर भूल जायेंगे। आप विराजें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसके बाद और पूछूंगा।

श्री नगराज (धरियावद): यह प्रश्न पूछ रहे हैं या ...(व्यवधान) पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न का उत्तर दिलवा रहा हूं। श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने यह तालिका दी है, इसमें दो लाख रुपये और पच्चीस बीघा जमीन का प्रावधान रखा है, जमीन जो देते हैं वह इन्दिरा गांधी कैनाल के इस प्रकार के इलाके में देते हैं कि जहां न तो पानी उपलब्ध है और न भविष्य में पानी उपलब्ध होने की अभी तक संभावना है। तो जैसे पंजाब और हरियाणा में एक मुश्त पच्चीस लाख रुपये देते हैं सैनिकों को, जो शौर्य प्रदर्शन प्राप्त करते हैं पच्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, परमवीर चक्र को पच्चीस लाख, महावीर चक्र वाले को पन्द्रह लाख, यह इस प्रकार से, तो इस प्रकार की योजना का क्या राजस्थान में भी लागू करने का विचार सरकार का है? मंत्रीजी बता दें।

श्री अध्यक्ष: बता रहे हैं, बता रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्योंकि उनकी कल्चर एक है।

श्री अध्यक्ष: बता रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सबकी कल्चर एक है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गैलेंट्री अवार्डीज से संबंधित है। आपने सैनिक कल्याण विभाग के बारे में सारी जानकारी चाही जो इस समय नहीं दी जा सकतीं और इनको जो मैंने बताया, इन स्टेट्स को छोड़कर बाकी स्टेट्स में हमारे स्टेट से भी उनको कम नगद सुविधाएं उपलब्ध हैं। (व्यवधान) सैनिक तो उनके भी होंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तो मैंने कहा ना ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब सुन लो ना, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) सारी चीज का फैसला आप करोगे क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यहां आप केवल पच्चीस बीघा जमीन देते हैं और वह भी बिल्कुल धोरों के अन्दर देते हो। देने का कोई मतलब नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सेना में पूरे देश से सैनिक भर्ती होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इन स्टेट्स से ही भर्ती की जाती है, बाकी स्टेटों से भर्ती पर प्रतिबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल से भी सैनिक सेना में भर्ती हो सकते हैं और तमिलनाडु से भी भर्ती हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तमिलनाडु की पूछ ही नहीं रहे हैं, राजस्थान की पूछ रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, आप राजस्थान की पूछ रहे हैं, इन्होंने दूसरे स्टेट्स के बारे में कहा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने पूछा पंजाब और हरियाणा में कितना पैसा मिलता है? वह पैसा यहां क्यों नहीं मिलता?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह बता रहे हैं ना, आप सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मुझे सवाल पूछने का अवसर देना।

श्री अध्यक्ष: हां, आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान) आपको अवसर दूंगा, पहले जवाब आ जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड के अलावा दूसरे स्टेट्स में राजस्थान से भी कम उनको नगद राशि और अन्य सुविधाएं ....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वहां सैनिक ही नहीं होते हैं, आप बार-बार यह बता रहे हो, ...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिये पहले। पहले जवाब तो आने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सवाल सैनिक का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। किस प्रदेश के कितने गैलेंट्री, यह गैलेंट्री अवार्डीज के बारे में बात है, कितने गैलेंट्री अवार्डीज हैं, यह अलग बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारी सीमा तमिलनाडु से जुड़ी हुई है या पंजाब, हरियाणा से जुडी हुई है?

श्री अध्यक्ष: इतना तो आपको भी ज्ञान होगा ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सीमा का सवाल नहीं है, आपने अन्य राज्यों का पूछा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अन्य राज्यों का पूछा है। इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उस क्वेश्चन में सभी राज्यों का पूछा है तो मैं दूसरे राज्यों का भी बताऊंगा। जिन राज्यों में कम है उनकी आप बात नहीं कर रहे हैं, जिन राज्यों में ज्यादा है उनकी आप बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप तो राजस्थान की बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सिर्फ पांच स्टेट्स को छोड़कर के बाकी सभी स्टेट्स में राजस्थान से कम है। अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं राजस्थान में, अगर आप 2001 से 2010 ....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कीर्ति चक्र मिले हैं चार, शौर्य चक्र चौबीस और सेना मेडल, वायु सेना मेडल, ये मिले हैं 155 राजस्थान के लोगों को।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): असिस्टेंस क्या दे रहे हैं, वह बताओ ना आप तो।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह आपने पूछा है उसका ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): प्रश्न पूछा है, मूल प्रश्नकर्ता को मालूम तो है नहीं, सो रहे हैं सदन के अन्दर।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जो आपने पूछा है, उसका जवाब दे रहा हूं ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नींद आ रही है क्या सदन में? मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अब तक परमवीर चक्र दो, अशोक चक्र छह, महावीर चक्र दस, कीर्ति चक्र बीस, वीर चक्र तिरानमे,...(व्यवधान) शौर्य चक्र छियासी, सेना मेडल तीन सौ बीस, वायु सेना मेडल सात, नौ सेना मेडल सात। यह अब तक आपने पूछा राजस्थान का, वह आंकड़े मैं बता रहा हूं और राजस्थान में जो सुविधाएं हैं, वह मैंने आपको बता दी हैं। राजस्थान में परमवीर

(श्री हेमाराम चौधरी)

चक्र को सवा दो लाख रुपये और पच्चीस बीघा जमीन, अशोक चक्र को दो लाख रुपये और पच्चीस बीघा जमीन और पच्चीस बीघा जमीन नहीं लेंगे तो इनके बदले दो लाख रुपये का है सभी में। महावीर चक्र ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप मेरा जवाब तो आने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब पूरा आ जाए ...(व्यवधान) जवाब पूरा आ जाने दीजिए, उसके बाद में आप कुछ पूछने की बात करें। जवाब पूरा आ जाने दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नम्बर लेने की होड़ हो रही है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, महावीर चक्र 1 लाख 50 हजार रुपये नगद और 25 बीघा जमीन, कीर्ति चक्र 1 लाख 20 हजार रुपये नगद और 25 बीघा जमीन, वीर चक्र एक लाख रुपये नगद और पच्चीस बीघा जमीन, शौर्य चक्र 75 हजार रुपये नगद और 25 बीघा जमीन, सेना, वायु सेना और नौ सैना मेडल 30 हजार रुपये नगद और 25 बीघा जमीन।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसा मैंने बताया, अभी 2001 से लेकर 2010 तक सिर्फ एक को कीर्ति चक्र मिला है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दिया क्या है इनको (व्यवधान) क्या जवाब दे रहे हो ?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप सुनो तो सही, 2009 में तीन, इस तरह कुल चार कीर्ति चक्र, 24 शौर्य मेडल और 155 …(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो पूरा... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): 155 सेना मेडल, वायु सेना मेडल, नौ सेना मेडल, ये मिले हैं। तो 155 लोगों को जो सुविधा है, सेना मेडल को, वह सिर्फ दिल्ली को छोड़कर के सभी राज्यों से राजस्थान में ज्यादा दे रहे हैं हम। क्योंकि यहां ज्यादा हैं, सेना मेडल वाले ही 155 मामले; बाकी वालों का मैंने बताया, बहुत कम, चार मामले कीर्ति चक्र, महावीर चक्र कोई है नहीं, परमवीर चक्र कोई है नहीं, वीर चक्र कोई है नहीं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): परमवीर चक्र कैसे नहीं? शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र मिला है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): परमवीर चक्र मिला है 1962 में। कैसे कह रहे हैं कि नहीं मिला है (व्यवधान) आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप सुनो तो सही। सेना मेडल के मामले में हम तीस हजार रुपये नगद और पच्चीस बीघा जमीन दे रहे हैं, जबकि पंजाब में बीस हजार रुपये, सिर्फ बीस हजार रुपये दे रहे हैं, दो हजार रुपये सालाना एन्यूटी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ये बिल्कुल गलत आंकडे हैं। (व्यवधान) यह सदन को आप मिसगाइड कर रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह कोई गलत नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह कब की रिपोर्ट है? किसने रिपोर्ट दी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें ...(व्यवधान) एक बार विराजें। पहले जवाब तो पूरा आ जाए। (व्यवधान) जवाब तो पूरा आ जाने दो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं बता रहा हूं। सेना मेडल, वायु सेना मेडल, नौ सेना मेडल के मामले में राजस्थान दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स से ज्यादा दे रहा है, पैसे। उसमें मैंने बताया, तीस हजार रुपये और पच्चीस बीघा जमीन। जबकि दूसरा कोई स्टेट जमीन नहीं दे रहा है और जो पैसे भी दे रहा है पंजाब सिर्फ बीस हजार रुपये और हिमाचल प्रदेश सिर्फ तेइस हजार रुपये, पंजाब दो हजार रुपये एन्यूटी दे रहा है और उत्तराखण्ड सिर्फ तेईस हजार रुपये। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सिर्फ तीस हजार रुपये (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जमीन ही नहीं है तो वहां कैसे मिलेगी जमीन? कमाल है, आप कैसी बात कर रहे हो (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह नगद राशि कम है। हमारे स्टेट में नगद राशि तीस हजार रुपये दे रहे हैं। बाकी स्टेट्स में कहीं जमीन नहीं दी जा रही है। हम पच्चीस बीघा नहरी जमीन, सिंचित जमीन इनको दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मेरे एरिये से आते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं और जिस

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

तरह से बताया, हाउस को बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं। परमवीर चक्र की, परमवीर चक्र मिला है; किसी को नहीं मिला और यह सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह कहा गया है कि शौर्य प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन दो जगह होता है, एक, इन फेस आफ वार जब लड़ाई होती है, दूसरा होता है, जब लड़ाई नहीं होती है जैसे अभी टेरेरिस्ट्स से लड़ना होता है। उनके अलग-अलग डेकोरेशंस होते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आंकड़े अभी लाया नहीं हूं जो पंजाब, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में मिल रहे हैं उनसे बहुत कम मिल रहे हैं। सही बात है, जमीन की बात कर रहे हैं ये, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल में देते थे, 1984 के बाद बन्द कर दिया गया है। नहीं दे रहे हैं उसके बाद यह। 1984 के बाद कोई मुरब्बा नहीं मिल रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आंकड़े दे रहा हूं, सही दे रहा हूं। दूसरा क्या है, कुछ स्टेट्स के अन्दर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): डिफेंस कालोनी है, तो दूसरा मेरा सुझाव यह है कि डिफेंस कालोनी हर स्टेट, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है और यहां डिफेंस कालोनी खास करके जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जो बार्डर एरिया हैं, क्या पता कब लड़ाई हो सकती है, वहां फौजियों को बसाना चाहिये। ऐलान भी किया गया था भैरोंसिंह जी के समय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): प्रश्न क्या है, वह पूछें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा सवाल यह है कि क्या यह सरकार जो दूसरी सरकारें अवार्ड दे रही हैं गैलेंट्री अवार्ड, इन फेस आफ वार, इन टाइम आफ पीस, उनके बराबर करेगी ? नम्बर एक।

दूसरा, इंदिरा गांधी कैनाल के अन्दर पहले जो मुरब्बे देते थे, वह बन्द कर दिये, वापस शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे?

तीसरा मेरा सवाल यह है कि डिफेंस में जो एक्स-सर्विसमेन हैं, जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, यू पी व और जगह बार्डर पर जमीन दी है उनकी

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

डिफेंस कॉलोनी की, स्कीम बनाकर करेंगे या नहीं करेंगे? यह बहुत जरूरी है। वह करना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। आप कृपया विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री ऐलान करें..

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। मंत्रीजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्योंकि एक छोटा-सा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल आ गया आपका। कृपया अब विराजिये आप। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): वर्ल्ड वार वन...(व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। कृपया आप विराजिये। जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। आपके प्रश्न का मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): हिन्दुस्तान की फौज में राजस्थान ने सबसे ज्यादा वीर दिये हैं। वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, 1948...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): 1962, 65, 48, 71 और कारगिल वार में कितने हीरा दिये हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह शौर्य पदक धारकों को देय सुविधाओं से सम्बन्धित है और उनको जो देय सुविधाएं हैं, मैंने राजस्थान में जो देय सुविधाएं हैं उसको भी बता दिया, दूसरे स्टेट्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, अभी हिन्दुस्तान में जितने स्टेट्स हैं, ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैंने जो सवाल पूछे, और जगह जो दे रहे हैं वह देंगे कि नहीं देंगे ? जो और स्टेट्स दे रहे हैं। आपका इसका जवाब सीधा...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभी स्टेट्स में जो शौर्य पदक धारक हैं, उनको जो देय सुविधाएं हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य, क्या पूछ रहे हैं, सुनो तो सही। उन लोगों के अनुसार...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और स्टेट्स से ज्यादा दे रहे हैं, राजस्थान सबसे आगे है। नहीं बताया क्या? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जो शौर्य पदक, गैलेंट्री अवार्डीज को देय सुविधाएं हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जो देय सुविधाएं हैं, राजस्थान में जो देय सुविधाएं हैं, वह मैंने बता दीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कर्नल साहब की आवाज नहीं दबा दी, कर्नल साहब की आवाज नहीं दबा सकते आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये। जवाब तो आने दीजिये। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): जो राशि और दे रहे हैं, वह देंगे कि नहीं देंगे? इतना पाइंटेड क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और कोई अंकित नहीं हो रहा है। केवल मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह से राजस्थान में ज्यादा देय सुविधाएं हैं, जैसे 25 लाख, 10 लाख, जो भी है, उन सबका मैंने उत्तर दे दिया है कि यह सुविधाएं देय हैं अलग-अलग अवार्डीज के लिये। परमवीर को अलग है, अशोक चक्र से लेकर सेना मेडल तक जो 8 मेडल हैं, 7 अलग हैं, अवार्डीज को तो वह मैंने बता दी। अब कई स्टेट्स में इससे भी बहुत कम है। 25 बीघा जहां तक इर्रिगेटेड लैंड का सवाल है वह सिर्फ राजस्थान ही दे रहा है, और कोई स्टेट नहीं दे रहा है। 25 बीघा जमीन की क्या कीमत है? आज जो जमीन की कीमत है, वह नकद की कीमत नहीं। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब तो आने दीजिये...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के वीर बांकुरे जो अपनी जान को देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये हमेशा कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, इस बात का अहसास आजादी के बाद से है, चाहे 62 का वार हो, 71 का हो, 65 का हो, चाहे कारगिल का ले लो। समय-समय पर पैकेज देते गये हैं। परन्तु मुझे कहते हुए गर्व है कि कारगिल के वक्त में जो पैकेज राजस्थान ने दिया, मैं समझता हूं कि पूरे सदन के सभी, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्य सहमत होंगे कि वह बेमिसाल था। पूरे देश के अन्दर पहली बार हम लोगों ने जिस प्रकार से पैकेज दिया, चाहे हाउस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : हाउसिंग बोर्ड का मकान ले लें, इंदिरा गांधी कैनाल की जमीन ले लें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : और साथ में उनके नाम से एक स्कूल का नामकरण हमने यहां तक किया। हमारे यहां प्रथा कई तरह की हैं कि कई बार सामाजिक परिवेश में उनके मां-बाप का भी ख्याल रखने के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : एक लाख दो हजार रुपये जमा कराये हमने बैंक में, पोस्ट आफिस में ताकि एक हजार रुपये पेंशन मां-बाप को भी मिलती रहे। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गयी, अब हमने एक लाख बावन हजार जमा कर दिये पोस्ट आफिस में जिससे कि एक हजार उनके मां-बाप को भी कम से कम ब्याज के मिलते रहें पोस्ट आफिस से। यहां तक किया गया, बस

(श्री अशोक गहलोत)

का पास फ्री किया गया, बिजली कनेक्शन में प्रायोरिटी दी गयी परन्तु सबसे बड़ी बात हमने की कि अगर बच्चा एक दिन का भी है, एक महीने का भी है तब भी वह बच्चा जब तक बड़ा नहीं होगा उसके लिये हमने नौकरी रिजर्व कर दी है। यह पहली बार देश के अन्दर हुआ है।

इसलिये माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, सुझाव हम एग्जामिन करवायेंगे। अगर हमें कोई लगेगा कि इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है तो वह भी करेंगे। हमने समय-समय पर बुलाकर जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे एडमिरल के स्तर के हो, चाहे किसी स्तर के हो, बुलाकर बातचीत की और उसके बाद में हमने फैसले किये हैं।...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कर्नल साहब ने कहा कि यह आंकड़े गलत दिये हैं, अगर आंकड़े गलत हों तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूं, नहीं तो कर्नल साहब दे दें अगर झूठा आरोप लगाया तो। यह झूठे नहीं हैं। ये आंकड़े सही हैं।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

(समय : 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मानननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पंजाब के पूर्व राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह एवं राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री महबूब अली के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई, श्री, पूर्व प्रधान मंत्री, नेपाल

नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई का जन्म 13 दिसम्बर, 1924 को बिहार के रामनगर ग्राम में हुआ।

शोकाभिव्यक्ति के वक्त भी आप चुप नहीं रह सकते। (व्यवधान)

संत प्रधान मंत्री के रूप में लोकप्रिय श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई दो बार नेपाल के प्रधान मंत्री रहे। आपने 19 अप्रैल, 1990 से 26 मई, 1991 तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया तथा 31 मई, 1999 को पुन: नेपाल के प्रधान मंत्री चुने गये। आपने युवावस्था में ही 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल यात्राएं कीं। आपने वर्ष 1950 में नेपाली कांग्रेस की स्थापना की तथा लगभग 26 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे।

प्रजातंत्र के प्रबल पक्षधर रहे श्री भट्टराई ने नेपाल में राजशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और 14 वर्षों तक जेल में बंद रहे। वर्ष 1959 के प्रथम संसदीय चुनावों के पश्चात् आप संसद् के निचले सदन के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1990 में जन आंदोलन के पश्चात् बनी अंतरिम सरकार में आपके कार्यकाल के दौरान नेपाल के नये संविधान के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता दी गयी।

श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई का दिनांक 4 मार्च, 2011 को निधन हो गया।

अर्जुन सिंह, श्री, पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश

पंजाब के पूर्व राज्यपाल तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह का जन्म 5 नवम्बर, 1930 को मध्य प्रदेश के चुरहट में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री अर्जुन सिंह वर्ष 1957 से 1985 एवं 1988 से 1991 तक मध्य प्रदेश

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश विधान सभा के दीर्घ कार्यकाल के दौरान आप मध्य प्रदेश सरकार में वर्ष 1963 से 1967 तक कृषि, सामान्य प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री तथा वर्ष 1972 से 1977 तक शिक्षा मंत्री रहे।

आप वर्ष 1977 से 1980 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। श्री सिंह 9 जून, 1980 से 10 मार्च, 1985 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। इस दौरान आपने राज्य के विकास को नई दिशा दी। श्री सिंह ने 11 मार्च, 1985 को पुन: मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ली तथा इसके अगले ही दिन आप पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किये गये। आप 14 नवम्बर, 1985 तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहे तथा आपके कार्यकाल के दौरान पंजाब में शांति स्थापना के लिए 'राजीव-संत लोंगोवाल समझौता' हुआ। श्री अर्जुन सिंह आठवीं मध्य प्रदेश विधान सभा के कार्यकाल के दौरान 14 फरवरी, 1988 से 23 जनवरी, 1989 तक तीसरी बार प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे।

श्री अर्जुन सिंह आठवीं तथा दसवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। कुशल प्रशासक श्री सिंह नवम्बर, 1985 से जनवरी, 1986 तक केन्द्र सरकार में वाणिज्य मंत्री, अक्टूबर, 1986 से जून, 1988 तक संचार मंत्री तथा जून, 1991 से दिसम्बर, 1994 एवं मई, 2004 से मई, 2009 तक मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। धर्म निरपेक्षता के पक्षधर रहे श्री सिंह आदिवासियों एवं दलितों के उत्थान के लिए सदैव याद किये जायेंगे। आप अप्रैल, 2000 तथा पुन: अप्रैल, 2006 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपने दीर्घ संसदीय जीवन में श्री सिंह लोक सभा में सदन के नेता तथा संसद् और मध्य प्रदेश विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। वर्तमान में आप राज्य सभा की ग्रामीण विकास समिति के सदस्य थे।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री सिंह वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एवं सेंट्रल पार्लियामेन्टरी बोर्ड के सदस्य रहे श्री सिंह दो बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के लिए निर्वाचित हुए। आप मध्यप्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। श्री सिंह ने विदेशों में आयोजित अनेक सम्मेलनों एवं संगोष्टियों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।

श्री अर्जुन सिंह का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 4 मार्च, 2011 को

(श्री अध्यक्ष)

निधन हो गया। श्री सिंह के निधन से देश में कुशल प्रशासक और अनुभवी संसदविद की कमी हो गयी है।

महबूब अली, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री तथा पूर्व सदस्य श्री महबूब अली का जन्म 1931 में बीकानेर जिले के मलकीसर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री महबूब अली छठी राजस्थान विधान सभा के लिए बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप जून, 1977 से फरवरी, 1980 तक राजस्थान सरकार में वक्फ, सूचना एवं जन सम्पर्क, सैनिक कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। आपने राज्य मंत्री के रूप में यातायात, विधि एवं न्याय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, श्रम, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज तथा शिक्षा विभाग के दायित्वों का भी निर्वहन किया।

अभिभाषक रहे श्री महबूब अली ने रेलवे में भी सेवायें दी। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री महबूब अली ने कई वर्षों तक 'सप्ताहांत' और 'गुरूदीप' पत्रों का सम्पादन किया। आपने जयपुर से प्रकाशित होने वाले 'अन्तर्मन' साप्ताहिक पत्र का भी सम्पादन किया। आप प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे।

श्री महबूब अली का दिनांक 23 फरवरी, 2011 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवदेना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी)

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय करा

(श्री विजय बंसल)

दो मंत्री और माननीय सदस्य का कि कौन झूठा है और किसकी सही बात है। (व्यवधान) ... माननीय मंत्रीजी ने चैलेंज किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री हरिसिंह रावत एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से देवगढ़ मास्टर प्लान 2032 के प्रारूप को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के सामान्य नियम 1962 के अनुरूप तैयार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. श्री पेमाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के हथियारों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में कृषि उपज मंडी से नये बस स्टैंड तक के मुख्य मार्ग पर से हटाये गये केबिन, थड़ी वालों को नगर परिषद पाली द्वारा उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. श्री विजय बंसल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बयाना के गांव ग्रहबाद में पैट्रोल पम्प के लिए आबंटित भूमि में सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री बंशीधर खण्डेला एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर में खनिज अभियंता द्वारा अनियमित रूप से खानों के आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

माननीय सदस्य को इसी विषय पर पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गयी है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा जबरन

(श्री अध्यक्ष)

बीमा कर उनके खाते से हजारों रुपये प्रीमियम के काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर में गंगनगर लाइनिंग के कार्य को अतिशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. श्री रमेश चन्द मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला करौली में ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को इन विषयों पर बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अत: इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर निगम में महापौर द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्तियों पर एकाधिकार कर जनहित के कार्यों में बाधा पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर निगम के महापौर एवं अधिकारियों की आपसी बयानबाजी से शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. श्री कैलाश चन्द भंसाली, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में संक्रमित ग्लूकोज के कारण 15 प्रसूताओं की मौत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति तथा किशनगढ़ विधायक के पुत्र की नृशंस हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री कैलाश चन्द भंसाली, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री अमराराम एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कालीचरण सराफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इस पर मैं भी दो मिनट बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक के पुत्र की हत्या हुई है, उस पर चर्चा की जाए। यह सारे समाचार पत्रों में छपा है। आज विधायक का पुत्र भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका भी नम्बर है। आपको अनुमति देने के लिए मैंने कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : अगर आप पहले बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: बाद में नम्बर आपका भी आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : कालीचरणजी तैयार हैं, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कालीचरणजी नहीं बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : कालीचरणजी तैयार हैं, इनको बाद में बुला लें, ये खुद तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: चारों को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : अगर आपकी अनुमति मिल जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : अध्यक्षजी, व्यवस्था को बदलने की बात ठीक नहीं है, यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम मुझे करने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : तो वे कैसे कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : मैंने प्रार्थना की है।

श्री अध्यक्ष: आसन को इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा। मुझे हाउस चलाने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से प्रार्थना करना मेरा अधिकार है। आसन करे या न करे, आसन सर्वोपरि है, आप आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष: अगर कालीचरणजी अपना विड्रा कर दें, वे नहीं बोलना चाहें तो आप बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप नहीं बोल रहे ?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : मैं इनके बाद बोल लूंगा, मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ये बाद में बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में थोड़े बोल पाएंगे। ...(व्यवधान) ... क्या आपको नहीं बोलना ?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : इनके बाद बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष: बाद में यह आप थोड़े तय करेंगे कि इनके बाद बोलना है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जयपुर नगर निगम में पिछले सवा साल से व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण और सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार महापौर ने अपने हाथ में ले लिए जिसके कारण पूरे जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सीवर लाइन और उद्यान जो उजड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी 17 दिसम्बर को एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कहा कि जयपुर शहर में लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और हमारे लिए अफसोस की बात नहीं हो सकती है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को भी जयपुर शहर में इस कदर भ्रष्टाचार के कारण सारी व्यवस्था चरमराई हुई है कि उसके बारे में उनको बोलने के लिए बाध्य होना पडा। आज जयपुर शहर में कहीं भी चले जाएं, जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े हैं ;हर बार बरसात के समय नालों की सफाई होती है, पिछले सवा साल से नालों की कोई सफाई नहीं हुई है; सीवरेज लाइनें जाम पड़ी हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आज जयपुर शहर की जो स्थिति है उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से जयपुर शहर के इतिहास में पहली बार, बरसात तो हर बार होती है पर इस बार बरसात के समय जिस प्रकार से सड़कों की स्थिति हुई है, सड़कें जगह-जगह उखड़ी हुई हैं, जगह-जगह सड़कें टूट गई हैं और अभी

(श्री कालीचरण सराफ)

तक उन सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि पर्यटक जयपुर शहर में नहीं आएंगे। वी आई पी रोड, जे एल एन मार्ग है, टोंक रोड है, उन पर भी दो-दो, तीन-तीन फीट के खड्डे हैं। इससे ज्यादा बदतर स्थिति जयपुर शहर की हो नहीं सकती।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में 1150 जो उद्यान हैं, अभी तक उनका ठेका नहीं हुआ, उसके कारण सारे उद्यान उजाड़ पड़े हैं, कहीं पर भी कोई हरियाली की व्यवस्था नहीं है।

हमारी महापौर की यह स्थिति है कि महापौर केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जहां भी भ्रष्टाचार की, पैसे की गुंजाइश होती है, वे केवल वही काम करती हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं करती हैं।

(समय : 12.16 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जयपुर शहर के नगर निगम में उद्यानविद् हैं बद्रीनारायणजी शर्मा, उनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाखों रुपए नगर निगम के उठा लिए, उनके विरुद्ध ए सी डी में कार्यवाही की जाएगी। जयपुर नगर निगम की साधारण सभा के एजेंडे में इसको शामिल कर लिया कि इनके भ्रष्टाचार के बारे में साधारण सभा में चर्चा की जाएगी। अब रातोंरात क्या हुआ, पता नहीं, चर्चा तो यह भी है कि 35 लाख रुपए की रिश्वत उस उद्यानविद् से महापौर ने ली और उसके बाद न तो मामला ए सी डी में गया, न उसकी जांच हुई और उस उद्यानविद् को पुनः जयपुर नगर निगम में उद्यानविद् के पद पर लगा दिया गया।

इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, बड़ी चौपड़ पर ...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) : तथ्यों के आधार पर बात करें। माननीय सदस्य, आरोप लगा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर बात करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :मैं तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूं। मैंने तथ्य स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट लिखे हैं कि मैं महापौर के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं कोई आरोप वेग में नहीं लगा रहा, मैं तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहा हूं। मेरे पास एजेंडे की कापी भी है, वह मैं आप कहेंगे तो टेबल कर दूंगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से बड़ी चौपड़ पर के के काम्प्लेक्स, महापौर स्वयं वहां पधारी थीं, जनता का बड़ा विरोध है, अवैध निर्माण हुआ है और उस काम्पलेक्स को सीज कर दिया। आनन-फानन में सौदा हो गया। आतिश मार्केट में अभी परसों ही अखबारों में आया था कि साढ़े ग्यारह लाख रुपए की एक लक्जरी गाड़ी वहां पर मिली है उस पर महापौर की नेम प्लेट लगी हुई है। चर्चा यह है कि के के काम्प्लेक्स को लीगलाइज करने का सौदा हुआ और सौदे के बाद आनन-फानन में वकील बदल दिया, वकील को निर्देश दिया कि कोर्ट में जाकर इसके स्टे को वैकेट करवाएं। स्टे वैकेट हो गया, उसकी अपील भी दूसरी बड़ी कोर्ट में नहीं की गई। उसके बाद के के काम्प्लेक्स को रेग्यूलराइज कर दिया और उसकी सील खोल दी गई।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, एल एम बी होटल के पीछे 114 वर्ग गज जमीन थी, उसकी कीमत, आप यह देखिए, करोड़ों की कीमत, 11 करोड़ की कीमत उसकी, 7 करोड़ की जमीन और केवल पौने 11 लाख रुपए की लीज पर दे दिया नगर निगम ने। स्ट्रीप आफ लैंड बता कर, वह जमीन लीज पर दे दी एल एम बी होटल को। उसमें भी लाखों रुपए का लेनदेन हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगम में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि आर ए एस आफिसर वहां लगे हुए हैं, आर ए एस आफिसर को कोई काम नहीं और जो कनिष्ठ अधिकारी, जे ईएन और ए ईएन हैं, उनको सारे अधिकार दे रखे हैं, उनको एक-एक जोन दे रखा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा यानी इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि सारे राजस्व अधिकारी, अब आप यह देखिए शक्ति सिंह सिसोदिया, आर ए एस, नवम्बर 2010 से जनवरी, 2011, आयुक्त, स्वास्थ्य एवं गैरेज; जनवरी, 2011 यानी दो महीने बाद ही इनको हटा दिया और उनको आयुक्त, गृह कर बना दिया। इसी प्रकार से राजेन्द्र चतुर्वेदी, आर ए एस, अक्टूबर, 2009 से फरवरी, 2010, आयुक्त, सिविल लाइंस जोन और फिर फरवरी, 2010 से मई, 2010 आयुक्त, प्लानिंग और फिर मई, 2010 से जुलाई, 2010 तक आयुक्त, कार्मिक और फिर जुलाई, 2010 से अक्टूबर, 2010 तक आयुक्त, गैरेज और लाइट और नवम्बर, 2010 से लगातार आयुक्त, विद्युत। इसी प्रकार से के के गोयल, आर ए एस, दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2009 यानी एक महीने हवामहल के आयुक्त रहे, फिर फरवरी, 2009 से सितम्बर, 2009 मोतीडूंगरी आयुक्त रहे, फिर सितम्बर, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक रेवेन्यू के आयुक्त रहे और जनवरी, 2011 से आयुक्त हैं कच्ची बस्ती। यानी इसी प्रकार से जितने भी

(श्री कालीचरण सराफ)

आर ए एस आफिसर वहां लगे हुए हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। यह क्यों किया जा रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :साहब, मैंने शुरू ही नहीं किया और आप कह रहे हैं, समाप्त करें।

श्री सभापति: देखिए, आपको निश्चित अवधि में बात कहनी थी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : भ्रष्टाचार की बात कहते ही आप गड़बड़ कर रहे हो बीच में?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : यानी आज मेयर को यह अधिकार नहीं है कि वे आर ए एस आफिसर्स को फोन करके कि फलानां निर्माण कार्य अवैध है, उसको तोड़कर आइये और फलानां निर्माण कार्य यह अवैध है पर उसको तोड़िये मत। क्यों नहीं तोड़िये? क्योंकि वह मेरा रिश्तेदार है। यानी इस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप जिस प्रकार से अवैध निर्माणों में हो रहा है और जो आर ए एस आफिसर उनकी नहीं मानते, उनका तुरन्त प्रभाव से ट्रांसफर। अब आप आश्चर्य करोगे, सवा साल में 5 सी ई ओ, कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर, पहले थे वहां ललित मेहरा, उसके बाद वहां आ गये आर पी जैन, फिर आ गये लालचंद असवाल, फिर आ गये महावीर स्वामी और अब आ गये वहां राजेशजी यादव। यानी सवा साल में 5-5 आर ए एस आफिसरों के, यानी कार्यकारी अधिकारियों के ट्रांसफर हो गये। इसके पीछे क्या कारण है? जिससे नहीं पटती, मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर के ....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात संक्षिप्त करें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे को बोलने दीजिए। दो मिनट हुए नहीं और बीच में तीन बार खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : आप ठहरिये, मैं पूरी बात कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का टाइम दीजिए।

श्री सभापति: एक मिनट, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप कृपया विराजिये। एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब चेयर ने अवधि निश्चित कर दी, दो मिनट, उसके बाद भी आपको पूरा टाइम दिया गया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : दो मिनट में कोई बात हो सकती है? आपके क्या फर्क पड़ गया? यह कोई बात हुई?

श्री सभापति: यह क्या बात हुई?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: नहीं, आपका यह शब्द, 'यह क्या बात हुई' यह कोई शब्द नहीं है। आप कृपया अपनी बात जल्दी से जल्दी समाप्त करने की बात करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : हां, आप विराजिये, यही मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ये स्पेसिफिक चार्जेज लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : जो स्पेसिफिक चार्जेज मैंने लगाये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यहां पर स्वायत्त शासन मंत्री और नगरीय विकास मंत्री बैठे हैं, वे इन सारी बातों को, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 4 आर ए एस आफिसर अतिक्रमण किंग और आपकी उपस्थिति में जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जिस प्रकार के घोर भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और जांच में जो भी दोषी हों, चाहे महापौर दोषी हों तो महापौर के खिलाफ, अधिकारी दोषी हों तो अधिकारियों के खिलाफ और महापौरजी कहती हैं कि बी जे पी के टाइम में यह भ्रष्टाचार हुआ, बी जे पी के पार्षद भ्रष्ट हैं, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पार्षद और हमारे उप महापौर यदि भ्रष्ट हैं तो उनके खिलाफ भी जांच करवायें। जब महापौर खुद कह रही हैं

(श्री कालीचरण सराफ)

कि मेरी जांच कराओ, अधिकारी कहते हैं कि जांच कराइये तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह मांग करना चाहता हूं कि महापौर के किये गये कार्यकलापों की जांच की घोषणा आज यहीं पर आप करें। यह मैं कहना चाहता हूं।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव इसलिए दिया था कि राजस्थान में हम सुधार करना चाहते हैं लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम में जिस प्रकार की स्थिति व्याप्त है, वह स्थिति न हमारे लिए, न सरकार के लिए और न प्रशासन के लिए शोभनीय है। सभापति महोदय, जयपुर शहर की मीटिंग में नगर निगम की महापौर ने कहा कि मेरे पास 75 अवैध निर्माणों की लिस्ट है कि जो अवैध निर्माण चल रहे हैं; फिर वहां पर खड़े होकर एक-एक पार्षद ने कहा कि हमारे पास भी इतने-इतने निर्माणों की लिस्ट है, जो अवैध निर्माण चल रहे हैं। तो मैंने फोन करके एक प्रश्न पूछा कि भाई, अवैध निर्माणों की लिस्टें हैं, एक लिस्ट कोई वह तो दे दें जिसमें जयपुर नगर निगम ने यह मकान की स्वीकृति पास की हो और वैध निर्माण चल रहा है, इसकी भी कोई लिस्ट है कि नहीं है? एक वह लिस्ट नहीं, सारा काम अवैध निर्माणों के माध्यम से हो रहा है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं स्वायत्त शासन मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन पर बहुत दबाव पड़ा बार-बार कि आप राज्य सरकार की ओर से समितियों का गठन कर दें परन्तु आपने राज्य सरकार की ओर से समितियों का गठन नहीं किया और नगर निगम के माध्यम से समितियों का गठन कराया लेकिन माननीय सभापति महोदय ,माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जयपुर में गंदगी है, ये नारकीय जीवन जी रहे हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और माननीय परिवहन मंत्रीजी, दोनों की उपस्थिति में महापौर ने चार अफसरों पर चार्ज लगाये। वे चार अफसर कौन से थे, जिनको एक महीने पहले 26 जनवरी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हीं महापौरजी ने प्रमाण-पत्र प्रदान किये और उनका सम्मान किया। एक महीने पहले वे सारे के सारे आफिसर सही थे, उनको प्रमाण-पत्र दिये गये और एक महीने के बाद में उन आफिसरों को भ्रष्ट कहकर कलंकित किया गया। मैं न तो उनके पक्ष में हूं, न महापौर के पक्ष में हूं, मैं इतना चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में पांच सी ई ओ हटाये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गये, अच्छे-अच्छे आफिसर आये, हटा दिये गये, इसलिए हटा दिये गये कि जो भी आफिसर उनके कहने से अवैध निर्माण नहीं कराएगा, वह वहां नहीं रह सकता। इन चार आफिसरों के भी 15-15 बार ट्रांसफर किये गये हैं, यह सारा काम माननीय कालीचरणजी ने अभी बताया।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, जयपुर में एक तिकड़ी बन गई है, नगर निगम में। तिकड़ी किनकी? बता रहा हूं, जयपुर में आम कहावत है पति, पत्नी और वो। पति, पत्नी और वो। आप कहेंगे वह कौन, तो वह मैं तो बता नहीं सकता...(व्यवधान) मैं नहीं बता सकता लेकिन ओझा जो आयुक्त हैं, जिन पर चार्ज लगाया, उनको हटा दिया गया, उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि या तो मेरा पति कहे, वह काम करो या जयपुर के सांसद् श्रीमान् महेशजी जोशी कहें, वह काम करें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबारों में स्टेटमेंट छपा है उनका। तो आज...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : वह अखबारों में यह भी स्टेटमेंट छपा है, दूसरे दिन खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि यह स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, तोड़फोड़ कर दिया गया है और गलत है यह बात। यह उसमें छपा है, अख़बार में दुबारा...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : यह आप तो मना करो इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : आपको पावर दे दिया क्या इनके बीच में बोलने का? (व्यवधान) यह काहे की व्यवस्था कर दी आपने? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ,कृपया शांति बनायें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने के लिए खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी आपकी ही है, साहब? (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। हम उनका पक्ष थोड़े ही ले रहे हैं। (व्यवधान) ......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय सदस्य जो सवाईमाधोपुर से आये हैं, वैसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन पहली बार आये हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनको यह पता होना चाहिए कि मंत्रीजी उपस्थित हैं और सक्षम मंत्री हैं, जवाब देना है तो दे देंगे और आपको भगवान करे, यह मौका मिले, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाहताला आप पर मेहरबानी करे, आप जवाब देने की स्थिति में आ जाओ। क्यों फालतू परेशान हो रहे हैं?

तो, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) अब एक दूसरा आरोप जो लगाया, मैं चाहता हूं कि आज ही इस आरोप की जांच की जाए, उन्हीं आफिसरों ने लगाया, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया उसमें कि सारी की सारी फाइलें नगर निगम की महापौर के घर पर हैं और महापौर के पति के कहने के हिसाब से देखकर के हमको काम करना पड़ता है। फाइलें वहां पर मौजूद हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जवाब भी दिया है, महापौर ने कि मेरा पति फाइलें क्यों नहीं देख सकता, यह भी अख़बार में छपा है तो यह सरकार की जो गोपनीयता की फाइलें हैं, मैं चाहता हूं कि आज छापा मारा जाए उनके घर पर और छापा मारकर वहां पर जितनी फाइलें हैं उन फाइलों को बरामद किया जाए। इससे आपको पता चलेगा कि वहां पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : दो हजार से ज्यादा फाइलें उनके घर पर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : सभापति महोदय, मैं ये चित्र पेश करना चाहता हूं, ये सारे चित्र कल के हैं। यह जयपुर शहर के अन्दर एक कोटा फिक्स हो गया है, कोटा वाले तो देख रहे हैं और परकोटा वालों ने अपना कोटा तय कर लिया। ये सारे के सारे, सम्राट सिनेमा के पास जयपुर में मेन रोड पर अतिक्रमण चल रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है; मेहंदी का चौक, बख्शीजी की हवेली के पास अतिक्रमण चल रहा है, कोई परमिशन नहीं है इसकी; पुराने सी आई डी आफिस के पास रामगंज के पास इतना बड़ा अतिक्रमण चल रहा है, कोई परमिशन नहीं है इसकी; गोपाल जी के रास्ते में जैन मन्दिर के पास अतिक्रमण होकर के काम चल रहा है, कोई परमिशन नहीं है इसकी; खोवालों के चौक में यह अतिक्रमण है, चार मंजिल की बिल्डिंग बन गई पर कोई परमिशन नहीं है, अतिक्रमण कर रखा है सरकारी भूमि पर; शिकारियों की मोरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर परकोटे को तोड़कर के प्लाट काटे जा रहे हैं, यहां पर सरकारी जमीन में परकोटा तोड़कर के हेरिटेज का संरक्षण करने वाले में ही सारा काम किया जा रहा है; रामगंज थाने के सामने यह अवैध निर्माण वहां पर हो रहा है। ये 65 निर्माणों की सूची है जो जयपुर शहर में परकोटे के अन्दर बिना परमिशन के किये जा रहे हैं और इन सारे के सारे को संरक्षण प्राप्त है। ये जो अधिकारी, इनको अवैध निर्माण कराये वे तो ईमानदार हैं और जो अधिकारी इसमें ईमानदारी से काम करे, उनके कहने से काम नहीं करे, खुद बीच में अपना काम करने लग जाए, वह बेईमान है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में जो स्थिति है, वह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है। चार अधिकारियों के खिलाफ दो वरिष्ठ मंत्रियों के सामने महापौर ने सार्वजनिक मीटिंग में आरोप लगाया है, उसी समय उनको या तो उन आफिसर्स को सस्पेंड करना चाहिए था अगर उनकी गलती है तो और अगर उनकी गलती नहीं है तो नगर निगम के अन्तर्गत, माननीय मंत्री महोदय, प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जयपुर नगर निगम की महापौर को निलम्बित किया जाना चाहिए। हर हालत में निलम्बित किया जाना चाहिए। यह पहला मौका आया है कि अफसरों ने सामूहिक अवकाश लिया और सारे के सारे आर ए एस आफिसर्स ने जाकर के माननीय मंत्रीजी को ज्ञापन दिया। आर ए एस आफिसर को उस जगह से हटाने का अधिकार, चैंज करने का अधिकार महापौर को प्राप्त है। इन सब लोगों पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते कि ये बी जे पी के राज में लगे हुए हैं क्योंकि इन सब को दो वर्ष, पौने दो वर्ष, डेढ़ साल का समय हो गया है और ये सारे आर ए एस आफिसर हैं, सारे राज्य सरकार के आदेश से वहां पर लगे हैं। लगने के बाद इनका 5-5 बार, 10-10 बार घुमाकर सब जोन में ट्रांसफर किया गया है।

सभापति महोदय, नगर निगम का यह काम नहीं है, नगर निगम का मुख्य काम है सफाई। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, महापौर को कहना तो पाप है। सफाई की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उद्यान की व्यवस्था नहीं है और न निर्माण की परमिशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था है, न नगर निगम की मीटिंग ठीक से चले, इसकी व्यवस्था है। राज्य सरकार ऊपर इसलिए बैठी है कि इस नगर निगम पर कार्यवाही करे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यह तिकड़ी टूटनी चाहिए और प्रशासन को चुनौती देने वाले, या तो महापौर की बात नहीं मानने वाले अफसर वहां से जाने चाहिए या महापौर को जाना चाहिए। इसके अलावा बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा नगर निगम जिसको अपना वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं....

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : यह तिकड़ी कौनसी है, यह तो बता दो। तिकड़ी क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : तिकड़ी मैंने बताई कि पति, पत्नी और वो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : तो मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : यह तो पिक्चर का नाम है। यह तो पिक्चर का नाम बोल रहे हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : वह तिकड़ी का स्पष्टीकरण कर दिया आर ए एस आफिसर ने, वह भी मैंने बता दिया, वह सारी तिकड़ी स्पष्ट है।

सारा काम बिगड़ा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में मैं ज्यादा नहीं बोलकर के, माननीय कालीचरणजी ने सारी बात रख दी है, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे चाहूंगा, राज्य सरकार से चाहूंगा कि इसका काग्निजेंस लिया जाए और सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : परिवहन मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि.... (व्यवधान) बड़ी शर्म की बात तो यह है।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे मसले को आज सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जिससे सारे देश में हमारा जोधपुर नगर शर्मिंदा हुआ है। 15 से अधिक आल इंडिया चैनल और न्यूज एजेंसीज ने मेरा इंटरव्यू लिया है और पूछा है कि क्या कारण हैं कि 15

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

प्रसूताओं की मौत हुई है। मैंने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कहा था और इस समस्या से इस सदन को अवगत कराया था तथा मांग की थी कि इन मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।

23-24 तारीख का दिन था, 24 तारीख को मैं और मेरी बहन सूर्यकांता जी, दोनों उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण करने गये। हमें गायनिक वार्ड में कोई भी सीनियर डाक्टर नहीं मिला, केवल मात्र रेजीडेंट डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ मिला। उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है, यह हमारे यहां के अधीक्षक डाक्टर नरेन्द्र छंगाणी साहब आपको बतायेंगे। फिर हमने वार्ड का दौरा किया तो वार्ड का जो हाल था, वह बड़ा बेहाल था और संक्रमण की सारी बातें वहां मौजूद थीं। यहां तक कि महिलाएं बहुत गन्दे बेड पर सो रही थीं, आपरेशन के बाद में उनकी देखभाल में बिलकुल कमी थी। फिर हम डाक्टर छंगाणीजी से मिलने गये। उन्होंने बताया कि मैंने मेरी तरफ से 5 ग्लूकोज के सैम्पल टैस्ट के लिए भिजवाये हैं उनमें से तीन फेल हुए हैं। तो हमारा माथा चक्कर खा गया। लगता है कि यही कारण हो सकता है परन्तु हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दो दिन पहले क्लीन चिट दी थी कि प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी पर वह नहीं करके इस तरह से इस बात को आई-गई कर दिया गया।

मान्यवर, मैंने उसी दिन 24 तारीख को मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखकर के सारी जानकारी दी कि उम्मेद अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, रोग के एक नहीं अनेक कारण हैं इसलिए जो भी इसके लिए रेस्पांसिबल है उसको गम्भीर से गम्भीर दण्ड दिया जाए क्योंकि 15 प्रसूताओं की मौत हुई है। पहले 12 और उस दिन 13 हो गई थी और फिर आज प्रशासन 15 कह रहा है और अख़बार 17 कह रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। फिर 27 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर पधारे थे परन्तु उस दिन मैं सांचोर की एक शिक्षण संस्था के कार्यक्रम में गया हुआ था तो मैंने रात को उनको फोन किया तब उन्होंने कहा कि कल सुबह साढ़े सात बजे सर्किट हाउस में मेरे से मिलें। मैंने मिलते ही सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने 5 लाख रुपये की राहत, मुआवजे की घोषणा की। फिर मैंने व्यवस्थाएं बताईं तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दीजिये, मैं कल से तीन मीटिंग्स तो ले चुका हूं और मेरे साथ पनगड़ियाजी भी आये हैं तो हम सारी व्यवस्था को देखकर के जो भी कमी है, वह 15 दिन में पूरी कर देंगे। परन्तु अभी 15 दिन हुए नहीं हैं।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

मान्यवर, हमने अवलोकन के बाद जो पाया वह तो आपको बता दिया कि कितने जाले हैं, गटर रुके हुए हैं, लैट्रिन साफ नहीं हैं। इसी तरह से मुझे डाक्टर साहब ने बताया कि यहां पर 55 डिलिवरी औसतन होती हैं जिनमें से 25 प्रतिशत सीजेरियन होती हैं परन्तु वार्ड छोटा है और इसका हम विस्तार करना चाहते हैं। तब मैंने उनको कहा कि जब आपका फोन आया था कि 10 लाख रुपये विधायक कोष से उसके निर्माण के लिए, एक्सपांशन के लिए दें तो मैंने आपको उसके लिए हां भर दी थी और मैंने कहा था कि आप प्रपोजल भेज दो, मैं कल का कल भेज दूंगा परन्तु उस दिन उन्होंने कहा कि मैं सारी के साथ यह कहता हूं कि माननीय सांसद् महोदया ने भी 10 लाख रुपये का भेज दिया है इसलिए मैं आपसे लेने में असमर्थ हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, उसमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, यह केवल ग्लूकोज के कारण से महिलाओं की मौत नहीं हुई है और ताज्जुब की बात यह है कि महिलाओं की मौत कई दिनों से होती चली आ रही है तथा आज तक भी हो रही है और सरकार आज भी शांत बैठी है। अगर जोधपुर के आपरेशन थियेटर की जो कल्चर की रिपोर्ट है, वह कल्चर की रिपोर्ट अगर माननीय मंत्री महोदय ने देखी हो तो थियेटर के अन्दर जो स्यूडोमोनाज जैसा खतरनाक बैक्टिरिया इतनी तादाद में कल्चर में मिला है, उसमें ग्लूकोज की आवश्यकता ही नहीं है, मौत के लिए वह अकेला ही काफी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रसूताओं की मौत को चलते हुए महीनों हो गये हैं और अब तक सरकार ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी भी वहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। जब तक आपरेशन थियेटर के कम से कम तीन दरवाजे सामने नहीं होंगे, ओपन पड़ा हुआ एक गेट खोलो, सीधे सामने आपरेशन थियेटर है। लड़कियां बाहर हैं। 50 साल से जो थियेटर चल रहा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य को बोलने दें कृपया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : मैं आपको उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जो आपरेशन थियेटर आज से 50 साल पहले था, वही आपरेशन थियेटर आज भी उम्मेद अस्पताल में काम कर रहा है। खिड़कियां खुली हैं और सफाई नहीं है और वहां जितनी दुर्दशा प्रसूताओं के साथ हो रही है, वह शर्म की बात है। सरकार को इसमें व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वहां, जोधपुर तो कम से कम अपने माननीय मुख्य

(डा. दिगम्बर सिंह)

मंत्रीजी का, माननीय सदन के नेता का गृह क्षेत्र है। गृह क्षेत्र की अनदेखी सरकार की, प्रसूताओं की मौत केवल प्रसूताओं की मौत ही नहीं है, महिला सशक्तीकरण का भाषण देने वाले माननीय मुख्य मंत्री महोदय के क्षेत्र की जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सरकार जिम्मेदार है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये। बोलने दीजिये उनको।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कह रहा था, मेरा निवेदन है कि मैं 26 तारीख को जयपुर में था। हमारे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था और उसी समय मैंने नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया था कि जोधपुर में 15 मौतें हो गई हैं तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं नोट करना भूल गई; उन्होंने 10 मिनट में सारी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार से मांग की थी। उसके उपरान्त 28 तारीख को मैं मुख्य मंत्री महोदय से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में सारी व्यवस्था हो जायेगी।

मेरा एक और निवेदन है सरकार से कि जो मुआवजा राशि दी गई है, उसके चैक उनके पति के नाम से दिये गये हैं, जबकि बच्चों के नाम भी होने चाहिए उसमें, उनका खुद का खर्चा हुआ है। जिस तरह से शराब दुखान्तिकाओं में मरे हुए लोगों के, मृतकों के परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा दी गई, पैकेज दिया गया, वैसा ही पैकेज उम्मेद अस्पताल तथा महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की जो 17 मौतें हुई हैं, उन्हें भी वैसा ही मुआवजा मिलना चाहिए। निवेदन है मेरा, सभापति महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, एक बार कम से कम यह सदन में आश्वासन तो दे दें कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिये उनको। कृपया सदस्य को बोलने दीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : ...आज के बाद वहां मौतें महिलाओं की बंद हो जायेंगी, प्रसूताओं की मौतें बंद हो गई हैं। आज तक भी कोई इस तरह का वहां पर कार्यक्रम चालू नहीं किया है और मैं, सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। इस विषय पर और भी आप बोलेंगे, आपके तीन लोग बोलने वाले थे। अब आप बीच में कैसे बोल रहे हैं ? अच्छा, आसन पैरों पर है। कृपया विराजिये। बोलने दीजिये उनको। आप ही के साथी हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : सभापति महोदय, सरकार ने इस पूरे कांड को दबाने के लिए...

श्री सभापति: कृपया विराजिये, माननीय सदस्य। सदस्य को बोलने दीजिये, और भी लोग बोलेंगे इसमें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : ...और जोधपुर के अस्पताल के बारे में दिल्ली की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि इतना भयंकर संक्रमण है और जोधपुर के अन्दर आज भी, यह जांच करने की बात नहीं है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : माननीय सभापति महोदय, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: देखिये, आप जोर से कृपया मत बोलिये, आप भाषा को संयत रखिये। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी भाषा को संयत रखिये, जोर से मत बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : मैंने क्या भाषा गलत बोली? कोई भाषा गलत नहीं बोली। मैंने कोई भाषा गलत नहीं बोली।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये। कृपया आप विराजिये। बोलिये आप।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : मान्यवर, प्रशासन यह कह रहा है कि इसमें ग्लूकोज ही दोषी है। जैसा अभी डाक्टर साहब ने कहा, मैं उसी बात का समर्थन कर रहा हूं, एक नहीं, अनेक कारण हैं जिसमें विशेषकर...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री) : दो मिनट की बात है, इसमें चर्चा करने वाली बात नहीं है। दो मिनट में बात होनी है, इसमें सारे के सारे लोग बोलने खड़े हो गये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री) : इस तरह सदन के सिस्टम को आप हाईजैक नहीं कर सकते। पूरे सदन के सिस्टम को आप हाईजैक नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, पूरे दिन की चर्चा करवा लें आप। यह दो मिनट की चर्चा की बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : इस पर पूरे दिन की चर्चा रखवा लें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : इस पर आधा घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री सभापति: आप सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलने दीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : सभापति महोदय, इतनी प्रसूताओं की मौतें हुई हैं और सदन में...

श्री सभापति: कृपया विराजिये, माननीय सदस्य। बोलिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : पूरे भारत में टीवी क्या कह रहा है, हम रोज देखते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। सदन की कार्यवाही चालू रखिये। (व्यवधान) देखिये, इस विषय पर और भी लोग बोलने वाले हैं, इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जिला प्रभारी मंत्रीजी, माननीय राजेन्द्रजी पारीक ने अभी कहा...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : कितनी महिलाओं को मरवाया है, आपको ही बताया होगा, कितनी महिलाओं को मरवाया है।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : यह इतना गम्भीर मामला है। मैं मुख्य मंत्रीजी को जो भी चिट्ठी लिखता हूं, उसकी प्रति हमेशा इनको भेजता हूं और इनकी नोलेज में भी सारी घटना को भेजा है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : मेरा निवेदन है कि 17 प्रसूताओं की डैथ की जो बात है, इसमें सबसे ज्यादा जो बात हुई है, वहां सिस्टम नहीं है, वहां मशीन नहीं है, सफाई करने की व्यवस्था नहीं है, संक्रमण को रोकने की व्यवस्था नहीं है। वहां तीन-तीन महीने में आपरेशन थियेटर की क्लीनिंग नहीं होती है, संक्रमण-मुक्त नहीं किया जाता है। इसी तरह से जो कल्चर रिपोर्ट आई है, दिल्ली की जो कमेटी आई है, उसने बहुत ही शर्मनाक रिपोर्ट दी है। मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार के पास आई है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन सब बातों का ध्यान रखा जाये और...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : कृपया दो मिनट के लिए और बोलने दीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी समस्या है, जिसमें अभी-अभी मेरे पास जी-टीवी से फोन आया कि इस समस्या को ठीक ढंग से निपटाया जाये। क्योंकि फर्स्ट हैंड होने के कारण से मेरे पास में सूचना है, इसलिए रखना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान) कृपया बैठिये, कृपया विराजिये। बहुत लोग बोलने वाले हैं, कृपया विराजिये, कृपया विराजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, यह इसके अन्दर तो सारे सदन को विचार करने जैसी बात है कि जोधपुर के अन्दर और जोधपुर जैसा शहर, माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला और वह उम्मेद अस्पताल है जो अपने आप में नाम से पहचाना जाता था, उस उम्मेद अस्पताल के अन्दर 15 महिलाओं की मृत्यु हो जाना और वहां डाक्टरों की नासमझी समझो, दवाइयां नकली समझो, कुछ भी समझो, किसी वजह से जो कुछ भी हुआ है, वह दु:ख की बात है। इस पर सब सदन को इसके लिए विचार करने की बात है, यह एक व्यक्ति का काम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी वहां के प्रभारी मंत्रीजी ने यह कहा कि दो-दो मिनट बोलने का मौका दिया है, यह दो-दो मिनट की बात नहीं है। एक मां गई है बच्चों की, उसके लिए सोचने की बात है। मैं भी एक कोई बच्चों की मां हूं, मेरे को इस बात का दु:ख होता है कि इस तरीके से सरकार कह रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस उम्मेद अस्पताल का जिक्र करना चाहूंगी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिये सदस्या को।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, यह उम्मेद अस्पताल वह उम्मेद अस्पताल है, जब यह उम्मेद अस्पताल नहीं बना, तब जोधपुर की महारानी भटियाणी, महाराजा उम्मेद सिंहजी की बहू ने इस बात का बड़ा एतराज किया कि यह गांधी अस्पताल बन गया तो महिलाओं ने क्या चोरी की है और आज वह अस्पताल है महिलाओं के लिए। आज वहां पर महिलाओं की यह दुर्दशा हो रही है, माननीय सभापति महोदय, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि एक-एक पलंग पर दो-दो, तीन-तीन महिलाएं लेबर-रूम में सो रही हैं और क्या गंदगी है, उसका मेरे पास कहने को जवाब नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अस्पताल में जाने का मेरा अनुभव है, मैं हर समय कम से कम महीने में 20 दिन, अस्पताल का निरीक्षण समझो, चाहे किसी गर्भवती महिला को ले जाने की बात समझो, मैं हर समय वहां जाती रहती हूं मगर वहां, माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने, मैंने नहीं कहा है, मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने, 10 अक्टूबर, 2010 के अन्दर इनका खुद का बयान है कि अस्पताल के अन्दर अनियमितताएं हो रही हैं और अस्पताल में किसी के मर जाने के ऊपर पैसा लूट रहे हैं। यह इनका खुद का स्टेटमेंट है और आप कहें तो मैं एक-एक लाइन पढ़कर सुना दूं और छह महीने तक वहां कुछ भी नहीं किया अस्पताल में इसलिए मुझे बड़ा दु:ख हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अस्पताल के अन्दर पूरा स्टाफ नहीं, अस्पताल के अन्दर कोई मशीन नहीं, अस्पताल के अन्दर कोई पूरा नर्सिंग स्टाफ नहीं और रेजीडेंट डाक्टर वहां पर काम करते हैं, सीनियर डाक्टर कोई भी नहीं मिलता है। सीनियर डाक्टर को फोन करते हैं जब महिला की स्थिति बड़ी जोर की बिगड़ जाती है तो 10 मिनट तक तो वह टेलीफोन पर लगा देता है कि मैडम, क्या करें, क्या स्थिति हुई है। क्योंकि मैं खड़ी रहती हूं, वह स्थिति बता रही हूं, मैं आंखों देखा हाल बता रही हूं, वह स्थिति मैं बता रही हूं। फिर उनको काल भेजो, फिर वह आये, तब तक उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है और फिर यह जाते हैं गांधी अस्पताल में क्योंकि वहां आई.सी.यू. वार्ड नहीं है। आपका इतना बड़ा अस्पताल है और आप कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, अस्पताल के लिए कर दिया, बड़ी-बड़ी बात करते हो और अस्पताल के अन्दर देखो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो वास्तव में जो शहर के विधायक हैं, कैलाश जी भंसालीजी ने कहा कि कोई भी वहां सीनियर डाक्टर नहीं मिला, न कोई

(डा. सूर्यकान्ता व्यास)

सीनियर डाक्टर वहां उपस्थित मिलते हैं। हम कई दफा वहां पर गये हैं। मैं इस उम्मेद अस्पताल के बारे में क्या-क्या कहूं, कहूं जितना कम है।

माननीय सभापति महोदय, यह अस्पताल गंदगी से भरा हुआ रहता है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई लेबर-रूम की व्यवस्था नहीं। जो स्टेट के टाइम से बना है, वही लेबर-रूम आज भी है। जूते पहनकर लोग चले जाते हैं, वहां कोई रोकटोक नहीं है क्योंकि व्यवस्था का नाम भी नहीं है और जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महादेय, उसके संसाधन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर कोई संसाधन नहीं है। प्रसूति सुविधा वाले अस्पताल में कम से कम सामान तो होना चाहिए। उम्मेद अस्पताल जैसे अस्पताल में दवाइयों का टोटा रहता है और दवाइयां सारी नकली मिल रही हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, दवाइयां सारी नकली रहती हैं।

मैं समय-समय पर मुख्य मंत्रीजी से, स्वायत्त शासन मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से पत्र-व्यवहार करती रहती हूं, मेरे ख्याल से, मैं मुंह से नहीं कहूं, मगर मैं जितना पत्र व्यवहार करती हूं, कोई नहीं करता होगा। मगर पत्र व्यवहार का कोई उत्तर तक नहीं देता है। सिर्फ एक चिकित्सा मंत्रीजी का उत्तर आता है कि मैंने संबंधित को भेज दिया है और जल्दी कार्यवाही करने का कहा है और स्वायत्त शासन मंत्रीजी के पत्र का उत्तर आता है कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने इनका कोई धन्यवाद लेने के लिए पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र लिखा है काम के लिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को जो कि सदन के नेता हैं, उनको पत्र लिखती हूं तो वे लिखते हैं कि सचिव महोदय को भेज दिया। अब कौन से सचिव महोदय को भेज दिया, यह कोई पता नहीं और न कोई सचिव महोदय ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही की है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत दुःख की बात है, 15 औरतों की डैथ हो जाना और आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसकी कोई जांच नहीं करा सकते, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर सके। यहां सरकारी अधिकारी वहां आते हैं, माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, मेरी बात...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, इस विषय को मैं समझती हूं, पूरे हाउस को बहुत गम्भीरता से लेने की जरूरत है। 15 प्रेग्नेंट महिलाओं की डैथ होना, एक के बाद एक, उसके बाद यह सेंट्रल टीम का वहां पहुंचना और सेंट्रल टीम यह कहे कि उस आपरेशन थियेटर का, उस लेबर रूम का, उस आई वी फ्लूड का टोटल कंटेमिनेशन है और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट से सरकार के ऊपर एक कलंक लगना, मैं समझती हूं कि उसके साथ-साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें सरकार को नोटिस देना, ये सब बातें बहुत ज्यादा गम्भीर हैं। अभी तो 15 महिलाओं की बात निकली हुई है, बताते हैं कि हो सकता है, 17 महिलाओं तक यह बात पहुंच जाय। मैं समझती हूं कि आज हाउसमें, इस हाउस के सेंस को सब को लेने की जरूरत है और उस हाउस के सेंस को लेकर बड़ी गम्भीरतापूर्वक उसका जवाब और उसके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है, वह सरकार को कहने की जरूरत है। मैं समझती हूं, मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले के अन्दर अगर यह स्थिति है तो आप यह समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अन्दर क्या स्थिति है। यहां खड़े होकर बजट के भाषण के अन्दर आप लोग कुछ भी कह लीजिये, आप बता दीजिये कि राजस्थान के अन्दर तो दूध की नदियां बह रही हैं और सोने के महल खड़े हो गये, परन्तु एक्चुअल में क्या स्थिति है, वह ऐसे इंसिडेंट्स से लोगों को मालूम पड़ता है। आज इसको सब लोगों ने हाइलाइट किया है, मैं समझती हूं कि यहां आप लोगों को गम्भीरतापूर्वक इसके ऊपर विचार करके और उसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय ...

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय विपक्ष की नेता महोदया ने जो फरमाया, मैं....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, इस बारे में तो मुख्य मंत्रीजी को और स्वास्थ्य मंत्रीजी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर जरा सी भी नैतिकता है तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : मंत्री महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, मंत्रीजी...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मंत्रीजी स्वयं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह बहुत गलत बात है, आज भी प्रसूताओं की मौतों को नहीं रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी स्वयं बात करना चाह रहे हैं, कृपया विराजें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो माननीय प्रतिपक्ष की नेता ने कहा है....

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मुख्य मंत्रीजी के गृह नगर का मामला है, मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए आकर के। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष) : मंत्री महोदय यहां कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का जवाब वे दें पर मैं समझती हूं कि क्योंकि यह मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है, मुख्य मंत्रीजी को इतना रेस्पेक्ट दे देना चाहिए और यहां आकर इसका जवाब देकर बता देना चाहिए हम लोगों को कि वे क्या करने जा रहे हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : इतना संवेदनशील मामला है, मुख्य मंत्री जवाब दें इसमें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : सी.एम. जवाब दें इसमें।

श्री सभापति: अगर आप यह चाहते हैं कि मंत्रीजी...(व्यवधान) कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : मंत्री महोदय, याद करो, 19 फरवरी को आप क्लीन चिट देकर नहीं आते...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप गम्भीरता से विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते, जैसा आपकी आदरणीय नेता ने बोला भी है, आपसे मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी को आप बोलने दें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी जवाब दें इस संवेदनशील इश्यू पर।

श्री सभापति: अगर आप गम्भीरता से, अगर आप गम्भीर हैं इस विषय के ऊपर, तो कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय सभापतिजी, इतना संवेदनशील...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मुख्य मंत्रीजी के गृह नगर का मामला है।

श्री सभापति: मैं प्रतिपक्ष की माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप बोली हैं इस पर। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : 15 महिलाओं की मौत हुई है, ऐसे विषय पर भी अगर मुख्य मंत्रीजी जवाब नहीं देते हैं तो ये मुख्य मंत्री संवेदनहीन मुख्य मंत्री हैं।

श्री सभापति: मैं प्रतिपक्ष की नेत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया बतायें सदस्यों को (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : ये मुख्य मंत्री संवेदनहीन मुख्य मंत्री हैं। मुख्य मंत्रीजी को आकर जवाब देना चाहिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष की आदरणीय नेत्री ने...(व्यवधान) आपको कहा है...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : सभापति महोदय, सभी अस्पतालों की हालत खराब है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय मुख्य मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल की हालत बहुत खराब है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विषय को गम्भीरता से नहीं लेना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें इसमें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया विराजिये। आप सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें। आसन पैरों पर है। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : मुख्य मंत्री को बुलवाइये। मुख्य मंत्री जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय प्रतिपक्ष नेत्री ने बोला है, मंत्री...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अस्पताल के अन्दर 15-15 मौत हो जाये...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, वे देने के लिए तैयार हैं, आप गम्भीरता से...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : इतना संवेदनशील इश्यू है, 15 महिलाओं की मौत हुई है। (व्यवधान) 15 महिलाओं की मौत हुई है, उसके बाद भी मुख्य मंत्री आकर जवाब नहीं दे रहे। मुख्य मंत्री आकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री के जिले में इस प्रकार से 15-15 प्रसूताओं की ऐसी दयनीय हालत में मौत होना...

श्री सभापति: आपके सदस्य...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : शराब के कारण से मुख्य मंत्री के गृह जिले में...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगर आप गम्भीर हैं...(व्यवधान) आसन पैरों पर हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : इस तरह से मौतें होना... (व्यवधाना)

श्री सभापति: अगर आप गम्भीर हैं इस विषय के ऊपर तो...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : सभापतिजी, इतना संवेदनशील इश्यू, 15 महिलाओं की मौत हुई है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। शांति बनाये रखें, सदन को चलने दीजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री को यहां आना पड़ेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : 15 महिलाओं की मौत होने के बाद भी मुख्य मंत्री नहीं आ रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : माननीय सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी को बुलाइये। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री के गृह जिले के अन्दर यह हो रहा है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : मुख्य मंत्रीजी जवाब दें इस बात का। मुख्य मंत्रीजी के गृह नगर का मामला है, मुख्य मंत्रीजी को आकर जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी खुद अपना...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय मंत्री महोदय लाचार हैं। मंत्री महोदय लाचार हैं, मुख्य मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति: वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री को आना पड़ेगा।

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मुख्य मंत्री सदन में आयें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : मुख्य मंत्री सदन में आकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें, आप स्वास्थ्य मंत्री को सुनें। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले में शराब से 35-35 आदमी मर जायें, उनके विधायक के लड़के की इस प्रकार से अपहरण करके मौत हो जाय, यह कोई शासन चल रहा है। आज प्रदेश का....

श्री सभापति: कृपया विराजिये। मंत्रीजी स्वयं वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया विराजिये। (व्यवधान) अगर आप गम्भीर हैं, इस विषय के ऊपर गम्भीर हैं तो कृपया विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री को आना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : सभापतिजी, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और यह....

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, कृपया विराजें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : यह सिर्फ इंडिकेशन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, भाटी साहब, कृपया विराजिये। आपकी बात सुनी गई, प्रतिपक्ष की नेत्री ने अपनी बात कही है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आप बैठिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री को आना पड़ेगा।

श्री सभापति: स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : 15 महिलाओं की मौत का सवाल है। मुख्य मंत्री इसमें जवाब दें आकर।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री को आना पड़ेगा।

श्री सभापति: अब इस पर अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। आप बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : ×××

श्री सभापति: आप गम्भीर नहीं है इस विषय पर। मैं प्रतिपक्ष की नेत्री से निवेदन करूंगा कि आप बोलिए। आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अभी तो यह प्रस्ताव आया है न। अभी तो प्रस्ताव आया है। अभी तो प्रस्ताव आया है आपका। आपकी नेत्री ने बोला, गम्भीरता से आप सुनिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) ××× :

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: अभी बोल रहा हूं, मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष की नेत्री से निवेदन करूंगा...(व्यवधान) इसका मतलब आप गम्भीर नहीं हैं, आप सदन की कार्यवाही नहीं चाहते, आप गम्भीर नहीं हैं विषय के प्रति। विषय के प्रति आप गम्भीर नहीं हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, विषय के प्रति गम्भीर नहीं हैं। आप सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चलाना चाहते। मंत्रीजी वक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे मौका दिया जाय, मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री सभापति: स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। आप बोलें, आप बोलें। अब कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं जवाब देने को तैयार हूं, जो एक-एक प्वाइंट यहां रेज किया गया है, उसका मैं यहां जवाब देने के लिए तैयार हूं।

(समय : 13.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सभापति महोदय, यह बहुत दुःख का और सीरियस मामला है, मैं मानता हूं, इसलिए मैं माननीय विधायक महोदयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मामले को जिस सीरियनेस के साथ उन्होंने उठाया है, उस सीरियनेस के साथ उस मामले को वह लें और मैं प्रतिपक्ष की नेत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुद्दे उठाये हैं, जो भी उनका उत्तर है उसको सुनने की कोशिश करें। मैं यह अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपकी आज्ञा से एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

मैं यह बताना चाहता हूं कि उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में प्रति वर्ष 20,000 से भी अधिक डिलिवरी होती हैं तथा इसमें लगभग 6,000 सीजेरियन आपरेशन प्रति वर्ष किये जाते हैं। इस चिकित्सालय में दिनांक 13.2.2011 से 6.3.11 तक 15 प्रसूताओं की मृत्यु हुई है। उसी समय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य ने गायनी के विभागाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श कर ठोस कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जिसकी पालना में आपरेशन थियेटर एवं लैबर रूम से सैंपल लेकर भेजे गये जिसकी रिपोर्ट 19.2.2011 को प्राप्त हुई जिसमें ग्राम पाजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ सेफ लिमिट में पाई गई। इसके पश्चात् दिनांक 20.2.2011 को मैंने स्वयं ने उक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक ली और इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके निर्देश प्रदान किये। क्योंकि उक्त सभी मरीजों को आई.वी. फ्लूड (रिंगर लैक्टेट) दिया गया था, इसलिए इसके द्वारा संक्रमण की सम्भावनाओं को देखते हुए इसके सैम्पल लिये गये और ये सैम्पल मेडिकल कालेज की लैबोरेटरी में जांच हेतु भेजे गये जिसकी रिपोर्ट 22.2.2011 को प्राप्त हुई एवं उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ पाई गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

तुरन्त इसके उपयोग पर रोक लगाकर और ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित कर, इसके सैम्पल ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत लिये गये और अस्पताल अधीक्षक ने आई वी फ्लूड सप्लाई करने वालों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई। साथ ही दो स्टोर कीपर और संबंधित क्षेत्र के ड्रग इंस्पेक्टर को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया।

दिनांक 23.2.2011 को उम्मेद चिकित्सालय के प्रधानाचार्य द्वारा गठित कमेटी तथा उसी दिन सायंकाल जयपुर से भेजी गई दो सदस्यीय जांच दल ने मृत्यु के कारणों की जांच हेतु 18 केसेज के रिकार्ड का गहन अध्ययन किया। अस्पताल की व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट मैं कोट करना चाहता हूं:-

"The records of 18 patients were analyzed out of which 12 had died. In 8 patients, complications are due to their natural course of illness which is sufficient to explain their mortality or morbidity. In remaining 10 patients, the obstetric history is not sufficient to explain their seriousness or death. In these patients, there is either septicaemia or bleeding diathesis on record in their investigations and treatment notes. This septicaemia or bleeding diathesis is in no way directly related to their present illness. A possible cause to this could

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

be infusion of fluid which when cultured showed growth for GNB/GPB. However, the rare possibilities of amniotic fluid embolism which is a diagnosis by exclusion cannot be ruled out in cases of bleeding diathesis.

The committee is of the view that as per the notes of clinician the events of bleeding diathesis and septicaemia occurring in very short duration in otherwise normal patients needs further evaluations for presence of toxins, pyrogens or chemicals in i.v. fluids."

श्री सभापति: जवाब चलने तो दो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आप कृपया बैठें, कृपया शांति बनायें, बैठें। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया बैठें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसके उपरांत बची हुई शेष 6 में से 3 प्रसूताओं की मृत्यु दिनांक 26.2.2011, 4.3.2011 व 6.3.2011 को चुकी है। शेष 2 महिला प्रसूताएं स्वस्थ होकर घर जा चुकी हैं और शेष एक प्रसूता का इलाज अभी तक आई.सी.यू. में चल रहा है।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उम्मेद चिकित्सालय में स्थित विभिन्न अनुभागों का गहन निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा ले भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल जोधपुर विकास प्राधिकरण को लैबर रूम के नवीनीकरण का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने के निर्देश दिये एवं प्रत्येक मृतक प्रसूता के परिवार को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में देने की घोषणा की।

इसके साथ ही दिनांक 27.02.2011 को राज्य सरकार द्वारा सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को इस प्रकरण की गहन जांच कर, 15 दिवस में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी एक विशेषज्ञ दल ने इस पूरे प्रकरण की दिनांक 28.2.2011 को उम्मेद अस्पताल जाकर जांच की, जिसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। अभी जो माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कही है, उसकी रिपोर्ट की, अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट, कल शाम तक हमारे पास नहीं आई है।

मैं आगे बताना चाहता हूं कि चूंकि अभी तक अल्प अवधि में एक साथ इतनी प्रसूताओं की मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं हो सका है, इसको

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण के संबंध में विस्तृत निष्पक्ष जांच हेतु देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान पी.जी.आई. चण्डीगढ़ से हमने वरिष्ठ चिकित्सकों का एक दल जिसमें Microbiologist, Paediatrician, Gynaecologist, Physician एवं राज्य के Epidemiologist और Haematologist विशेषज्ञ को जोधपुर जांच हेतु भेजा रहा है।

उठाये गये कदमों के अन्तर्गत लैबर रूम और आपरेशन थियेटर का प्रतिदिन फ्यूमिगेशन करवाया जा रहा है। लैबर रूम के शीघ्रातिशीघ्र नवीनीकरण से पहले वर्तमान में जिस जगह इमरजेंसी चलाई जा रही है, वहां लघु बदलाव के बाद लैबर रूम स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। उम्मेद अस्पताल में मातृ एवं शिशु रोगियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में नवीन जनाना एवं शिशु विंग का कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए 34.91 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री सभापति: कृपया बैठें, बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चिकित्सालय के सभी आपरेशन थियेटर, लैबर रूम व आई सी यू वार्ड का नवीनीकरण का निर्णय लिया जाकर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों हेतु उन्नयन हेतु 30 करोड़ रुपए तथा उपकरणों हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे सभी मेडिकल कालेजेज से संबद्ध चिकित्सालयों में लैबर रूम, आपरेशन थियेटर व आई सी यू के उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। राज्य के अन्य किसी भी चिकित्सालय में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेज के अधीक्षकों को राज्य के जिला चिकित्सालयों, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपरेशन थियेटर, लैबर रूम, वार्ड में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निरन्तर व्यवस्था रखे जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

बहिर्गमन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह बड़े शर्म की बात है, इतना नुकसान होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब की कांस्टिटूएंसी में आज के दिन कोई भी इस स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य मंत्रीजी को यहां आकर जवाब देना चाहिए। वे भी जवाब देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमने अपनी पुरजोर आपके सामने जो भावना व्यक्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करनी थी, हमने व्यक्त की है और हम लोग सब अभी इस हालात के ऊपर वाक आउट कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री अमराराम। श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायक (किशनगढ़) के पुत्र का अपहरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त संवेदनशील और हृदयविदारक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस घटना के पीछे सदन में बोल कर कोई मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता पर कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देती हैं। राज्य में जिस तरह की कानून-व्यवस्था है और उस कानून-व्यवस्था के कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गये, पुलिस इतनी बेबस हो गयी और हमारे गृह मंत्रीजी को मैं क्या उपाधि दूं, नाकारा कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं। इन सबके चलते आज अपराधी इतने बेखौफ हो गये कि वे जनप्रतिनिधियों के परिवार को निशाना बनाने लग गये हैं।

कल की घटना है, हमारे साथी जिनका हम सम्मान करते हैं, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के पुत्र भंवर सिनोदिया, उनका दिनदहाड़े अपहरण होता है और अपहरण रूपनगर बस स्टैंड से होता है। उस समय जब अपहरण होता है तो उनके साथ भी दो और आदमी होते हैं। चार लोग आकर उनसे यह कहते हैं कि आपसे बात करनी है, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को मोरड़ी गांव के मोड़ से बहुत तेजी से भगा कर ले जाते हैं। उसी वक्त उनके पीछे जो उनके साथी जा रहे हैं, वे सूचना देते हैं, वहां के एस.पी. को सूचना देते हैं। माननीय विधायक महोदय को जब मालूम पड़ता है तो, मैं भी पिता हूं, उनके हृदय पर क्या बीती होगी यह आप और हम सब महसूस कर सकते हैं, उन्होंने उच्चाधिकारियों से बात की, उन्होंने गृह मंत्री से बात की।

सभापति महोदय, इस पूरी घटना के पीछे जिस भूमि का विवाद है, वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भूमि है मधुसूदन मेहनोत की, एक प्रभावशाली व्यक्ति की और, सभापति महोदय, ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, ये जो सदन के सदस्य नहीं हैं और जिनका नाम आप उल्लेख कर रहे हो, यह परम्परा का हिस्सा नहीं है इस हाउस के अन्दर कि जो मर्जी आये आप बोल दोगे। ऐसे जोश खाने से काम नहीं चलता। छोड़ दो इन बातों को कि आप जो मर्जी आये, बोल दोगे, और वे सुन लेंगे। तमाशबीन थोड़े ही बैठे हैं यहां पर, पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं। सही चीज बोलो। आपका प्रतिरोध नहीं करेंगे। अगर तथ्यों से हट कर बात करेंगे तो सहन नहीं करेंगे।... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य, सुनें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस पूरी हत्या की जिसने सुपारी ली, उसका नाम है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं और इंटरवीन करना चाहूंगा। ये अभी हत्या, आप कमाल कर रहे हैं, कोई हत्या हो गयी क्या? आप कह रहे हैं, हत्या हो गयी। हत्या हो गयी, आप कह रहे हैं क्या? आप सदन के अन्दर बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिये, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य। हत्या हो गयी है क्या? आप यह अनाउंस कर रहे हैं सदन के अन्दर ?

श्री सभापति: आप कृपया विराजें। कृपया बोलने दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये समाचार पत्रों को आधार बना कर, माननीय सभापति महोदय, इस सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) उनके कुशलक्षेम की कामना करते हैं। (व्यवधान) उनका परिवार शोक में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम दुआ करते हैं माननीय सभापति महोदय, उनके बच्चे के लिए कि वे सकुशल वापस घर आ जाए। (व्यवधान) ये किसी विधायक के बच्चे का सवाल है, इसमें ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। बात बहुत गम्भीर है। गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिए, बात का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सब्जेक्ट टू करेक्शन। यह बात मैंने इसलिए कही कि जो एक सिकन्दर नाम का व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है, उसने पुलिस के समक्ष जो बयान दिये हैं, उसने यह कहा है कि हम भंवर को अपहरण करके ले गये और अपहरण करने के बाद हमने 12 किलोमीटर पर ले जाकर उसको गोली मार दी। अगर मैं गलत हूं तो, सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पूरे सदन से माफी मांगूंगा, आपका दण्ड भी भोगूंगा। अगर यह सकुशल आ जाता है तो मैं बाई शपथ कहता हूं कि मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा और आपके दण्ड को लेने के लिए भी तैयार होऊंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जिस...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, अभी जो लाइन इन्होंने कही है कि सिकन्दर ने यह कहा कि 12 किलोमीटर दूर ले जाकर के हमने उसके गोली मार दी, जरा इसको दिखवा लें कि यह नोट हो गया कि नहीं हो गया और उसके बाद में जो आपने कहा कि अगर यह गलत निकलेगा तो मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, इस पर मैं ...(व्यवधान) मैं तैयार हूं बहस करने के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह भी बता दो, आप कोई डी जी हो पुलिस के या राजस्थान के गृह मंत्री हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अगर यह गलत साबित हुआ तो आपको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, माफी मांगूंगा, विराजो आप।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यह अंकित हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इसमें नागौर का शहजाद जो इसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, जो पहले जेल में रहा हत्या के मामले में, वह पैरोल पर है और पैरोल जम्प कर गया। सभापति महोदय, पैरोल देने के लिए उच्चाधिकारियों की एक कमेटी होती है, वह अपराधी के चाल-चलन को सत्यापित करके पैरोल देती है। कितनी गम्भीर बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है कि एक अपराधी पैरोल पर छोड़ा गया अफसरों की सिफारिश पर और वह पैरोल जम्प कर जाए।

सभापति महोदय, यह अपहरण होता है दोपहर में 1.00 बजे। मैं मुख्य मंत्रीजी को तो इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पचासों टेलीफोन किये, डी जी पी से लेकर एडिशनल एस.पी. तक को टेलीफोन किये पर दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकारी आज मुख्य मंत्रीजी के टेलीफोन को भी गम्भीरता से नहीं लेते, गृह मंत्रीजी की तो बात ही क्या है। सभापति महोदय, इसी का नतीजा रहा कि आज कभी कृषि मंत्री के घर के बाहर से जीप चोरी होती है, कभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य के घर के आगे से जीप चोरी होती है।

इतना जघन्य अपराध, आज एक माननीय विधायक के पुत्र का सरेआम अपहरण कर ले और उसके बाद भी ये उस पर राजनीति करना चाहे कि हमारी कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इसलिए, सभापति महोदय, अगर राजस्थान के अन्दर जन-प्रतिनिधियों के रिश्तेदार सुरक्षित नहीं हैं तो कौन सुरक्षित होगा? आज राजस्थान की जर्जर कानून-व्यवस्था के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, वह सही है और सही साबित होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून का राज नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये पहले वाली टिप्पणियां भी जरा पढ़ कर सुना दो, आपके टाइम की टिप्पणियां। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) कौनसी टिप्पणी आपके टाइम थी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर वे सकुशल आ जाए तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा पर मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पुलिस ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपने बीकानेर के अन्दर गैंगवार में रामरतन को मरवा दिया। गैंगवार आपकी सारी जगह चल रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस बच्चे भंवर को मरवा दिया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जब यह अपहरण होता है तो पुलिस ने नाकाबंदी क्यों नहीं की? क्या दबाव था पुलिस पर कि पुलिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नाकाबंदी नहीं करे? अपराधी एक व्यक्ति को लेकर चले जाएं, हाथ पर हाथ धरे रहें। भंवर के पिता गुहार करते रहे, अधिकारियों को कहते रहे, यहां से सदन छोड़कर भाग कर जाये, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस सरकार की कोई हो नहीं सकती जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, दोपहर को करीब एक बजे ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) कल मेरी नाथूराम सिनोदिया से बात हुई ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान) पूरा अजमेर देख रहा है, पूरा अजमेर। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) खून से सने हुए मिले हैं। उसने स्वयं ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि भंवर को गोली मार दी गई है। यह सारी जानकारी पुलिस को नागौर जिले के थाने पर उसने दी है। इसके बाद भी यदि आप कह रहे हैं कि कैसे हुआ ...(व्यवधान) एस पी से बात हुई है।(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) चाहे वह सिनोदिया जी के पुत्र का अपहरण हो, चाहे वह एनकाउंटर हो ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) अजमेर में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। (व्यवधान) सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी इसकी सी बी आई से जांच कराये। हमारा एक विधायक हमारा भाई है, हमारे भाई के पुत्र की हत्या हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया विराजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इस सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता लग रही है, दोपहर में एक बजे रूपनगढ़ एस एच ओ को अपहरण का पता लग गया, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर पुलिस तत्परता से कार्यवाही करती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।

श्री सभापति: कृपया विराजिए। मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, बैठिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): किस-किस पर वक्तव्य देंगे।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाडा में दम्पत्तियों की सरेआम हत्या हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय , भीलवाडा की कानून-व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान) उन पर पहाड़ टूट पडा है और आप मुस्करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरे-आम लूट हो रही है।(... व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, सदन में बैठ कर मुस्कराना, देखिए, ये मुस्करा रहे हैं। उनको बिलकुल चिंता नहीं है कि किस तरह से एक विधायक महोदय पर पहाड़ टूट पड़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते तो मैं आगे बढ़ूं ?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान) अपराधी तत्वों ने उनका अपहरण कर लिया और ऐसी स्थिति (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज तक हत्यारे पकड़ में नहीं आये, भीलवाड़ा में सरेआम मर्डर हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है, आसन पैरों पर है, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप कृपया सुनिए। और अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आगे की कार्यवाही पर चलूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, पूरा राजस्थान जल रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देने के लिये यहां उपस्थित हैं ना, आप कृपया सुनिए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ...(व्यवधान) यह अलवर का इतिहास रहा है, अलवर हमेशा न्यायप्रिय रहा है। (व्यवधान) आप मुख्य मंत्री को बुलाइए, यह बड़ा संवेदनशील मामला है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय गृह मंत्री महोदय आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो अपराधी हैं उनको तुरन्त पकड़ें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह आसन अलवर का नहीं है, यह

(श्री सभापति)
आसन सभापति का है। मेरा यह कहना है कि आप कृपया विराजिए और मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, उसको सुनिए। (व्यवधान) कृपया विराजिए, सदन की गरिमा बनाये रखिए, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दीजिए। आपकी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी गई है, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं, गम्भीरता से ले रहे हैं, कृपया उनका वक्तव्य सुनिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) सभापति महोदय , पूरा राजस्थान बिगड़ रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हम इसको बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय को गम्भीरता से सुनेंगे भी सही लेकिन माननीय सदस्यों में जो आक्रोश है, कुछ माननीय सदस्यों में शांत होते हुए आक्रोश है, कुछ बोलकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, दुःख भी है। सभापति महोदय, यह माननीय विधायक के लडके का प्रश्न नहीं है, यह तो ग्रेविटी शो करता है कि एक पहुंच वाला आदमी सदन से जाये, फोन करे उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाये तो जो एक आम आदमी है, वह किस प्रकार सुरक्षित है। एक आम आदमी की हत्या होना और एक विधायक पुत्र की हत्या होना, दोनों बातें बराबर हैं लेकिन एक ग्रेविटी शो करता है कि इसमें हम कहां तक सुरक्षित हैं।

इसमें एक मामला नहीं है, इसमें देखेंगे तो अपहरण है, शूटर्स हैं जो बाहर से आते हैं और हत्या होती है। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही हैं। सभापति महोदय, इस समय यह एक अवसर है, हमारे सबके मन में टीस इस बात की हो रही है, हम इसको कोई स्कोर नहीं करना चाहते, हम यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान की इस समय ला एंड आर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, इस घटना ने उसको प्रतिबिंबित किया है कि आज कौन सुरक्षित है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस सदन में हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्रीजी, महादेव जी खंडेला हैं, वे पहले खंडेला एम एल ए थे, वे कांग्रेस के मेम्बर थे, हम उस समय भी विपक्ष में थे, उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई थी और सारे सदन ने एक साथ भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में उसका खंडन किया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात की। आज हम इस मामले में पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर बात करें, हमें खेद है इस बात का।

मैं कहना यह चाहता हूं कि यह घटना यह इंगित कर रही है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति किस कदर तक गिर गई है। कौन जिम्मेदार है ...

श्री सभापति: कृपया विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं पूरी बात कहूंगा।

एक माननीय सदस्य: आप यह बात-बात में खड़े क्यों हो जाते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन को डिक्टेट थोड़े ही करोगे तो।

श्री सभापति: देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट यह कहना चाहूंगा पूरे सदन से, विशेष तौर से मेरे बायें तरफ से कि यह जो आप जोर से बोलकर आसन को बताने की कोशिश करते हैं, इसको कृपया आप समाप्त करें। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, कृपया समाप्त करें, यह कई बार हो चुका है, कृपया समाप्त करें।

श्री धारीवाल जी। (व्यवधान) अगर आप गम्भीर हैं तो कृपया आप सुनिए। आपकी बात अच्छी तरह सुन ली गई है। आप सब लोगों ने खूब बोला, स्पष्ट तौर पर बोला, प्रतिपक्ष की नेत्री महोदया ने भी बोला, अब आप मंत्री महोदय को सुनें। अगर आप वास्तव में गम्भीर हैं तो आप सुनें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे, हम सुनेंगे, प्रश्न भी करेंगे लेकिन आज हम सबको बड़ी तकलीफ है कि हमारे निकट का आदमी चला गया। जिस प्रकार से हमारे पास का आदमी चला गया, उसी प्रकार से तकलीफ है, उसी प्रकार गरीब आदमी के घर का आदमी जाता है उसको भी तकलीफ होती है। राजस्थान में ये जो घटनाएं चारों तरफ बढ़ रही हैं, उन घटनाओं के लिये सरकार क्या कर रही है, सरकार किसको जिम्मेदार कर रही है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, एक बात हम यह चाहते हैं। दूसरी बात हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार बाहर से आकर जो लोग हत्याएं करते हैं, राजस्थान में पहली बार हरियाणा से लगा हुआ सारा बार्डर और मध्य तक इलाका इतना बढ़ गया है कि शूटर्स आते हैं, सुपारी लेते हैं, हत्या करते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये गैंग, शराब माफिया और माइनिंग माफिया की जो गैंग हैं, वे गैंग भी पुलिस कंट्रोल से बाहर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो गई हैं और उस आपस की लड़ाई में जितनी हत्याएं हो रही हैं, वे हत्याएं भी राजस्थान में रिकार्ड है।

सभापति महोदय, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति हो गई है और यह घटना उसको प्रतिबिंबित करती है, उसकी ग्रेविटी शो करती है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि इस संबंध में सिलसिलेवार, मंत्रीजी, आप यह बताएं कि दुर्भाग्य से जिनकी हत्या हुई है, वे कब घर से निकले, कब उन्होंने पकड़ा, कब उन्होंने पुलिस को सूचित किया, उसके बाद पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की, पुलिस की पकड़ में आदमी कैसे आया और इसके बाद में वर्तमान में अब क्या स्थिति है, सारा सदन इस बात को जानना चाहता है। इसके बाद में हम इस बारे में प्रश्न पूछ कर हमारी संतुष्टि करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि माननीय विधायक का पुत्र था, उसका दुःख तो है ही लेकिन सारे राजस्थान का यह सदन सुरक्षित रहे, सारे राजस्थान के लोगों की आवाज को हम यहां तक लाएं, इसलिए यह बात हम इनसे पूछना चाहते हैं।

श्री सभापति: श्री धारीवाल जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देने के लिये खड़े हुए हैं, कृपया आप विराजिए ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब यह महनोत की जमीन थी तो उसको जेल में पकड़ कर लाओ। उसको पकड़ोगे तब सच्चाई सामने आयेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने जिस घटना का यहां जिक्र किया ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): लीपापोती नहीं ।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अभी तो पोती ही चालू हुई है, लीपा नहीं हुई। (व्यवधान) निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना है जिसका कि पूरे समाज पर असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि बहुत ही गम्भीर घटना है तो उसको उसी गम्भीरता के साथ सरकार को लेना चाहिए था। अभी राठौड़ साहब ने खुद ने अपने जबान से यह बात बोली कि मुख्य मंत्रीजी ने पचासों टेलीफोन किये और रात के तीन बजे तक लगातार मुख्य मंत्रीजी इसी बात की मानिटरिंग के लिये

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
लगे रहे। मोर्निंग में भी उन्होंने पूरी की पूरी, ऊपर डी.जी. साहब से लेकर के नीचे एस.एच.ओ. तक खुद से बात करके इस बात को इतनी गम्भीरता से लिया कि इसकी एक-एक चीज की बाबत उन्होंने जानकारी हासिल की और उनको उत्साहित किया कि किसी प्रकार से मुलजिमों को पकड़ा जाए।

एफ.आई.आर. दर्ज हुई कल 9 तारीख को। मैं एफ.आई.आर. पढ़कर बताऊं आपको, 9.3.2011 को परिवादी भागचंद पुत्र भंवरलाल जाति जाट उम्र 40 साल, निवासी हरमाड़ा, थाना बांदर सिंदरी, जिला अजमेर एवं अब्दुल गफ्फार पुत्र ईद बख्श जाति शेख मुसलमान, उम्र 48 वर्ष, रुपनगढ़, जिला अजमेर, समय 12 बजे, किशनगढ़ से भंवर सिनोदिया के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके हरमाड़ा होकर वापस सूरतरा पहुंचे। सैनी ढाबा, रुपनगढ़ रोड, बाई-पास, सुरतरा पर बलवा राम नाम का, नया गांव, हरमाड़ा पर व्यक्ति उनको मिला। यह बलवा राम कौन था, इसको समझने की आवश्यकता है। यह बलवा राम वह आदमी है जिसके खिलाफ बांदर सिंदरी थाने में 9 केस रजिस्टर्ड हैं और 9 में से सिर्फ दो में तो बरी हुआ है और 7 में वह अदालत में विचाराधीन है। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि बलवा राम का करेक्टर किस ढंग का था, हिस्ट्री-शीटर तो था ही और यह भारतीय जनता पार्टी का मेम्बर भी था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अपराधी की कोई जात नहीं, सभापति महोदय। अपराधी की कोई जात नहीं, कोई पार्टी नहीं। यह कहकर बच नहीं सकते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सच्चाई कड़वी लगती है। (व्यवधान) सच्चाई कड़वी लगती है। किसी विधायक के पुत्र की....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गैर जिम्मेदाराना तरीके से राज्य सरकार का मंत्री जवाब दे रहा है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस पार्टी का मेम्बर था। जो अपराधी है, वह अपराधी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और यह कह कर आप इसकी ग्रेविटी को कम कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन मुझे एक-एक चीज सदन को बतानी पड़ेगी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, सदन में इन्होंने खुद ने कहा कि पूरी विस्तार से जानकारी दें। विस्तार से जानकारी क्यों नहीं सुनते फिर? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) आप कृपया शांति बनाये रखें। कृपया पूरी बात सुनें। (व्यवधान) आप मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनें, कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण दे दिया। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया, घनश्याम तिवाड़ी जी की बात के ऊपर।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, यह एक ही हत्या नहीं है। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में 3-3 हत्याएं हुई हैं, 3-3 हत्याएं हुई हैं।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये राजनीति कर रहे हैं। यह गम्भीर मुद्दा है। आपके विधायक का ...(व्यवधान) अजमेर शहर बंद है। अजमेर शहर बंद है इसके विरोध में। फिर भी आपका दिल पसीजता नहीं है। पूरा अजमेर शहर बंद करा दिया गया है, तनावपूर्ण स्थिति है, फिर भी आप राजनीति कर रहे हो। इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, सभापति महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 11 वर्ष के सूरज का अपहरण होकर के मर्डर हुआ। क्या हुआ उसका(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इसमें बीच में व्यवधान नहीं। कृपया शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मंत्री महोदय, कृपया विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं पूरा। लीपापोती नहीं करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं खण्डन कर रहा हूं, मैं खण्डन कर रहा हूं, वह भारतीय जनता पार्टी का मेम्बर नहीं है। वह कांग्रेस का ही मेम्बर है। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का मेम्बर है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जवाब तो आने दीजिए। हर चीज में इंटरवीन, यह क्या बात है? आप कैसे कह सकते हैं? जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्रीजी। जवाब सुनने का माद्दा रखो आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हत्यारा भी कांग्रेस का मेम्बर है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मतलब, जो आप कहेंगे, वह जवाब देंगे। जवाब दे रहे हैं ना, जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह बी.जे.पी. का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस के दूसरे गुट का मेम्बर है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सवाल भी आप करोगे और जवाब भी आप दोगे। आपके अनुसार जवाब देंगे, गृह मंत्रीजी?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, जिसके लड़के की हत्या हुई है, वह कांग्रेस पार्टी का है, आपकी पार्टी का है। आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम किसी सदस्य के बच्चे का मर्डर हुआ है, अपहरण हुआ है।

श्री सभापति: देखिये, क्वेश्चन यह नहीं है कि वह किस पार्टी का मेम्बर है, प्रश्न यह है कि वह अपराधी है।

एक माननीय सदस्य: वहां तीन-तीन हत्याएं हुई हैं। तीन-तीन हत्याएं हुई हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अभी पता चला है कि यह किशनगढ़ की घटना के विरोध में अभी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर शहर बंद कराया जा रहा है। क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है। तो इस चीज को मैं समझती हूं कि, सभापति महोदय, यह बार-बार उठाना नहीं चाहिए, अपराधी-अपराधी होता है। अगर आप लोग इसी पर फंसोगे तो इसमें प्राब्लम सबको हो सकती है। मैं नहीं समझती कि आप यह कहें कि यह भा.ज.पा. का मेम्बर है, यह कांग्रेस का मेम्बर है। युवा कांग्रेस उसके लिये पूरी तरह से शहर बंद करके बैठी हुई है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। बीकानेर के यूथ कांग्रेस के रामरतन का मर्डर अभी हुआ है गैंगवार में। तो कोई भी हुआ है अपराधी है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इन बातों में लेकर बातों को आप नान-सीरियस मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब सुनिये कृपया, सुनिये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बलवा राम उनको वहां पर मिला। बलवा राम एक बोलेरो गाड़ी में तीन आदमियों के साथ में, जब यह भंवर लाल वहां पर पहुंचे तो भंवर लाल से उन्होंने कहा कि तुम उतरकर इस गाड़ी में आ जाओ, बात करनी है। भंवर लाल उनकी गाड़ी में आकर बैठ गया। बैठ गया और वह गाड़ी चल दी। भंवर लाल के साथ में दो आदमी और थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): भंवर लाल के साथ दो आदमी और थे जो उसके दोस्त थे, जिसमें एक भागचन्द और एक अब्दुल गफ्फार थे, जो पीछे एक मारुति गाड़ी में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पीछे-पीछे गाड़ी लेकर आ जाओ। थोड़ी दूर में जाकर वह बोलेरो गाड़ी इतनी तेजी से चली कि वह भागचन्द और अब्दुल गफ्फार जो इस गाड़ी में थे, उनको वह नहीं मिली, वह बहुत तेजी से भाग गई और वे उसको पकड़ नहीं पाये। थोड़ी देर बाद जब भागचन्द ने उसको फोन किया, बलवाराम को, तो बलवाराम ने 5 मिनट बाद तो वह मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाकर के उन्होंने कहा कि कहां हो आप, तो कहा हम आ ही रहे हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट के बाद में 15 मिनट हो गये। 15 मिनट के बाद में फिर भागचन्द ने उस बलवाराम को मोबाइल किया, उन्होंने कहा हम 15 मिनट में आ रहे हैं और 15 मिनट बाद में, फिर 10-15 मिनट तक जब वे नहीं आये तो फिर उसने जब दुबारा टेलीफोन किया, नहीं, उसी बीच में उसने कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी भंवर लाल से बात करा दो तो उसने फौरन मोबाइल काट दिया। फिर जब वह बार-बार टेलीफोन करते रहे तो वे मोबाइल सारे के सारे आफ कर दिये, कोई नहीं मिला। वह उनको तलाश करते रहे, दोनों के दोनों भागचन्द और अब्दुल गफ्फार लेकिन वे अदृश्य हो गये और पता नहीं, किधर किस तरफ निकल गये। कोई कहता है, नागौर की तरफ निकल गये, कोई कहता है जयपुर की तरफ निकल गये।

उसी बीच जब 12 बजे एस.एच.ओ. ने रिपोर्ट दर्ज कर ली तो एस.एच.ओ. फौरन हरकत में आया। उसने चारों तरफ नाकाबंदी करवाई और नाकाबंदी करने का परिणाम यह हुआ कि वह बलवाराम के साथ जो शहजाद नाम का आदमी था और सिकन्दर नाम का आदमी था और जो दूसरी गाड़ी का मुकेश नाम का ड्राइवर था, उन दोनों को इसी पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पुलिस ने पकड़ा, कोई दूसरी पुलिस ने नहीं पकड़ा। उसी वक्त पकड़ लिया गया और पकड़ करके उस सिकन्दर को, सिकन्दर के, जिसके यहां पर खून लगा हुआ था, उसको ले जाकर के, थाने में ले गये दोनों को, उनसे सारी की सारी तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान यह बात कही गई कि शहजाद की पत्नी आगरा रहती है और हम अभी तीन रोज पहले सभी मिलकर के, यह सिकन्दर बीकानेर का रहने वाला था, जैसा आपने अभी फरमाया कि साहब, बाहर के आदमी आते हैं, इनमें बाहर का कोई भी नहीं था। शहजाद भी राजस्थान का ही निवासी था, यह सिकन्दर जो है, यह बीकानेर का निवासी था जिसको बुलाया गया था। हो सकता है, सुपारी लेने के लिये बुलवाया गया हो। क्योंकि जैसा उसने बाद में बयान दिया है कि मुझे 20 हजार रुपये दिये और देकर के मुझे उतार दिया और वे लोग चले गये। जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि सिकन्दर ने कहा कि हमने उस पर गोली चलाई है, वह बिलकुल गलत है। न तो 12 किलोमीटर दूर की बात थी, कुल मिलाकर के डेढ़ किलोमीटर दूर, सिकन्दर ने बताया कि जिस जगह मुझे उतारा गया उससे डेढ़ किलोमीटर दूर शहजाद ने गोली मारी है। अब वह गोली कहां लगी, कहां नहीं लगी, यह सारी तफ्तीश की बात है। अभी तक यह बात खुली नहीं है। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो।

मेरा इसमें यह निवेदन है कि रात के एक बजे, कल रात को एक बजे पुलिस को हमने आगरा भेजा। आगरा इसलिए भेजा कि हो सकता है कि वह पत्नी के पास, शहजाद जो है उसकी पत्नी आगरा की रहने वाली थी, तो कहीं आगरा जाकर छुप नहीं गया हो। तो सिकन्दर को लेकर राजस्थान की पुलिस गई और जाकर वहां पर देखा तो सिकन्दर ने जो मकान बताया वह मकान बदल लिया गया। बाद में यह पता लगा कि साहब, इसकी लड़की जो है वह एक स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल पर भी पुलिस ने छापा मारा। तरकीब से, बहुत देर तक तो बाहर खड़े रहे लेकिन जब वह लड़की आती दिखी नहीं, सिकन्दर ने नहीं पहचाना कि इनमें से कोई उसकी लड़की है तो उन्होंने छापा मारा, चारों तरफ देखा तो लड़की भी गायब निकली। तो प्रयास इस बाबत पूरे चल रहे हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि निश्चित तौर पर एक एम.एल.ए. के लड़के के साथ, एक माननीय सदस्य, विधायक महोदय के लड़के के साथ इस तरह की घटना आती है, हादसे होते रहते हैं, बहुत बड़ा देश है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पचासों हादसे आपके भी जमाने में हुए। पचासों बार ...(व्यवधान)

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
नहीं, वह मैं वही बात बता रहा हूं। साहब, मेरी बात सुनिए। मैं वह बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं कोई कंट्रोवर्शल बात नहीं कहूंगा। डाक्टर साहब, आप विराज जाओ। (व्यवधान) हां, आप विराज जाओ। विराज जाओ। मैं कोई ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस बात को... (व्यवधान) सदन में बात मान रहे हैं तो ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा अभी नेता, प्रतिपक्ष ने फरमाया कि... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सिकन्दर बनते कहां से है? यह क्राइम करने वाले बनते कहां से हैं? पुलिस ध्यान नहीं देती। जब इस प्रकार की सुपारी लेने वाले तैयार हो जाते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह भी बीकानेर का ही था। इस पर ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पकड़ो, मारो, +++ । आप में हिम्मत चाहिए। वह करते नहीं हैं।... +++ (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): निश्चित तौर पर अजमेर कस्बा, मदनगंज कस्बा, किशनगंज कस्बा, रूपनगढ़ कस्बा, वाकई आन्दोलित हैं। अजमेर बंद का ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर शहर बंद है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां-हां, बंद है। मैं कह रहा हूं न आपसे, वह स्वीकार कर रहा हूं न। क्या दिक्कत है उसमें? किशनगढ़ बंद है, मदनगंज बंद है और अजमेर को भी बंद करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है। यह निश्चित तौर पर यह बड़ा ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): यह सिनोदिया कौनसी पार्टी का है, यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसलिए मैं आपसे यह निवेदन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करना चाहता हूं कि देखिए, कई प्रकार के हादसे होते हैं, हादसे को कितना भी पुलिस प्रशासन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, कई बार हादसे रुकते भी नहीं हैं। इस तरीके के हादसे होते हैं कि घर में दो भाई बैठे हुए हैं और दो भाइयों में से एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, पिता को गोली मार दी, यह कर दी। इस तरीके के हादसे रुकते नहीं हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): प्रोफेशनल को रोको। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात सुनिए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की कार्य-पद्धति पर तो तब सवाल उठता है जब पुलिस इन्-एक्टिव होकर काम करे। अगर पुलिस एक्टिव होकर काम करती है, मुलजिम को वक्त पर गिरफ्तार करती है और उसको सज़ा दिलाने का पूरा प्रबंध करती है तो मैं यह समझकर चलता हूं, मैं यह समझकर चलता हूं कि कहीं ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गैंग बन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): साहब, अब आप बात तो सुनो। बात तो सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य मंत्रीजी से पूछो, वे कहते हैं कि थानेदार को पता है कि अपराधी कौन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया देखिए, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप विराजिए। अगर आप गम्भीरता से, या तो इस विषय को सुनिए आप ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। कृपया विराजिए। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं, सुनिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक माननीय सदस्य के पुत्र के साथ यह हादसा हुआ है इसलिए निश्चित तौर पर मैं आप सबको, माननीय सदस्यों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। कृपया विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। (व्यवधान) ठहरो, यह आपके समझ के बाहर की बात है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं। आप विषय के प्रति गम्भीर हैं तो सुनिए। कृपया विराजिए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: कृपया विराजिये। मंत्री महोदय के बाद। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं नेता, प्रतिपक्ष के ध्यान में लाना चाहता हूं, आज ही का एक किस्सा लीजिएगा, आज ही का। बनवारी लालजी सिंघल जब अलवर से जयपुर आ रहे थे तो महुवा के टोल नाके के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया और रोककर इन्होंने बताया कि मैं विधायक हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: आप गम्भीरता से विषय को ले रहे हैं तो पहले मंत्री महोदय को सुनिए तो सही। मंत्री महोदय को वक्तव्य तो देने दीजिए। आप मंत्री महोदय का वक्तव्य तो पहले सुनें। आप इनको पूरा तो सुनें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और जिस सरकार पर यह आरोप लगाते हैं ...(व्यवधान) मैं कहता हूं कि माननीय विधायक मोहनलाल गुप्ता मानसरोवर गए, यह जिन्दा नहीं लौट सकते थे अगर आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का वहां सारा प्रबंध नहीं होता। यह भी समझ लेना चाहिए। यह मोहनलालजी, बनवारीलालजी सिंघल ने दो कर्मचारियों की शिकायत ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार के गम्भीरतापूर्वक बयान की हमको माननीय गृह मंत्रीजी से आशा थी, इस घटना के बाद, वह बयान नहीं आया है। हम यह बात बार-बार पूछ रहे हैं कि आज क्या स्थिति है, वे बताने की स्थिति में नहीं हैं। ये डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान) मोहनलालजी के बारे में बता रहे हैं, बनवारीलालजी सिंघल के बारे में कह कर बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बता चुका हूं आपको आज की स्थिति। (व्यवधान) दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए।... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार बिलकुल निष्क्रिय है। सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार सारे राजस्थान में कानून और व्यवस्था खराब करने के लिए जिम्मेदार है और हम सदन का इस घटना के विरोध में बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, अजमेर ब्लास्ट में क्या हुआ था? अजमेर ब्लास्ट में असीमानन्द ने जो बयान दिया, तब कहां गए थे? वह क्यों नहीं पढ़ा आपने?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस लगातार इस मामले को खोलने में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। दो व्यक्ति, चार में से दो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और दो व्यक्ति... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और दो व्यक्तियों की लगातार तलाश है और मुझे पूरी आशा है कि राजस्थान की पुलिस को कामयाबी हासिल होगी। निश्चित तौर पर जो है इसका नाम बलवा जाट ...(व्यवधान) और उसके साथ का शहजाद भी पकड़े जाएंगे और भंवरलाल जो माननीय सिनोदिया जी का, जो माननीय नाथूराम सिनोदिया जी का पुत्र है, उसके बाबत भी पूरी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जानकारी हासिल कर ली जाएगी, निश्चित तौर पर कर ली जाएगी। लेकिन ये लोग जिसको यह बताते हैं कि यह पूरा समाज इससे आन्दोलित हो चुका है, उस वक्त यह कहां गया था, जब अजमेर में बम ब्लास्ट हुआ था, असीमानन्द पकड़ा गया था? कहां पकड़ा गया असीमानन्द? और असीमानन्द ने किस-किस के नाम लिए? क्या इन्द्रेश जी का नाम नहीं लिया? क्या आर.एस.एस. के बड़े-बड़े पदाधिकारियों का नाम नहीं लिया? उस वक्त कानून व्यवस्था कहीं नहीं गई थी? उस वक्त कानून-व्यवस्था के बाबत प्रतिपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला लेकिन आज इस बात को ट्विस्ट करके कि सिकन्दर ने गोली मारी, यह करी, वह करी, इतना करके इस बात को घुमाया जा रहा है।

लगातार प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पर प्रयासरत हैं और मुख्य मंत्रीजी स्वयं एक तरह से उद्वेलित हैं कि किसी प्रकार से यह घटना खुलनी चाहिए। नाथूराम जी का लड़का सकुशल अपने घर पहुंचे, इस बात के प्रयास पूरे के पूरे किए जा रहे हैं लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इनको याद था कि आगे जाकर मैं क्या बोलने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आज स्थिति क्या है? जिन्दा है या क्या है?

एक माननीय सदस्य: कोई जादू की छड़ी है क्या? बता दिया न।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट आपसे समय चाहूंगा। देखिए, हम सबने ताली बजा दी। कांग्रेस के विधायक का बेटा गायब है, हम सब खड़े होकर सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार के साथ हम भी हैं, ऐसा थोड़े ही है लेकिन जिस ढंग से यहां पर चर्चा हुई, उसमें क्या हमारे दर्द नहीं होना चाहिए? एक हमारे साथी विधायक का बेटा चला गया। इसमें यह बी.जे.पी., कांग्रेस का सवाल नहीं है। यह सवाल इस बात का है कि जन-प्रतिनिधियों के परिवारों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार को कोई पहल करनी होगी और स्ट्रिक्टली, कुछ मुद्दों पर, यह लोकतंत्र का मंदिर है और कुछ मुद्दों पर राजनीति से अलग हटकर फैसले होने चाहिए। यह नहीं है, नाथूराम जी सिनोदिया का दर्द कितना होगा, वह नाथूराम जी सिनोदिया जानते हैं। कल हमारी विधायक दल की मीटिंग लेट हुई क्योंकि सब चिन्ता में थे, मुख्य मंत्रीजी चिन्ता में थे, गृह मंत्रीजी चिन्ता में थे। यहां पर तो मुकाबला हो गया, कई इश्यूज आ गए, कोई इश्यू नहीं, आज सिर्फ एक इश्यू है कि नाथूराम सिनोदिया जी का बेटा सकुशल वापस आना चाहिये और यह

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जिम्मेवारी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लेनी चाहिये और आगे के लिये मंत्रीजी को आज यह बताना चाहिये कि विधायकों और उनके परिवारों के लिये सुरक्षा के लिये आपने कोई तैयारी कर रखी है क्या? यह स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिये कि विधायक खुद भी सुरक्षित रहें और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और पूरा सदन इस मामले पर एक है। (व्यवधान) बनवारीलाल जी, प्लीज एक मिनट। पूरा सदन इस मामले पर नाथूराम जी सिनोदिया के परिवार के साथ है। जहां भी जाकर जितनी भी मदद करनी होगी, वह भी नाथूराम जी सिनोदिया के परिवार को मिलेगी और गुण्डा तत्वों से लड़ना होगा तो भी यह सदन लड़ेगा। लेकिन इस तरह से विधायकों के परिवारों पर हमला हो जाये, उनके बच्चों को उठाकर ले जायें और हम इसको राजनीति से जोड़कर देख लें, उससे पार नहीं पड़ेगी।

आज मैं फिर कहूंगा, यह बी जे पी, कांग्रेस से ऊपर उठकर, बी जे पी के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे सब कांग्रेस के साथियों से विनती है, जब हम ताली बजा रहे थे, टेबल ठोक रहे थे, तब हमको यह दर्द होना चाहिये। आज नाथूराम जी सिनोदिया के परिवार के साथ हुई है, कल प्रतापसिंह खाचरियावास के परिवार के साथ यह घटना हो सकती है। तब भी हम टेबलें ठोकेंगे और जब खुद के ऊपर होगा, लोगों को तब दर्द का पता चलेगा। जिसका बेटा जाता है और उसके बाद एक व्यक्ति मिलता है जिसके खून लगा हुआ है तो आप अंदाज कर लो कि वह खून किसका होगा। वह भी मन में सोच रहा होगा, उस बाप के दर्द होगा बेटे का कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी पूरी रात सोये नहीं, गृह मंत्रीजी भी थे, सारे विधायक वहां बैठे हुए थे और अधिकतर पूरी सरकार लगी हुई थी। फिर भी इस सदन में आपस में आरोप-प्रत्यारोप के बजाय, बहुत बड़ी घटना हुई है और नाथूराम जी सिनोदिया कल यहां सदन में आये थे, सदन में यहां पर आने के बाद उनको पता चला। इसका मतलब कहीं न कहीं इस तरह के माफिया यदि पनप रहे हैं तो उसके लिये सरकार और विपक्ष, दोनों को एक होकर यह फैसला करना चाहिये कि वह माफिया जो विधायकों से नहीं डरते, विधायकों के परिवारों पर हमला करने से नहीं डरते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त नीति बने, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो और यदि कोई पुलिस अधिकारी लापरवाही के लिये जिम्मेदार है तो उसको भी सबक मिले जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने मेरा नाम इस घटना में जोड़ा। राजस्थान की सरकार किस तरह के कामों में लग रही है, माननीय मंत्री महोदय इतनी गम्भीर घटना को कहां मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां बैठे होंगे, राजस्थान विधान से जारी स्टीकर को टोल के छोटे-छोटे कर्मचारियों द्वारा यह कहकर रोका जाना कि विधान सभा में प्रवेश के लिये आपका पत्र है, इससे आपका टोल एग्जम्प्ट नहीं होता या यह कोई वी.आई.पी. स्टीकर नहीं है, इस प्रकार की बात कहकर और उसके बाद यह कहना कि विधान सभा में चुनकर तो कोई भी जा सकता है; यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप चुनकर चले गये, वहां तो पता नहीं कैसे-कैसे लोग पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप में आज जिस परिप्रेक्ष्य में यह बात शुरू हुई है, उसमें माननीय मंत्रीजी ने जो मोड़ देने का प्रयास किया है, इस घटना को मेरे नाम के साथ जोड़ा। यह घटना मेरे साथ घटी, इतनी गंभीर नहीं थी जितनी हमारे एक विधायक के पुत्र के साथ हुई घटना है। किन्तु घटना को मोड़ देना और भारतीय जनता पार्टी के राज के साथ जोड़ देना, यह निश्चित रूप से इससे भी ज्यादा निन्दनीय है। इनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिस घटना का जवाब देने के लिये खड़े हुए थे, उसी घटना पर प्रकाश डालना चाहिये था और उसकी जिम्मेवारी लेते हुए आज इनको कुछ न कुछ ऐसा बर्ताव करना चाहिये था जिससे सारे सदन की हमदर्दी इनके साथ और माननीय नाथूराम जी सिनोदिया के साथ होती।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। .. (व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कार्यवाही कर रहे हैं, किन दोषी अधिकारियों के खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं? यह इतना आसान मामला नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान विधान सभा के एक माननीय सदस्य के पुत्र के साथ यह घटना हुई है और उसको आप इतना अन-सीरियसली ले रहे हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हम कोई इसलिये थोड़े आये हैं, बोलने के हिसाब से थोड़े आये हैं। यह इतना गम्भीर मुद्दा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस पर कोई न कोई बात कहनी चाहिये सरकार को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह मामला इसलिये नहीं उठाया गया कि मैं किसी को भी आरोपित करना चाहता हूं। मैं सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक रखता हूं, पर मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज राजस्थान में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, अब मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आज की तारीख में वे स्वयं कहा हैं, उनका शव मिला कि नहीं मिला, उनको गोली मारी गयी कि नहीं मारी गयी और उसके साथ मैंने जो आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति शहजाद को पैरोल देने वाला अधिकारी कौन था, कैसे उसके चरित्र को अच्छा मानते हुए उसे रिहा किया गया। उसी शहजाद ने उनका अपहरण किया।

सभापति महोदय, मैं नम्र शब्दों में कहता हूं, कई मौके आते हैं, हम आपस में आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। मंत्री महोदय, आप भी एक पिता हो, क्या गुजरती है, अगर एक क्षण के लिये आंखों का तारा आंखों से दूर हो जाता है और मानवीय संवेदना कहां चली गयी? मात्र यह कह देना कि वह अमुक व्यक्ति बी जे पी से सम्बन्धित था। बी जे पी-कांग्रेस का सवाल नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर बी जे पी से सम्बन्धित था, आपके पास कोई रिकार्ड है क्या? अब बात और दूसरी तरफ मुड़ जायेगी।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, प्रताप सिंहजी ने जो भावना व्यक्त की, मैं उसी भावना के अनुरूप कह रहा हूं, इस मामले को यूं छोड़ देना ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यह ऐसा प्रकरण है जिसे पूरा राजस्थान देख रहा है, राजस्थान के लोग यह देख रहे हैं। वह सदन, जो पूरे राजस्थान की रहनुमाई करता है, राजस्थान के पूरे प्रतिनिधि बैठते हैं, उस सदन के एक व्यक्ति ने कहां गुहार नहीं की होगी, सभापति महोदय। ह्रदय रो उठता है जब यह मालूम पड़ता है, कितना अपने पुत्र के लिये कहां-कहां जाकर नहीं रोया होगा और यह +++ से इस तरह की बात कहते हैं। गृह मंत्रीजी, अगर आपमें थोड़ी बहुत नैतिकता हो तो आपको अभी इस्तीफा दे देना चाहिये और इस्तीफा देकर कह देना चाहिये कि मैं +++ हूं और मैं सुरक्षा नहीं कर सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह लम्बी बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे चुका हूं कि चार मुल्जिमों में से दो मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दो मुल्जिमों की बाकायदा तलाश है, तफ्तीश जारी है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बाडी मिली कि नहीं, इसके बारे में बताइये।.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य, आपके मन में कहीं तो ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह हल्ला करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हल्ला करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। माननीय मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं, उसके बाद माननीय राठौड़ साहब सदस्यों को इशारा कर-करके उकसाते हैं। हल्ला करने के अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों का। (व्यवधान) इनके कार्यकाल में नहीं हुआ क्या? (व्यवधान) सरकार चिन्तित है, सरकार जवाब दे रही है, हमारे मंत्री चिन्तित हैं। आपको इस चीज के लिये चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सदस्य, आपके पड़ोस की भी चिन्ता नहीं है। (व्यवधान) आपके पड़ोसी भी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सरकार की वकालत कर सकते हैं। (व्यवधान) इतना गंभीर मुद्दा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसको पैरोल पर कैसे छोड़ा गया ?

श्री सभापति: कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उस भंवरलाल की बाडी कहां है ? उसकी बाडी कहां है, यह बताओ। उसकी बाडी बताओ कहां है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरा जिला बंद है, पूरा कस्बा बंद है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह जिम्मेवारी आपकी है। उस भंवरलाल की बाडी कहां है? (व्यवधान) यह तो बताओ। उसकी बाडी कहां है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? गृह मंत्रीजी, उसकी बाडी कहां है? अब तक पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप यह डिक्लेयर मत करो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह गृह मंत्रीजी को बचाने की कोशिश हो रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इस तरह के विचार क्यों ला रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये एक मिनट। आप लोगों ने अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भावनाओं की बात नहीं है, सभापति महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): भंवरलाल की बाडी कहां है, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डी.जी.पी. साहब को बुलाओ। ..(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उस बाडी का बताओ, उसकी क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गुर्जर आन्दोलन में मरे, उसमें एक शब्द भी नहीं बोले।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वह बी जे पी का कार्यकर्ता था, वह फलानां कार्यकर्ता था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गुर्जर आन्दोलन में सैकड़ों लोग मरे, उसमें एक शब्द भी नहीं बोले राठौड़ साहब।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपको शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप कुछ तो शर्म करो। आपके विधायक के लिये आप आगे तो बढ़ो। कोई बात तो कराओ। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह सीरियस मैटर है, इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। आप इसको डायल्यूट कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी, कोई गुर्जर आन्दोलन हो जायेगा आपके खुद के दल में। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खड़े होकर अपनी पार्टी के विधायक के बारे में कोई बात तो करो। आपकी आत्मा भी मर गयी है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक-एक माननीय सदस्य इस घटना से आहत है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप लोग चुप तो हो जाओ। एक साथ आप बोलते हो तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ऐसे तो आप खड़े हो जाते हो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आज तो आपका दिन भर हल्ला करने के लिये ही है। आज दिन भर हल्ला करने के अलावा कोई काम ही नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। (व्यवधान) कृपया सुनिये। (व्यवधान)

(समय : 14.00 बजे)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। पहले मेरी बात तो सुन लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, बात सुनने में क्या दिक्कत है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, हमारा इतना-सा निवेदन है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, आप बार-बार कह रहे हैं कि बाडी कहां है, हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जिन्दा आ जाएं। गोली चली है, यह बात मंत्रीजी ने भी कह दी। हम इस बात को लेकर जिस ढंग से हंगामा कर रहे हैं, उसमें तो हमने यही साबित कर दिया। अभी तक पुलिस ने तो यह साबित नहीं किया कि उनकी हत्या हो गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कह दें खड़े होकर।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं-नहीं। एक मिनट आप बैठो। बात सुनिए आप। बात सुनिए, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य।... (व्यवधान) आप बैठ जाइये। सुनने का माद्दा रखो।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राठौड़ साहब, यह तरीका गलत है आपका। आप बैठें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठिए तो सही। आप यह परम्परा मत डालो। जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों तो.... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मेरा निवेदन है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैंने मेरी पूरी बात ही नहीं कही।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अगर वे जिन्दा हैं तो उसकी पोजिशन तो बतायें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इस सदन में +++ आ गये। ये +++इस सदन की कार्यवाही को खराब कर रहे हैं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ये +++ किसको कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने किसी का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): रघु शर्माजी से माफी मंगवायें। वे +++किसको कह रहे हैं? उस +++ में आप ही शामिल हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में प्रवेश)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अभी-अभी मैंने वहां से +++ जाता हुआ देखा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप +++ थोड़े ही हो। रघुजी, आपने इनको थोड़े ही कहा है? आप +++ थोड़े ही हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि सदन में कुछ +++ आ गये। मुझे एक +++ दिखा था उधर। इन्होंने कैसे मान लिया? मैं तो आपको सूचना दे रहा था। मुझे इस सदन में +++ नजर आ गया तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको +++ नहीं कहा, आप +++ नहीं हो। ये तो कह रहे हैं कि +++ आ गये। आप तो माननीय विधायक हो। आपको +++ नहीं कहा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप अपने आपको +++ मानते हो क्या? आप माननीय सदस्य हैं। मैंने तो उधर +++ जाता हुआ देखा। उसके लिए बोला था। आप क्यों अपने आपको +++ साबित कर रहे हो इस सदन में ?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको +++ नहीं कहा।

श्री सभापति: मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप शांतिपूर्वक बैठें। मेरी बात तो सुनें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको नहीं कहा+++ । +++ को +++ कहा है। सदन में +++ आ गया। आप +++ नहीं हो। हम आपको +++ नहीं मानते हैं। आप विधायक हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपको कहा ही नहीं +++ । नहीं कहा, राठौड़ साहब, बैठो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैंने तो सदन में +++ आने की सूचना दी और ये अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं तो मैं इसका क्या इलाज करूं। आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो। सदन में उधर +++ नजर आया था। मैंने यह कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): भाई साहब, आपको +++ नहीं कहा। आप बैठो।

श्री सभापति: कृपया सुनिए। जो शब्द कहा गया है +++ उसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपको कहा ही नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसकी शक्ल +++ मिलती है। +++ के बगल में बैठा लो।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। विराजिए। सुचारु रूप से सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया अब आप मेरी बात सुनें। आसन पैरों पर है। अगर आप लोग गम्भीर हैं तो आप मेरी बात सुनें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज की घटना के अन्दर क्या हुआ? (व्यवधान) इस साइड में कुछ +++ जीतकर आ गये है।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। विराजिए आप। घटना बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्य, कृपया सुनें। आसन पैरों पर है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापति महोदय, या तो आप माफी मंगवायें, नहीं तो हम भी उनको कुछ भी कहेंगे। हमारे पास भी खुला लाइसेंस है। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा निवेदन है कि कृपया आप बिराजें, व्यवस्था बनाये रखें। आप अनुशासन प्रिय हो, मैं आपका नाम तो नहीं बोल रहा हूं अभी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नाम लेकर बोल लो। नाम लेकर बोलने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सभापति: कृपया विराजें। आसन इस बात से सहमत है कि घटना गम्भीर है। हमारे विधायक से संबंधित घटना है। उनके बेटे के साथ जो हुआ, बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं समझता हूं कि उसको हत्या शब्द से नहीं जोड़ें अभी। आदरणीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है। इसके अलावा माननीय सदस्य खाचरियावास जी ने अपनी बात कही है। जहां तक असंसदीय शब्दों की बात है, एक्सपंज कर दिया है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि शांति बनाये रखें।

कुछ माननीय सदस्य जो यहां पर नहीं हैं, वे मेरी बात सुन रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि जो जोश आप लंच के बाद ज्यादा दिखाते हैं, वह आप बराबर दिखाया करें, सबेरे भी, तो अच्छा रहेगा। मेरा खास तौर से इशारा है उनकी तरफ जो लोग चले गये हैं।

दूसरी बात मेरी आप यह सुनें कि पहले मैंने एक्सपंज के लिए नहीं बोला। यहां पर पहले भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनको मैंने खुद ने सुना। एक को कहा गया था उस टाइम कि 'पूंछ हिलाते हो'। यह कहा गया था। उसके बाद जाते हुए और भी भद्दी बात कही गयी लेकिन मैंने उनको नोटिस नहीं किया।

घटना बहुत गम्भीर है। इस मामले में आपको भी दर्द है। यह सरकार भी मान रही है कि घटना बहुत दर्दनाक है। वक्तव्य दे दिया गया है। यह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और किसी अग्रिम संगठन से जुड़ी हुई घटना नहीं है। हमारे एक साथी के बेटे से जुड़ी हुई घटना है। जिस प्रकार से सरकार गम्भीर नजर आ रही है, वक्तव्य दे दिया गया है। इस पर चर्चा समाप्त। जहां तक आगे की कार्यवाही चलाने का सवाल है...(व्यवधान) चर्चा समाप्त। इस मामले में आगे की कार्यवाही पर चर्चा करना कानून व्यवस्था के अन्तर्गत विघ्न डाल सकता है। वक्तव्य दे दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): स्टेटमेंट कहां दिया है ?

श्री सभापति: इस विषय पर जितनी चर्चा हुई उतनी ही ठीक है। चर्चा समाप्त।

(श्री सभापति)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ज्ञानचन्द पारख सदस्य की ओर से नवजीवन योजना के द्वारा बाबरी (चौकीदार), साठिया, कालबेलिया एवं जोगी जातियों के लोगों के पिछड़ापन को दूर करने के संबंध में।
2. श्री ओटाराम देवासी सदस्य की ओर से बिजली विभाग द्वारा डिमांड राशि जमा कराने पर भी कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।
3. श्री छोटूसिंह भाटी सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के गांवों में पेयजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री शंकर लाल बैरवा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के मातृ कुन्डिया बांध के फेजा फीडर द्वारा हिन्दुस्तान जिंक को पानी दिये जाने से राशमी पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में रेल्वे क्रासिंग पर बाईपास (आर.ओ.बी.) निर्माण कराने के संबंध में।
6. श्री मानसिंह सदस्य की ओर से अध्यापकों को राशन वितरण की दुकानों के निरीक्षण कार्य में लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
7. श्रीमती अनिता भदेल सदस्य की ओर से प्रिंटिंग टेक्नोलोजी डिप्लोमा धारकों को उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने में आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
8. श्री जगसीराम कोली सदस्य की ओर से सिरोही में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं व आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की नगरपालिका में अग्निशमन (फायर बिग्रेड) की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री सभापति)

10. प्रो. वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संसाधनों व बजट की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री हरिसिंह रावत सदस्य की ओर से नरेगा में चलाये जा रहे कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल सदस्य की ओर से तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य से सीधे तौर पर जुड़े शिक्षकों को AICTE वेतनमान से वंचित किये जाने के संबंध में।

वक्त की कमी को देखते हुए इनको पढ़ा हुआ माना जाताहै।

(नियम 295 के तहत पढ़ी हुईमानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

दिनांक 10.03.2011 को शून्यकाल में बोलने हेतु 16 माननीय सदस्यों की पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नांकित हैं-

श्री ओम बिरला, श्री शाले मोहम्मद, श्री केसाराम चौधरी, श्री बंशीधर खण्डेला।

इन सबको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री ओम बिरला।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, जिस घटना पर मैं इंगित कर रहा हूं यह घटना राजस्थान के मुख्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र की है। जिस राजस्थान के मुख्य मंत्री के इलाके के अन्दर 15 प्रसूताओं की मौत हो जाए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह हो चुका।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मेरा अधिकार है, गृह मंत्रीजी, आप रोक नहीं सकते इसको। आप जवाब दे देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, यह तो पहले हो चुका है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप जवाब दे देना। (व्यवधान) 15 प्रसूताओं की मौत हो गयी।

श्री सभापति: इसमें चर्चा समाप्ति की यहां से घोषणा की गयी है, मंत्रीजी का वक्तव्य हो गया है, यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ऐसे कैसे आप पर्ची पर आउट कर सकते हो? माननीय सभापति महोदय, पहले मेरा अधिकार है, पर्ची खुली है तो मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन के अधिकार को भी आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, आसन के अधिकार को, यह मेरा भी अधिकार है। यह मेरा अधिकार है। या तो यह फैसला हो जाए, एक बार पर्ची जब मेरी खुली है तो पर्ची पर बोलने का अधिकार है मुझको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा लेकिन मेरा अधिकार है।

श्री सभापति: इस पर चर्चा हो चुकी है, अगर आप इस पर बोलेंगे तो मैं अगला नाम बोलने जा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, चर्चा हो चुकी तो, माननीय सभापति महोदय, यह मेरी पर्ची का अधिकार फिर मुझसे छिन जायेगा।

श्री सभापति: अगले माननीय सदस्य का नाम बोलने जा रहा हूं, अगर आप इसके अलावा बोलना चाहें तो बोलें आप। (व्यवधान) मैंने स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदन किया है कि इस पर चर्चा समाप्त होने का यहां से आसन से कह दिया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह गलत परम्परा मत डालो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, किसी मेम्बर का बोलने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बार और आपसे निवेदन कर रहा हूं, ओम जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार बचना चाहती है, 15 प्रसूताओं की मौत हो गयी तो आने वाले बच्चों की भी मौत है...

श्री सभापति: दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते किसी मेम्बर का।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इतनी दर्द भरी कहानी है और सरकार इससे बचना चाहती है।

श्री सभापति: एक बार और आपको मौका दे रहा हूं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो। श्री शाले मोहम्मद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह मेरा अधिकार है, इस पर फैसला हो जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा। श्री शाले मोहम्मद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे जैसलमेर जिले में महात्मा गांधी योजना, नरेगा के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, न-केवल जैसलमेर जिले के लिए बल्कि पूरे ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कृपया अभी विराजिये आप। कृपया विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): कृपया बोलने दीजिए, मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान) मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हो ?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सभापति: मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) बोलने का अधिकार आपका है ...(व्यवधान) आपका बोलने का अधिकार है ...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही चलाने का कोई नियम तो है। जिस विषय पर चर्चा समाप्त हो गयी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बिरला जी इतने सीनियर सदस्य हैं, कृपा करके इस बात को समझो। आदरणीय बिरला जी, आप सीनियर सदस्य हैं, जिस विषय पर चर्चा हो गयी है उस पर पुनः चर्चा कराना, कहां जरूरत है ?(व्यवधान) जब सूर्यकान्ता जी ने इतनी अच्छी बात कह दी, सुन ली तो आपको वापस कहने की कहां जरूरत है? आप इतने सीनियर सदस्य हो।

श्री सभापति: आप जारी रखो। (व्यवधान) सुन लीजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जैसलमेर जिले की रोजगार गारंटी योजना की तरफ से ...(व्यवधान) आदरणीय राजवी साहब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जब इतनी चर्चा हो गयी, सूर्यकान्ता जी ने कह दिया, उसके बाद क्या चर्चा करनी आपको? समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर के नहीं आये हैं, माननीय सदस्य लगातार आसन को चुनौती दे रहे हैं। आसन को असीमित अधिकार हैं, आसन अपने अधिकारों का उपयोग करके किसी भी माननीय सदस्य को उसके वक्तव्य के दौरान भी बैठने के लिए कह सकता है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि ऐसे सदस्य जो आसन की लगातार अवहेलना कर रहे हैं, आसन की अनदेखी कर रहे हैं और यहां पर आक्रोशित लहजे में बात कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित किया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। आपके बोलने के अधिकार का हनन नहीं किया गया, इस पर चर्चा हो चुकी। (व्यवधान) मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दे दिया, इसके बाद में आपको क्या बोलने की बात है? (व्यवधान) चर्चा समाप्त हो गयी है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): ×××

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप सुचारु रूप से चलने दें। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय ,मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हमारे जैसलमेर जिले के अन्दर जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो विशेष तौर से ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: बोलने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन से दी गयी व्यवस्था पर कोई भी माननीय सदस्य ना तो एक्सप्लेनेशन कर सकता है और ना आसन को बोलने की व्यवस्था को बदलने की बात रख सकते हैं। (व्यवधान) नियमों की जानकारी रखते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने दें। जिस विषय पर इस सदन में आज ...(व्यवधान) एक घंटे से ज्यादा चर्चा हो गयी, इस विषय की गम्भीरता है ...(व्यवधान) माननीय मंत्री का वक्तव्य आ चुका है। माननीय सभापति महोदय ,मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: मैंने आपको विराजने के लिए भी बोला है, कृपया विराजिये आप। अब फिलहाल विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय, विराजिये, आप इतने सीनियर सदस्य हैं।

श्री सभापति: कृपया विराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: सारे हाउस ने स्वीकार किया कि घटना हमारे विधायक के पुत्र से जुडी हुई थी, सबने चर्चा की, चर्चा का टाइम ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सभापति: आसन की व्यवस्था है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सुनिए। (व्यवधान) आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सुनिये 259, ...(व्यवधान) व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सुनिए

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं 259 में ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप सुन लें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप सदन का समय खराब कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप व्यवस्था की बात करते हैं, आप सुनिए ना, ''प्रस्तावों की पुनरुक्ति-ऐसे प्रस्ताव की, जिसमें सारवान रूप से ऐसे ही प्रश्न के समान कोई प्रश्न उठाया गया हो जिस पर सदन उसी सत्र में विनिश्चय कर चुका हो, किसी भी अवस्था में पुनरुक्ति नहीं की जाएगी।''

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आसन की व्यवस्था आपको दे दी गयी है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, थोड़ा सा आप सुनने का कष्ट करेंगे, आपका भी ज्ञान वर्द्धन होगा, हमारा भी हो जाएगा। 259 जो आप पढ़ रहे हो वह मोशन है और जो पर्ची सिस्टम पिछले दस साल बीस साल पहले आरम्भ हुआ था, वह मोशन नहीं है, it is call attention. एक ऐसी है व्यवस्था जिसके अन्दर सदन का ध्यान आकर्षण किया जाता है। वह 131 भी नहीं है। लेकिन जो विषय इस प्रश्न काल के अन्दर उठा है, उसको अगर हाउस के अन्दर दुबारा रिपीट करके या किसी अन्य माध्यम से आते हैं, उसको रोकना सदन के माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन है। पहले इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। यह मोशन नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं, यह पर्ची के नियम का जो हवाला दे रहे हैं, पर्ची की व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का विषय है, तत्समय कोई आया हुआ। क्या यह आज का विषय है या कल रात का विषय है? जिस विषय पर इस सदन में एक घण्टे से अधिक चर्चा हो गयी है, उस विषय के ऊपर यह हवाला दे रहे हैं। यह नियमों में नहीं आता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सदस्य को संक्षिप्त में ताकि एक बार हाउस का समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए आप कह सकते हैं और वह आप फरमायेंगे तो संक्षिप्त में कर देंगे माननीय सदस्य। लेकिन यह मोशन नहीं है, पर्ची है और पर्ची कभी मोशन नहीं होती। इसलिए थोड़ा रिपीट कर दें, थोड़ा संशोधन कर दें।

श्री सभापति: देखिए, यही व्यवस्था है आसन की जो दी गयी है। यह स्थगन जीरो आवर में आया, प्रश्न काल के अन्दर नहीं आया था। इसमें पुनरुक्ति नहीं हो सकती। यही आसन की व्यवस्था आज भी है और यही पहले भी थी। मैंने जो आपसे निवेदन किया है, उसको मानते हुए अभी माननीय सदस्य जारी रखें अपना वक्तव्य।

जैसलमेर में नरेगा के तहत रोजगार देने में लापरवाही

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जैसलमेर जिले के अन्दर रोजगार गारण्टी योजना के तहत जिस प्रकार से गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार इस साल में इन लोगों को नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिला, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आज जैसलमेर जिले के अन्दर 1,13,149 जो कार्ड पंजीकृत परिवार हैं, उनमें से पूरे वर्ष के अन्दर सिर्फ 4,084 परिवारों को ही रोजगार मिल पाया है, बाकी परिवारों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है ? और जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

फील्ड के अन्दर, ग्राम पंचायतों के अन्दर, गांव के अन्दर जब वहां के लोगों ने आवेदन कर दिए रोजगार के लिए, रोजगार मांगने के लिए जब ग्राम सेवक और सरपंच के पास गये तो उनके जो आवेदन थे, उन आवेदनों को आगे तक नहीं पहुंचाया गया। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ और कोडियासर गांव के अन्दर वहां के लोगों ने 127 आवेदन किये, उन आवेदनों को पंजीकृत नहीं किया क्योंकि उनको ऊपर से यह डायरेक्शन था कि आप किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं लोगे। यदि आवेदन लोगे तो उनको पता है कि यह जो योजना है, यह कानूनी योजना है, यह उनकी जेब से पैसा निकलेगा। इसलिए जान-बूझकर उन लोगों के आज तक भी आवेदन नहीं लिये गये और पूरे साल के अन्दर सिर्फ 4,084 परिवारों को ही सौ दिन का रोजगार मिला है। बड़ा गम्भीर मामला है। इसलिए मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, मंत्रीजी इस पर विशेष तौर से उन सभी लोगों पर कार्यवाही करें।

योजना के लिए पूरा कार्य प्लान, योजना बनी जिला परिषद् द्वारा, पंचायत समिति द्वारा। जब वह प्लान बन गया, उसके बाद वह किस टेबल पर फाइल रह गयी? पंचायत समितियों से जब प्लान बनकर ए एस निकल गयी, उसके बाद में पंचायत समिति ने वित्तीय स्वीकृति के लिए टी एस भेज दी, टी एस भेजने के बाद भी वे कार्य स्वीकृत नहीं हुए। उसकी वजह से उन गरीब परिवारों को रोजगार नहीं मिला।

तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिनकी लापरवाही की वजह से आज उनके आवेदन नहीं लिये गये और उन लोगों को

(श्री शाले मोहम्मद)

रोजगार नहीं मिला, आपके सामने उनके मिनट्स हैं, प्रभारी मंत्रीजी की मीटिंग में ये मिनट्स पेश किये हैं, उसमें भी मैंने बात कही थी 14 फरवरी को कि लोगों को रोजगार के लिए काम खोले जाएं और आज भी यह स्थिति है। जब मैंने अपना प्रश्न लगाया, तब 1 मार्च को वे कार्य स्वीकृत किये गये। अब एक महीने के अन्दर कितने लोगों को सौ दिन का रोजगार मिलेगा? कतई सम्भव नहीं है कि लोगों को सौ दिन का रोजगार मिल पाएगा। आज उन अधिकारियों की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिला है।

इसलिए, सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सोनिया जी, प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि गरीब के लिए शानदार योजना आए, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां टांके खुदा रहे हैं, वहां धोराबंदी की जा सकती है। गरीब परिवारों के पालन-पोषण की बड़ी योजना है। अधिकारी जान-बूझकर इस योजना को दबाना चाहते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिले और इस योजना को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए जान-बूझकर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि विशेष तौर से इस योजना में जिनकी भी लापरवाही रही है, ग्रामीण विकास मंत्रीजी अभी आप सीट पर नहीं हैं पर मैं चाहूंगा, यदि वे मेरी बात सुन रहे हैं, यदि अधिकारी उनके सुन रहे हैं, तो इस गम्भीर विषय पर विशेष तौर से ध्यान दें और जिन-जिन ने इस योजना में गलती की है, जिनकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिला है, उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, यह केवल एक जिले का ही मामला नहीं है ...

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सही कह रहे हैं एम एल ए साहब, पूरे जिले का मामला है। आज मंत्रीजी यहां नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): पंचायत समिति, जिला परिषद् के सभी अधिकारियों की लापरवाही है। (व्यवधान) समिति लेवल पर जिला परिषद् के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही है।...(व्यवधान)... उन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया, न रोजगार दिया गया।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्रीजी, हमें बताइये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जनता के साथ अधिकारियों ने घोर अन्याय किया।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय मंत्रीजी पधार गये हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आप विस्तृत जानकारी लें, किस वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिला, किस कारण रोजगार नहीं मिला? सम्पूर्ण जानकारी हो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सोनिया जी, प्रधान मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी खुद चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मंत्रीजी, इतने पुराने हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो यह ध्यान नहीं रखते हैं कि साढ़े तीन परसेंट प्रोग्रेस आयी है नरेगा योजना के अन्दर और किसी भी प्रकार का पक्का काम नहीं हुआ है। जितने भी अधिकारी हैं, कई सालों से वे बैठे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अगर वे लापरवाह हैं तो जैसलमेर की जनता हमारे लिये कुछ नहीं करेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये आप। कृपया समाप्त करें आप।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री सभापति: आप कृपया समाप्त करें अब।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मंत्रीजी विराजमान हैं, इसमें क्या कार्यवाही हुई ? इतनी महत्वपूर्ण योजना है। वास्तव में लोगों को अधिकारियों की लापरवाही की वजह से रोजगार नहीं मिला। तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? आप आंकड़े देख सकते हैं। मेरे पास आंकड़े पड़े हैं। ये मिनट्स हैं प्रभारी मंत्री के।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति जी, यह पर्ची जब इन्होंने लगायी तो मैंने जिला समन्वयक से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में ग्रामों की संख्या 713 है जो तीन पंचायत समितियां-जैसलमेर सम, मुख्यालय, जैसलमेर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

एवं सांकड़ा पोकरण में विभक्त हैं। उक्त पंचायत समितियों की क्रमश: 40, 49 एवं 39 ग्राम पंचायतें हैं। 28 फरवरी, 2011 तक जिले में 1,191 कार्य महानरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रहे एवं इसके समक्ष 26.62 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। श्रमिक नियोजित रहे। विकास अधिकारीगण पंचायत समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां श्रमिक रोजगार अपेक्षित हों और योजनान्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं हो। माह मार्च, 2011 में पंचायत समिति जैसलमेर एवं सांकड़ा में 1,533 नवीन सृजित किये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 3,724 कार्य स्वीकृत हैं और वर्तमान में पंचायत समिति जैसलमेर के 51 एवं पंचायत समिति सम के 687 कार्यों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय मंत्रीजी, आपको जो आंकड़े दिये गये हैं वास्तव में झूठे आंकड़े दिये गये हैं। जिस तरह आपने कहा कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं है, मैं कह सकता हूं पंचायत समिति सम के अन्दर ग्राम पंचायत फतेहगढ़, ग्राम कोदियासर में आज एक भी काम स्वीकृत नहीं है। 127 लोगों ने आवेदन किया...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उसके बाद उन लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी वे आवेदन ग्राम सेवकों के पास पड़े हैं। तो आपको जिसने भी आंकड़े दिये हैं, झूठे आंकड़े दिये हैं। यदि झूठे कोई आंकड़े दे रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री केसाराम चौधरी।

पुलिस प्रशासन की विफलता

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में पर्ची के मार्फत पुलिस प्रशासन की विफलताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मेरे क्षेत्रमें दीपावली के दिन पांचवी कक्षा की छात्रा कविता डाटर आफ रामलाल चौधरी का अपहरण हुआ, दीपावली के दिन। अपहरण करके उसके बाद मर्डर कर दिया।

(समय : 14.34 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(श्री केसाराम चौधरी)

मर्डर करने के बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की लापरवाही के कारण मूल सिंह, पप्पू सिंह, हरबंस सिंह, तीन जो निर्दोष व्यक्ति थे, उनको 5-6 दिन तक पुलिस थाने में रखा, उनके साथ मारपीट की गयी परन्तु वे मुलजिम नहीं निकले। पुलिस को इस बात का पता था कि मुलजिम कौन है। सबूतों को नष्ट करने के लिये, नाबालिग 13 साल की बच्ची जिसका अपहरण के बाद बलात्कार करके मर्डर कर दिया, पुलिस को पता लग गया था मगर उसके बावजूद भी उस बच्ची की डैड बाडी को बरामद करने में चार दिन लगाये। 8 तारीख को बच्ची की लाश को बरामद किया गया। राजनीतिक दबाव की वजह से मर्डर कर्ता जो था उसको पकड़ा और नाबालिग बताकर उसके दूसरे दिन ही उसकी जमानत करा दी।

माननीय सभापति महोदय, जब कविता के पिता रामलाल ने बार-बार गुहार की कि यह बच्चा बालिग है, इसकी डाक्टरी जांच करायी जाए तो पुलिस ने किसी तरह की कोई डाक्टरी जांच नहीं करायी। उसके बाद रामलाल ने सबूत इकट्ठे किये। स्कूल से उसका प्रवेश कार्ड और सूचना के अधिकार के तहत प्रवेश फार्म और एस आर रजिस्टर में जो उम्र दर्ज थी, दोनों लाकर पुलिस को दिये। उसके बावजूद भी उसकी जन्म दिनांक वर्ष 91 थी, 91 को काटकर स्कूल रजिस्टर में कांटा-छांटी करके 93 करके नाबालिग बताया गया। नाबालिग इसलिये बताया गया कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव था। इस मासूम बच्ची की हत्या बलात्कार करके की गयी मगर पुलिस ने उसको नाबालिग बताया, इसलिये कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। मगर यह रिकार्ड देने के बाद भी अभी भी पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी विराजे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह से प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नाबालिग बच्चियों का अपहरण हो रहा है। मेरे क्षेत्र की करीबन 8-10 बच्चियों का, जो नाबालिग हैं, अपहरण हो जाता है, दो-चार-छह महीने बाद में वापस पुलिस पकड़ कर लाती है और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं होती। प्रदेश में इस तरह पुलिस का जो हाल हो रहा है, उसके लिये मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि चौमूं विधायक के निवास से ड्राइवर को पीट कर जीप चोर ले गये, पाली की हमारी विधायक संजना आगरी की जीप चोरी हो जाए, विधायक के पुत्र के अपहरण के साथ खबर है कि उसकी हत्या कर दी गयी, यादगार के बाहर नरमुण्ड मिले, उसके ऊपर आज दिन तक पता भी नहीं लगा कि उसका हत्यारा कौन था, नरमुण्ड

(श्री केसाराम चौधरी)

किसका था, हांडी रानी महिला बटालियन की एक प्रशिक्षु को खुदकशी करनी पड़े और कमांडेंट छुट्टी के बदले उसकी अस्मत मांगे, ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, पर्ची की व्यवस्था के साथ कुछ नियम भी बनाये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन नियमों के बारे में माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना है।....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पर्ची के मार्फत ही उठा रहा हूं कि जोधपुर जिले में जेलर की हत्या हो जाए, चेचट थाना परिसर में महिला कांस्टेबल की...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह पर्ची के माध्यम से क्या हो रहा है, सभापति महोदय(..?व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गला रेत कर हत्या हो जाए..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या यह आ रहा है ? क्या दृश्य आ रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जयपुर शहर में हर्षित हत्या काण्ड का आज दिन तक पता नहीं लगे। जयपुर शहर में न्यायालय में... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आजादी की लड़ाई के किस्से यहां पर सुनाये जा रहे हैं। क्या-क्या सुनाया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): विटनेस बॉक्स से महिला का अपहरण करके ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं, नियमों की, परम्पराओं की, प्रक्रियाओं की किसी की तो दुहाई दें...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी इस बात को मानते हैं और बार-बार...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, कुछ व्यवस्था बनवाएं...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): थानेदार जी की मिलीभगत के बिना अपराध सम्भव नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): प्रदेश का मुख्य मंत्री इस बात को कहे, प्रदेश का मुख्य मंत्री यह बात कहे...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य समअप करो अब आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): लाचारी से कहे और गृह मंत्रीजी इस बात को सोचे ही नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मुख्य मंत्रीजी अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिये बार-बार निर्देश दे रहे हैं मगर फिर भी 64,000 अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजस्थान प्रदेश में पुलिस प्रशासन की जो दुर्दशा हो रही है, मैंने पर्ची में भी यही लिखा है, पुलिस प्रशासन की विफलता का..(व्यवधान)

श्री सभापति: आ गया। बोल लिये अब..(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने जिक्र किया है। मैं उसकी विफलता को उजागर कर रहा हूं।..(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, हो गया।..(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अब विराजो। विराजो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आज की कोई तात्कालिक घटना हो, उसकी बात करो। आप किसकी बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आज की तात्कालिक घटना अजमेर की आपके सामने है, पूरा इतना जिक्र हुआ है, पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है। राजस्थान में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का ज्ञानवर्धन कराने का कष्ट करें। माननीय सदस्य को यह जानकारी देने का कष्ट करें कि यह पर्ची की व्यवस्था उन नियमों के तहत है, पर्ची में कौन से विषय उठाये जा सकते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, आपका।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: विषय से विषयान्तर हो रहे हैं। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा आपको। माननीय सदस्य, आपने बोल लिया। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, विराजिये। अब विराजिये। विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। विराज जाइये। विराजिये। श्री बंशीधर खण्डेला...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें, अंकित नहीं हो रहा है आपका। मैंने आपको निवेदन किया था। बंशीधर खंडेला... (व्यवधान).

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: मैंने बंशीधर खंडेला का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: अब आप बिराजें।...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: आप बोल चुके, माननीय सदस्य, अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजें।...(व्यवधान)...

सीकर जिले में खनन हेतु पट्टे देने में अनियमितता

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, खनन विभाग के सीकर जिले के दो नमूने मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहला है नीमकाथाना तहसील का ग्राम रेला, ग्राम पंचायत घासीपुरा, उसके अन्दर 2003 से 11 के बीच में जो आवेदन आये उनको देखें, पहले आये हुए आवेदनों को माइनिंग इंजीनियर ने खारिज कर दिया। वे कारण क्या थे? मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जिन कारणों से आवेदन निरस्त किये गये उन कारणों को नजरंदाज करते हुए बाद में जो आवेदन आये, उनको उसी जगह आबंटित कर दिया गया। ऐसे सरकार ने पक्षपातपूर्ण तरीके से, एम ई के कारण पट्टे दिये। पहले इसी जगह 2004 और 2007 के बीच में दो माइनिंग पट्टे दिये गये थे। उन माइनिंग पट्टों को जन आक्रोश के कारण कैंसिल करना पड़ा। वहां गोली चलने तक की नौबत आ गयी थी, एफ.आई.आर. लॉज हुई थी। तत्कालीन कलेक्टर ने उन माइनिंग पट्टों को निरस्त कर दिया। अभी उसी जगह दुबारा माइनिंग के पट्टे दे दिये गये। उसी क्षेत्र के अन्दर, जहां माइनिंग पट्टे दिये गये हैं अब, वह बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिये के अन्दर कोई भी माइनिंग पट्टा नहीं दे सकता। इसके अन्दर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल रहमान बनाम भारत सरकार के मामले में अपना निर्णय दिया है कि कैचमेंट एरिये में कोई भी खनन पट्टा स्वीकार नहीं किया जा सकता। सारे नियमों को नजरंदाज करके विभाग के मंत्री, विभाग के एम.ई. और अधिकारियों ने मिलीभगत करके पट्टे दे दिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले 2003 और 2007 के बीच में जो पट्टे निरस्त किये गये, उसी जगह वापस क्यों दे दिये गये? यह नमूना सामने है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

सभापति महोदय, एक निवेदन और है। सीकर जिले के सोभावती नदी के अन्दर, सोभावती गांव के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र का नेकीराम गुर्जर जो गोविंदपुरा का रहने वाला है, 23.07.2010 को उसने आवेदन किया था और उसका आवेदन यह कहकर के निरस्त कर दिया गया कि आपके आवेदन का जो नक्शा है, वह ट्राइंगल सिस्टम में नहीं है। पहले जो पत्र व्यवहार किये गये, वह रजिस्टर वहीं है। जो आवेदन खारिज किया गया, उसमें सुनवाई का मौका दिया गया कि आप 7 दिन में, 20 दिन में आकर के सुनवाई करें, वह साधारण डाक से भेज दिया गया। उसके अन्दर मिलीभगत से काम हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा अभी जो लीज चालू की गयी है, 682/09, विभाग द्वारा दो दिन के अन्दर वन विभाग और प्रदूषण बोर्ड से एन ओ सी दे दी गयी। मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जो प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग के पास पहले एप्लीकेशंस आयी हुई थीं, दूसरे खनन की या किसी की भी, क्या उन सबका निस्तारण करने के बाद केवल यही काम बचा हुआ था, कि एक दिन में उनको एन ओ सी दे दी गयी ?ऐसी बात से यह लगता है कि यह मिलीभगत से हुआ है और नियम विरुद्ध काम हुआ है। सभापति महोदय, खसरा नंबर 145 और 146 की यह जो लीज दी गयी है, उसके अंदर आवेदन करने से पहले देखते कि इसमें 33 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। ऐसा नियमों में नहीं है, कम से कम 45 मीटर की दूरी पर यह होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, दो मिनट और दीजिये, मैं लम्बा नहीं बोल रहा हूं। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। आप सुन तो लीजिये, दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: आप संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य। संक्षिप्त करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं, सभापति महोदय। बहुत गम्भीर मामला है, इसको सुनने की कोशिश की जाये।

राजस्थान पत्रिका में भी 3.01 को निकला था, जो खनन के दो पट्टे अभी दिये गये हैं, इसके अन्दर पहले मना कर दिया गया था, गोविंदपुरा का जो निवासी नेकीराम गुर्जर है उसने अपील की थी, अपील के अन्दर पहले सुनवाई करते, अपील के अन्दर स्टे देना चाहिए था, लेकिन स्टे नहीं दिया। माननीय हमारे धोद से आने वाले सदस्य ने भी इस संबंध में आज एक प्रश्न पूछा था।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

उस प्रश्न के अन्दर खसरा नंबर 146, उसमें जमाबंदी में लिखा है, पहाड़ी, चारागाह भूमि है और एक ही दिन में तहसीलदार और कलक्टर ने दो लैटर लिखे हैं ...(व्यवधान) उन दोनों लैटरों में विरोधाभास है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें। (व्यवधान) कितना लंबा बोलोगे आप ? पर्ची के माध्यम से इतना लम्बा नहीं बोलेंगे आप। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सरकार की मिलीभगत से यह सारा काम हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: संक्षिप्त करें आप।...(व्यवधान)...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि खसरा नंबर के अंदर, यह मेरे पास डाक्युमेंट आ गया आथेंटिक, इसके अंदर खसरा नंबर 146 चारागाह दिखा रखा है और उसी चारागाह के अंदर आपने माइनिंग के पट्टे दे दिये। संबंधित एम.ई. और अधिकारी जिसने नियमों का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और 682/09 की जो लीज दी गयी है उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) अभी डिमांड पर बोलना है, मंत्री जी उस वक्त आपको जवाब भी दे देंगे। (व्यवधान) और जितना बोलना है वह उस वक्त बोल दीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मंत्री महोदय हैं नहीं यहां पर।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से इतना लम्बा नहीं बोला जाता। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): संबंधित जवाब दें।...(व्यवधान)... पावां क्षेत्र में भी उन्होंने कैचमेंट एरिये और पानी के प्रवाह के क्षेत्र, दोनों एरियों में पट्टे दे दिये।(व्यवधान)... वे सारे नियमों के विरुद्ध हैं।

श्री सभापति: आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं चाहता हूं कि माननीय खान मंत्रीजी आज हैं नहीं, किसी को अपना चार्ज देकर के गये हैं, अगर कोई इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे तो सरकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय हिन्द।

सूचना

विधायक (किशनगढ़) के अपहृत पुत्र के शव की बरामदगी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह किशनगढ़ के माननीय सदस्य के पुत्र के अपहरण के बारे में जो चर्चा हुई, अभी-अभी समाचार मिला है कि पड़सौली दूदू के पास उसी बोलेरा में दो गोली मार कर उनकी हत्या कर दी, उनका शव मिला है। मैं गृह मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी बारे में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बोल रहा हूं ना उसी बारे में...(व्यवधान) बोल तो रहा हूं। फिर क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं भी तो दे रहा हूं ना सूचना आपको। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपको पहले बोलना चाहिए था।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान) पहले मंत्रीजी को बोलने दें। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप विराजो। (व्यवधान) आप विराज जाइए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: अजमेर से आने वाले दोनों माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) अजमेर से आने वाले दोनों माननीय सदस्य, विराजिए। आसन पांवों पर है। आप विराज जाइए। पूरा सदन उद्वेलित है इस घटना से। (व्यवधान) आप विराज जाइए। यह बात गम्भीर है, पूरा सदन उद्वेलित है, आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराज जाइए। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराज जाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप भी विराजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप भी विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ करूंगा, आप विराजो। आप विराजो, आप विराजो। ...(व्यवधान)... आप विराजिए, विराजिए न। (व्यवधान) आज इसी घटना पर पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से हुआ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं आपको अलाउ ...(व्यवधान) आप विराजिए। आप विराजिए तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस लोमहर्षक घटना का जिक्र आज सदन में कई घण्टों तक हुआ, माननीय गृह मंत्रीजी बार-बार यह कहते रहे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: फिर आप लम्बा पाइंट आफ इन्फार्मेशन दे रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। सरकार के ध्यान में आ चुकी यह बात, अब आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो, अब आपने बोल दिया न, आ गई बात तो। (व्यवधान) दे रहे है न जवाब। आप सरकार की तरफ से वक्तव्य सुनना चाहते हैं न? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, सदन को पूरा अवगत करवा रहे हैं, फिर आप उससे आगे और क्या चाहते हैं? आपने बोल दिया न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आपने बोल दिया न। मेरी बिना अनुमति के भी आप बोल गए, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से मुझसे पूछा नहीं, आसन से पूछा नहीं, सीधे बोल गए। आ गई आपकी बात, गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान) यह घटना उद्वेलित करने वाली है, यह घटना साधारण नहीं है। अब आप मेहरबानी करके विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: आसन पांवों पर, माननीय सदस्य। इस घटना पर गम्भीरतापूर्वक, मेहरबानी करके मेरा निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर घटना है, इसके बारे में गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुन लीजिए पहले आप। (व्यवधान) नहीं, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, वक्तव्य से आगे क्या चाहते हैं? (व्यवधान) वक्तव्य से आगे क्या चाहते हैं आप? (व्यवधान)... सरकार जानकारी दे रही है, गृह मंत्रीजी का वक्तव्य आने के बाद कोई ऐसी जानकारी हो जो सदन के ध्यान में नहीं लाई गई है, उसके बारे में बोलिए। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप विराजो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: आ रहा है न वक्तव्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजिए। (व्यवधान) आप तो विराजो। (व्यवधान) पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आपने ...(व्यवधान).आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी नाथूराम जी सिनोदिया से जरा भी सहानुभूति है, नाथूराम जी सिनोदिया के परिवार से अगर कोई सहानुभूति हो तो मेहरबानी करके विराज जाओ। मेहरबानी करके विराज जाओ आप। सदन सुबह से उद्वेलित हो रहा है। आप गृह मंत्रीजी से वक्तव्य नहीं सुनना चाह रहे,

(श्री सभापति)

वे वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय सचेतक महोदय, विराजिए आप। पूरा सदन उद्वेलित है। आप विराजो। (व्यवधान) आप तो विराजो। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी पूरी घटना से अवगत कराएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

(समय : 15.00 बजे)

आप बिराजें। आप विराजये। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी आपको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आपको उनसे जानकारी चाहिए या क्या चाहिए? (व्यवधान) पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से मेरी बिना अनुमति लिये ये बोलने लग गये। (व्यवधान) मैंने इनको अलाउ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी। नहीं, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) घटना की पूरी जानकारी से इस सदन को अवगत कराने के लिए गृह मंत्री खड़े हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि माननीय विधायक श्री नाथूराम जी सिनोदिया के पुत्र नरेरा थाने के अन्तर्गत पाड़ासोली गांव में मृत पाये गये हैं और इस केस में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एस ओ जी से तफ्तीश कराने के आदेश जारी कर दिये हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

ये लोग, प्रतिपक्ष के लोग बराबर मुझे पूछते रहे कि आखिर क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वह पाया, नहीं पाया, वह जिंदा है या क्या है, उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं तो ये यह सोचते हैं कि जैसे कोई तलाश करके ये लाये हों। (व्यवधान) ये तलाश करके, क्या पता है? छोड़ो, सब पता है, बेकार की बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ये प्रतिपक्ष के कुछ लोग यह प्रदर्शित करना चाहते हैं जैसे तलाश इन्होंने की हो, इनको मालूम पड़ गया हो और पुलिस को और प्रशासन को कुछ मालूम ही नहीं हो। यह प्रदर्शित करना चाहते हो आप लोग, बाकी कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मुझसे जानकारी लेकर यहां बताया, मुझे पहले जानकारी थी। बिलकुल गलत कह रहे हो आप। आपका आज का स्टेटमेंट भी असत्य था जिसको मैंने चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है उसको और फिर चैलेंज करता हूं आपको (व्यवधान) आपको मैंने बताया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ज्यों ही मेरे पास सूचना आई, मैंने आपको इत्तिला की, आप भागकर यहां पर आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बात कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: विराजिये, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रशासन सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या : प.20 (84)एआर/ आरटीआई/2009 दिनांक 2.11.2010 जिसके द्वारा सरकार द्वारा स्थापित राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि/81 दिनांक 24.5.2010, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के लिये टैरिफ) विनियम, 2010 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

उद्योग विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की तीन निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या : आरएफसी/पीए-23(32) दिनांक 1.6.2010, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्युलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या : आरएफसी/पीए-23(5) दिनांक 14.9.2009, जिसके

(श्री राजेन्द्र पारीक)

द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्युलेशन्स, 1958 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या : आरएफसी/पीए-23(5) दिनांक 14.9.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (रिवाइज्ड पे स्केल) नियम, 2008 विरचित किये गये हैं;

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, ये जो अधिसूचनाएं हैं, इनकी एक व्यवस्था है, सदन का पहला जो सत्र अगर अधिसूचनाओं के बीच में निकल जाता है तो रखने वाले माननीय मंत्री को यह बताना पड़ता है कि उस सत्र में क्यों नहीं रखी गई। यह जो अधिसूचनाएं उद्योग विभाग की माननीय मंत्रीजी रख रहे हैं, इसके बाद में, इन अधिसूचनाओं के जारी होने के बाद में विधान सभा का एक सत्र हो चुका है, यह दूसरा सत्र है। इसलिए माननीय मंत्रीजी कृपा करके बतायें कि उस सत्र में ये अधिसूचनाएं क्यों नहीं रखीं आपने? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): क्योंकि सत्र बहुत छोटा था और बी ए सी में यह कार्य लिया नहीं गया था और सत्र आज आहूत हुआ है, कल बजट रखा था और बजट के बाद आज पहला दिन है और हमने इसको रख दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह किस तारीख की अधिसूचनाएं हैं ? अधिसूचनाएं को किस तारीख को जारी हुयीं, उसके बाद में विधान सभा का एक सत्र हो चुका, दूसरा सत्र है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): विधान सभा का सत्र काफी छोटा था उसमें यह व्यवस्था नहीं हो सकी, बीएसी में यह नहीं आया, जैसे ही काम आया, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री सभापति: डा. राजकुमार शर्मा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.7 (7) डीएसटी/पीआईसी/जी-1/2के/45 दिनांक 18.1.2011 जिसके द्वारा भौगोलिक संकेतकों के पंजीयन हेतु नीति घोषित की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट वर्ष 2009-2010 एवं आउटकम बजट वर्ष 2010-2011 तथा राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

आउटपुट बजट वर्ष 2009-2010 एवं आउटकम बजट वर्ष, 2010-2011, तथा राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2005-2006 की आडिट रिपोर्ट व उस पर टिप्पणी

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2005-2006 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी, तथा

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2008-09

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

राजस्थान वित्त निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

1. वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37 (7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन, एवं

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदयों से, दोनों से यह जानना चाहता हूं कि कम्पनीज अधिनियम और वित्त अधिनियम के अन्तर्गत इन्होंने जो ये अपने अंकेक्षण या प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे हैं, यह क्यों रखे हैं? सदन में कोई पत्र रखा जाता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। तो इसको यहां किसलिए रख रहे हैं? डिस्कशन कराने के लिए रख रहे हैं या किसलिए रख रहे हैं? यह स्पष्ट कराएं सदन को। बताओ क्यों रखे हैं आपने? (व्यवधान) यह क्यों रखे हैं आपने? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कल, माननीय सभापति महोदय, कोई आकर, अपनी जेब में पत्थर रखकर लाएंगे और आपको कहेंगे, मैं सदन के पटल पर रखता हूं। कैसे रख देंगे? कारण होगा न कोई न कोई। या तो आसन स्पष्ट करें या वे स्पष्ट करें। कम्पनीज अधिनियम या वित्त अधिनियम के अन्तर्गत जो आपने लेखे, अंकेक्षण सदन के पटल पर रखे हैं, वे किस कारण से रखे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कल कोई भाटा लाकर रख देगा? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार है, कैसी है? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बृजकिशोर शर्मा।

राजस्थान सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री मुरारीलाल मीणा।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री मुरारीलाल मीणा (तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 एवं

एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

(2) एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम की धारा-32(4) के अन्तर्गत एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-14)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2011 को मध्यान्ह पश्चात् 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 मार्च, 2011 से 30 मार्च, 2011 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2011 रविवार, दिनांक 20 मार्च, 2011 सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2011	बैठक नहीं होगी
मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2011 शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2011 रविवार, दिनांक 27 मार्च, 2011	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 28 मार्च को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 - पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011	राज्य में बिजली एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति पर विचार
गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2011 शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर सामान्य वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2011 रविवार, दिनांक 13 मार्च, 2011	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011	1- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-11 का उपस्थापन। 2- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011	1- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 का मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण। 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 3- अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री शांती कुमार धारीवाल।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री हेमाराम चौधरी।

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 । श्री राजेन्द्र पारीक।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्या-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर सामान्य वाद-विवाद।

मांग

विधायकों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह मसला चल रहा था नाथूराम जी के बच्चे को लेकर के....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, मैं दो मिनट में सदन की और विधायकों की भावना से आपको अवगत कराना चाहता हूं और सरकार से भी यह मांग करता हूं कि हमारे विधायकों की सुरक्षा के लिए भविष्य में आपके पास क्या कार्य योजना है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार इस सदन के अन्दर सदस्यों की सुरक्षा का सवाल उठा, विधायकों के परिवार की....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधायकों के परिवार की भी साथ में।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठो, हनुमान जी। बार-बार उठा। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 3-4 बार सवाल भी लगाये हैं कि सब-इंस्पेक्टर के लेवल का अधिकारी है, उसके पास 4 अर्दली हैं और उससे ऊपर के अधिकारियों की तरफ बढ़ोगे तथा आई जी तक पहुंचोगे तो 50 आदमी। घर में पोंछा लगाने वाला भी पुलिस का सिक्योरिटी वाला आदमी, खेत में, फार्म में काम करने वाला आदमी भी पुलिस का सिपाही। जरा इस सदन को अवगत तो करा दो कि इन पुलिस अधिकारियों को क्या खतरा है। जिन पुलिस अधिकारियों की वजह से राजस्थान की 6 करोड़ जनता अपनी सुरक्षा चाहती है, वे अपने लिए 50-50 आदमी लगाते हैं। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक घटना है जिससे आने वाले समय में सबक लेने की बात है। आज एक हमारे साथी के बच्चे की मृत्यु हुई है, हम सब शोकाकुल हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में...

श्री पेमाराम (धोद): मृत्यु नहीं, हत्या हुई है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हत्या हुई, निधन हो गया और वह हमारे बीच में से चला गया। उनके दु:ख की क्या सीमा होगी? मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि ये सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग, हम आये दिन कभी रात को दो बजे आते हैं, कभी तीन बजे आते हैं, हमारे परिवार की या हमारी सुरक्षा की आगे क्या कार्य योजना है? मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कई सारे घटनाक्रम व्यक्तिश: मैंने मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को भी बताये हैं, अभी 2-3 दिन पहले की घटना मैंने बताई कि तलवारों से जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमला किया गया, सूचना देने के बावजूद।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून और व्यवस्था को, पुलिस को भी चाक-चौबंद करने के लिए कोई योजना है तो उससे आप सदन

(डा. रघु शर्मा)

को अवगत कराओ। राजस्थान में यह जो संगठित अपराध, चाहे ये पहले से हो रहे होंगे, ये जब सत्ता में थे, तब भी हो रहे होंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि भय और असुरक्षा का वातावरण खतम होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह वाद-विवाद पर चर्चा इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जो बच्चे की डैथ हो गई विधायक महोदय के और आप यह कह रहे हैं कि यह सामान्य बात है, इस पर बाद में चर्चा हो जायेगी। यह क्या बात हुई? वाह, कमाल है। यह आपके कहने से नहीं होगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति: इस पर एक बार बोल चुके, दो बार बोल चुके।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह कोई मैं पालिटिकल माइलेज के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं यहां पर, लेकिन यह कल किसी के साथ घटना हो सकती है, सभापति महोदय।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यहां पर कोई कांग्रेस और बी जे पी का सवाल नहीं है। कल दूसरे विधायक के बच्चे को मार देंगे, फिर आप नहीं सुनोगे कि कुछ नहीं हुआ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसलिए इस पर गृह मंत्रीजी को इस सदन में कुछ कहना चाहिए, एश्योर करना चाहिए, मेरा यह हार्दिक निवेदन है आपको। ऐसा नहीं कि इसको फौरी तौर पर लोगे। कल कोई विधायक मारा जायेगा, कल किसी और के परिजन मारे जायेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, पहले आप सामान्य वाद-विवाद चालू नहीं करिये। सदन के पास समय नहीं है विधायकों के लिए। अगर उनकी हत्या हो गई तो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...और इसकी इतिश्री करें। भूल जायेंगे इसको। फिर आप सामान्य वाद-विवाद चालू करना और... (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, राजकुमार जी की आंखों में मिर्ची डाली। आप बताइये, राजस्थान सरकार के मंत्री की आंखों में मिर्ची डाली गई। इसलिए बात तो निश्चित रूप से वाजिब है। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, पूरे दिन चर्चा हो गई, सरकार को इस सवाल पर स्टेटमेंट जारी करना चाहिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले विधायक महोदय ने बिलकुल सत्य सामने रखा है। मैं आग्रह करता हूं आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी से कि विधायकों की ही नहीं, विधायकों के परिजनों की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को यह बताना चाहिए कि विधायकों की सुरक्षा के लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए इनकी क्या कार्य योजना है?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): इनकी बात का मैं समर्थन करना चाहता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अगर ये आज नहीं बताना चाहें तो कल दिलवा दें लेकिन आप निर्देश तो दें। आप कल दे दें, परसों दे दें लेकिन हमारी चिंता है। हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम सार्वजनिक जीवन में अगर अपराधियों के हवाले कर दिये गये तो यह लोकतंत्र भी अपराधियों के हवाले हो जायेगा। सभापति महोदय, इसलिए यह भविष्य का प्रश्न है, इस प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है। आगे के लिए, आप स्टेटमेंट देने के लिए कोई भी तारीख नियत कीजिये। या सरकार यह कह दे कि यह सामान्य वाद-विवाद है। इस गम्भीर मसले को आप यहां खतम मत करिये। यह दु:ख की घड़ी है, कोई राजनीति नहीं करना चाहता यहां और सामने वाले सदस्य भी नहीं करना चाहते, मैं मानता हूं इस बात को लेकिन सुरक्षा का सवाल तो आज भी खड़ा है। और इस बात का भी आप उल्लेख करें कि आपके पुलिस अधिकारियों को कितनी-कितनी सुरक्षा आपने दे रखी है, क्या-क्या काम उनसे लिया जा रहा है और वह सारी सूचना आ जाये क्योंकि पिछली बार प्रश्न लगा, गोलमाल जवाब आ गया, ये जवाब देना चाहते नहीं हैं। यह जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा के प्रति बिलकुल लापरवाही है। पुलिस अधिकारियों ने सोचा कि यह तो सब कुछ हमारे लिए बना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप समय तय करवा दें, दो दिन का टाइम दे दो, आराम से अपनी तैयारी करके बतायें और उसकी आप समय सीमा बता दें कि इतने समय में यह सुरक्षा की व्यवस्था विधायकों की और उनके परिवार के लिए कर दी जायेगी, हमें संतोष होगा।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे दूंगा, ठीक है। दे दूंगा, दे दूंगा।

(श्री सभापति)

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 08 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	6 घंटे 19 मिनट
3.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	15 मिनट
4.	जनता दल	05 मिनट
5.	समाजवादी पार्टी	05 मिनट
6.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	05 मिनट
7.	निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
	कुल समय	16 घंटे

मांग

विधायकों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह बहुत गम्भीर मामला है। उसके बारे में व्यवस्था दे दीजिये। आप इसकी व्यवस्था कीजिये।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे दूंगा। माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसके बारे में व्यवस्था दे दीजिये। यानी विधान सभा में व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, मैं दे दूंगा। आप विराजिये। आप विराजिये तो सही। मैं दे दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, ऐसे नहीं, साहब। नहीं, ऐसे नहीं, साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अभी दे दो ना, बाद में क्यों दे दोगे ?

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह सवाल केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया और बहुत से माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, क्योंकि माननीय सदस्य किसी भी पार्टी के हों, चाहे वह पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, बहुत से माफियाओं के खिलाफ अपने राजनीतिक जीवन में आवाज उठाते हैं कि समाज में भय समाप्त हो। चाहे वह किसी भी प्रकार का माफिया हो, भू-माफिया हो, शराब माफिया हो, जो अनेक तरह के माफिया डवलप हो रहे हैं, उनके खिलाफ माननीय सदस्य कोई भी अगर आवाज उठाता है और इस तरह से परिवार के सदस्यों पर हमले हों, कोई भी माननीय सदस्य हो, किसी भी पक्ष के हों, उन पर इस तरह से हमले हों तो मैं समझता हूं, जब राजस्थान में राजनीति करने वाले लोगों के बीच में हों तो निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री सभापति: वही बात है, कह रहे हैं वे। जो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, वही बात है ना? वह है ना बात ?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राजस्थान में न मंत्री सुरक्षित है, न विधायक सुरक्षित है तो फिर राजस्थान की सैकड़ों जनता का क्या हाल होगा?

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिए खड़े हो गये हैं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई विधायकों की सुरक्षा के बाबत, मैं सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान की सरकार ने समस्त विधायकों को और समस्त सांसदों को पी एस ओ उपलब्ध करवाये हैं। (व्यवधान) बात सुनिये, बात सुनिये। जिसके आदेश प्रसारित हो चुके हैं। कइयों के पास पी एस ओ पहुंच गये हैं, कइयों के पास अभिशंसा मांगी गई है। कई बार विधायकों से अभिशंसा भी इस प्रकार आ जाती है...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, यह क्या वक्तव्य आप दे रहे हैं? कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है। यह गलत बात है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, बात सुनिये। जिसको बंदूक पकड़ना नहीं आता, उसको विधायकों के घर पर भेज दिया जाता है।

श्री सभापति: वक्तव्य तो आने दें गृह मंत्रीजी का।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप पहले बात तो सुन लें मेरी। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आज अख़बार में छपा है। कोई विधायकों से नहीं पूछा। यह क्या बात हुई?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। कई माननीय सदस्यों से और सांसदों से तो नाम भी आये हैं। जिन-जिनके नाम आते जा रहे हैं, उनके पास पी एस ओ पहुंचाते जा रहे हैं। कई बार...

अनेक माननीय सदस्य: हमारे नहीं पहुंचाये। हमारे नहीं पहुंचाये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एस.पी. और आई.जी. को शर्म आती है एम.एल.ए. से बात करने में। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप लिखकर दे दीजिये। आप दे दीजिये, मैं दूंगा आपको। मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आप दे दीजिये लिखकर। क्या बात है। आपकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं सदन में यह कमिटमेंट कर रहा हूं कि हर विधायक को, हर सांसद को पी एस ओ उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि किसी के पास नहीं पहुंचा है तो आप मेहरबानी करके अपना नाम यहां पर भिजवा दें। यदि सम्भव हुआ तो उसी व्यक्ति को आपके पास लगा दिया जायेगा। इसके अलावा...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्रीजी कहते हैं कि एम.एल.ए., एस.पी. और आई.जी. से बात करें। इनके आई.जी. और एस.पी. को एम.एल.ए. से बात करने में शर्म आती है। ये इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में विधायक की हत्या हो जाये और उसके बाद ये प्रोवाइड करवायेंगे।

श्री सभापति: आप विराजिये। बिराजो तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसके अलावा भी, सभापति महोदय, जब-जब किसी भी विधायक महोदय के द्वारा कोई बात उठाई जाती है या किसी प्रकार की शिकायत मुझे प्राप्त होती है तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करने का प्रयास करता हूं।एक विधायक यह नहीं कह सकता, कोई भी विधायक यह आरोप नहीं लगा सकता कि मेरी जानकारी में यह घटना लाये और उस घटना पर कार्यवाही नहीं हो। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बिलकुल सरकार सचेत है, आपके वाजिब सुझावों का हमेशा वेलकम करेगी। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को भी मैं कहना चाहता हूं, उनके भी अगर कोई सुझाव हों कि किस प्रकार से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है विधायकों की और विधायकों के परिवार की सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है... (व्यवधान) आप मुझे बोल तो लेने दो, राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं आपको साल भर से चिट्ठी लिखता रहा हूं, मैंने सारी घटना बताई। आप कह रहे हैं, एक भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बतायें कि मैंने आपको लिखा कि नहीं लिखा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके लिखे हुए का भी मैं वेलकम करूंगा। इसके अलावा भी, सभापति महोदय...

श्री सभापति: आप विराजिये। पूरा जवाब तो आ जाने दो। पूरा जवाब तो आ जाने दो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): जालौर एस.पी. को आज से 20 दिन पहले एक गनमैन का नाम दे दिया, अभी तक भी भेजा नहीं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो मत बोलो। आपने तो अभी मुझे एक चिट्ठी दी है यह, आपने जो शिकायती पत्र दिया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): यह नहीं है। जो अभी दिया है, वह यह नहीं है। यह जो आज दिया है, वह घटना दूसरी है। मैं गनमैन की बात कर रहा हूं, मैं मेरे गनमैन की बात कर रहा हूं। मैंने जालौर एस.पी. को टेलीफोन पर नाम दिये हुए एक महीने हो गया, कोई नहीं लगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): किसको दिया आपने?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): एस.पी. जालौर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मुझे दीजिये, आप मुझे दीजिये, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): कल को मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि मुझे दीजिये, यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): आपने कहा कि आप मुझे लिखकर दें, माननीय राधेश्यामजी ने आपको लगातार पत्र लिखे हैं। क्या है यह?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आपकी सरकार के आदेश है, आपकी सरकार के स्पष्ट आदेश हैं तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको देने की?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विधायकों को और मंत्रियों की सुरक्षा में पुलिस वाले गार्ड हमारे लगाये हुए हैं, वह अच्छी बात है, सभी के लिए होना चाहिए पर मेरा एक निवेदन है गृह मंत्रीजी से कि हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं, उनके पास एक रिवाल्वर है और जो डाकुओं के पास हैं, उनके पास तो है एके-47, वे कैसे मुकाबला करेंगे इस छोटी-सी रिवाल्वर से? तो गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उनको बड़े हथियार दिये जाने चाहिए। इस छोटी सी रिवाल्वर से कितनी दूरी की मार होती है, वे एक किलोमीटर से सलटा देते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि बड़े हथियार की व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): क्यों, धौलपुर की बात नहीं करेंगे? धौलपुर को रहने दो। धौलपुर की बात करेंगे, और कहां की बात करेंगे? आप करौली में रह रहे हो, आपके पास डकैत नहीं रहते हैं क्या? तो बड़े हथियार की व्यवस्था की जावे, ये जो छोटे हथियार दिये हैं इनको बड़े हथियार देने चाहिए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): इसको लाइटली न लीजिये। इसको लाइटली न लीजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, धौलपुर में तमाम गैंग है डकैतन की, वहां क्या यह पिस्टल से मुकाबला करेंगे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें। श्री गुलाबचन्द कटारिया। आप विराजें, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक सदस्य की भावना को आप नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा?

श्री सभापति: अब आप विराजो। आप विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा इम्पोर्टेंट है। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी ने आपकी सुरक्षा के विषय में केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापतिजी, यह मेरा मामला नहीं है, मेरा सुरक्षा का मामला नहीं है, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री सभापति: तो आप एक तो बोलें, आपके माननीय सदस्य खड़े हैं। आप विराजो, आप विराजो।

व्यवस्था का प्रश्न

आय व्ययक पर वाद-विवाद के लिए कम समय का आबंटन

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा बहुत व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बजट पर वाद-विवाद का समय आपने 16 घंटे का दिया है, यह बहुत कम है। यह अफसरों का बनाया हुआ बजट है और विधान सभा में पढ़ दिया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के माननीय सदस्य जो चुनकर आते हैं उनकी भावनाओं का पुट तो इसमें नहीं है। इसमें जो बात आई है, उसमें वह 16 घंटे में पूरी नहीं होती माननीय सदस्यों की। अब यह फाइनेंस सेक्रेटरी साहब यहां पर बैठे हैं, ये अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आनेस्ट हैं, सारी बात है पर इनको यह क्या पता कि बाजरा एक बीघा में कितना होता है। यह तो हम ही बता पायेंगे न। यह खड़े होकर बता दें।

श्री सभापति: आप विराजो। इस तरह से बातें नहीं बोली जातीं, माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक बीघा में बाजरा कितना होता है, ज्वार कितनी होती है, ...

श्री सभापति: आपको परम्पराएं मालूम नहीं हैं सदन की।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नहीं, इसमें ग्रामीण इनपुट आना चाहिए, इसमें ग्रामीण इनपुट आना चाहिए। यह भाषण नहीं है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, थोड़ा-सा तो आप इनको कहें, कोई अधिकारी बोलेगा क्या ? कोई वक्तव्य दे सकता है सदन के अन्दर? जब आपका बोलने का मौका आये, बोलना। यह समय जो निर्धारित किया है, इस समय के अनुसार कोई चला है क्या सदन? हमेशा रात के दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बजे हैं यहां पर। इसलिए ...(व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है, मेरा केवल कहना यह है कि लीडर आफ द अपोजिशन, लीडर आफ द अपोजिशन को सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा घटाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई जाय। लीडर आफ द अपोजिशन बहुत लोकप्रिय नेत्री हैं, इनके प्रति आपका, हमारा सबका दायित्व बनता है, इनको सुरक्षा प्रदान करें।

श्री सभापति: विराजें।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए बजट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई डाक्युमेंट नहीं होता। इस सरकार का यह तीसरा बजट का डाक्युमेंट हम देख रहे हैं, मुझे बहुत दुःख है इस बात का, कोई आलोचना करने की दृष्टि से नहीं या किसी को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, सौभाग्य से इस राज्य के मुख्य मंत्री वित्त विभाग भी संभालते हैं और उनके द्वारा तीन बजट यहां पढ़े गये। इन तीनों बजटों को अगर आप, जितना मुझे समय मिला, मैंने कम्पेरिजन किया, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो डाक्यूमेंट बनाकर के यहां दे देते हैं, उसको बिना इस बात के देखे हुए कि 2009-10के बजट में क्या कहा था, 10-11 के बजट में क्या कहा था और 11-12 के बजट में क्या कहा था, इसका कोई लेना-देना नहीं। यानी जो बजट हमको 09-10 में पूरा कर देना चाहिए था, जो यहां पढ़ा गया, हमने तालियां बजाईं, हमने एक बार नहीं, बीस-बीस बार मेजें थपथपाईं, लेकिन हमने कभी मुड़कर नहीं देखा, इसका मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया कि जो हमने घोषणा की उसकी आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या स्थिति है। मैं आपके सामने कुछ नमूने रखना चाहता हूं और मैं यहां जो भी गैलेरी में बैठे हैं, उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार से राज्य के मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री के द्वारा इस प्रकार का डाक्युमेंट पढ़ाकर इस लोकतंत्र का इस प्रकार का अपमान भविष्य में कभी नहीं करें। अगर आपसे नहीं पूरा हुआ तो कोई बात नहीं, उसका रेफरेंस देते हुए लिखिए कि यह हमने पास किया था लेकिन हम इन कारणों से इसको पूरा नहीं कर पाये इसलिए इसको हम अगले बजट में रखकर कर रहे हैं।

मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसको देखकर आश्चर्य होगा आपको, आपको लगेगा कि यह, कहां हैं वे मंत्रीजी, स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं नहीं, 09-10 में, हैं, बैठे हैं, अब आप समझ लेना यह, 09-10 में ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, चालू वित्तीय वर्ष में, कौन सा पढ़ रहा हूं, 09-10 का, ''चालू वित्तीय वर्ष में 15 आयुर्वेद, पांच होम्योपेथिक तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त, छह आयुर्वेदिक, दो होम्योपेथिक और दो यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।" यह वर्डिंग किसका है, 09-10 का। उसके बाद 10-11 का फिर देखें आप, 10-11 में भी आप वही भाषा लिख रहे हैं, आगामी वर्ष में 15 आयुर्वेदिक, पांच होम्योपेथिक और 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त छह आयुर्वेदिक, दो होम्योपेथिक और दो यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा। "क्या किया? इस 11-12 में खुल गये क्या? क्यों करते हैं ऐसा? और ऐसा क्यों लिखते हैं? क्यों लिखने की मजबूरी है ऐसी, जिसके कारण से तीनों साल में सेम वर्डिंग? अब की बार इन्होंने चतुराई यह की कि अब की बार औषधालयों की संख्या नहीं लिखी, उस पर रिक्त हुए पदों की संख्या लिखकर के हमारे सामने फिर एक डाक्युमेंट पटक दिया कि जैसे कोई हम लोग तो यहां पढ़ते ही नहीं हैं। जो आप लिखकर दे देते हैं क्योंकि ये बहुत विद्वान लोग हैं, जैसे बनाकर देते हैं वैसा आंख बंद करके पढ़ने की प्रक्रिया के कारण से यह लोकतंत्र आज इस स्थिति में पहुंचा है। वह हमारी लापरवाही के कारण से, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण से आज यह स्थिति आकर के खड़ी हुई है।

यही नहीं, आप आगे देखें, शिक्षा का पेज नम्बर, इस डाक्युमेंट के 39 पेज पर लिखा है आपने, इसमें आपने क्या लिखा पहले का, एक की भी पालना नहीं, फिर रिपीट क्यों करते हैं? आपने लिखा है कि ''माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य के दूर-दराज के इलाके में शिक्षा की कमी है। समानीकरण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की व्यवस्था लागू करने से कुछ सीमा तक इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी। समानीकरण के पश्चात् शिक्षकों के रिक्त पदों को कार्यक्रम बनाकर चरणबद्ध रूप से भरा जायेगा। शिक्षक एक बड़ा वर्ग है, चूंकि प्रत्येक वर्ष लगभग दस हजार शिक्षकों के पद सेवानिवृति के कारण रिक्त होते हैं, राज्य सरकार ने निश्चित किया है...,'' राज्य सरकार ने निश्चित किया, कब, 09-10 में। ''निश्चित किया है कि सेवानिवृति से रिक्त होने वाले पदों पर भी साथ ही साथ भर्ती प्रारम्भ कर दी जायेगी। "हो गई न अभी तक? 09-10 में भी हो गई, 10-11 में भी हो गई और 11-12 में भी हो गई न? अच्छा, उसके आगे और देखिए, ''सर्वशिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के 17,229 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की जा चुकी है।'' यह तो पिछली गवर्नमेंट के समय में आर पी एस सी को भेजी हुई वैकेंसी है। आप इसको हर साल रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद भी जीरो रिजल्ट आ रहा है, जीरो। कोई इसकी मानिटरिंग नहीं करता है कि हम कहते क्या हैं। इसके बाद आगे देखिए आप, ''शारीरिक शिक्षकों के एक हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर इन पदों को भर दिया जायेगा।'' कब, 09-10 में। उसके बाद 10-11, उसके बाद 11-12 हो गई भर्ती न, आ गये शारीरिक शिक्षक? अब इसके बाद आपने और आगे, ''मदरसों हेतु 2,500 सामान्य शिक्षा सहयोगियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।'' कर दी न? इस बार भी आपने फिर रिपीट कर दिया यही शब्द।

इस तरह से आप इसकी, बजट की जो कुछ भी एक तरह से इसकी जो सैंक्टिटी है, इसका जो महत्व है, वही इसका रफा-दफा कर रहे हैं आप। इस पर विचार करके उन अधिकारियों को और विशेष करके वित्त मंत्री स्वयं मुख्य मंत्री हैं, अगर उनकी मानिटरिंग में भी ये अधिकारी नहीं गांठते हैं तो फिर इस राजस्थान में कौन गांठेगा, कौन पूछेगा कि आखिर हो क्या रहा है यह ?

इसी तरह से आपने देखा होगा, गृह विभाग में एक लम्बी फेहरिस्त बना दी, ये-ये पद भरे जायेंगे, ये-ये पद भरे जायेंगे। इसमें लिखा है बटालियन, एक नई बटालियन बनेगी 850 की। बन गई न? यह 09-10 के भाषण में है। 09-10 के भाषण में आप लिख रहे हैं कि एक बटालियन बनेगी जिसमें 850, उसी में 09-10 में उप निरीक्षक के 480 पद सृजित होंगे। वे हो गये क्या? उसके बाद आपने लिखा कि कांस्टेबल की भर्ती पांच हजार, वह हो गई? 09-10 का निकल गया, 10-11 निकल गया, 11-12 निकल गया, अभी और कह रहे हैं कि बारह हजार की भर्ती होगी। मैं सोचता हूं कि इस तरह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
से यह जो आप कम्पेरिजन नहीं करते न और समय पर मानिटरिंग नहीं करते हैं, इसी के कारण यह हुआ।

ऊर्जा के क्षेत्र में आपने कमाल, बार-बार, ऊर्जा मंत्रीजी हैं नहीं अभी, किसानों को आवेदन करते ही, 09-10 के अन्दर लिख रहे हैं बजट में, ''किसानों को आवेदन करते ही विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो जाय, अत: हमने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने का निर्णय लिया है। "क्या आज प्रतीक्षा सूची नहीं है? सारे कनेक्शन दे दिये? सारे कनेक्शन दे दिये तो आपने इस बार और लिखा कि पिछले साल हमने एक लाख समथिंग तो दे दिये, इस साल हम 65 हजार कनेक्शन और देंगे। तो यह आपने 65 की संख्या कहां से निकाली? अगर आपकी तुरन्त आओ तुरन्त पाओ' की बात थी तो आप यह कहते कि जो आयेंगे इस महीने में उसकी हम पूर्ति कर देंगे। एक तरह से आप इसका मखौल करते चले जा रहे हैं।

इसलिए मैं आपको सदन के माध्यम से, नेता को और वित्त मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि इसमें आपकी और हमारी नहीं, सारे प्रदेश की भावना जुड़ी हुई है, इसका सम्मान करना चाहिए। फिर इस सरकार ने, हर बार तालियां पिटवाईं कि बजट बहुत बढ़ा दिया, बजट बहुत बढ़ा दिया, वापस इसकी गति देखी, इस बजट की गति क्या हुई? आपने तीन बजट पेश किये, एक किया आपने 18,634 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में खर्चा कितना हुआ 09-10 में, 18,022, माइनस 612 करोड़ रुपया रह गया। फिर उसके बाद आइए 10-11 का, यह जो 10-11 का जो अभी चल रहा है बजट, मार्च 31 को पूरा होगा, इसमें आपने 23,822 करोड़ की योजना रखी और आज जनवरी के एंड तक आपके डाक्युमेंट से 14,037 करोड़ रुपया मात्र खर्च हुआ है, अर्थात् 59 प्रतिशत और रोजाना वित्त मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का भाषण आता है। अंत के महीनों में इस तरह से बजट का खर्चा करना, यह संदेह पैदा करता है। तो यह आप में ही संदेह पैदा हो गया। आप जिसके मंत्री हो, जिसकी मानिटरिंग करते हो, उसका अगर खर्चा समय पर नहीं होता है तो उसके लिए दोषी कौन है? और यही नहीं, आपका पूरा इतिहास रहा है इस बात का, आप इसको समझने की कोशिश करो, इसको आलोचना की दृष्टि नहीं ले, लेकिन आप हमेशा बजट का एक मखौल बनाकर के इस सदन में पेश कर रहे हो।

मैं आपको पुराने समय में लाना चाहता हूं। जब भी आपने बजट पेश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 27 हजार करोड़ रुपए की पूरी योजना थी, आपने पांच साल तक उस समय बजट पेश किया, मात्र 19 हजार करोड़ रुपए ही खर्च किया, और बाकी आपका पैसा गया। उसके बाद जब हमारे को काम मिला तो मैं आपको फिगर बताता हूं, हमने बजट जितना दिया उससे एक्सेस खर्चा किया। जैसे 07 और 08 में हमको 11,638 करोड़ का बजट मिला, हमने 13,794 करोड़, 2,156 करोड़ रुपया बढ़ाकर के योजना बनाई। केवल आंकड़ों के आधार पर हमने 33 प्रतिशत, हमने 43 प्रतिशत आकार बढ़ाकर दिया, आकार को क्या चाटे, अगर फील्ड में नहीं उतरता है तो? उस आकार का क्या मतलब निकलता है इससे? उसके बाद आपने देखा, 08 और 09 भी हमारे पास था जिसमें अंतिम तीन महीने आपके पास थे, हमने 14,020 करोड़ का बजट रखा और उसकी जगह उस साल पालना हुई 14,935 करोड़ रुपये, 915 करोड़ रुपये प्लस। उसके बाद जब आपका आया 09-10, तो आपका माइनस चला गया 612 करोड़ और अभी माइनस में 9,785 करोड़ है आज की तारीख में। क्या मतलब है? अब आप बजट पेश कर रहे हैं 28,461 करोड़ और तालियां बजवाई हमसे कि योजना आयोग ने तो हमको 27,500 करोड़ की लिमिट दी, हमने आपकी लिमिट बढ़ा दी। इस लिमिट के बढ़ने से क्या अर्थ निकलने वाला है? इसकी पालना होनी चाहिए तो आपकी लिमिट समझ में आती है।

आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, तीन बजट का मतलब, आपने 70 हजार करोड़ का बजट पेश किया राजस्थान में। पहली योजना का 18 हजार, फिर 24 और अभी 28 हजार, यह 70 हजार करोड़ होता है। यह 70 हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आपकी विकास दर 2.5 क्यों है, इसका जवाब दो। आपकी विकास दर 2.5 क्यों है? और हमारे टाइम में जो विकास दर छोड़ी थी, वह 6.99 । इसका मतलब 7 प्रतिशत विकास दर और आपके इतने सब करने के बाद विकास दर 2.5 । इसका जवाब तो आपको निश्चित रूप से देना पड़ेगा।

अभी इसी तरह से आपने देखा कि वार्षिक योजना जो मैंने अभी आपको बताई है, यह जो आपकी थी, यह 59 प्रतिशत इसकी पालना हुई। यह भी नहीं होगी। यह इसलिए नहीं होगी कि आपको यह अंदेशा हो गया है कि 2,500 करोड़ रुपया जो आपने बिजली में दिया था, वह खर्च हो ही नहीं पा रहा है और इसलिए आपको, वित्त विभाग को यह सूचना विभाग ने दे दी कि यह 2,500 करोड़ की योजना को काट लिया जाए। यह आपके पास डाक्युमेंट हैं। क्योंकि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोल लिंकेज के आधार पर जिस प्रकार का पैसा खर्च होना चाहिए था, आपने 52 प्रतिशत पैसा बिजली पर खर्च किया, लेकिन वह पैसा चाहे किसी अड़चन के कारण से खर्च नहीं हो रहा हो, आपकी यह योजना जो आप 23,500 करोड़ की पेश कर रहे हो, यह मात्र 21 हजार करोड़ की रह जाएगी। फिर किस बात की तालियां बजवाईं? यह तो अभी केवल एक आइटम निकाला है मैंने, बाकी आइटमों का और निकालेंगे तो पता नहीं और कितना जाएगा? तो वास्तव में किस प्रकार की हमारी स्थिति है? मेरे हिसाब से शायद कोई इसको ठीक तरह से पढ़ता नहीं है।

अब यह जो आपकी विदेशी अनुदान से चलने वाली 9 योजनाएं हैं, उनकी हालत देखो। पैसा आपके पास है, अनुदान है, कर्जा नहीं है, अनुदान भी आपके अधिकारी खर्च कर नहीं पाते हैं। और फिर भी दो शाबासी। खूब अच्छा है, अगर आपका मन खुश होता है राजस्थान की यह तरक्की देखकर के तो खूब खुश हो जाओ। 9 अनुदान वाली योजनाएं हैं, इन 9 अनुदान में आपको कुल विदेशी धन जो 09-10 में मिला, वह 586.28 करोड़ रुपए मिला। खर्चा कितना हुआ, 27 प्रतिशत। कितना, 27 प्रतिशत। 159 करोड़ रुपए आप केवल खर्च कर पाये हैं। अब जो पैसा आपके पास पड़ा है, उसको आप खर्च नहीं करो, कोई देखे नहीं उसको और उसके बाद आप इस पर बात करते हो।

आश्चर्य है, आपका यह जो एन्युअल प्लान 09-10 का है, इसमें आपने प्रोग्रेस अंडर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम, इसकी क्या गति बनाई है। फिगर देखकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि इसमें टोटल अवेलेबल सेंट्रल फंड आपके पास था 15,090 करोड़ रुपए और आपने इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया, 10,853 करोड़ रुपया, अर्थात् 4,197 करोड़ रुपए आज की तारीख में आपके पास बैलेंस बच गया। किस चीज की मानिटरिंग होती है? किस चीज का पैसे का सदुपयोग होता है?

मैं सोचता हूं कि आप इन एक-एक बिन्दुओं को जब गहराई से लोगे न और आश्चर्य तो यह है कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में यह जो आपको पैसा मिला था 09-10 में, इसमें आपने आइटमवाइज क्या गति बनाई है। जो चीजें आपको परिसंपत्तियां तैयार करनी थीं, उन परिसंपत्तियों को तैयार करने में आपकी स्थिति क्या है। 2,03,958 परिसंपत्तियां बनानी थीं, आपने बनाई हैं 92,831, अर्थात् 45 प्रतिशत। जो कुछ भी आइटम बना है, उसमें भी आप देखिए, हैल्थ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, यह 09-10 के अन्दर आपको सी एच सी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितनी बनानी थीं, 22; और बनाई कितनी, एक; कितना हुआ, 4 प्रतिशत पालना हुई और उसके बाद पी एच सी 41 खोलनी थीं, 2 खोलीं। केन्द्र का जो पैसा हमें मिल रहा है, उसकी यह गति आपने बनाई है। इसी के आगे आप और देखिए। यह स्कूल के अन्दर जो टायलेट बनाने थे, वे बनाने थे आपको 22,988 बनाये कितने आपने, 6,743; मतलब केवल 29 प्रतिशत। 15 प्रतिशत, जीरो प्रतिशत, यह जो आइटम, जो भी आपको परिसंपत्तियां तैयार करनी थीं पैसे की, उसकी भी यह गति बनाकर के रखी। और फिर भी आप बजाओ तालियां। कोई बात नहीं, राजस्थान के भाग्य में अगर यही तालियां लिखी हैं तो ठोको, इसको जितना ठोक सकते हो, ठोको।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सभापति महोदय, आप स्वयं मेवाड़ से आये हो, मेवाड़ ने 28 में से 22 एम एल ए कांग्रेस को जीता कर दिये हैं और तीन बजट पेश हो गये, तीन बजट में आपने 70 हजार करोड़ रुपए राजस्थान के ऊपर प्लान खर्चा किया, मैं बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं कि मेवाड़ के साथ जितनी अनदेखी हुई है, हम में से कोई भी एम एल ए, अगर आप यहां आलोचना नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं, आप अनुशासन में बंधे हुए हो लेकिन मेवाड़ के हित के लिए पार्टी की बैठक में तो कम से कम बोलो कि हमारे साथ यह इन-जस्टिस क्यों हो रहा है? क्या अपराध किया है हमने? इसके कारण से इतने एम एल ए जीता कर के दिये, वन-फिफ्थ एम एल ए जीता कर के देता है सरकार बनाने में मेवाड़ और उसके बाद खर्चा क्या है, आपको देखकर के आश्चर्य होगा। मैं पढ़ रहा हूं आपने राजसमंद को क्या दिया, इस साल 28 हजार के बजट में आपने राजसमंद को दिया है एक पुलिस थाना, कुम्भलगढ़ दुर्ग की तलहटी में। मतलब क्या है? लाखेला तालाब का विकास होगा, नौकायन शुरू होगी, बादल महल-कुंभलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रेकिंग पाथ बनेगा और एक सीवरेज योजना बनेगी नाथद्वारा में। यह है राजसमंद का, इन सबको जोड़ लेना। उसके बाद उदयपुर का, एक एंटी -टेरेरिस्ट स्क्वाड बनेगी, सज्जनगढ़ अभयारण्य में लाइट एंड साउंड होगा, एक अनुसूचित जनजाति सहरिया क्षेत्र में एक पोलीटेक्निक कालेज खुलेगा और एक बार 50 करोड़ रुपया देवास योजना के लिए मिलेगा। फिर आप डूंगरपुर पर आ जाइए। मैं इसलिए, विधायक महोदयों, कह रहा हूं, हो सकता है आपकी अपनी मर्यादाएं हो, आप उनकी पालना करो, मैं उसे भंग नहीं करना चाहता हूं लेकिन कम से कम जिस जनता ने हमको चुनकर के भेजा है, उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। हमारी तीन साल से जो दुर्गति बनाई है, डूंगरपुर में इस बार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या है, लैम्पस खुलेंगे, नए लैम्पस खुलेंगे, एक बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे, 50 आंगन बाड़ी केन्द्रों पर छह साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई नियुक्तियां होंगी और भीखा भाई कैनाल में जो काम अधूरा पड़ा है, वह पूरा होगा। फिर बांसवाड़ा में आ जाइए, आसपुर-डूंगरपुर पेयजल योजना का 72 करोड़ का काम शुरू होगा।

अब मैं आगे बताऊंगा आपको, यह अभी जो मैंने आपको रखा है ना, यह जो घोषणा करते हैं, यह घोषणा इस पेयजल की, मेरे पास समय नहीं था, मैं इसको पढ़ नहीं पाया, बाकी तो आप पेयजल पर जो 9 अभी जो डाक्युमेंट हमारा बजट का पेश हुआ है, उसमें बागेरी नाका, यह 09-10 के बजट में भी है, बागेरी नाका 10 और 11 के बजट में भी है और बागेरी नाका 2011-12 के में भी है। मेरे सवाल का जवाब जब मुख्य मंत्री जवाब दें उस समय दिलाना कि हर तीन साल के बाद बार-बार आमेट को पानी मिलेगा। तीनों बजटों में आप आमेट को पानी दिला रहे हो। इसी तरह से आप कह रहे हो कि रामगंज और पचपहाड़ा योजना बनेगी। ये 2009 में भी थी, आसपुर और डूंगरपुर को पानी मिलेगा, ये 2009-10 के बजट में भी है और इस साल के बजट में भी है।

क्या मजाक किया है? जैसे कोई हम सब लोग वहां अनपढ़ रहते हैं और इस आपके बजट को पढ़ ही नहीं पाएंगे और आप उसके आधार पर हमारे क्षेत्र का शोषण करते चले जाओगे। एक सीमा होती है, उस सीमा को लांघ रहे हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रेलवे लाइन का भी ध्यान कर लें। वह भी बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आ रहा हूं उस पर। मैंने कुछ छुपाया नहीं और मैं कभी छुपाता नहीं। मेरी जानकारी में जो चीज आती है, मैं कभी भी उस तरह का नहीं हूं कि अच्छा-अच्छा तो बढ़िया और खराब-खराब थू। मैंने लिख रखा है।

आसपुर-डूंगरपुर पेयजल, बांसवाड़ा में नये डैम्स, अरथूना का विकास करेगी सरकार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेल लाइन का सर्वे क्या है, समझना थोड़ा, लगाना थोड़ा, हमारे यहां तो सर्वे छोड़ कर योजना स्वीकृत हो गयी उदयपुर से अहमदाबाद की लाइन बदलने की, ब्राडगेज बनाने की, आज से नहीं जब लालू जी मंत्री थे, उस समय से स्वीकृत है। आज तीन साल में उसमें केवल जमीन के अलावा आपने क्या किया? उसका एक पुल नहीं बना पाये और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अबकी बार के बजट में भी आपने केन्द्र में रखा क्या है, 40 करोड़। इसके नाम से कमा खाओ भले ही कि हम आपकी रेलवे लाइन ला रहे हैं, रेलवे लाइन ला रहे हैं क्योंकि हम तो भोले लोग हैं, रेलवे लाइन के नाम से ही खुश होकर थपथपाहट करेंगे। आ गई न रेलवे लाइन, कल तो गाड़ी चलेगी वहां पर।

इसी तरह से चित्तौड़गढ़, सभापति महोदय, आप जहां से आते हो, थोड़ा मन में दर्द को पैदा करो। आपकी अपनी सीमाएं जरूर होंगी लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ यह इनजस्टिस क्यों? क्या हम आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं इसलिए? या हमारे 16 एम एल ए आदिवासी हैं इसलिए? कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए? आपने देखा, चित्तौड़गढ़ में 28 हजार करोड़ में क्या दिया चित्तौड़गढ़ को? चित्तौड़गढ़ को एक हवाई पट्टी बनाने की योजना, एक आर ओ बी दिया आपके कुम्भानगर में, नगर चित्तौड़ और बाड़ोली मंदिर, रावतभाटा समेत अन्य स्थानों पर सौन्दर्यीकरण पर दो करोड़ रुपये और उसके बाद सांवलियाजी मेले में आधारभूत व्यवस्थाएं, मेले की आधारभूत व्यवस्थाएं। अब इन सबको जोड़ो न तो यह सौ करोड़ नहीं होता है। यह सौ करोड़ नहीं होता है, सौ करोड़। और अगर इन सत्तर हजार के बजट का हिसाब लगाओ तो हम 28 एम एल ए के नाते इस सत्तर हजार करोड़ में हमारा 9,800 करोड़ रुपया बनता है। 9,800 करोड़ रुपये में आपने तीन बजट में हमको क्या दिया, 200 करोड रुपया। उसमें सौ करोड़ तो अकेले देवास योजना को मिल गया, बाकी एरिया को क्या मिला? क्या विकास है कहां विकास है? समानता की बात कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में आपका ध्यान इस ओर जाता नहीं है।

अब जिस अल्पसंख्यक के लिए आपने तो दे तालियां, दे तालियां, आपने तो पूरा का पूरा हाल गुंजा दिया। आपने तो इसके पेज नंबर-21 पर जब पढ़ा कि अल्पसंख्यक को ये दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को ये दे रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि यह जो 950 करोड़ रुपये केन्द्र से हमको अल्पसंख्यकों के लिए मिला, वह क्यों नहीं ला पाये आप? क्यों नहीं ला पाये? अल्पसंख्यक संस्थानों को ढांचागत विकास और मदरसों के आधुनिकीकरण के मद में ही क्रमश: 600 करोड़ और 350 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए आबंटित किये थे। यह राशि शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और ग्रामीण विकास विभाग के जरिये आनी थी। किसी भी विभाग ने समीक्षा दल गठित नहीं किया, इसलिए ये दो साल से पैसा गया। यह है उपलब्धि। बजाओ ताली बजाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब अगर यह ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मानिटरिंग है, यह ही अगर सिस्टम है तो बजाइये, कोई चिन्ता की बात नहीं है, जनता आपकी इकट्‌ठी बजा देगी।

विशेषकर के ये जो बन्धु यहां बैठे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, आपने इसके पेज नं. 2 पर पांचवें पैराग्राफ में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा कि अब बजट का एलोकेशन आबादी के हिसाब से सीधा का सीधा 17.6 प्रतिशत हो जाएगा। सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि हम वर्षों से इस बात के लिए लड़ते रहे कि आखिर हमारे लिए कभी महाराष्ट्र पैटर्न आता है, कभी बीस करोड़ पकड़ा देते हैं, कभी चालीस करोड़, कभी एक सौ चौबीस करोड़, कभी दो सौ करोड़ रुपये, यानी हमें हमारा हिस्सा कभी भी नहीं मिला आज दिन तक। इसमें भी आपने क्या चतुराई की है, आपने देखा होगा कि यह जो आपका पिछले साल का बजट है उसमें हमारा टोटल प्लान और नान-प्लान 58,818 करोड़ का बनता है, उसमें से जो हमारा शेयर बनता है वह है 10,093.22 करोड़ रुपये। आपने दिया कितना, सुनकर के हैरानी होगी आपको, केवल 1,741.42 करोड़ रुपये हमको मिले हैं। यह है हमारी स्थिति। केवल शब्दों में भर देना कि 17. जितनी हमारी पापुलेशन है, उसके हिसाब से ये हमको मिलेगा। आज तक इस संबंध में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक, आपको आश्चर्य होगा, 51 विभागों में से 34 विभाग तो ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कोई अलग अकाउंट ही नहीं खुला। जवाब दिला देना, जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें कि आपने ये अकाउंट खोले हैं क्या? कहां करोगे ट्रांसफर? और यह तो पहले ही कर चुके थे, यह निर्णय तो हम।

मतलब कोई मतलब नहीं है, केवल हमको जिस तरह से एक झुनझुना बजा करके जब बच्चा रोता है तो उसको चुप जरूर कर सकते हो लेकिन उसके पेट की भूख जो लगती है, उसको शांत नहीं कर सकते हो। मेरा क्षेत्र जितना दुःखी है, आज दिन तक, इतने सालों की आजादी के बाद भी कि आज उसको दोनों टाइम की रोटी नसीब होगी कि नहीं होगी, वह ईश्वर ही जानता है, वह नहीं जानता और इसमें आपने कभी इस बारे में चिन्ता नहीं की। अगर हमें हमारे पैरों पर खड़ा करते न...

अब आपने देवनारायण योजना बताई। देवनारायण योजना हो गयी न ? देवनारायण योजना की पालना हो गयी? योजना को तो छोड़ो, सीमा की भी पराकाष्ठा हो गयी कि देवनारायण का जो हमने अध्यक्ष बनाया था, उसको 24 दिसम्बर, 2008 को जैसे ही आप आये, उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज दिन तक अध्यक्ष और सदस्य का मनोनयन नहीं हुआ। क्या देवनारायण है, है देवनारायण? मतलब देवनारायण स्कीम बना रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि देवनारायण स्कीम की तरह हमने 10 विभाग छांटे थे, उसमें 6 विभागों में अक्टूबर तक एक फूटी कौड़ी का काम नहीं हुआ। 10 में से 6 में। पिछली बार बजट में जो 22 करोड़ रुपये थे, उसके अगेंस्ट में हमको 8.34 करोड़ रुपये मिले इस देवनारायण स्कीम में। इसके कारण से लोगों के मन में एक आक्रोश और गुस्सा आता है, समय पर जब ये पालना नहीं करते तो यह स्थिति बनती है।

अब आपने देखा होगा, कर्जे के बारे में आपने हमको खूब मारा है कि हमने 78,000 रुपये का कर्जा कर दिया, आपने तो डुबो दिया लेकिन हमने डुबाया कि नहीं डुबाया, अब आपका डुबाया हुआ देखता हूं।आपने देखा होगा कि 2008-09 में 78,836 करोड़ रुपये का कर्जा था जो 2009-10 में 91,533 करोड़ हो गया और इस बार 2010-11 में यह जो आपने एक किताब दी है, इसके पेज नंबर-2 पर प्रारूप संख्या-7 देखना, उसमें आज की तारीख में जो कर्जा दिखाया है वह 99 हजार करोड़ रुपये का है और मेरा दावा है कि 31 मार्च, 2012 के दिन राजस्थान पर 1 लाख 12 हजार करोड़ का कर्जा हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसमें विद्युत कंपनियों वाला शामिल नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कई चीजें नहीं हैं इसमें। तो अब इसमें से यह जो कर्जा आपने बढ़ाया, मैं सोचता हूं कि इसमें प्रति व्यक्ति जो कर्जा है, आज की तारीख में साढ़े चौदह हजार रुपये प्रति व्यक्ति राजस्थान की जनता पर कर्जा है और जब आपका 31 मार्च, 2012 आएगा, तब तक साढ़े सोलह हजार रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा राजस्थान पर होगा। यह है विकास का नमूना। ये विकास का नमूना पेश कर रहे हो न आप, बहुत अच्छी बात है।

कोई बात नहीं, कर्जा तो विकास के लिए लेते हैं और विकास के लिए कर्जा लेना कोई गुनाह भी नहीं है लेकिन दुर्भाग्य देखिये इस सरकार का, कर्जा लेकर के जो परिसंपत्तियां बनानी चाहिए उसकी क्या हालत है इनकी। आपने राज किया था 1999-2000 में, आपने 4,282 करोड़ का कर्जा लिया, 1,517 करोड़ की परिसंपत्तियां, 35 प्रतिशत परिसंपत्तियां बनाईं। उसके बाद 2000-01 में आपने 46 प्रतिशत परिसंपत्तियां बनाईं। उसके बाद 2001-02 में 1,817 करोड़ की आपने परिसंपत्तियां बनाईं और कर्जा लिया 4,955 करोड़, 36 प्रतिशत; उसके बाद 2002-03 में आपने 43 प्रतिशत की परिसंपत्तियां बनाईं कर्जे की तुलना में। 2003-04 में 42 प्रतिशत। 2004-05 में जब हम आये, आप इसको किसी भी रूप में ले जाओ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको आंकड़ों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करो, 2004-05 में हमारी सरकार थी, हमने 6,773 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और 3,488 करोड़ की परिसंपत्तियां करके 51 प्रतिशत की परिसंपत्तियां 2004-05 में हमने कीं। उसके बाद 2005-06 में हमने 68 प्रतिशत परिसंपत्तियां कायम कीं जितना लोन लिया उसका। उसके बाद 2006-07 में हमने 4,738 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और 4,809 करोड रुपये की हमने हमने परिसम्पत्तियां

(समय : 16.00 बजे)

कायम कीं, 101 परसेंट। कर्जा लेकर घर ले जाकर खाया नहीं था। 2007-08 में हमने कर्जा लिया था 5,992.22 करोड़ रुपया और परिसम्पत्तियां तैयार की थीं 6,555 करोड़ रुपया, 109 परसेंट परिसम्पत्तियां तैयार कीं। हमने कर्जा लेकर उड़ाया नहीं, हमने इस स्टेट को 'बीमारू' राज्य से निकालने का प्रयास किया और कुछ सफलता हमें उसमें मिली। उसके बाद 2008-09, उसमें से दिसम्बर तक का समय हमारा और उसके बाद तीन महीने का समय आपका, वापस आपका ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। आपने रुपया लिया था 7,166 और खर्चा किया था 5,899, 82 प्रतिशत पर आ गया। 101, 109 पर ले गये, वह वापस लौट कर आ गया 82 परसेंट। 2009-10 में आपने कर्जा लिया 7,503 करोड रुपया, परिसम्पत्तियां बनाईं 5,175 करोड रुपये की, मतलब 68 परसेंट। फिर से आपका परिसम्पत्तियों का ग्राफ घटता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। यह विकास का ही सबूत है ना, इसी से विकास होगा? पता नहीं, किस तरह की हमारी सोच पैदा हुई है।

इसी तरह से हमारी जो जी डी पी है वह जी डी पी 2006-07 में 1,52,189 करोड़ रुपये की थी और आज हमारी जी डी पी है 1,96,045 करोड़ रुपया। विकास क्या हुआ, 29 परसेंट जी डी पी बढी राजस्थान की इन वर्षों में। प्रति व्यक्ति आमदनी की दृष्टि से देखो आप, 2006-07 में 1 लाख 52 हजार का जब हमारा जी डी पी था तब 21,342 हमारी पर कैपिटा इन्कम थी और अभी जो लास्ट साल है उसमें है 25,616। इसका मतलब हमारी जी डी पी 29 परसेंट बढ़ी और हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी, वह बढ़ी है 16 परसेंट। यह आपके विकास का सबूत दे रहा है। इससे आपको विकास सम्भव लगता है? भरत सिंह जी यहां विराजमान हैं, विचार करो इस पर। केवल आलोचना करने से मन की संतुष्टि जरूर हो जायेगी, प्रदेश की जनता की संतुष्टि नहीं होगी।

नरेगा में वर्ष 2008 में हिन्दुस्तान में पहला स्थान राजस्थान को मिला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

था नरेगा के काम में। 2010 की स्थिति क्या है, आप थोड़े से आंकडों को उठा कर देखो। मजदूरी में 2008 में 2,554.22 करोड़ रुपया मिला और 2010 में आपको मजदूरी के पेटे मिला 1,797.61, माइनस 29 परसेंट। मतलब जितना पैसा हमें मजदूरी में मिला, उससे 29 परसेंट पैसा घटा। इसी तरह से सामग्री में तो 48 परसेंट डाउनफाल हुआ है हमारा। पहले मिला था हमको 869 करोड़ रुपया और अब मिला है 422 करोड़ रुपया, 48 परसेंट नरेगा में हमें जो पैसा मिला वह कम हो गया। दोनों को अगर जोड़ भी लें तो 35 परसेंट एक तरह से नरेगा में हमारी आय घटी। यही नहीं मानव दिवस भी घटे हैं, आश्चर्य है। बहुत वाहवाही लेते हो तो मानव दिवस क्यों घटे? हमारे टाइम में थे 2,97,102 लाख मानव दिवस और आज की तारीख में है 2,34,337, ये मानव दिवस हैं। इसमें भी माइनस 21 लाख का फर्क पड़ा। अब यह भाजपा ने शुरू किया इसलिए आपको ईर्ष्या होना स्वाभाविक है लेकिन उसमें अगर कोई अच्छी योजना थी तो स्वीकार कर लेने में क्या एतराज हो सकता है? पर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने योजना शुरू की थी इसलिए अपने को तो इसका श्रेय मिलेगा नहीं।

ये 30 योजनाएं थीं जो हमने अपने इन वर्षों में नये-नये प्रयोग किये थे। इसी प्रकार से ग्रामीण, गरीब को कैसे आगे बढ़ाया जाये और उसको कैसे न्याय दिया जाये, आपने उनमें से सारी की सारी खतम कर दीं। मैं आपको कुछ नमूने बताता हूं। भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना दफन हो गई। महिला सशक्तिकरण योजना जिसमें हमने उस गरीब को कम से कम कोई चूसे नहीं, खाये नहीं, नकद नोट का पेमेंट नहीं हो, बैंक के थ्रू पेमेंट हो, उसका खाता खुला कर उसको सुरक्षित करने की कोशिश की, वह खत्म। एजुकेशन में वीणा योजना थी, वह खत्म। ज्ञानोदय योजना बनाई थी हमने कि ऐसी कोई स्वयंसेवी संस्था आये जो तहसील हैडक्वार्टर पर सैकंडरी-हायर सैकंडरी स्कूल चलाये, उसको सब प्रकार की सुविधा राज्य सरकार दे, वह खत्म कर दी। अधीनस्थ कर्मचारी आयोग, इसमें भर्ती के लिये किया, उसको दफन कर दिया। ग्राम स्वास्थ्य योजना को बंद कर दिया, निर्मल घाट योजना को बंद कर दिया और रोजगार के मेले लगते थे जिससे कम से कम गांव के किसी गरीब दस्तकार की भी कहीं न कहीं किसी फैक्टरी में नौकरी लग जाती थी, ऐसे एक नहीं, हजारों लोगों को नौकरी इन मेलों के द्वारा वहीं की वहीं उसी स्थान पर बिना किसी सिफारिश के लगी, उसको भी आपने दफन कर के रख दिया क्योंकि यह बी जे पी लाई थी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कल जो आपने छूट दी, उस पर सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई, मैंने भी बजाई। मैं अभी भी संतुष्ट हूं इस बात के लिये कि आपने गेहूं पर, चावल पर, दाल पर, राशन पर जो वैट लगता था, वह समाप्त किया। केरोसिन पर भी किया, जो 500 रुपये से छोटा बैग है, उस पर भी किया, सारे आइटम लिखे हैं आपने, बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी इसका विश्लेषण किया कि उस कंज्यूमर को इस वैट का फायदा होता है क्या? आप इतने अर्थशास्त्री बैठे हो, 30-32 साल यहां काम करते हुए आपने और मैंने निकाल दिये, क्या यह फायदा उस कंज्यूमर को होता है? यह तो केवल उस सेठ को फायदा होगा जो 12-14 परसेंट वैट देता था वह अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा और यह उसकी जेब में जायेगा और गरीब को तो आज भी सामान उसी दाम पर मिलेगा जो पहले मिला है। मैं इस सरकार से चाहूंगा कि अगर आपने वैट कम किया है तो इनका दाम कम करा कर बाजार में चीज को बिकवाओ, तब तो मैं मानूंगा कि आपने वैट कम करके गरीब का भला किया है। आपने गेहूं पर वैट कम किया है, आटे का क्या हुआ? गरीब आदमी तो गेहूं लाता कहां है, वह तो आधा किलो, एक किलो आटा लाता है दुकानदार से। आज भी उसके भाग्य में तो 2 किलो, 5 किलो आटा ही लिखा है, उस पर वैट का क्या होगा, जायेगा कहां ?

इस एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, 18.32 प्रतिशत, हाइएस्ट रिकार्ड है महंगाई का। बजट इसलिए पेश करते हैं कि किसी प्रकार महंगाई पर कंट्रोल हो लेकिन महंगाई पर कंट्रोल, पेट्रोल और डीजल पर यह जो आपका 28 परसेंट का टैक्स है, इसको जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक हो नहीं सकता, क्योंकि यह दोनों महंगे तो सब चीजें अपने आप महंगी हो जायेंगी। लेकिन वह नहीं कर सकते क्योंकि राज का खजाना बढ़ता है। हमारे टाइम पर जो 24 रुपये का पेट्रोल था, 2004 में अटल के राज में 24 रुपया लीटर जो पेट्रोल था आज वह 62 रुपया लीटर है। उसके भाव के साथ जो अमाउंट बढ़ा, उस पर आपको टैक्स की आमदनी ज्यादा हो रही है। टैक्स की आमदनी हुई भी है, आपके अकाउंट में भी लगता है। केन्द्र से भी तीन हजार करोड़ रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला, राजस्थान से भी आपको एक्स्ट्रा मिला और जो कच्चा तेल हमें मिला है, उसमें हमको एड्रेस हुआ है। हमने 7 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनकम की, उसके बाद भी यह दशा हुई। इन सब चीजों का जवाब निश्चित रूप से देना चाहिये।

आपने नारा दिया, 'कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ,' कितना बढ़िया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगता है, 'कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ'। मजा आ गया गरीब को, 2004 में जो गेहूं 9 रुपये किलो था वह आज 16 से 22 रुपया है। गरीब के साथ ही है ना? चावल 10 रुपया था, आज 25 से 35 रुपया है। चीनी 14 रुपये थी, आज 30 रुपये है। चाय 80 रुपये थी, वह आज 150 से लेकर 240 रुपया है। दाल 26 रुपया किलो थी, आज 70 रुपया किलो है। तेल 30-35 रुपये किलो था, आज 80 रुपये किलो है। आलू 2 और 5 था, आज 10 और 15 है। यह तो गनीमत है कि प्याज 50 छूकर वापस नीचे आ गया, नहीं तो वही हमारी जान खा रहा था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोडा सा समय चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन का समय तो अपन को देखना पड़ेगा। 40 मिनट हो गये हैं, 40 मिनट, 40 मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं। मैं सोचता हूं मैंने विषय को लाने की कोशिश की।

श्री सभापति: 40 मिनट हो गये, अब आप समाप्त करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दूध 14 रुपये किलो था, आज 30 रुपया है। पेट्रोल 24 था, वह 62 हो गया; डीजल 22 रुपये था, वह आज 42 रुपया है। सीमेंट 125 रुपये बोरी था आज 260 रुपये है। स्टील 2,300 रुपये टन थी वह आज 4,400 रुपये है। सोना 4,500-5,000 के बीच था, आज 21,000 है और चांदी 8-9 हजार रुपये किलो थी वह आज 54,000रुपये किलो हो गई। यह है आपका महंगाई का फीगर, यह है 'कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ'। गला ही दबा दो ताकि वह कम से कम रहे नहीं, तो यह झंझट तो आपके सामने नहीं आयेगा। दुर्भाग्य है। मतलब नारा कितना बढिया कि सरकार पारदर्शी है, संवेदनशील है, जवाबदेही है, कितनी बढ़िया है।

आज की तारीख में सरकारी महकमे में 1 लाख 33 हजार पद खाली हैं और उनमें से एक लाख 12 हजार पद तो वे हैं जिन पर गरीब का रोज काम पड़ता है, जिसमें आपके अधिकारी भी हो सकते हैं। शिक्षा विभाग में अकेले में 82 हजार पद खाली हैं, 82 हजार। हर बार घोषणा करते हो 50 हजार भर्ती होगी, 50 हजार भर्ती होगी, 50 हजार भर्ती होगी। इसी चक्कर में दम घुट जाएगा। आयुर्वेदिक से लेकर के राजस्व विभाग, रोडवेज विभाग, पशुपालन, पंचायती राज, वन विभाग, महिला बाल विकास, सिंचाई विभाग, लेखा, इनमें पद खाली हैं। एक-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक के फिगर हैं मेरे पास। एक लाख 12 हजार पद तो ये खाली हैं जो एक सामान्यतया गांव के गरीब आदमी को इनके पास जाना पड़ता है और अपना काम कराना पड़ता है।

अब आपके पास एक स्कीम आई थी, जो हमारे जिले पिछड़े हुए हैं वहां एक माडल कालेज की योजना केन्द्र सरकार ने बनाई। आपकी सरकार को भी उसमें निमंत्रण दिया कि हमने राजस्थान में 29 जिलों को आइडेंटिफाई किया जिनमें माडल कालेज खोला जा सकता है। उसमें से पहली सूची में ये 18 जिले, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही, पाली, करौली, जालोर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़, बूंदी और दौसा, ये 18 फर्स्ट फेज में आते हैं। इसमें कंडिशन क्या थी कि केन्द्र सरकार आपको 2.67 करोड़ रुपये देगी और आपको अपनी जेब से 5.33 करोड़ रुपया मिलाना था। अपना पैसा नहीं मिलाने के कारण से इन 29 जिलों में यह माडल कालेज..., कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हो तो बच्चों को पढ़ाओ तो सही। जो भाग्य में लिखा होगा वे अपने भाग्य को भुगतेंगे लेकिन वह भी आप नहीं चाहते हो कि उनकी किसी तरह से पढ़ाई हो जाए।

फिर अभी आपने यह जो मेट्रो का दिया, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कल बताना कि मेट्रो का एलोकेशन कहां से आया। आपने पिछले साल के बजट में भी 179 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और अबकी बार आपने 199 करोड़ रख दिया। यह जो पैसा है आपका, यह स्कीम तो आप कह रहे हो, फर्स्ट फेज में हम, 1,250 करोड़ का फर्स्ट फेज है तो यह पैसा है कहां? कहां से आयेगा? क्यों इस जनता को मूर्ख बनाने का धन्धा करते हो? कम से कम स्पष्ट बात तो कह दो कि यह 1,200 करोड़ रुपया यहां से आयेगा, यहां से आयेगा। यह असेम्बली है किसके लिये? एक-एक पाई का हिसाब लेने के लिये और एक-एक पाई का हिसाब आपको देने के लिये है। आप उसको ही गुमराह करके रख रहे हो। 1250 करोड़ का तो पहला फेज और उसका काम शुरू हो गया और अभी तक आपके इन डाक्युमेंट्स में केवल यह 179 करोड़ और 200 करोड़ के आगे कहीं नहीं दिखता है। अब आपने यह डाक्युमेंट बनाया था, इसकी डी.पी.आर. बनाई थी, इस डी.पी.आर. को भी, आप इसमें देखो, थोड़ा सा इसको फाइनेंस की दृष्टि से देखो। बिना विधान सभा की स्वीकृति के क्या यह पैसा इस ढंग से रखा जा सकता है और खर्च हो सकता है? कहां से आयेगा यह? नाबार्ड के लोन से आ रहा है? या आपका हाऊसिंग बोर्ड से आ रहा है? या आपकी नगर-पालिका, नगर-निगम से आ रहा है? या राज के खजाने से आ रहा है? कहीं भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं दिखाया है। डी.पी.आर. में पड़ा हुआ है। इस तरह के डाक्युमेंट्स आप पेश करते हो।

मैं आपसे बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं, सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि बजट आप भी पेश करते हो, हम भी पेश करते हैं, जो भी पेश करते हैं लेकिन उसकी मानिटरिंग प्रोपर होनी चाहिए। जब तक किसी भी सिस्टम की मानिटरिंग नहीं होगी, काम में कभी सुधार नहीं आ सकता है। भले ही आप कितने, मैं दूं भाषण चाहे आप दो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पैसा हमारे पास है, उसका ठीक प्रकार से नियोजन हो, ठीक प्रकार से उसका उपयोग हो। इसलिये यह चाबी कसो। ये राज के जो नौकर हैं ना, उन सबने आपको पानी पिला दिया एक घाट। एक आदमी आपकी बात नहीं मानता है, एक आदमी आपको गांठता नहीं है और उसके कारण से सारा का सारा कष्ट जनता भुगत रही है। आप और हम तो चार साल रहकर, दो साल रहकर चले जाएंगे लेकिन आपकी यह इनकी जो नकेल है, यह मजबूती से नहीं कसोगे ना तो यह घोड़ा कभी सवारी नहीं करने देगा। अगर वास्तव में आप राजस्थान का भला चाहते हो और इन बजटों के जो डाक्युमेंट आप हमको देते हो ना, इनकी इज्जत चाहते हो तो मानिटरिंग सिस्टम को डवलप करो। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मरने के बाद भी हास्पिटल में आदमी पड़ा रहता है। किसको कार्यवाही करनी है, मुझे? मैं किस अधिकार से करुंगा उस डाक्टर के खिलाफ? जितनी मौतें हो जाती हैं उसके बाद एक डाक्टर सस्पेंड नहीं होता है। क्या हो रहा है? मंत्री महोदय, कुछ इंसानियत रखो, मन में दर्द रखो। आखिर यह आपकी जो दिल्ली की टीम आई, उसने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में वहां के अधिकारियों की गलती को स्वीकार किया। फिर क्यों नहीं कार्यवाही करते हो? क्यों एक-दूसरे को बचाने की कोशिश करते हो? इसी कारण से यह सब कुछ, यह जो विधान सभा है, यह आपकी और हमारी मदद करती है, हमें तकलीफ नहीं देती है। विधान सभा के माध्यम से ऐसी-ऐसी चीजें निकलकर आती हैं जो हमारी जानकारी में नहीं होती हैं। मंत्री के नाते भी जानकारी नहीं रहती है। इसको अदरवाइज मत लीजिए। जो भी चीज हमारी जानकारी में आती है, गलती की, कार्यवाही करो। जनता हमको चुनकर, इस लोकतंत्र को बनाया इसीलिये है।

इसमें मेरी प्रार्थना है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, जब जवाब दें तो इन बिन्दुओं पर दें। वह रटा-रटाया भाषण नहीं पढ़ दें और जब पढ़ते वक्त सवाल खड़े करने पड़ते हैं तो धड़-धड़ करके चलो-चलो, कल, परसों मिलेंगे 11 बजे बाद। क्या देश का दुर्भाग्य है।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, जैसा माननीय कटारियाजी ने आंकड़ों का...(व्यवधान) यह समझदार आदमी की भाषा नहीं है। प्रजातंत्र में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, बहुतों को किस्मत से कुछ आगे भी बढ़ना है, कुछ एम.एल.ए. भी नहीं बन पाते। मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाकर वास्तविकता की बात करूंगा, माननीय सभापति महोदय। वास्तविकता यह है कि इससे अच्छा बजट राजस्थान का आ नहीं सकता, जो भी स्थिति है, जो भी स्थिति है, इन परिस्थितियों में। मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि, अब प्रश्न यह उठता है, जैसा माननीय कटारियाजी ने कहा, इसकी मानिटरिंग कैसे होगी। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, वर्ष में दो बार हम यहां बैठते हैं, पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी सजेशंस देता है और काम किया जाता है, हमारा सबका मुख्य ध्येय है कि राजस्थान कैसे आगे बढ़े। हमारा सबका मुख्य ध्येय है कि राजस्थान की जनता का हित कैसे हो, राजस्थान का विकास कैसे हो। साथ में हमारा यह भी ध्येय है कि गांव, गरीब, किसान की कैसे बात मानी जाए, कैसे उसके हित की बात सोची जाए।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह सही है कि एक लाख से ज्यादा पद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो खाली थे, एक लाख 13 हजार। माननीय कटारिया साहब, आपको इस बात का पता होगा। आज उसके बाद में स्कूलों की क्रमोन्नति हुई। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यह भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, हम सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर पद खाली क्यों हैं? पद इसलिये खाली हैं, आन्दोलन हुए, हाई-कोर्ट के स्टे आये। छोटी-छोटी बातों पर जब कोर्ट का स्टे आयेगा, काम कैसे कर पाएंगे? मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन यह बात सही है कि पद भरे जाने चाहिए। पद भरने की कवायद है। अब आपने कहा कि 50 हजार मास्टरों की भर्ती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार की ओर से कि ये पद निश्चित तौर पर एक साल में पूरे के पूरे 50 हजार मास्टरों के भरे जाएंगे। आपको बता दिया जाएगा। दो महीने में प्रक्रिया शुरू होगी, अगला सत्र जब आयेगा। इसलिये मैं तो आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): भर्ती होगी, उसके लिये परीक्षा होगी कैसे? क्योंकि नियम ही नहीं बने, परीक्षा होगी कैसे?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय कटारिया साहब, बहुत सी बातों का आपको पता है, बहुत सी जगह भर्ती में हमने मेरिट के आधार पर करना शुरू कर दिया है, और वह चीज पूरी हो जाएगी। मैं इसलिये आपसे अर्ज कर रहा था कि यह सही है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के साथ-साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। निर्माण कार्यों के बारे में केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की बात करो, उसके जो निर्माण कार्य हैं वह सही ढंग से नहीं हों तो निश्चित तौर से हमारी कमजोरी रहेगी। जैसा आपने कहा बताया, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने अलीगढ़ की सी.एच.सी. को तोड़ा, बहुत सी जगहों से एङ-पोस्टें हटाई, बहुत सी जगह से स्कूलों को जिस तरह से आपने क्रमोन्नत होने से बचाया, पहली बार आप कहते थे, हम हर गांव में स्कूल खोल रहे हैं। ऐसा क्यों था? जब राजस्थान की सरकार ने, माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार ने निर्णय किया कि जिस-जिस पंचायत में माध्यमिक विद्यालय नहीं है, माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा। पहली दफा सरकार ने पंचायतवार माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। एक भी आप पंचायत बता दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): वसुंधराजी ने खोले हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अब गये साल खोले हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। आप वसुंधरा जी के गुणगान करो, अशोक जी के करो लेकिन वास्तविकताओं पर चलना पड़ेगा, गुणगान से काम नहीं चलेगा। हमें राजस्थान के विकास को देखना है और वास्तविकताओं को छूना है। पहली दफा गये समय में बिना किसी पार्टी के आधार पर, यह सोचे बिना कि इस पंचायत में किस पार्टी का सरपंच है, यह सोचे बिना कि इस गांव में कौन है, पहली दफा राजस्थान के इतिहास में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये...

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): वसुधंराजी ने किया है काम।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): किया था, क्या किया था? फिर आपके खेलनिया में क्यों माध्यमिक विद्यालय खोला? आपके चांदसिंहपुरा में क्यों माध्यमिक विद्यालय खुला? जब खुल गई थी तो फिर कहां वह गया? इसलिए मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बहस बहस के ढंग से की जानी चाहिए और यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मैंने यह काम किया। यह ...(व्यवधान) बात है। आपको वास्तविकताओं में जाना पड़ेगा और पहली दफा आपने कितना दिया एक एम.एल.ए. को, पांच किलोमीटर। पहली दफा जिस तरह से मिसिंग

(श्री रामनारायण मीणा)

लिंक, आपने सात करोड़ रुपये का काम कभी नहीं दिया, किसी ने। इसलिए मैं यह तो नहीं कहना चाहता, हमारा सबका मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने कहा आपसे कि राजस्थान कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े और शिक्षा में आप देख लीजिए कि इतनी स्कूलें, माननीय सभापति महोदय, जिनमें आज की तारीख तक विद्यालय भवन नहीं है, और हों तो बता दें मेरे को, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 15 जगह विद्यालय के भवन बन रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बने पहले? पूरे राजस्थान की यही स्थिति है। आपने कहा कि हम नागौर में पानी देंगे, वहां देंगे, फिर यह खारा और फ्लोराइडयुक्त पानी क्यों है? आपने कहा कि हम पहली दफा राजस्थान के खारे पानी से पीने योग्य पानी देंगे, फिर ये योजनाएं क्यों बनानी पड़ रही हैं? मेरे क्षेत्र में इतना दुर्भाग्य है हमारा कि आज की तारीख तक हम खारा पानी पी रहे हैं।

पहली दफा राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत के नेतृत्व में आने वाली सरकार ने 247 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर कीं और मंजूर ही नहीं कीं, हम प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर उनको कार्यान्वित करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, माननीय सभापति महोदय, एक हमारा रास्ता है देवली से अजमेर जाने का। बांध बन गया। बांध का काम कब शुरू हुआ, आपको पता है। बांध बनने के बाद वहां से दो-दो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, मेरा जहां तक ख्याल है, प्रभुलाल जी अभी यहां पर नहीं हैं, पहली दफा जनता की आवाज पर, जनता की मांग के ऊपर 38 करोड़ रुपया खर्च किया। काम चालू होने वाला है अगले महीने में। मैं तो आपको आमंत्रण देता हूं, तिवाड़ी साहब, आप आइएगा, आपका नाम भी शिलालेख में लिखाएंगे। वैसे उप नेता हो आप, नेता तो नहीं बन पाए। इसलिए मैं तो आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनता की वास्तविकता के ऊपर हमें चलना पड़ेगा।

मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि ग्रामीण विकास के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, हम भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी यहां पर हैं, भारत सरकार पैसा दे रही है, मुक्त हस्त से पैसा दे रही है, हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कहीं न कहीं मशीनरी में गलती है, त्रुटि है। उसको कैसे ठीक किया जाए, तो यह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि बैठ कर विचार करना चाहिए ग्रामीण विकास मंत्रीजी को कि किस

(श्री रामनारायण मीणा)

तरह स्थाई परिसम्पत्तियां बनें, आज गांव में सड़कें हैं, मिट्टी डालते हैं और उसी पर काम दुबारा होता है, यदि स्थाई रोड बना सकें, जिलेवाइज आप आंकड़े लीजिए जैसे कि निर्देश भी आपने दिए हैं, तो जिले में काम नहीं हो रहा है। जिलों में जब तक काम नहीं होगा, पक्के काम नहीं होंगे, जिले को यूनिट मानकर आप उसका 40 प्रतिशत जब तक सामग्री मद का पैसा नहीं लगाएंगे, जिले में तो काम नहीं हो पाएगा। हमने भी आपको कुछ रोड्स का नाम दिया है, अधिकारियों को भी दिया है और मेरा जहां तक ख्याल है आप इसके बारे में कुछ कर पाएंगे।

एक बात और है, माननीय कटारियाजी, आप यहां विराजमान हो, आप सदन में बात तो उठा देते हो, उसके बाद भूल जाते हो। हम आपका साथ देते हैं। आपने सदन में मामला उठाया था कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके ऊपर करप्शन चार्जेज हैं। कब का करप्शन चार्ज है, मैं यह नहीं कहना चाहता, आपके समय के भी बहुत से मामलों में है। ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने लिखा। अब जब इनको छोड़ा गया है तो आप क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में? बोलती क्यों बंद हो गई? इसलिए जब तक करप्शन खतम नहीं होगा मशीनरीज में से, राजनीति में से, जब तक करप्शन खतम नहीं होगा, प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए हमें सबको बैठाकर संयुक्त रूप से इसके बारे में तो विचार करना पड़ेगा।

यह सही है कि राजीव गांधी ने पहली दफा पंचायतों को सीधा पैसा, भारत सरकार से आता है, वह देना प्रारम्भ किया और उसकी पालना हो रही है। इसलिए बीच की जो मीडिएटर्स की जो कड़ी है, वह खतम होती जा रही है।

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, पहली दफा सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है और हम उस लाइन पर चले। बहुत सी बात है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, पार्टी की तरफ से नहीं कहना चाहता, इंदिराजी ने क्या कहा था बीस सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई के संसाधन बढ़ाएंगे, पेड़ लगाएंगे, दहेज प्रथा खतम करेंगे, शिक्षा को बढ़ाओ, उसके आधार पर कितना बवंडर हुआ। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) नसबंदी का, इसमें क्या बात है, आपने छह महीने के बाद किया। काम किया नहीं देश में और आपने राज ले लिया। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो पार्टी आज की तारीख में राजस्थान में विपक्ष में है, उस पार्टी ने काम क्या किया था? चार सीट से दो सीट से क्या हो गया? इसलिए मैं काम की बात करना चाहता हूं।

पहली दफा सिंचाई के बांधों के दुबारा निर्माण की बात आई है, एनिकट

(श्री रामनारायण मीणा)

टूट रहे हैं, उसकी बात आई है। मैं तो सिंचाई मंत्रीजी से एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जालौर जिले का एक राजेकावास बांध है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपके सामने क्या समस्या हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, ऐसे प्रोजेक्ट जहां टूटे हुए हैं, जो आपके आंकड़ों में है, गांव के किसान का पानी जा रहा है, जैसे बूंदी जिले का बांध टूटा। आप उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही कीजिएगा, इंजीनियरों के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही कीजिएगा लेकिन ये मीडियम प्रोजेक्ट हैं, कहां कमी है, क्यों कमी है, इस बारे में आप देखिएगा।

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हनुमानगढ़ के खिलाफ नहीं हूं, किसान वही होता है जो दूसरे के खेत में फसल देखकर खुश होता है, हनुमानगढ़ को आप पानी दीजिए, इंजीनियरों को भेजिए लेकिन वृहद् सिंचाई परियोजनाओं में कर्मचारी पूरे लगाइए।

मैं इसी के साथ में आपसे अर्ज करूंगा, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, जो योजनाएं लम्बित हैं, ईसरदा बांध लंबित है, यदि कोई अधिकारी यह कहता है कि साहब, हम तो दस वर्ष के आकड़े देखेंगे, पहले हम योजनाएं बनाते थे 35 वर्ष के आकड़ों पर। यह किसी ने कहा कि अगली साल बरसात नहीं होगी? इनको कहने का मौका क्यों देते हो आप? 35 वर्ष के आकड़े हैं, बरसात का पानी आने की सम्भावना है, इस वर्ष अच्छी फसल हुई, हम सबके लिए खुशी की बात है इसलिए आप अधिकारियों के ऊपर आधारित होकर नहीं चलें। अधिकारी कहता है, एनिकट नहीं बनाएंगे। फिर अच्छा जल प्रबंधन कैसे होगा? एक किसान चार सौ किलोमीटर दूर रहता है खेत में, उसके खेत में एनिकट यदि वह दो मीटर का नहीं बना पाएगा, तीन फुट का नहीं बना पाएगा, उसको राजस्थान सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो फिर कटारियाजी को बोलने का मौका मिलेगा। इनको मौका ही क्यों देते हो? इसलिए उस फाइल को आप, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पानी उसको भी चाहिए, उसके कुएं में पानी चाहिए, चार सौ किलोमीटर दूर पानी चाहिए, और हमने आपसे कहा भी है और पत्र भी लिखा है। जैसे मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, 16-16 विद्यार्थी थे, स्कूलें बंद होने जा रही थीं, आपने और हम सबने बैठकर निर्णय लिया, स्कूलें वापस चालू कीं। तो यह जो कमी है, इस कमी को आप दूर करें तो मेरा जहां तक खयाल है, काफी कुछ ठीक हो जाएगा।

इसी के साथ में क्योंकि पीने के पानी की समस्या राजस्थान में है और हम यह कहकर नहीं बच सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में

(श्री रामनारायण मीणा)

यह काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जहां हम टैंकर लगाते हैं गर्मी के दिनों में, पानी नहीं है वहां टैंकर लगाते हैं, बरसात में पानी आ जाए तो चलेगा, फ्लोराइडयुक्त पानी है, खारा पानी है। इन्होंने कोई गलती की है, उन गांवों में पेयजल योजनाएं नहीं बना पाए, आप बना रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपने आकोड़िया की स्कीम बनाई है। ऐसा गांव था, हम कहना नहीं चाहते, पिछली विधान सभा में और इस विधान सभा में भी कहा कि आकोड़िया कुबड़ों का गांव है। योजना नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने योजना बनाई है, कार्यान्वित हो रही है लेकिन इसके साथ-साथ आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जिन गांवों में खारा पानी है, वह बरसात में मीठा हो जाता है क्या? सर्दी में मीठा हो जाता है क्या? इसलिए आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दीजिए। जब भारत सरकार पीने के पानी के लिए पैसा दे रही है, राजस्थान के बजट में पीने के पानी के लिए पैसा है तो आप मानिटरिंग करें और मानिटरिंग करके जहां-जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, मनुष्यों के लिए और यहां तक कि मवेशियों के लिए जो पीने योग्य पानी नहीं है, वह 12 माह वहां पानी मिले। आप योजना बनाकर पानी दें, टैंकर से पानी दें, किस तरह से आप क्या करते हो, यह आप जानें लेकिन आपको पानी देना पड़ेगा।

मैं कहता हूं कि जयपुर के हम विरोधी नहीं हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरी पार्टी का विचार नहीं है, लेकिन मैं पार्टी का एक सम्माननीय सदस्य हूं, आपने जयपुर के साथ अन्याय किया है, जिसने भी किया है। सवाई माधोपुर से चम्बल का पानी आज भी व्यर्थ बहकर जा रहा है, माननीय तिवाड़ी साहब। जयपुर को जब तक आप आल्टरनेट नहीं देंगे, बीसलपुर में बरसात कम हुई, इस साल पानी नहीं आ पाया, आप अजमेर को पानी नहीं दे पा रहे हो, तो सवाई माधोपुर से जो योजना बनी थी, आप और हम जब विधान सभा में थे, वेपकोस कम्पनी का सर्वे हुआ था, कितने हजार करोड़ रुपए लगते हैं, इसकी बात छोड़िए लेकिन जयपुर छोटा महानगर हो चुका है और अगले पांच साल में महानगर हो जाएगा, मैं आशा करूंगा कि कांग्रेस की सरकार पांच साल के भीतर-भीतर, अगले दो साल में यह योजनाएं बनाएगी। हम भी पार्टी में बैठकर बात करें, आप सब बैठकर बात करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस सरकार ने यह नहीं किया और बी.जे.पी. ने यह कर दिया और बी.जे.पी. ने यह नहीं किया और कांग्रेस ने यह कर दिया। जयपुर को अल्टरनेट पानी का सोर्स देना पड़ेगा। मैंने आपसे व्यक्तिगत भी कहा था और आज भी कहता हूं कि सवाई माधोपुर से आप किस तरह चम्बल का पानी ला

(श्री रामनारायण मीणा)

सकते हो, उस वेपकोस कम्पनी का सर्वे निकलवा लीजिए और हमारा, यदि आपका नहीं है तो मेरा और माननीय उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी शेखावत साहब थे, उनकी स्पीच विधान सभा से उठाकर देखिएगा, जब तक सवाई माधोपुर से जयपुर को पानी नहीं आएगा, तब तक पीने के पानी की किल्लत खतम नहीं होगी और जो बीसलपुर का पानी किसान को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस योजना के ऊपर आप जरा ध्यान दें तो हमें कहने का मौका मिलेगा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, हम कर सके।

इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में थर्मल पावर स्टेशनों में करप्शन बहुत था और मेरे साथी भी इस बात को मानेंगे कि आज भी करप्शन है। कोयला आता है, कहीं से भी आओ, धुलाई के नाम पर, उसको धोने के नाम पर ठेकेदार को पैसा दिया जाता है। ठेकेदार उस पर पानी डालकर उसको गीला कर देता है और गीला करके जो कोयला वहां आता है तो मोइस्चर उसमें होता है। मोइस्चर को कम बताकर जिस प्रकार से जो किया जा रहा है, गत समय में भी मैंने कहा था, ये दो साल में इसको ठीक नहीं कर पाये। हम यह कहकर नहीं बच सकते कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम का ये ठेकेदार था, इस ठेकेदार ने बेईमानी की। रोज 100 करोड़ रुपये बचा रहा था। हमें करप्शन खत्म करना पड़ेगा और करप्शन खत्म होगा तो पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो राजस्थान के विकास में लगेगा।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, चूंकि ऊर्जा की बात आ गयी, एक बात बहुत गम्भीर है, इसको उदयपुर संभाग वाले भी जानते होंगे, ट्राइबल एरिया वाले भी जानते होंगे, गांवों में किसान को अधिकार है अपने खेत की जमीन में जाकर कुटी बनाने का। किसान को अधिकार है, वह कहीं भी जमीन लेकर अपना मकान बना सकता है और अपनी जमीन पर जब वह मकान बनायेगा तो फिर 500 मीटर से ज्यादा पर हम उसको कनेक्शन नहीं देंगे। यह गलत बात है। किसान कहां रहेगा? किसान का जहां मकान होगा, उसको बिजली लेने का अधिकार है, उसको बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है, उसको रास्ते का अधिकार है और उसको शिक्षा का अधिकार है। इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय मंत्रीजी, इसके बारे में आप सोचें, इसके बारे में सब मिल-बैठकर बात करें। यदि साधन बढ़ाने पड़ेंगे तो हमें संसाधन बढ़ाने चाहिये लेकिन

(श्री रामनारायण मीणा)

एक आदमी का कहकर हम उऋण नहीं हो सकते कि किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि नागर साहब यहां बैठे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, माननीय नागर साहब, जिस तरह की बातें सदन में होती हैं, उसका एक ही निराकरण है कि आपके पास दुकानदारों की कमी है। पिछली सरकार के समय कितने राशन डीलर्स थे, उनमें से कितने काम कर रहे हैं, यह मैं नहीं कहना चाहता, आप आंकड़ा उठाइये। हाई कोर्ट का स्टे है, रिजर्वेशन पर स्टे है। स्टे तो हटा लोगे, आप कांग्रेस की सरकार हो, आप गरीब की बात करोगे, आप आदिवासी की बात करोगे, आप शिड्युल्ड कास्ट की बात करोगे, दूसरे लोग नहीं करने देंगे आपको लेकिन आपको काम करना है, आप किसी भी तरह से डिस्ट्रिक्ट कलक्टर की मीटिंग बुलाकर, डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाकर जितनी आपके पास राशन की दुकानें हैं, कृपा करके एक-एक दुकान पर एक राशन डीलर सेपरेट कर दीजियेगा और यदि आपने महीने में यह काम कर दिया तो जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, एक राशन डीलर के पास पांच दुकानें, गलती राशन डीलर करे और सज़ा भुगते मंत्री। इसलिये आप कृपा करके इस बारे में, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। आपके पास में इंस्पेक्टर्स हैं कि नहीं, भर्ती हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आप आर.पी.एस.सी. की छोड़ दीजिये। तिवाड़ी साहब ने 3-3, 5-5 हजार में मास्टर रख लिये, हालांकि अन्याय किया उन गरीबों के साथ लेकिन 100-200 को तो लगा ही दिये इन्होंने, आप भी कुछ ऐसा कर सको तो देखो। ..(व्यवधान).. आप चिन्ता मत करिये, मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, इनके हित में बोल रहा हूं। इनकी गलतियां सुधरेंगी तभी तो आप इनको नेता बना पाओगे। इसलिये आप उस बात को छोड़ दीजियेगा। इन्होंने लगाये, नहीं, बहुत अच्छा है, किसी भी तरह से कोई मास्टर लग गया, कोई विधवा लग गयी, रेगुलराइज हो जायेगी तो कमी किस बात की है? हाई कोर्ट के स्टे से बचने के लिये हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं न्यायिक प्रक्रिया पर नहीं कहना चाहता लेकिन हर जगह, आज तो छींकने पर स्टे, थूकने पर स्टे। मास्टर की भर्ती में चार की पोस्ट है, चार हजार मास्टर आ गये। इस बात से आपको तो पता नहीं, शिक्षा विभाग में ये कितने जूझे हैं, आज भी हम कितना जूझ रहे हैं। थोड़ा सा हमें इन बातों पर ध्यान देकर, नागर साहब, आप कृपा करके एक एक राशन की दुकान पर यह व्यवस्था करें।

दूसरा, मेरा जहां तक ख्याल है, अमराराम जी यहां बैठे हैं इसलिये

(श्री रामनारायण मीणा)

उनकी निगाह नहीं है, एक बात और है, मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्तियों में भी अन्तर है। एस.सी. के लोगों को सवा लाख रुपये की आय पर छात्रवृत्ति की इजाजत है, ट्राइबल वालों को डेढ़ लाख की इजाजत है। माननीय सामाजिक न्याय मंत्रीजी, इस बात को आप रिव्यू कीजियेगा, हम विधायकों के साथ बैठकर रिव्यू कीजियेगा। यह छोटी-छोटी बात शासन, प्रशासन के खिलाफ असर डालती है, इसलिये आप इनको देखियेगा।

एक बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, गांवों में हालात यह है कि सेठ यदि कोई फैक्टरी लगायेगा, सेठ को जमीन चाहिये, हालांकि शुरू पिछली सरकार ने किया है, उसको 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा चरागाह दे दी जाये, सरकार उसकी इजाजत देती है। किसान के पास पांच बीघा चरागाह है और नियमानुसार उसका नियमन हो सकता है पर नियमन नहीं हो रहा है। इसलिये साफ तौर पर, यहां राजस्व मंत्रीजी नहीं हैं, गांवों में 10 बिस्वा जमीन एक पशु को चाहिये, जिस गांव में जमीन कम है, वहां की जमीन की इजाजत नहीं दी जाये और इजाजत नहीं देने से चरागाह बचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भला होगा।

एक जो प्रशासनिक कमी है, मैं इसको नोटिस में ला रहा हूं। सभापति महोदय, कुछ कलक्टर्स ने आर्डर निकाल दिया, गांवों में फसल नहीं होती, कोई गरीब आदमी चारागाह की, सिवाय चक की जमीन पर वही काश्त करेगा जिसके पास अपनी जमीन नहीं होगी। 300 रुपये बीघा, 400 रुपये बीघा उससे बिना काश्त को जब्त किये, पिछले पांच साल से हो रहा है। अब पांच साल पहले किसका राज था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जो अन्याय किसान के साथ हो रहा है, उसकी कैसे पूर्ति हो, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

दूसरा मेरा अनुरोध है, को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब यहां बैठे होंगे, जिस तरह से केसीसी में अधिकारियों द्वारा गलतियां हो रही हैं, चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात अलग है, इस बात से पूरा सदन सहमत है, जब फार्म लेकर किसान जाता है, उस फार्म को रजिस्टर नहीं किया जाता है और फार्म को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो बैंक मैनेजर बाद में आने वाले को लोन दे देता है, पहले आने वालों को नहीं देता। उससे तरह-तरह की भ्रान्तियां होती हैं। इसलिये हमें को-आपरेटिव सोसायटीज में रजिस्टर रखना चाहिये, रजिस्टर करके उस फार्म को प्राथमिकता के आधार पर जब तक हम उसका निर्णय नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा, मेरा अनुरोध है कि ऋण वसूली के लिये मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, बैंक के अधिकारी, को-आपरेटिव बैंक के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यह बात अलग है; हम ऋण वसूली क्यों चाहते हैं, यह बात अलग है; ऋण वसूल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जिस सेठ के ऊपर 50 करोड़ रुपये बाकी हैं, 100 करोड़ रुपये बाकी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में 500 करोड़ बाकी हैं, उसका फोटो अख़बार में नहीं आयेगा पर गरीब किसान, जिसके ऊपर दो हजार रुपये बाकी है, उसका नाम अखबारों में आता है। यह हमें सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना पड़ेगा कि किसान को किस तरह से डिमोरेलाइज किया जा रहा है। उसके बारे में भी हमें कुछ न कुछ सोचकर काम करना पड़ेगा। जब सेठ का फोटो हम नहीं दे सकते, पूंजीपति का फोटो हम नहीं दे सकते तो फिर किसान का फोटो क्यों देते हैं?

एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, अभी किशनगढ़ का मामला आया, सदन में काफी चर्चा हुई। इससे ज्यादा हीनस क्राइम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा घृणित कार्य नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ ही पुलिस अधिक प्रभावी कैसे हो, हमने कोशिश की है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक नफरी नहीं बढ़ेगी। आज की तारीख में पुराने टाइम की नफरी है, उसको कैसे बढ़ाया जाये, यह सदन देखे लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बारे में हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की जो समस्या है, गांवों की जो समस्या है, जैसे मैंने कहा चारागाह की समस्या है, वन उपज की समस्या है, आज वन उपज को, किसान अपनी खेती की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, उसको आज ट्रांसफर परमिट नहीं मिल रहा है। गये वक्त भी हमने कहा, केशोरायपाटन का मामला हुआ था, यहां उस समय वसुन्धरा राजे जी की सरकार थी, हमने कहा कि किसान की जो विलायती बबूल की लकड़ी जा रही है, यह परमिट क्यों नहीं हो रहे हैं? या तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाये या फिर इसका सरलीकरण किया जाये। आज वन विभाग के पास स्टैंडर्ड के आदमी नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, वह कैसे हो ?

दूसरा, मेरा आपसे अर्ज करना है राजस्थान में एक लाख रोजड़े हैं। यह सही है उनको मारने की इजाजत दी जाती है लेकिन तीसरी अनुसूची से पांचवीं अनुसूची में हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। 1992 में पहला पत्र लिखा, मंत्री ने लिखा उसके बाद अधिकारी पत्र लिख रहे हैं और रोजड़े को नीलगाय कहकर धार्मिक भावना से गांवों में मार नहीं रहे हैं। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन

(श्री रामनारायण मीणा)

आज के दिन गांवों में है तो रोजड़े हैं। उसको तीसरी अनुसूची के क्रम संख्या 14 से निकालकर पांचवीं अनुसूची में नहीं डाला जायेगा तो किसानों को सबसे बड़ी तकलीफ रोजड़ों से होती है, कैसे हम उसको कर पायें, यह भी हमें करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गांवों में आज जो स्थितियां बन रही हैं, माननीय सभापति महोदय, जो बजरी होती है, गैंगवार की बात मैं करता हूं। बनास का पानी नीचे चला गया। हमने वन मंत्रीजी से कहा, टोंक से आने वाली माननीय विधायिका भी इस बात से चिन्तित होंगी, मशीनें चलती हैं। ठेकेदार किस पार्टी के हैं, मैं नहीं कहना चाहता, यह वास्तविकता है।

हमें पार्टीबाजी से हटकर बात करनी पड़ेगी, राजस्थान में आज की तारीख में जिस तरह का माहौल चल रहा है आरक्षण के मामले में, अब इस आरक्षण के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जिस वर्ग का आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होगा, भावना व्यक्त नहीं कर सकते। फैसले किस तरह से हो रहे हैं? उसके बारे में मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा कि जो जाति प्रथा का माहौल राजस्थान में खराब करने की पहले कोशिश की गयी, अब भी विधायकों के नाम रोजाना अखबारों में आ रहे हैं कि यह इस वर्ग के खिलाफ है, वह उस वर्ग के पक्ष में है। इस बात को कैसे खतम किया जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, पहले पचास हजार रुपये राजीव गांधी कृषक साथी योजना का पैसा मिलता था, उन्होंने उसको बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया, हालांकि आज एक लाख से काम नहीं चलता। गरीब किसान खेत में काम करता है, किसी जहरीले कीड़े के काटने या और किसी कारण से वह मर जाता है, कुए में गिर कर मर जाता है, बिजली से चिपक कर मर जाता है। हम छोटे-छोटे मामलों में जैसे गोली पुलिस की लग जाती है तो पांच लाख देते हैं और किसान को मात्र एक लाख देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी सोचेंगे और किसानों को भी पांच लाख रुपये कैसे दिया जाए, क्योंकि संवेदनशीलता का मामला है, मुख्य मंत्रीजी अपने ढंग से इसको देखें। किसानों का भी अधिकार है। इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए।

दूसरा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि किसान अपने खेत में काम

(श्री रामनारायण मीणा)

करता है, अपनी जमीन को सरेंडर करता है, कोई-कोई प्रशासनिक शिथिलता तो है, जमीन सरेंडर करके वह छह महीने तक कलक्टर के यहां जाए और फिर काम नहीं हो, राजस्व मंत्रीजी को कहने के बावजूद भी काम नहीं हो तो इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा।

इसके साथ ही मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। आवासन मण्डल में जिस तरह से, अभी प्रश्न भी उठा है कि लाइन काटकर दिये जाते हैं, एक सांगानेर एस एफ एस 2006, प्रताप नगर अपार्टमेंट की योजना की लाटरी डाली गयी। जिस व्यक्ति ने पैसा जमा कराया, दूसरा व्यक्ति जो बाद का था, उस व्यक्ति को मकान अलाट कर दिया गया। अलाट होने के बाद उसने दरख्वास्त दी। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, इनके बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा, वह अच्छा बजट है। भूमि अवाप्ति किसान की होती है उसके बारे में भारत सरकार की नीति के अनुरूप नीति बनायी है। उसके लिए मैं किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथी भी सहयोग करें और कम से कम अपनी पार्टी को, तिवाड़ी साहब, एक लाइन में रखें और सहयोग करें और सहयोग करवाकर मुख्य मंत्रीजी के अच्छे भाषण के लिए कम से कम आपका अगला वक्ता जब बोले, वह इस बात का धन्यवाद दे कि इन परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था। इससे गृहिणियों को फायदा मिला, किसानों को फायदा मिला। बत्तीस आर ओ बी कभी आपने डाले थे? कभी किया था क्या इतना काम? इतनी सड़कों के लिए पैसा डाला। आपने डाला था क्या कभी? सहरियों का पूरा का पूरा ब्याज माफ करने का काम आपने कभी किया क्या? ठीक है, पांच पैसा शहर में बढ़ा लेकिन गांवों में बिजली का पांच साल तक नहीं बढ़े, यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है।

आप नि:शक्तजनों की बात करते थे। आपने किया क्या कभी? पहली दफा नि:शक्तजन निदेशालय बनेगा। महिला बाल विकास में पहली दफा 1,250 रुपये का मानदेय साथिनों को मिलेगा। बी पी एल परिवारों के लोगों के लिए जितने आवास की घोषणा पहली दफा हुई है, मेरा जहां तक खयाल है, इस राजस्थान की विधान सभा में, जबसे आप आ रहे हैं तबसे मैं भी आ रहा हूं, अपन दोनों ही अभी रह गये, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इतने

(श्री रामनारायण मीणा)

सारे गरीबों के आवास पहली दफा यहां बन रहे हैं। (व्यवधान) हां बनेंगे, घोषणा नहीं है।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो-जो कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में है, बीसलपुर की पुलिया, आप सोच सकते हैं क्या, हमने प्रश्न लगाया और मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में आया और 38 करोड़ रुपये की पुलिया मंजूर हो गयी। (व्यवधान) अजमेर के लिए जो लिखा होगा वह भी पूरा होगा लेकिन यह पहला मौका है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।

नयी भूमि अवाप्ति योजना, नौ हवाई पट्टियों का बनाना, बोर्डों में आप नियुक्ति की बात करते हो, वह नियुक्तियां भी हो जाएंगी। आप हमारा साथ दीजिए, अच्छे बजट का साथ दीजिए, हमारे पारदर्शी मुख्य मंत्रीजी का साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। चुनाव के समय जो कहना है वह कह दीजिएगा लेकिन याद रखिएगा, आप कुछ भी कह दीजिए, अगली सरकार ईमानदार लोगों की होगी और भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस ईमानदार है। इसके साथ ही मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम तिवाड़ीजी ने ताली तो बजायी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने ताली इसलिए बजायी कि अगली सरकार ईमानदार लोगों की सरकार होगी। यह बात पहली बार अपने मन के बाहर से रामनारायणजी बोले, इसलिए ताली बजायी।

श्री पेमाराम (धोद): अगली बार हम बीच वालों की बनेगी। न इधर वालों की बनेगी और न उधर वालों की बनेगी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): बाइस हजार पांच सौ करोड़ खाने वाले ईमानदार नहीं हो सकते, भाई-भतीजावाद फैलाने वाले ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदार तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार है।

श्री पेमाराम (धोद) :जो शहीदों की आदर्श सोसायटी को बेच दे, वह भी ईमानदार नहीं हो सकती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण सारगर्भित और टू-द- पाइंट बोलेंगे तो उचित रहेगा क्योंकि कई माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

आय व्ययक पर सामान्य वाद- विवाद

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, वर्तमान में जो बजट आया है, इस बजट को एक छलावा के रूप में मैं देखती हूं। यह जो डाक्युमेंट दिया है वर्ष 2011-12 का बजट, उससे पहले भी एक बजट आया 2010 -11 में और उससे पहले भी आया 2009-10 में। तीनों बजटों को पढ़ा और ऐसा लगा कि एक से आगे, एक से आगे कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। वही घोषणाएं जो चल रही थीं 2009-10 में, उसी की 2010-11 में घोषणा कर दी और 2010-11 में चल रहा था, उसी की 2011-12 में घोषणा कर दी। रामनारायणजी जैसे व्यक्ति कह रहे थे कि इससे और अच्छा बजट नहीं हो सकता, मैं सोचती हूं कि और अभी दो साल बाकी हैं, उन दो सालों में और कैरी फारवर्ड होंगे और लास्ट बजट जो आपके शासन का होगा, वह तो और भी अच्छा होगा क्योंकि सारी घोषणाएं जो 2009 से चल रही हैं, चलते-चलते वे वहां तक पहुंच जाएंगी और खूब बड़ा आकार हो जाएगा घोषणाओं का। इसलिए घोषणा मात्र मत करिये। जब आपने शुरू किया था तब आपने यह कहा कि हम सिर्फ आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहते हैं, हम तथ्यात्मक बात करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहूंगी कि हम आंकड़ों के आधार पर जाते हैं तो आपने बहुत वाहवाही लूटी थी, पिछली बार मुख्य मंत्रीजी जब बजट रख रहे थे तो उन्होंने कहा, वर्ष 2010-11 में योजना का आकार बताया 23,822 करोड़ और उन्होंने यह कहते हुए सबसे तालियां बजवायीं कि 2009-10 की योजना का जो आकार था उससे 37 परसेंट बढ़कर यह योजना का आकार आया है। इसलिए सबने बहुत वाहवाही की थी कि बहुत बड़ा बजट है। अबकी बार आपने रखा है 28,461 करोड़ का और यह कहा कि पिछले योजना आकार से यह 961 करोड़ अधिक है। छलावा नहीं तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और क्या है कि जब आप सिर्फ आंकड़ों को दिखाकर यह कहना चाहते हो कि हम राज्य में विकास कर रहे हैं? वस्तुस्थिति क्या है, वह आपसे और हमसे किसी से छिपी हुई नहीं है। आज आप कितना ही कह दें कि मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप मेरा समर्थन करें, बहुत अच्छा विकास चल रहा है; केवल कहने और भाषणों से विकास नहीं चलता, विकास चलता है जमीनी हकीकत से। हम काम क्या कर रहे हैं, हम आप उपभोक्ता को क्या लाभ दे रहे हैं, हमारे गांवों का विकास क्या हो रहा है, गांव में कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने स्कूल्स में टीचर्स हैं, चिकित्सालयों में कितने संसाधन उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों से हमारा विकास होता है। खाली कहने मात्र से नहीं। इसलिए राज्य की प्रगति की समीक्षा केवल आंकड़ों को देखकर नहीं की जा सकती लेकिन हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो हम कहां पर खड़े हैं, उसका चित्र हमारे सामने बराबर आयेगा। आज हम देखें कि राजस्थान आर्थिक और सामाजिक विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, औद्योगिक निवेश में रोजगार सृजन के अन्दर या किसी भी मापदण्ड पर, कहीं पर भी ये 10 राज्यों को ले लें, उन 10 राज्यों में तो कहीं राजस्थान का नाम ही नहीं आयेगा। उसके बाद कहीं-कहीं और शुरू होगा। तो आप कम्पेरिजन करिये कि आपके और अन्य स्टेट हैं, जो आपके एडजोइनिंग स्टेट्स हैं, उन एडजोइनिंग स्टेट्स के मुकाबले राजस्थान कहां पर खड़ा है। हम लोग देखते हैं तो हमें अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जो राजस्थान पूर्व में जब वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, राजस्थान प्रथम पंक्ति पर आ रहा था, वह राजस्थान विकास की वह जो प्रगति की पटरी थी, उस प्रगति की पटरी पर से वह रेलगाड़ी उतर गयी। जैसे ही कांग्रेस का शासन आ गया, वह सारा विकास जो था वह सब ठप हो गया है। आज तो मुख्य मंत्रीजी जब हमारे यहां पर बजट पेश कर रहे थे तो मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे सुनहरे सपने दिखाये जो कि दो ही लाइन में कह सकती हूं कि' प्यासे को पानी दिखा कर तुम गरजना जोर से,' यह उनका इंटेंशन है,' प्यासे को पानी दिखा कर तुम गरजना जोर से, फिर बिना बरसे चले जाना, घटा हो जाओ,' यह स्थिति है।

अब वर्तमान बजट का कम्पेरिजन देख लिया जाए कि कम्पेरिजन क्या-क्या हुआ है, उसका कम्पेरिजन करना पड़ता है क्योंकि हम सब जवाबदेह हैं, केवल बजट पेश करने मात्र के लिए नहीं हैं कि हम आये और बजट रख दिया और हमारा काम इतिश्री हो गया और हमने कह दिया कि राज्य में इतना बड़ा बजट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमने रखा, इतनी सारी सुख-सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं, कहना एक बात है और किया क्या है, वह कहना एक बात है। इसीलिए मैं पुराने जो बजट हैं, उन सब बजट को पढ़ने के बाद में इस बात को आज आपके सामने रखना चाहती हूं कि आपने अभी इस वर्तमान बजट के अन्दर कहा कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा की हम लोग रेल लाइन को जोड़ने जा रहे हैं, उसका सर्वे करने जा रहे हैं। यह बात आपने कही, बहुत वाहवाही ली। अब उसमें आपने लिखा है कि निर्माण हेतु परियोजना लागत जो होगी इसकी 50 परसेंट राशि राज्य सरकार वहन करेगी। क्या इसमें यह प्रावधान जरूरी नहीं था कि उस परियोजना की जो लागत राशि होगी वह कितनी होगी? बजट रख रहे हो आप, आपको आंकड़े रखने हैं कि आप कितना स्वीकृत कर रहे हैं। इसके अन्दर आपने कहा 50 परसेंट आफ द टोटल प्रोजेक्ट, वह क्या है, टोटल प्रोजेक्ट की कोस्ट क्या है जिसका 50 परसेंट आप बजट के अन्दर रख रहे हैं? यह सिर्फ इससे मिथ्या, हवा में बात करना कि हम 50 परसेंट दे देंगे, अभी सर्वे हुआ नहीं, आपने कहा कि हमने इसकी घोषणा कर दी। मैं तो कहूंगी कि उदयपुर से अहमदाबाद ब्राडगेज वर्ष 2007 में घोषणा हो गयी, काम शुरू हो गया, बजट के अन्दर आ गया केन्द्र के कि हम उदयपुर से अहमदाबाद ब्राडगेज बनायेंगे। सरकार आज यहां पर कांग्रेस की चल रही है, केन्द्र के अन्दर कांग्रेस की सरकार चल रही है, क्या प्रयास किये गये राजस्थान की सरकार द्वारा कि उदयपुर-अहमदाबाद ब्राडगेज के लिए बजट स्वीकृत किया जाए ?कितनी राशि, कितना फंड आप इस बजट के अन्दर एलोकेशन करते हैं, इसके बारे में क्या प्रयास किया गया? एक भी व्यक्ति, कोई आपके माननीय सदस्य यह कह दें कि हमने कोई पत्र भी लिखा। दुर्भाग्य है यह कहते हुए कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अगर एक निगाह से पूरे राजस्थान को देखते हैं विकास के लिए कि मैं सब जगह विकास चाहता हूं तो क्यों उन्होंने एक पत्र तक नहीं लिखा अभी तक कि उदयपुर-अहमदाबाद ब्रॉडगेज के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जा रही है, तुरन्त इसे स्वीकृत किया जाय और इस काम को तुरन्त स्वीकृत किया जाए? कोई पत्र नहीं। जब बार-बार कहते हैं तो कहते हैं राजस्थान के लोगों को चिंता नहीं है। तो आप लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं? वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं लेकिन कोई वहां जाकर नहीं बोल रहा। यह तो राजस्थान की हुई।

दूसरी बात, आपने कहा कि रेल लाइन तो हमने जोड़ी, अब इस रेल लाइन में यह स्थिति राजस्थान की है, बड़ी सादड़ी-मावली-राजसमंद होते हुए मारवाड़ रेल पथ का आमान परिवर्तन, इसका सर्वे हो चुका है, तो उस सर्वे के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बाद में भी किसी तरीके का कोई उसके ऊपर फंड एलोकेशन नहीं हुआ है। इसके बारे में भी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहीं नहीं कहा।

यहां पर जब उन्होंने बजट की शुरुआत की तो बजट के शुरू होते से ही सेकंड पेज पर ही आ गया सार्वजनिक निर्माण। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को अगर देखा जाए तो यह कहा कि हम लोग इतनी हजार सड़कें बनायेंगे, इतनी 500 तक की पापुलेशन की हम लोग सड़कें बना लेंगे, जहां-जहां पर भी गांव होंगे उनको जोड़ देंगे, तो यह तो केन्द्र की सरकार की योजना थी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिस योजना का पहला फेज था कि हम लोग तीन हजार तक की पापुलेशन के गांवों को सड़कों से जाड़ेंगे, दूसरे फेज के अन्दर 750 की पापुलेशन के जितने गांव होंगे उनको सड़कों से जोड़ेंगे, तीसरे फेज के अन्दर 500 की पापुलेशन के जितने गांव होंगे उनको सड़कों से जोड़ेंगे और फोर्थ फेज के अन्दर 250 की आबादी के गांवों को जोड़ने की बात थी। माननीय सभापति महोदय, तीसरे फेज के काम, 500 की आबादी तक के गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम तो जब माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं तभी इस राजस्थान में कम्पलीट हो चुका था, 500 की पापुलेशन के तो गांव जोड़े जा चुके थे। अब आपको जो जोड़ना था वह तो 250 की आबादी के गांवों को जोड़ना था। दो साल हो गये आपकी सरकार को, अभी तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): 500 की आबादी के गांव जुडे हुए नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठो आप। विराजो, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बैठो, आप विराजो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 250 की आबादी के गांव जो आज से दो साल पहले तक जुड जाने चाहिए लेकिन आपने एक तरकीब निकाली, आपने तरकीब यह निकाली कि राजस्व ग्रामों को जोड़ देंगे। पहले तो उसमें भी बहुत सारे गांव ऐसे ड्राप हो गये जो 250 की आबादी के तो थे लेकिन राजस्व ग्राम नहीं थे और इसलिए वे सड़कों से नहीं जुड़ पाये। यह आपने तकनीक निकाल कर उसमें से भी ड्राप करा दिया और आज भी 250 की आबादी के गांव सड़कों से नहीं जुडे हैं, यह तथ्य है। आपके इस बजट के अन्दर भी आपने कहा है कि हम दूसरे चरण में, आप कह रहे हैं न 500 की आबादी, यह लिखा हुआ है इस बजट में आपके, "प्रथम चरण में आगामी वर्ष 1,530 करोड़ रुपये की लागत से 500 से व इससे अधिक आबादी की 1,833 ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।'' (व्यवधान) करेंगे। तो मैं भी तो यही कह रही हूं कि अभी 250 की आबादी तो कब आयेगी जब 500 की आबादी का नहीं जोड़ा है, और उसमें भी आप लोगों ने क्लाज निकाल दिये।

दूसरे, आपने यह कहा कि धार्मिक सड़क योजना, मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में एक घोषणा की। अब यह धार्मिक सड़क योजना में क्या, जिसके अन्दर दो साल में हम लोग 280 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, 610 धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे और 1100 किलोमीटर लम्बाई की सड़क बनायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगी कि यह अपने आप में ही कितना कंट्रोवर्शल हो गया कि जब आप यह कहते हो कि 1100 किलोमीटर तो बनायेंगे, आप यह कहते हो 280 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, वह भी समझ में आया लेकिन यहां यह कह रहे हो कि 610 धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे। क्या आपने कोई डिस्टेंसेज नापे हैं क्या? 610 जो धार्मिक स्थल हैं उनका कोई चयन किया है क्या? आप सिर्फ हवा में, हवा-हवाई बातें करते हैं कि हम 610 धार्मिक स्थलों को जोड़ देंगे। हमारे में से बैठे हुए इतने सारे माननीय सदस्य हैं, क्या किन्हीं से कोई प्रस्ताव लिया है और कहा गया कि यह 610 हमने चिह्नित किया है और हम यह 610 जोड़ेंगे? सिर्फ हवा में बात करने से बात नहीं होगी। आप यह कह देंगे कि हम 610 जोड़ देंगे और दो साल में जोड़ देंगे, यह बजट एक साल का प्रस्तुत हुआ है, आप एक साल का बताइये कि एक साल में आप कितना काम करेंगे? इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय ,अब आप यह कहते हैं कि सड़कें बनाने के प्रति हमारी बहुत रुचि है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली-मुम्बई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अपना नेशनल हाई-वे, एन.एच.-8 है, उस नेशनल हाई-वे पर जो राजमार्ग है, वहां पर जयपुर से हम किशनगढ़ आते हैं वहां तक तो 6 लेन घोषित हो रखी है और अब ब्यावर से जब आप आगे बढ़ें तो किशनगढ़ से ब्यावर जब आते हैं और ब्यावर-गोमती और गोमती से राजसमंद होते हुए उदयपुर आते हैं वहां पर तीन साल पहले से फोर लेन की घोषणा हो रखी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां राजस्थान के हमारे जो चाहे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी हों, कोई यह बात नहीं कह रहा है कि जब ब्यावर से गोमती को थ्री लेन कर तो दिया, उन्होंने फोर लेन के बजाय उसको थ्री लेन में कन्वर्ट कर दिया और फिर गोमती से वापस उदयपुर तक फोर लेन और जिसका कोई अता-पता नहीं, टेंडर नहीं हुआ और कोई आगे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कार्यवाही नहीं हुई। तीन साल से हम सुन रहे हैं कि यह सड़क बनने जा रही है। यह सड़क बनने जा रही है, आखिर यह सड़क कब बनेगी? सिर्फ कहना मात्र है, आप लोगों ने तो यह तय कर रखा है कि हम तो घोषणा करें, हमारी सरकार यह घोषणा वाली सरकार है और वह घोषणा करके सरकार यह सोचना चाहती है कि हम सब आपकी तारीफ करें कि आपने बहुत अच्छी घोषणा की। घोषणा करने से नहीं होगा, रामनारायण जी, तथ्य के साथ चलना पड़ेगा, सिर्फ घोषणा पर तारीफ नहीं होती, जब काम होगा तब तारीफ भी हो जायेगी। इसलिए इसको जो फोर लेन है, उस फोर लेन को आगे तक बढ़ायें और फोर लेन की सड़क उदयपुर तक, जो तीन साल पहले की घोषणा हो रखी है, उस घोषणा को कम्प्लीट करने की कोशिश करिये।

माननीय सभापति महोदय, एक और आपको बताना चाहूंगी। कांकरोली-भीलवाड़ा मार्ग को, इसमें फोर लेन करने का प्रस्ताव, यह सरकार जब बनी थी उस समय मांगे गये थे कि कुछ प्रस्ताव हों तो आप प्रस्ताव दें। कांकरोली-भीलवाड़ा की सड़कों का हमने प्रस्ताव दिया लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रगति नहीं हुई। यह आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि आप लोग जो कह रहे हैं

(समय : 17.00 बजे)

ना कि बहुत काम हुए, बहुत काम हुए और आप कह रहे हैं कि सबके बराबर बराबर काम हो रहे हैं, इसलिए बताना चाहती हूं कि काम जो हो रहे हैं, वे किस तरीके से हो रहे हैं, कैसा भेदभाव रखा जा रहा है। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं।

अब आपने अभी कहा, बहुत वाहवाही की कि हमने कृषि के जो कनेक्शन थे, वे कनेक्शन पैंसठ हजार कृषकों को हम इस वर्ष देने जा रहे हैं। यह आपके इस बजट के अन्दर आपने कहा। अब पैंसठ हजार जो आपने इसमें घोषणा की है, वे पैंसठ हजार कौनसे कृषक हैं जिनको आप कनेक्शन देने जा रहे हैं? वे वे कृषक हैं जो 2008 के पैंडिग पड़े हुए हैं क्योंकि आपने पिछले साल 2007 की लिस्ट को कम्प्लीट किया। अब जो आज आपने घोषणा की है कि हम पैंसठ हजार कृषकों को कृषि कनेक्शन देंगे, वह 2008 के कम्पलीट करोगे इस वर्ष के अन्त तक। अभी तो वर्ष 2009 और 2010 बाकी हैं। आप 2009 का बजट उठाकर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अन्दर आप किसानों को दो साल के अन्दर आत्मनिर्भर कर देंगे, यह आपने 2009 और 2010 के अन्दर लिखा है कि उन्हें कहीं विद्युत के कनेक्शन्स के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, गये और तुरन्त उनको कनेक्शन मिला, यह स्थिति आप राजस्थान

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की ले आयेंगे। कहा था ना, आओ और पाओ? आज यह स्थिति है कि यह पैंसठ हजार जो आप दे रहे हैं, वह वर्ष 2008 का बैकलॉग है, उसको आप दे रहे हैं और अभी तो 2009 और 2010 का और बाकी रहेगा जिसके बारे में आपने कहीं कुछ बताया नहीं कि यह कब होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति जी, मैं टू-दी-पाइंट अपनी बात कह रही हूं । आप प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं कोई आलतू-फालतू बात नहीं कर रही हूं यहां पर।

अभी एक चीज, इन्होंने यह भी बात कही कि जो भी विद्युत दे रहे हैं, उसके अन्दर न तो हम कोई बढ़ोतरी करेंगे, कोई हम रेट्स को बढ़ायेंगे नहीं और ना ही हम कोई कटौती करेंगे। यह एक बार नहीं, पचासों बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुंह से हमने यहां पर सदन में सुना कि ना तो हम रेट्स बढ़ायेंगे और ना ही हम कटौती करेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में ऐसे हमारे और भी बहुत सारे भाई हैं, गांव में जब हम जाते हैं तो चार और पांच घण्टे ही लाइट मिल रही है, उसमें भी ट्रिपिंग हो रही है। अगर पानी धोरों में चला और वहीं लाइट गयी, वह पानी वहीं रह गया और सूख गया, वापस से लाइट जब आएगी तब फिर वापस से वह पानी शुरू होगा। तो यह स्थिति आज हो रही है। कितनी तो ट्रिपिंग चल रही है, कितनी कटौती चल रही है। आपने कहा कि रेट्स नहीं बढ़ायेंगे। आपके वर्ष 2010 के बजट के अन्दर आप देखो कि आपने 15 पैसे टोटल मिलाएं, पिछली बार दस पैसे बढ़ाया, इस बार पांच पैसे बढ़ाया। सौ यूनिट के ऊपर कोई कंजम्प्शन है लाइट का तो आपने टोटल मिलाकर 15 पैसे तो दो साल के बजट के अन्दर बढ़ा दिये और आप बार-बार कहते हैं कि हम कोई रेट नहीं बढ़ा रहे, कोई रेट नहीं बढ़ा रहे। आप असत्य बात सदन में क्यों करते हैं? जो फैक्ट है उस फैक्ट के साथ चलिए। आपने रेट्स इन्क्रीज की हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह कृषि कनेक्शन की बात कही हमने, कृषि कनेक्शन में रेट नहीं बढ़ायेंगे। (व्यवधान) शहर की बात नहीं है, कृषि कनेक्शन में रेट नहीं बढ़ायेंगे और आज की तारीख तक नहीं बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अगर ये बीच-बीच में खड़े होंगे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। इसलिए, माननीय सभापति जी, आप ऐसी व्यवस्था दें कि ये बीच में खड़े नहीं हों। अगर जवाब देना है तो यहां पर बुलाइये मंत्रीगण को जो यहां पर बैठकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक भी मंत्री यहां पर नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इनका जवाब कौन देगा, ये तो लाजवाब हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पेयजल की जहां तक बात है क्योंकि विद्युत में तो आपकी घोषणाएं एकदम निरर्थक रहीं, आपने जो-जो कुछ कहा उसका ठीक उल्टा-उल्टा किया। आपने कहा, रेट्स नहीं बढ़ायेंगे, रेट्स बढ़ाईं ; आपने कहा कटौती नहीं करेंगे, आप कटौती कर रहे हैं;और आपने जो-जो भी कहा उस सबको आपने... , कृषि कनेक्शन सबको देंगे, 'आओ और पाओ' लेकिन वह भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं पेयजल के ऊपर...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सदस्या, किसको सुना रही हैं ? सदन के अन्दर मंत्री ही नहीं हैं, एक भी मंत्री नहीं है। किसको सुना रहे हैं? यह क्या है?

श्री सभापति: मैं सुन रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक बैरवा जी को छोड़कर कोई नहीं है यहां पर, ये बैरवा जी अकेले हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): आप तो बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, नहीं, आप तो सुन रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं लेकिन पेयजल का जहां तक है, पेयजल की यह व्यवस्था है कि इस बजट के अन्दर पेयजल को बड़ा गम्भीर मुद्दा लिया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में यह कहा कि राज्य के 249 में से 198 ब्लाक डार्क जोन में आ चुके हैं। उन्होंने यहां पर यह बात कमिट की और यह कहा कि तुलनात्मक रूप से अच्छे मानसून के बावजूद जो उन्होंने जिलों के नाम लिये, उनमें मेरा जिला भी आता है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, पाली एवं सिरोही, इनमें पेयजल की समस्या है, यह वे एडमिट कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या है। आपको आश्चर्य होगा,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति जी, यह जानकर कि राजसमन्द जिले में आज तक दो साल के अन्दर, अभी यहां पर बैठे थे माननीय मंत्रीजी, पचास हैंडपम्प से ज्यादा हैंडपम्प राजसमन्द की विधान सभा क्षेत्र में नहीं खुदे सरकार के द्वारा। जब हम जाते हैं और यह डार्क जोन में आ रहा है, एडमिट कर रहे हैं यहां पर कि डार्क जोन में आया है और कोई हैंडपम्प की स्वीकृति नहीं है राज्य सरकार के द्वारा। यह कैसी संवेदनहीन सरकार है, कोई संवेदनशीलता बाकी नहीं रही उनके अन्दर। कहते हैं कि पानी का बहुत बड़ा संकट है, बहुत समस्या है तो क्या निराकरण कर रहे हैं आप लोग पानी की समस्या का? आप कहते हैं कि हम लोग आर यू आई डी पी से सात शहरों के अन्दर, पिछले बजट में कहा था 2010-11 में कि आर यू आई डी पी के माध्यम से सात शहरों में 245 करोड़ के कार्य प्रारम्भ होंगे पेयजल के। राजसमन्द में उसमें से 28.63 करोड़ का काम होना था वाटर सप्लाई का। आज स्थिति यह है कि उसका शिलान्यास कब हुआ, तीन महीने हुए हैं शिलान्यास हुए जबकि घोषणा है 2009-10 की। यह हुआ है, अभी जब पता चला कि अब हमें कुछ जवाब देना है तो यह शिलान्यास हुआ है चार माह पहले, 21.10.2010 को शिलान्यास हुआ। कम्पलीट होनी है दो साल में लेकिन जिस तरीके का काम चल रहा है, उस काम से कहीं लगता नहीं कि वे दो साल में यह 28 करोड़ भी खर्च कर पायेंगे।

वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर 25 करोड़ नाम मात्र का दे रखा है लेकिन कितनी कालोनियां छोड़ दीं जहां पर आप न तो सीवरेज डाल रहे हैं, ना पेयजल की योजना दे रहे हैं। आधी-अधूरी योजना बनाकर उसकी वाहवाही लूटना है कि हम योजना बना रहे हैं, हम इतने करोड़ दे रहे हैं। शहर के अन्दर इतना असन्तोष व्याप्त है कि उस शहर के अन्दर एक कालोनी ली तो दूसरी छोड़ दी। बाघेरी नाका की यह स्थिति है कि हर बजट के अन्दर बाघेरी नाका को लेकर जाते हैं लेकिन बाघेरी नाका में जितने गांव पहले जोड़े थे फर्स्ट फेज में, उसके बाद में आपने तीन बजट के अन्दर बाघेरी नाका, बाघेरी नाका कहते हैं लेकिन उस बाघेरी नाका में एक भी गांव नया नहीं जोड़ा आपने। जबकि लाइन जा रही है गांव में से, गांव के लोग देख रहे हैं उस पाइप लाइन को जाते हुए कि हमारे गांव से गुजर रही है लेकिन वह पानी नहीं पी सकते उस पाइप लाइन से क्योंकि आपने उस गांव को सम्मिलित नहीं किया बाघेरी नाका की योजना में। यानी इतनी डिफेक्टिव योजना बनाने वाले आपके अधिकारी और बार-बार कहने के बाद भी यहां पर कुछ नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति इस सरकार

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की हो रही है कि हम बार-बार कहते हैं कि डार्क जोन में आपने दे रखा है, बाघेरी नाका की योजना है लेकिन वह योजना एक तरह से बिल्कुल जीरो हो गयी है। जब पानी नहीं मिल रहा, टंकियां जो बनी हैं टंकी के अन्दर पानी नहीं चढ़ रहा, टंकियां फटती जा रही हैं, एक बार भी उनमें पानी नहीं गया, उससे पहले टंकियां फूट रही हैं। यह स्थिति आपकी पेयजल की हो रही है।

दूसरा अभी आपने कहा कि उदयपुर शहर की जलापूर्ति के लिए जो देवास योजना है, उस देवास योजना में इस बजट में लिखा कि 379 करोड़ की यह योजना जिसमें 202 करोड़ हम खर्च कर चुके। पिछले बजट में भी आपने पचास करोड़ दिये, इस बजट में भी आपने पचास करोड़ दिये, अगले बजट में और पचास दे देना, उसके अगले बजट में और पचास दे देना। क्या आपको पता है, देवास योजना ...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देवास तो आपके है नहीं। देवास के तो कटारिया साहब हैं, उनको देखकर के हमने कहा, आपके समय में शुरू की गयी इस योजना को कम्प्लीट कराने के लिए कोई भी धन की कमी नहीं आने देंगे। आगे देख लेंगे, आगे प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग में। अभी पचास करोड़ दिया तो है। इस देवास योजना को अगर रोकने का किसी ने काम किया है तो उस समय की तत्कालीन सांसद् ने इनके ऊपर आरोप लगाकर इस काम को रोका। 139 करोड़ का काम था, उस काम को यह कहा गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे समय में नहीं हुआ, मैंने तो उस फाइल को देखा था और उसके अन्दर आपका पत्र था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं बताती हूं आपको, यह जो योजना है, यह योजना बी जे पी सरकार के समय शुरू हुई। इस योजना को आपने स्टाप करके इस योजना के अन्दर जो आज आप पैसा दे रहे हैं, ...(व्यवधान) वह आप जो कह रहे हैं, पाजिटिविटी रखते हुए ही मैं यह बात आपसे निवेदन कर रही हूं... (व्यवधान) एक मिनट, माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मेरी बात सुनिये।.. (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप मंत्री हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मेरी बात सुन लीजिये आप। इस योजना का जो स्वरूप था उस समय की मुख्य मंत्री, जो आज प्रतिपक्ष की नेता हैं, वे देवास, शायद राजसमन्द और उदयपुर गयी थीं। उस समय यह बात वहां के जन-प्रतिनिधि हैं, उन्होंने रखी। उस समय उनके सामने उनके चैम्बर में 139 करोड़ की योजना बनी और जब इसका डी पी आर बना तो यह करीब 345 करोड़ से ज्यादा की योजना हो गयी। यह बात उस समय फाइल पर आयी हुई है। उसके ऊपर इन्क्वायरी की गयी कि यह कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। डी पी आर बनने में होता है। एक बार अपन इनिशियेट करते हैं और प्रैक्टिकल में जब डी पी आर बनते हैं तो जो आज हम उसकी कास्ट लगाते हैं, वह कास्ट इन्क्रीज होकर हो गयी। क्योंकि उसका मैकेनाइज जो करना था, उसको बड़ा करवा दिया और बड़ा करने की योजना बनी है आपके समय, मेरे समय नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): ...और आपने कहा कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है। आपने योजना बड़ी बनायी है 379 करोड़ की।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं, मैंने नहीं बनायी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमने बनायी ?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपने बनायी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो हमने और आपने जो कुछ ... (व्यवधान) सुनिये आप... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, यह हम नहीं बनाते हैं, यह टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी और डी पी आर पर डिपेंड करता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बस मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि यह टेक्निकल कमेटी ने बनायी है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, बल्कि आपने उस समय डी पी आर को चैलेंज किया, आपने कहा कि यह डी पी आर ही गलत बनी है। इसके अन्दर जिस तरीके से यह है इस योजना को बन्द किया, इसी कारण उस समय फंडिंग नहीं हो सकी और फंडिंग नहीं होने के कारण यह डिले हो गयी।

(श्री महीपाल मदेरणा)

डिले हो गयी तब हमारी समझ में आया। जब यहां पर पहला बजट पेश हो रहा है और जो माननीय सदस्य कटारियाजी हैं, उन्होंने कहा कि यह क्या है। अभी भी आज कह गये, वे बहुत सारी बातें। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे उनको नहीं कहना था, पार्लियामेंटेरियन के हिसाब से मेरा बहुत ही रेस्पेक्ट है उनके प्रति। हो सकता है, नहीं हो सकता, बातें कर सकते हैं। बल्कि हमने देवास में कोई डिले नहीं की। डिले हुई, उसकी फंडिंग डिले हुई, फंडिंग के डिले को हमने कम किया। अब हमारा जितना प्रपोर्शनेट होता है, उसके अन्दर हमने देवास को पूर्णत: काम करने की छूट दे रखी है और पैसा दिया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी, आपने अपनी बात तो कह दी लेकिन छोटी-सी बात और सुन लीजिये। जहां मैं जितना जो चाहती थी, उसको सुन लीजिये कि आपने जो बजट सैंक्शन किया है, वह बजट सैंक्शन पिछले बजट में भी 50 करोड़ था, इस बजट में भी 50 करोड़ है।..((व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आप प्लीज सुनें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपने जब किया तो 30 करोड़ रुपया दिया। 30 करोड़ में होती क्या? 300... (व्यवधान) 30 करोड़ रुपया, आपने दो साल में 30 करोड़ रुपया खर्च किया। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप सुनिये तो सही, माननीय मंत्रीजी। जरा सा सुनिये प्लीज। हम जो बात आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, वह, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 50 करोड़ जो है, वह 50 करोड़, 50 करोड़ एक साल में रखते जायेंगे तो कोई फिक्स अमाउंट मत कर दीजिये कि 50 करोड़ ही। अगर 50 करोड़ से ज्यादा का काम हो रहा है तो ज्यादा योजना स्वीकारें, अमाउंट इसके स्वीकृत करिये ताकि यह योजना तुरन्त कम्प्लीट हो और उदयपुर को देवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिये, वह लाभ तुरन्त मिले। इसलिये हमारी गुजारिश है आपको। इससे ज्यादा नहीं है।

अब आगे चलते हैं। माननीय सभापति जी, जो आपने, मुख्य मंत्रीजी, अपने बजट के अन्दर... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब सम-अप करो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सम-अप कर देंगे हम, सिर्फ 3-4 पाइंट्स हैं।

श्री सभापति: 3-4 पाइंट्स को आप लम्बा मत करो। मेहरबानी करके, 30 मिनट हो रहे हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बीच में अगर मंत्रीजी बोले, बीच में कोई वरिष्ठ सदस्य बोले, तो मेरी क्या गलती है इसमें?

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पिछले बजट में कुछ घोषणाएं की गयी थीं चिकित्सा के क्षेत्र में कि हम क्या-क्या पद स्वीकृत करेंगे। उन पदों को स्वीकृत करने के सन्दर्भ में उन्होंने यह कहा था कि 300 पद तो हम लीव रिजर्व के सृजित करेंगे, 161 पद हम सेवानिवृत्ति से जो रिक्त हुए हैं डाक्टर्स के, उनके भरेंगे, 400 पद हम पैरा-मेडिकल स्टाफ के भरेंगे। यह वर्ष 2010-11 की घोषणा है और साल भर बीत गया, एक भी डाक्टर की कोई भर्ती हुई नहीं। अब नया बजट आ गया, उस नये बजट में फिर घोषणा हो गयी कि 365 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे, जिला एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में आगामी वर्ष 47 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद और सृजित किये जायेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोग निदान सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 166 लैब टेक्निशियंस के पद सृजित किये जायेंगे। यानी सिर्फ घोषणा मात्र करनी है क्या? 2010-11 में घोषणा इतने सारे पदों कर दी, 2011-12 में इतने सारे पदों की और कर दी, भर्ती कितने किये गये ?

मेरे राजसमन्द का एक एग्जाम्पल दे दूं। आर के हास्पिटल जो जिला स्तरीय अस्पताल है 200 बेड वाला, उसकी स्थिति है कि वहां डाक्टर्स की टोटल पोस्ट हैं 44 और उसमें कितने डाक्टर्स हैं, 13 डाक्टर्स; 30 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। पैरा-मेडिकल स्टाफ जो है वह 68 का और उसमें कितने वर्क कर रहे हैं, 32 वर्क कर रहे हैं; 36 वैकेंट पड़े हुए हैं। लैब-टेक्निशियन के 4 पद हैं और चारों के चारों पद रिक्त पड़े हुए हैं; एक भी लैब टेक्निशियन नहीं। राजनगर की सिटी डिस्पेंसरी है, उसके डाक्टर की डैथ हो गयी, छह महीने हो गये, एक भी नया डाक्टर वहां अपाइंट नहीं हुआ। यानी सिटी डिस्पेंसरी खाली पड़ी हुई है। यह स्थिति है और फिर आप यह बात कहते हैं कि हम स्वास्थ्य के अन्दर बहुत जागरूक हैं। जागरूकता की निशानी तो जोधपुर के अन्दर ही सुबह सामने आ गयी, इस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक आइना जो दिखाया जा रहा है कि हम इतना शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, इनमें सब में खर्च कर रहे हैं, वस्तुस्थिति आपके सामने है।

अब आप इसमें देखें कि शिक्षा का क्षेत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टीचर्स के लिये, शिक्षा के अन्दर तो हम लोग बहुत काम करने जा रहे हैं; खूब शिक्षा, सबको पढ़ाओ, सबको लिखाओ; यही सब कुछ नारे दिये थे आपने? शिक्षा में सबको क्या पढ़ाओ? गांवों के अन्दर शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि स्कूल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के अन्दर एक भी टीचर नहीं है। मैं एग्जाम्पल यहां कोट करना चाहती हूं, सदन में दो स्कूल्स का। पीपलांतरी ग्राम पंचायत है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, उसमें घुघलेटा गांव है जहां एक भी टीचर नहीं है। नाट ए सिंगल टीचर। 200 बच्चे हैं वहां। इसी तरीके से आत्मा पंचायत है। आत्मा पंचायत के निचलीभागल के गांव के विद्यालय में एक भी टीचर नहीं। नाट ए सिंगल टीचर। वहां 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप यह बताएं कि सिर्फ चपरासी आता है, दरवाजा खोलता है और वह दरवाजा बन्द करता है। इसके अलावा उस स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं हम शिक्षा का स्तर बढ़ायेंगे राजस्थान में। उन बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है? उनके वर्ष आप बिगाड़ रहे हैं। वहां स्कूल में पढ़ाने को टीचर नहीं, यहां आप कितनी ही मेजें थपथपा लें, कितनी ही बातें बड़ी-बड़ी कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। आपने यहां कहा कि हम लोग भर्ती करेंगे। भर्ती की तो कितने समय से हम सुन रहे हैं कि हम इतने टीचर की भर्ती करेंगे। एक टीचर्स की भर्ती की शुरुआत नहीं हुई अभी तक।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब कृषि ऋण की बात कर लेते हैं। अभी कहा कि हम कृषि ऋण दे रहे हैं, हम किसानों का बहुत भला चाह रहे हैं। अब फव्वारा सिंचाई योजना जो है उसमें 60 परसेंट जो ऋण है वह अभी वितरित नहीं हुआ है। यानी लोगों ने फार्म्स दे रखे हैं लेकिन वह ऋण वितरित नहीं हुआ। क्यों नहीं किया गया, तो पूछने पर जवाब आया है, मेरे पास में रिटन जवाब है कि बजट के अभाव के कारण हम यह ऋण को वितरित नहीं कर पाये। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटी का जवाब है मेरे पास। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं।

अब अन्त्योदय परिवारों की बात करें। यह सरकार कहती है, यह सरकार गरीब की सरकार है, गरीबों के लिये काम करने वाली सरकार है। अन्त्योदय में आने वाले परिवार अति गरीब हैं, वे बी पी एल से भी नीचे की श्रेणी में आने वाले हैं। उन अन्त्योदय के परिवारों की यह स्थिति है, सभापति जी, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि विकलांग की पेंशन बी पी एल परिवार के बच्चे को मिलेगी, वृद्धा की पेंशन बी पी एल परिवार के व्यक्ति को मिलेगी लेकिन अन्त्योदय के अन्दर आने वाले जो हैं, उनको विकलांग पेंशन नहीं मिलती, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती। यहां तक कि जो ग्रामीण रोजगार योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी होते हैं, वह व्यक्तिगत लाभार्थी भी बी पी एल परिवार का तो है लेकिन अन्त्योदय परिवार का जो व्यक्ति है, उसको

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में लिया ही नहीं। यानी यह कैसी विसंगति है इस सरकार के अन्दर कि आप बी पी एल को जोड़ रहे हैं, जो अन्त्योदय में आने वाले परिवार हैं, उनको इस योजना से वंचित रख रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब सम-अप करो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, मैं सम-अप कर रही हूं।

श्री सभापति: अब नहीं होगा। अब बिलकुल सम-अप कर दें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल मैं एकदम सम-अप कर रही हूं।

श्री सभापति: अब मैं... (व्यवधान) अब यह बहुत हो गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अब आप दूसरी बात सुनें क्योंकि महिलाओं से सम्बन्धित बताती हूं। वैसे तो बहुत सारे हैं पंचायतों के विकास शुल्क और सब लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है वह सुन लें। कल बहुत मेजें थपथपायी गयीं कि दाल-दलहन के ऊपर वैट-फ्री कर दिया, हमने गेहूं के ऊपर वैट-फ्री कर दिया, चावल के ऊपर हमने वैट-फ्री कर दिया। मैंने जरा फोन लगाकर पूछा मण्डी के लोगों से कि यह क्या-क्या वैट इन पर होता था। पता चला कि दाल-दलहन पर 1 परसेंट वैट होता था, गेहूं के ऊपर 4 परसेंट होता था, चावल के ऊपर 4 परसेंट। अब यह जो आपने कम कर दिया या इसको समाप्त कर दिया, इससे क्या फायदा मिला आम उपभोक्ता को? कयोंकि अगर आप दाल का कर रहे हो तो आपने बेसन के ऊपर तो कोई बात नहीं कही कि बेसन के ऊपर वैट लगेगा या नहीं लगेगा। आपने चावल के ऊपर वैट-फ्री कर दिया, आपने कहा कि पोहे के ऊपर लगेगा या नहीं? आपने गेहूं को फ्री कर दिया, आपने कहा मैदा, सूजी, आटा, इनके ऊपर वैट नहीं लगेगा? तो इन प्रोसेस्ड फूड्स का क्या है? उनके बारे में कोई बात कही गयी कि इनमें भी वैट नहीं होगा? मण्डी टैक्स जिसकी काफी समय से डिमांड चल रही थी, 1.6 परसेंट मण्डी टैक्स लगता है, उस मण्डी टैक्स को आपने खतम किया होता तो कहीं वाहवाही होती, तो हमें लगता कि हां, हमारे किचन के अन्दर बजट ठीक हो रहा है। महंगाई पहले प्रति व्यक्ति .8 प्रतिशत थी, आज यह स्थिति है कि साढ़े 18 प्रतिशत प्रति व्यक्ति महंगाई की दर बढ़ गयी है। लेकिन सरकार इस पर चिंतित नहीं है। महंगाई के नाम पर ऐसा झुनझुना। यानी मजाक बनायी, कल उन्होंने जब यह कहा कि बेलन के ऊपर, चकले के ऊपर और मूसली के ऊपर हम वैट मुक्त कर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रहे हैं। अगर वैट-फ्री करना था तो तेल का पीपा जिस पर 80 रुपया टैक्स लग रहा है, उसको फ्री करते तो हम जानते कि हां, आपने तेल को सस्ता किया। आप घी को सस्ता करते। गैस की टंकी के ऊपर कुछ नहीं कहा, डीजल, पेट्रोल के ऊपर कुछ नहीं कहा और कह रहे हैं कि हम महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ना तो यह सरकार, ना केन्द्र की सरकार महंगाई के ऊपर बोली, ना भ्रष्टाचार के ऊपर किसी तरह की बात की गयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ना ही बेरोजगारी को ... (व्यवधान)... बिलकुल मैं बोल रही हूं, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: समय सीमा से तो बंधना पड़ेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात को कह दूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: दो-दो मिनट करके इतना समय निकाल रही हैं आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): केन्द्र सरकार ने बजट के अन्दर जो सांप्रदायिकरण किया है, उसका भी एक नमूना, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजना बनाने के स्थान पर राज्य के सभी निर्धनों के कल्याण के लिए योजना बनानी चाहिए थी जो सबके लिए होती, जो-जो गरीब हैं उन सबके लिए यह योजना होती। वह योजना नहीं करके आप यह कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को देंगे। बालिकाओं को उच्च शिक्षा का ऋण भी होगा, उसका भी भुगतान अगर करना है फ्री, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगे, वह भी सिर्फ उन्हीं की बालिकाएं होंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप खुद सांप्रदायिकता यहां पर फैला रहे हैं और फिर आप यह बात कह रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह इतनी सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, उसके अन्दर जितना ठगा सा महसूस कर रही है राजस्थान की जनता, इसलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपने पर आज पछता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रही है। माननीय सभापति जी, उनको लग रहा है कि महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी से आम आदमी की स्थिति बदतर हो चुकी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें। श्री गोविंद सिंह डोटासरा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जनता की भावनाओं को मैं सिर्फ दो पंक्तियों में आपके समक्ष रखना चाहती हूं।

श्री सभापति: अब आप विराजें, कई माननीय सदस्यों को बोलना है।... (व्यवधान) कुछ पाइंट आप छोड़ दें, अन्य कई माननीय सदस्यों को बोलना है।... (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, सिर्फ दो पंक्तियों में ... (व्यवधान) दो पंक्ति में जनता की क्या भावना है इस सरकार के प्रति (व्यवधान) वह रखना चाह रही हूं।(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कितनी बार बोलेंगी आप ? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ना जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझ कर, क्योंकि यह गलती कर ली जनता ने, यह सरकार लाकर जो बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब जनता यह कह रही है कि-

ना जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझ कर,
भंवर तक हमको पहुंचाया उसी ने जिसे थामें थे हम तिनका समझ कर।

सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्य सेवक माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो तीसरा बजट सदन में प्रस्तुत किया गया, उसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी बहिर्गमन डे है आपका और आप करेंगे, दो दफा कर चुके और अभी भी करेंगे, यह मुझे पता है क्योंकि आपको बर्हिगमन डे मनाना है। माननीय सदस्या ने अभी जिस बात से अपने भाषण का समापन किया है, मैं उसी तरीके से शुरुआत करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपके इतने ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। गरीब के हित में महात्मा गांधी के बाद में अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। मैं एक दोहा पढ़ना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बीच में और भी हैं, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामे खोलेंगे तो आप बहिर्गमन कर देंगे इसलिए वह नहीं करके यह बात कर रहा हूं। आप सुनें प्लीज।

सभी को रोका जाता है,

सभी को टोका जाता है, सभी की राहें-मंजिलों पर कांटों को फेंका जाता है।

रूकते कुछ, ठहरते कुछ।

कुछ तो लौट जाते हैं।

बनाकर राहें जो चलें।

माननीय सदस्य, बनाकर राहें जो चलें

वे ही मंजिल को पाते हैं।

उसका नाम है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, जो अपनी मंजिल बनाकर चलता है। आपके इन रोड़े अटकाने से रुकने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब से सरकार संभाली है, उन गरीब, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, किसान, व्यापारी, प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए उनके मन में एक पीड़ा थी। आपने पांच साल में इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं वे नहीं देने का काम किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही उन गरीबों की सुध ली। आज तीसरे बजट में उन गरीब, झोंपड़ी में रहने वाले गरीब, दलित, जिनको पानी कम मिलता था, जिनको रोटी नहीं मिलती थी, जिनके मकान नहीं थे, उन सबके आंसू पोंछने का काम किया, उसका नाम मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

सभापति महोदय, मैं पहली दफा चुनकर के आया हूं और आप इस तरीके से करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब मैं सदन में आऊंगा तो माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी, उप नेता महोदय से पूछ लीजिये, अगर वे यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कहें कि इसके बीच में हल्ला करना है तो आप जोर-जोर से कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे आपको वापस बहिर्गमन करना पड़े।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गेहूं, आटा, दाल और रसोई बनाने का सामान, केरोसीन तेल, यह बड़े उद्योगपतियों की आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है; अगर हैं तो उनके लिए खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं है, फल, सब्जी, ये सारी की सारी चीजें; अभी कह रहे थे कि चकले से क्या होता है, बेलन से क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भी ऐसा घर बता दो जिसमें चकला नहीं हो, बेलन नहीं हो, चिमटा नहीं हो लेकिन ए.सी. कारें दस प्रतिशत लोगों के पास भी नहीं होंगी। इसलिए आम जरूरत की वस्तुओं को टैक्स-फ्री करके किसानों के लिए वह काम किया जो आप पांच साल तक नहीं कर सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान ऊर्जा के लिए तड़प रहा था, पांच साल तक आपके शासन में। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सत्ता संभालने के बाद में यह तीसरा बजट है जिसमें ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपके कार्यकाल में एस.सी. ऑफिस खुलने थे, ए.ईएन. आफिस खुलने थे, किसी तरह की कोई बिजली आपने पैदा नहीं की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से 2011-12 में 1,860 मेगावाट खुद की और निजी क्षेत्र में 810मेगावाट वृद्धि करने की जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बिजली में ग्रिड बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं लेकिन कार्यालय नहीं खुल रहे थे। पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इनके खंडों और उप-खंडों का पुनर्गठन करने की जो घोषणा की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। विद्युत विभाग की किसी लाइन से अगर कोई किसान, कोई मजदूर खतम हो जाता था तो उसको, माननीय उप नेता महोदय, 25 हजार रुपये मिलते थे। आप समझ सकते हैं कि वह गरीब किसान होगा, वह गरीब मजदूर होगा, कोई अरबपति, करोड़पति, लखपति आदमी विद्युत दुर्घटना का शिकार नहीं होगा, उसके लिए 25 हजार से बढ़ाकर के ढाई लाख रुपये करने का काम किया तो वह अशोक गहलोत की सरकार ने किया। ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार की हैं, जो एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ देने की बात करती हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों में आपने पांच साल में जो काम किया, उसका नमूना मैंने अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे भाषण में बताया था। 176-176, 180-180 काम भी एक-एक साल में आप केवल एक जिले में ले गए। आज मुख्य मंत्रीजी ने 'आप सबके लिए, हम सबके लिए,' प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 1100 किलोमीटर धार्मिक सड़कों और 16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक देने का जो कदम उठाया है, जो घोषणा की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। अभी माननीय सदस्या, किरण माहेश्वरी जी फरमा रही थीं कि 610 का कैसे सपना आया, आपकी यह हालत है तो मैं समझता हूं कि अबकी बार आपके आधे भी नहीं आने। यह प्रस्ताव आप और हमने दिए हैं, ये चिह्नित हो गए हैं और सारी की सारी जगहें आइडेंटिफाई हो गई हैं, जिन धार्मिक स्थलों पर ये सड़कें बननी हैं। इसलिए आप कम से कम ध्यान रखिए और दिल्ली के चक्कर कम लगाइए, अपने फील्ड में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि ये धार्मिक स्थल 610 कहां से आए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए, 30 से 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है। पी एम जी एस वाई में अभी कह रहे थे, यह नहीं बनाई, वह नहीं बनाई; माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने, एन डी ए की सरकार ने और उसके बाद में राजस्थान में आपकी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने गांवों, ढाणियों और मजरों को जोड़ने में रुकावट डाली थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत ने प्रयास किया और माननीय प्रधान मंत्रीजी से बात की और इन गांवों, ढाणियों और मजरों को जोड़ने के लिए, 5,749 ढाणियों को जोड़ने के लिए जो 250 से कम आबादी की हैं, उनको जोड़ने की अगर किसी ने घोषणा की है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। आप नहीं चाहते थे कि सड़कें बनें। लेकिन मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं छोटी-मोटी त्रुटि हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से यह जो 5,749 ढाणियां हैं, ये जिला परिषदों से और भी कई ढाणियां एक साथ स्वीकृत होकर, अनुमोदित होकर आई हैं, उन ढाणियों में, कुछ जगहों पर, वास्तव में कुछ छूट गई हैं। अगर उनको भी शामिल करेंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा कदम होगा अशोक जी गहलोत की सरकार का।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल संसाधन में आपने जो काम किए, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लेकिन उन एस सी, एस टी, बी पी एल, माइनोरिटी के लोग जो पानी के लिए तड़फते थे, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर से पानी लाते थे, अगर उनको पानी पिलाने का काम किया है तो वह अशोक गहलोत की सरकार ने किया है जिसने एस सी, एस टी, बी पी एल और माइनोरिटी की उन ढाणियों को जो दूर-दूर तक बसीं थीं, उनको पानी पिलाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण गठित करने का फैसला भी राजस्थान की सरकार ने लिया है और बीकानेर में हाइड्रोलाजी एंड वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट बनाने का फैसला भी राजस्थान की सरकार ने, अशोक जी गहलोत की सरकार ने लिया है। कोई भी फैसला लेने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप में इच्छा शक्ति थी लेकिन आप दूसरे कामों में लग गए, यह फैसला आप नहीं कर सके। आपस में लड़ने का काम किया या जो दूसरे काम होते हैं, वे किए। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता। जो 3,414 बस्तियां लाभांवित हो रही हैं, जिसमें मेरा भी सौभाग्य है कि लक्ष्मणगढ़ शहर के लिए भी 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की एक दीर्घकालीन योजना बनाकर स्वीकृत की गई है और बजट में भी उसका उल्लेख किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज की ढाणियों में बैठे हुए लोगों को पानी पिलाने के लिए जी एल आर, ट्यूबवेल, सिंगल फेस, पाइप लाइन जो स्वीकृत की गयी हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत और जलप्रदाय मंत्री महीपाल जी मदेरणा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन गरीबों की आत्माएं दुआएं और आशीष दे रही हैं। यह पहली सरकार है जिसने उन गरीबों, दूर ढाणियों में बैठे लोगों को पानी पिलाने का काम किया है। माननीय सदस्य बाबूसिंह जी राठौड़ हंस रहे हैं, ये भी खूब पैसा ले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो लोग प्यासे मरते, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार ने अपने बजट में इन लोगों को, गरीब लोगों को, दूर-दूर ढाणियों और कस्बों में बैठे लोगों को पानी पिलाने के लिए 142 करोड़ रुपए राज्य मद में, 1,200 करोड़ रुपए केन्द्र मद में और 3,623 एस सी की बस्तियों, 112 एस टी की बस्तियों, 795 अल्पसंख्यकों की बस्तियों और 6,073 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने की जो घोषणा की है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। यह हम सबके लिए अच्छी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बात है। कोई पानी पीने वाला यह नहीं देखता है कि यह बी जे पी का व्यक्ति है या यह कांग्रेस का है या यह किसी और पार्टी का है, उसकी आत्मा उसको आशीष देगी जो पानी पिलाएगा। तो पूरा सरकार को देगा लेकिन उसका आशीष थोड़ा-बहुत आप और हमको भी जाएगा कि आप जन-प्रतिनिधि थे उस वक्त यह पानी आया था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपणी योजना (द्वितीय) जो सरदारशहर से सुजानगढ़ के लिए स्वीकृत करने और काम चालू करने की जो घोषणा की है, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और जलदाय मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा व धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि 30 मार्च को लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोगों के लिए इस पानी को लाने के लिए सर्वे पूरा हो रहा है, मेहरबानी करके लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोगों के लिए पानी सुजानगढ़ से आगे लाइए, लोग आपको आशीष देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एरिया फ्लोराइडग्रस्त है, इसलिए यहां इस पानी की सख्त आवश्यकता है। मेहरबानी करके वह पानी सुजानगढ़ से आगे लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी लाइए। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई, कभी 600 करोड़ रुपए की योजना बनाई और कभी 1,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई ; केवल योजनाएं बनाते रहे, प्रश्न लगते रहे, उत्तर आते रहे कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह काम कर दिया जाएगा। राजस्थान की इस अशोक जी गहलोत की सरकार ने सरदारशहर से सुजानगढ़ तक पानी को लाने की बात की है, सुजानगढ़ से आगे लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर क्षेत्र के लोगों को आप फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा काम माननीय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत और स्वास्थ्य मंत्रीजी कर रहे हैं। 1 हजार कम्पाउंडर-नर्स (ग्रेड-II) की भर्ती की बात की है, एन आर एच एम में आयुर्वेद नर्सों की भर्ती की बात की है, 50 उप-खण्डों में 108 एम्बुलेंस देने की बात की है, 600 शय्याओं में वृद्धि की बात की है और 50 नयी पी एच सी और 35 नयी सी एच सी खोलने की बात की है। एक और सबसे बड़ी बात राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने की है, वह यह है कि 2 अक्टूबर से सरकारी अस्पतालों में सारे के सारे लोगों को, मरीजों को मुफ्त दवाई देने की बात की है; यह बात किसी ने की है तो उसका नाम है अशोक जी गहलोत की सरकार। यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

काम आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आप तो सम्पत्ति बटोरने में लगे रहे। या तो गरीब की सेवा होगी या अपने घर सम्पत्ति से भर जाएंगे, दोनों में से एक ही काम होगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री, ईमानदार मुख्य मंत्री, सेवा भावना से आए हैं और गरीबों की सेवा करने के संकल्प के साथ में कार्य कर रहे हैं।

कल जब बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्रीजी पढ़ रहे थे तो मैं निवेदन करूं कि 50 से ज्यादा बार मेज थपथपाई गई और आपकी तरफ से केवल तीन बार थपथपाई गई। अब थपथपाओ मेजें। यानी यह अच्छी बात नहीं हुई। आपने केवल तीन दफा टोका, इसके अलावा आपके पास टोकने के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचा था क्योंकि ऐसा बजट आप दे नहीं सकते थे, आप इसकी आशा ही नहीं कर सकते थे। आप तो केवल 26 वाले उसमें लगे रहे और उसमें उप नेता महोदय का नुकसान कर दिया। आपको बाकी तो क्या करना था, जो होना था वह उतना ही होगा, क्योंकि आपको तो विपक्ष में बैठना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 250 सब-सेंटर्स, 50 पी एच सी और 10 सी एच सी भवनों के निर्माण की बात भी इस बजट में कही गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 289 आयुर्वेद चिकित्सक, 40 यूनानी व 250आयुर्वेद कर्मियों की बात भी इस बजट में कही गई है।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के साथ-साथ शहरों में भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किए गए हैं और इस बात के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिछली दफा जब बोल रहा था तो मुझे एक माननीय सदस्य बार-बार टोक रहे थे कि गुर्जरों की बात मत करो लेकिन आज मैं टोकने से भी नहीं रुकूंगा। इन गुर्जर भाइयों को दो सौ करोड़ रुपये का अगर पैकेज देने का काम किया तो उसका नाम अशोक गहलोत है और कांग्रेस का शासन है। दो सौ करोड़ रुपये। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपने 70 को मारा, आपने यह वातावरण पैदा कर दिया राजस्थान का इन गुर्जरों पर गोलियां चला-चला कर के कि राजस्थान में विदेशी लोग पर्यटन के लिए नहीं आते थे, देश के कोने कोने से लोग पर्यटन के लिए नहीं आते थे, जान घबराती थी उनकी। आज वह वातावरण दूर हुआ और शांति से बैठकर के फैसला हुआ। गुर्जर भाई भी राज़ी हुए, अन्य जातियों के लोग भी राज़ी हुए। आज एक भी जाति का सम्मेलन इस सवा दो, ढाई साल में नहीं हुआ। अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सब जातियों को एक साथ लेकर चलने का कोई काम करता है तो उसका नाम है मुख्य मंत्री अशोक गहलोत। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका समय आने वाला नहीं है।

इन माइनोरिटी के लोगों को, मदरसों को क्रमोन्नत करने का अगर काम हाथ में किसी ने लिया तो उसका नाम अशोक गहलोत है और एस सी, एस टी, आश्रम छात्रावासों में मैस भत्ता बढ़ाने का काम किया। इस सरकार ने इन आशा सहयोगनियों का और उनके भत्ते बढ़ाने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए वहां पर एल ए, पंचायत प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक और जे.ईएन., चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बढ़ाने का जो फैसला लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है इस बजट में, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि नरेगा में 35 परसेंट कम पैसा आया, वह 35 परसेंट पैसा वह है जो आपके कार्यकर्ताओं ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, उसको भ्रष्टाचार में उड़ाने का काम किया था। वह पैसा कम हो सकता है, इसके अलावा एक पैसा कम नहीं हुआ। उदाहरण ले लीजिए, आपकी सरकार में पति, पत्नी सरपंच, पति ठेकेदार, दुकान का मालिक सरपंच और उसके जो किराये में पंचर की दुकान लगाता है वह ठेकेदार, इस तरह के कारनामे अगर हुए तो आपके पांच साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए। आज एक भी ऐसा कारनामा नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक बात अलग चलकर और यह कानून बनाने की बात की है जिसके तहत ये टेंडर, ये निविदाएं, ये सारे के सारे पारदर्शितापूर्ण तरीके से, ईमानदारी से जो पैसा सरकार में प्रत्येक हिन्दुस्तान के नागरिक का है, वह पैसा उनको मिले, उनका हक उनकी जेब तक जाए, इस बात का फैसला करने का काम किया तो उसका नाम अशोक गहलोत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा विभाग में दो हजार 2007-08 से लेकर आपने जो आनन-फानन में स्कूलें खोलीं उनमें टीचर नाम की एक चीज नहीं थी। अगर इस साल को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए तो यह भर्तियों का साल होगा और उन भर्तियों को खोलने का काम माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने बजट भाषण में किया है। 50 हजार थर्ड ग्रेड के टीचर, 25 हजार से ज्यादा प्रधानाध्यापक, सैकंड ग्रेड के टीचर, 10 हजार से ज्यादा आपके पुलिस के कांस्टेबल, साढ़े 8 हजार से ज्यादा दूसरे एन आर एच

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एम में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सवा लाख नौकरियां उन बेरोजगारों को लाभ देंगी जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत से आस लगाई थी, कांग्रेस के शासन से आस लगाई थी। आप तो जाते-जाते, हमारे यहां भी सीकर में ऐसा भी हुआ था, माननीय उप नेता विराज रहे हैं, वह पत्थर जल्दबाजी में गांव वालों ने इसलिए नहीं लगाने दिया कि आप दे क्या रहे हो, यों पत्थर ही लगा रहे हो क्या? तो प्लेन पेपर पर नाम लिखकर काले से और उसका उद्‌घाटन भी कर आये थे। उनमें अगर शिक्षक लगाने के काम की घोषणा की है तो इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि 25 हजार सेकंड ग्रेड प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। यों ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टाम्प ड्यूटी, एक किसान... (व्यवधान) आप यों ही करते रहो, आपका समय दुबारा आने वाला नहीं है क्योंकि आप तो उस चक्कर में लग गये। (व्यवधान) इसलिए आप बिराज जाओ। आप तो भगवा पहनते हो, माननीय सदस्य, आपका टिकट पक्का है, आप काहे के लिए झगड़े में पड़ रहे हो? हनुमान जी बेनीवाल साहब जैसे लोग करें तो बात समझ में आती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के मन में गरीब, दलित, पीड़ित व्यक्तियों के साथ-साथ वे लोग जैसे आर्मी के लोगों के अलावा, सी आर पी एफ और सी आई एस एफ के जो लोग हैं, उनको कर लगता था, उनको सी एस टी कैंटीन के तरह कर-मुक्त कर सामान देने की बात थी तो वह अशोक गहलोत ने अपने भाषण में की है। अगर पंचायतों को मजबूत करने के लिए अनटाइड फंड देने की बात की, प्रधानों को वाहन देने की बात की और राजस्थान में पारदर्शिता विधेयक लाने की बात की तो वह माननीय अशोक जी गहलोत हैं, जिन्होंने अपने भाषण में ये सब बातें कही हैं। धार्मिक स्थलों के विकास की बात की है और ''प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान'' इस प्रकार का शानदार प्रोग्राम इतिहास में पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने कराया और आगे अब संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर, 2011 से शहरों में भी इस तरह का ''प्रशासन-शहरों-के संग अभियान "चलाकर के शहर के उन लोगों को लाभान्वित किया जाएगा जो आज तक उन सुविधाओं से महरूम थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं पटवार भवन नहीं थे; काश्तकार आते थे, पटवारी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वहां नहीं मिलता था, उसमें एक हजार पटवार भवन बनाने की बात की इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 15 नये पारिवारिक न्यायालय खोलने की बात की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और धार्मिक स्थलों के विकास करने का जो संकल्प दोहराया गया है बजट के माध्यम से, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। सहरिया और कथोड़ी जनजाति के लिए विशेष पैकेज की जो घोषणा की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से ... व्यवधान)

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कि जो गांव और ढाणी में बैठे लोग हैं, गैर-आबादी क्षेत्र में बैठे लोग हैं, उनको घरेलू बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मेहरबानी करके कोई योजना बनाइए। 60 साल के बाद में हम जन-प्रतिनिधि उन लोगों को यह नहीं कह सकते कि आप गैर आबादी क्षेत्र में बस गये, ढाणियों में बस गये इसलिए आपको कनेक्शन नहीं देंगे। यानी इस प्रकार की कोई नीति नहीं है।

मेहरबानी करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक उप-तहसीलों को भी खोलिये, दूसरे नये निर्माण कीजिए। मेरा सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्रफल का विधान सभा क्षेत्र है, उसमें नेछवा उप-तहसील खोलने के लिए मैं आपसे इसके माध्यम से मांग करता हूं। एक एस डी एम हैडक्वार्टर तो है लेकिन सी ओ आफिस नहीं है पुलिस का, इसलिए लोगों को फतेहपुर जाना पड़ता है। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दूरी का काम है, लक्ष्मणगढ़ जाकर के फिर फतेहपुर जाते हैं। इसलिए वहां पर सी ओ आफिस भी होना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हाउसिंग बोर्ड की जमीन वहां पर अवाप्त करने की बात की है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसको उलझा कर रख दिया। दूसरी जमीन भी ले ली और उस जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो काश्तकारों की, छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन है, उनको वापस मुक्त कराने का कष्ट करें।

मैं ज्यादा नहीं कहकर के इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बजट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, वह उन गरीब, बेसहारा, गांव, ढाणियों में बैठे एस सी, एस टी, बी पी एल, सहरिया और विशेषकर ओ बी सी के लोग, ओ बी सी के और सर्वहारा वर्ग, ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारे के सारे लोगों के फायदे के लिए किया गया है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डेजर्ट कूलर आदि में भी जो कर मुक्ति की घोषणा की है, वह भी वास्तव में प्रशंसनीय है। बच्चों के बैग को कर-मुक्त करने की बात की है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और बिजली के जो एलईडी से भी कम करने की बात की है, पानी की प्लास्टिक की टंकियां जो प्रत्येक घर में काम आती हैं...

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसमें कर-मुक्त करने की जो बात की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण 2011-12 पर आपकी अनुमति से मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि बजट सरकार का एक आइना होता है और उस बजट में सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या नीति है, वह एवं सरकार अपना सारा विवरण, लेखा-जोखा उसमें प्रस्तुत करती है।

माननीय सभापति महोदय, हम यह कहें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में यदि हम यह देखें कि कोई भी सरकार हो, अपना एक चुनाव मेनिफेस्टो प्रस्तुत करती है और उस मेनिफेस्टो में सभी पार्टियां यह उल्लेख करती हैं कि हम किसान का, गांव का, गरीब का उत्थान करेंगे, कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनायेंगे। परन्तु, सभापति महोदय, अभी जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसको देखने से ऐसा लगता है कि गांव के प्रति,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किसान के प्रति इस पूरे बजट में उपेक्षा की गई है और उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं पूरे राजस्थान के परिदृश्य में निवेदन करना चाहूंगा कि 342 लाख हैक्टेयर में हमारा कृषि का भू-भाग है और यदि हम उसकी कृषि जोतों की बात करें तो लगभग 218 लाख हैक्टेयर औसतन बुवाई हमारे राजस्थान में होती है। लेकिन कृषि बजट को यदि हम देखें, उन बिन्दुओं को यदि हम छुएं तो ऐसा लगता है कि माननीय अशोक जी गहलोत सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इनको किसान की चिन्ता नहीं है। इन्होंने किसान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। अच्छा होता कि यह पूरे का पूरा बजट कृषि आधारित होता, किसान के हितों पर होता, फसल उत्पादन के लिए होता तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास को एक नई दिशा मिलती। सभापति महोदय, यदि हम यह देखें कि कृषि से जुडे लगभग 1,31,40,000 से ज्यादा लघु व सीमांत कृषक हैं, यदि हम कृषि श्रमिकों की बात करते हैं तो लगभग साढ़े 25 लाख कृषि श्रमिक हैं। यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो राजस्थान की जो हमारी साढ़े छह करोड़ की पापुलेशन है, उसके आधार पर इसको जोड़ते हैं तो इतना पैसा बजट में कृषि पर, कृषि से जुड़े लोगों पर, किसानों पर बजट में प्रावधान होना चाहिए था लेकिन, सभापति महोदय, ऐसा नहीं हुआ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 2008 में अपना चुनाव घोषणा पत्र घोषित किया और उसको दिसम्बर में कैबिनेट मीमो के रूप में अनुमति दी, उसको पास किया। सभापति महोदय, उसको देखें तो कांग्रेस ने संकल्प लिया, उसको कैबिनेट के माध्यम से प्रमाणित किया और कहा कि हम बी पी एल, एस सी, एस टी के किसानों को कृषि योग्य भूमि का आबंटन करेंगे। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों राजस्थान भर में राजस्व शिविरों का आयोजन किया, आप आंकड़े उठाकर के देख लीजिये कि उन राजस्व शिविरों में मात्र कोई काम हुआ है तो जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और नामान्तरण का हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने और राज्यपाल के अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया कि हमने एस सी, एस टी, ओ बी सी और लघु व सीमांत कृषकों को इतनी बीघा जमीन का आबंटन किया। यह कथनी और करनी में अन्तर हुआ जिससे न नियमन हुआ और न आबंटन हुआ और वह पूरा का पूरा अभियान फ्लाप सिद्ध हुआ।

सभापित महोदय, उन्होंने दूसरी घोषणा की कि फसल बीमा योजना को

(श्री प्रभुलाल सैनी)

पंचायत इकाई तक हम लेकर के जायेंगे। सभापति महोदय, देखिये कि उस फसल बीमा योजना को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। तीसरा इनका रहा कि कृषि क्षेत्र पर प्राथमिकता आधारित कृषि उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे परन्तु एक भी कृषि उद्योग को दो साल के शासन में इन्होंने न इंसेंटिव दिया, न उनको प्रेरित किया, न प्रोत्साहित किया। कोई भी ये नहीं लगा पाये।

चौथा इन्होंने कहा कि एन एच एम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को पूरे राजस्थान में हम लेकर के जायेंगे। सभापति महोदय, जो हमारे समय में 24 जिले थे वे ही आज भी हैं। इन्होंने उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे और राज्य में किसान आयोग का गठन करेंगे। सभापति महोदय, इनके कैबिनेट मीमो में यह तय हुआ। 2007 में तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी की सरकार के वक्त में हम लोगों ने किसान आयोग का गठन कर दिया था पर किसान आयोग का गठन करने के बाद आज दिन तक भी किसान आयोग द्वारा राजस्थान में काम करना प्रारम्भ नहीं किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

पांचवीं बात, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं में उचित मुआवजे की नीति का निर्धारण करेंगे। सभापति महोदय, आप देखिये कि 15 फरवरी को पूरे राजस्थान में ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ पर आप देखिये कि एक पटवारी के भरोसे पूरे राजस्थान की इन्होंने काश्त गिरदावरी करवा दी। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पटवारी को फसल खराबे के बारे में क्या जानकारी होती है? पटवारी यदि यह बात कहे कि कितनी जमीन का कितना रकबा खराब हुआ है तो यह तो बात समझ में आती है लेकिन यह बात कहां समझ में आती है? यदि उसमें कृषि वैज्ञानिक लगाते जो उसमें समझदार हो, जो कृषि को जानते हैं उनको लगाते तो समझ में आता कि जीरे में कितना नुकसान कितनी बारिश में होता है, धनिये में कब होता है, ईसबगोल में कब होता है और तब तो सही मूल्यांकन आता। परन्तु, सभापति महोदय, इन्होंने सोची-समझी नीति के तहत 25 से 30 प्रतिशत खराबा दिखाकर के इतिश्री कर ली और झूठ-मूठ के मुआवजे की घोषणा की बात ये लोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि डेजर्ट कृषि उत्पाद विकास मार्केटिंग बोर्ड का गठन करेंगे पर आज दिन तक नहीं हुआ। वेस्टर्न राजस्थान में प्रोडक्ट के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाने की बात की पर एक काम नहीं हुआ। इसलिए,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सभापति महोदय, मैं इस बजट में निवेदन करना चाहूंगा कि चाणक्य का एक मंत्र है ''Progress is the basis of the prosperity.'' सभापति महोदय, यदि हम बजट घोषणाओं की सुनिश्चितता की बात करें, बजट घोषणाओं में जो बात कही है, हम यह तो नहीं कह सकते कि झूठ का पुलिंदा है लेकिन हम यह विश्वास भी नहीं कर सकते कि जो बजट में कहा गया है, उसकी वास्तव में क्रियान्विति होगी या नहीं होगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि ''Equal share and equal priority to all'', जो इन्होंने कहा है कि हम सब के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, सभापति महोदय, कहां कर दिया सब के साथ समानता का व्यवहार? कथनी और करनी में यह मात्र स्लोगन नहीं होना चाहिए, उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए और यदि क्रियान्विति होती तो हम जिस कृषि की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं और उसमें हम जी एस डी पी का रेश्यो देखते हैं कृषि-पशुपालन का, तो 22.28 प्रतिशत कृषि का जी डी पी रेश्यो है और यदि हम जोइंट को देखते हैं तो 26.37 बनता है। मात्र 30 प्रतिशत इर्रिगेटेड लैंड राजस्थान में है और उसी के आधार पर हमारा किसान अपनी फसल के उत्पादन में पूरा काम कर रहा है। अच्छा होता कि जी एस डी पी का रेश्यो यदि इतना कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र को मिलता तो इतना ही बजट इन पर देना चाहिए था ताकि हम राजस्थान को और आगे बढ़ाने का काम करते।

हमारी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की बनी। सभापति महोदय, 71,732 करोड़ की योजना बनी और इस योजना में 99 प्रतिशत जो योजना का आकार था, वह 4 वर्षों में हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब आप देखिये कि इस वर्ष की 27,500 करोड़ की जो योजना बनी है, इससे ऐसा लगता है कि यह हमारी योजना है वह 99 हजार करोड़ की हो जायेगी और 99 हजार करोड़ की योजना होने के बाद कृषि पर उसका जो सम्बन्धित क्षेत्र में व्यय का प्रतिशत है, वह 3.16 प्रतिशत दिखाया गया है।

सभापति महोदय, हम सारी चीजों का आकलन करें तो हम यह कह सकते हैं, जैसा अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे अशोकजी गहलोत साहब एक गांधीजी के रूप में है और गांधीजी के रूप में कल्पना करना चाहते हैं, मैं गांधीजी के उन शब्दों को आपके बीच में उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने कृषि के बारे में कहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार नेतृत्व की बात कही है, मैं उन शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

''मेरी आकांक्षा तो यह है कि हम इतने फल और सब्जियां पैदा करें जो हमारे लिए पर्याप्त हों। यदि गौ-माता के लिए घास आदि पैदा करें और आश्रम के लिए अनाज भी, तो खेती के पूर्ण आदर्श को हम पहुंचेंगे। मैंने इसके बारे में काम सबसे कम किया है और बातें सबसे ज्यादा की हैं। क्या करूं, खेती उन्हीं चीजों में से एक है जो करने का ख्याल मुझे आधी उम्र बीतने के बाद आया।'' सभापति महोदय, महात्मा गांधीजी को भी यह आधी उम्र बीतने के बाद खेती के विकास की बात सामने आई थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनका उद्धृत कोटेशन है। तो मैं अशोकजी गहलोत साहब से भी कहना चाहूंगा कि वे भी गांधीजी के रूप में हैं, जैसा कि हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, तो अभी भी समय है, आपके पास दो वर्ष का समय है, आप आपका यह पूरा बजट किसानों के आधार पर बनायें और किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास करें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए थी बजट में कि हमको इसके प्रावधान करने चाहिए।

आज के ग्लोबेलाइजेशन के युग में आज हम बात कर रहे हैं कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इससे काम चल जायेगा? क्या हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के व्यक्ति को मात्र दाल और रोटी मिल जाए और प्रभु के गुण गाता रहे? यही हमारी सोच हो गई? इस ग्लोबेलाइजेशन के युग में हमें देखना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें उन बिन्दुओं पर जाना होगा, प्रोडक्टिविटी एन्हांसमेंट पर ध्यान देना होगा, सेल्फ-लाइफ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा, सेफ साइज एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हमको करना होगा और न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना होगा, वेल्यू एडिशन, एग्रो-प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग चेंस की स्थापना करनी होगी। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में एक भी काम नहीं लिया गया है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारी वसुन्धरा राजेजी की सरकार....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो साहब, और की तरफ तो ध्यान रखो, आप भी तो किसान हैं।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): वसुन्धरा राजेजी की सरकार के वक्त में हम लोगों ने एक कल्पना की थी, आज यदि इस बजट को पढ़े तो हास्यास्पद लगता है, इसको कोई भी पढ़े तो हास्यास्पद लगेगा लेकिन हमारी सरकार के

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(समय: 18.00 बजे)

वक्त में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास किया था। 2003 से 2008-09 तक के हमारे जो बजट्स थे, उनमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ओलियोकल्चर, सेरीकल्चर, टिश्यु कल्चर, हर्बिकल्चर, मेडिसिनल, एरोमेटिक, पशुपालन, पोल्ट्री, पिगरीज, फिशरीज और बी-कीपिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स को जोड़कर किसानों की हालत को ऊंचा उठाने का प्रयास करते थे।

यह पिछले वर्षों में जो दो वर्ष के बजट आये और यह तीसरे बजट में आज हम इसकी तुलना करें, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्पादन और उत्पादकता में हम लोग अग्रणी रहे। 2008-09 में जहां पर 1,66,94,000 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ, इनका जब समय आया 2009-10 में 123 रह गया। यानी 43.34 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन इसलिए कम हुआ कि इनका विजन नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इनका प्लान नहीं है, इसलिए कम हुआ। यदि हम बात करें दलहन की तो दलहन में आप देखिये, सभापति महोदय, 18.26 लाख मीट्रिक टन था और इनके टाइम में 7 लाख मीट्रिक टन हुआ। इससे ऐसा लगता है कि 12.38 लाख मीट्रिक टन की इसमें भी कमी आई। इसी प्रकार तिलहन में 52 लाख मीट्रिक टन और इनके समय में हुआ 44.36 लाख मीट्रिक टन, इससे ऐसा लगता है कि 8.36 लाख मीट्रिक टन तिलहन में भी कम हुआ। आखिर इस पर हम विचार करें कि हमारा प्रोडक्शन व प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस ओर हमको चिंतन करने की और मनन करने की भी जरूरत होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हमारे समय में कृषि का जो बजट होता था, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, जिसमें हम बाजरे में 52 प्रतिशत, यानी देश में नम्बर वन स्थान पर थे, हम ग्वार की बात करें तो 46 प्रतिशत थे; मैथी की बात करें तो 87 प्रतिशत थे; जीरे की बात करें तो 52 प्रतिशत थे; धनिये की बात करें तो 71 प्रतिशत थे और मस्टर्ड की बात करें तो 48 प्रतिशत पर थे हम लोग। हमारी योजना थी, हमारी प्लानिंग थी।

अब, सभापति महोदय, आपको बजट घोषणा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, संक्षेप में कहना चाहूंगा। इन्होंने बजट में 2011-12 के बजट के पैरा संख्या-30 में यह अंकित किया है कि टोंक शहर को बीसलपुर से नई पाइपलाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन्होंने बजट सत्र 2009-10 में पैरा संख्या-47 में यही घोषणा की थी कि जिन नई योजनाओं का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है, उनमें टोंक, बीसलपुर और जोधपुर भी शामिल हैं। सभापति महोदय, आज हम यह देखें कि यह जो योजना 85 करोड़ रुपये की 2005 में हम लोगों ने स्वीकृत की थी, 2007 में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गठालाजी ने जो दो बात उठाई थीं, वे भी बता दो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अभी बता दूंगा उसमें भी। हां, वह मैं बता रहा हूं।

सभापति महोदय, आप यह देखें कि 2005 में जो योजना 85 करोड़ की थी, अभी देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार में काम नहीं हुए, मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में हम लोगों ने 247 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृत किया था, उसके बाद में यह योजना धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 400 करोड़ रुपये की हो गई और बजट घोषणा के बाद 436 जिन गांवों को लाभान्वित करना था, आज दिन तक भी इन्होंने इस योजना का काम प्रारम्भ नहीं किया। इसलिए अब सरकार की मंशा यही है कि एन्युटी बेस पर इस काम को करने का विचार रखती है और कहना इनका यह है कि अब तक हम लोग नौ लाख रुपये इस पर खर्च कर चुके हैं जबकि, सभापति महोदय, एक भी नये पैसे का काम आज दिन तक प्रारम्भ नहीं किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब मैं अंत ही कर रहा हूं। तीसरा, सभापति महोदय, इन्होंने अपनी घोषणा में कहा है कि 2011 में विश्व बैंक के सहयोग से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण प्रतिस्पर्द्धा योजना हम लागू करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, 2008-09 में राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पीटिटिव प्रोग्राम्स में हम लोगों ने पांच राज्यों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान, इनके प्रोजेक्ट्स बनाकर हम लोगों ने विश्व बैंक को भेजे थे, विश्व बैंक ने उसको स्वीकृत कर दिया लेकिन दो साल तक इस सरकार ने उस पर इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया कि कहीं उसका नाम भी भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा राजे को नहीं मिल जाये। इसलिए अब इसको ये लेकर आये हैं।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मेरा तो आपसे यही कहना होगा आखिरी में, सभापति महोदय, जिस ड्रिप इर्रिगेशन की इन्होंने बात कही है, मैं कहना चाहूंगा कि ड्रिप इर्रिगेशन की बात जो कही है कि हम इसको 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत लेकर जायेंगे, ड्रिप इर्रिगेशन में इन्होंने जो कहा कि सब्जियों, कपास, गन्ना को लेकर जायेंगे, मैं तो कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी इतनी उदारता दिखायें कि पूरे राजस्थान की कृषि व्यवस्था में चाहे जिंस जो भी हो, सभी के लिए लागू करें तो राजस्थान के किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल सकेगा।

अंत में मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात कही है अभी, मोनसेंटो कम्पनी की बात आई है, गत बजट में भी कहा था कि वेस्टर्न और उदयपुर की तरफ हम लोग मोनसेंटो के बीज का वितरण करेंगे, सभापति महोदय, इन्होंने किया लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ कि 40 करोड़ की मक्का बिना बजट, बिना टेंडरिंग के इन्होंने खरीदकर राजस्थान की उस कृषि व्यवस्था को जहां हम देश में नम्बर वन उत्पादन के क्षेत्र में आते थे, हम लोगों को पिछड़ा कर दिया। हाइब्रिड देकर राजस्थान के किसानों को बरबाद करने की एक साजिश और एक षड्यंत्रपूर्वक इन्होंने काम किया है।

सभापति महोदय, यही बात कहकर, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अब प्लीज सम-अप करें, माननीय सदस्य। श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): संक्षेप में, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात कही है पशुपालन की, पशुपालन में बजट के पैरा संख्या-124 में इन्होंने कहा कि हम 100 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को, 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को और 45 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करेंगे, सभापति महोदय, आप यह देखें कि क्रमोन्नत करने से राजस्थान के किसानों पर क्या फर्क पड़ने वाला होगा? इनको करना चाहिए था कि पशु गणना के आधार पर 5.66 करोड़ जो हमारे पशु हैं, उनके काम के लिए ब्रीड कन्फर्मेशन का काम करना चाहिए था, स्पर्म सलेक्शन का काम करना चाहिए था, मल्टीपल ओल्यूलेशन का काम करना चाहिए था, एम्ब्रयो ट्रांसफर का काम करना चाहिए था। इन्होंने दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, किसी भी प्रकार की चीज का बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं नाम पुकार चुका हूं। श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज बजट भाषण का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट भाषण पर वाद-विवाद की शुरुआत उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की और चूंकि मैं उनका सम्मान करता हूं, सम्माननीय कटारिया साहब का और उन्होंने कांग्रेस का नारा जिसे बताया कि 'कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ ,'वहां से उन्होंने अपनी बात शुरु की और उस भाषण में बार-बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि जब पिछली बार सामने बैठे साथियों की सरकार थी उस समय टेबलों को थप-थपाकर गरीब को गणेश मानकर काम करने वाली बात सामने आई थी और गरीब को गणेश मानकर सरकार चलाने का संकल्प लिया था। उसके बारे में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब इस बजट भाषण की बात आ रही है, सड़कों के निर्माण की बात आ रही है, गरीब की दाल-रोटी की बात आ रही है, गेहूं और तेल सस्ता होने की बात आ रही है, यह सोच गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच में साफ देखने को मिलता है। पिछली सरकार में भी काम हुए हैं, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार ने ही किये हैं पर पिछली सरकार में और अभी की सरकार में ऊंच-नीच का भेदभाव देखने को मिला है। यह बजट भाषण दर्शाता है कि गरीब का सम्मान, गरीब को रोजी-रोटी और गरीब को भरपेट खाना खिलाकर सुलाने का संकल्प अगर है तो कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत के दिल और दिमाग में है। माननीय गहलोत साहब ने इस बजट भाषण में जो दर्शाया है, वह राजस्थान की गरीब जनता के प्रति सिम्पेथी दिखाकर वह काम किया है, वह यह है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सड़क निर्माण जिसमें मिसिंग लिंक की सड़कों को जोड़ने की घोषणा की है, न कि सत्ता पक्ष के एम.एल.एज. के लिए है, वह पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों के लिए 16 किलोमीटर सड़क मिसिंग लिंक के माध्यम से दो साल में जोड़ने का है। वह आप लोगों के लिए भी है और हमारे लोगों के लिए भी है। जब धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात आई और धार्मिक स्थलों को जो सड़कों से जोड़ने की बात कही गई, मैं मानता हूं कि पिछले टाइम धर्म के प्रति जो सिम्पेथी दिखाते थे, धर्म के प्रति अपनी अहम भूमिका बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितनी धार्मिक सड़कों को जोड़ा है, वह भी कार्यकाल

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

आपके बीच में गुजरा है, वह भी आप बतायें। जब कांग्रेस पर आरोप लगाये जा रहे थे कि यह धर्म के प्रति सिम्पेथी, धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, हमारे अशोकजी गहलोत ने छह सौ से ऊपर धार्मिक स्थलों को जोड़कर यह दर्शाया है कि हम लोग भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वह चीज इस पुस्तक में लिखी गई। अभी राजसमंद से आने वाली मेरी बहन माहेश्वरी जी बता रही थीं कि कहां कितने लोग जोड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अन्दर हमारे से जो प्रस्ताव मांगे गये हैं, चार धार्मिक स्थलों को जोड़ा और जिनकी निविदा के लिए टेंडर भी हो चुके हैं। अब विरोध करने के लिए तो आप विरोध में बैठे हो इसलिए कुछ भी विरोध कर सकते हो।

जहां तक गरीब की बात, आदिवासी अंचल की बात, रेल से जोड़ने वाली बात, जितने भी वक्ता बोले उन्होंने बताई, पर यह नहीं बताया कि बांसवाड़ा जिला, उदयपुर संभाग का बांसवाड़ा जिला, राजस्थान के दक्षिणी कोने का एक जिला है जहां आजादी के बाद अभी तक रेल नहीं आई थी। उसको रेल से जोड़ने के लिए, वहां के आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए, वहां की इंडस्ट्रीज को डवलप करने के लिए, वहां थर्मल पावर का काम शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत ने केन्द्र की योजना होते हुए भी इस रेल पटरी को, इस रेल को लाने के लिए 1,200 करोड़ रुपये केन्द्र की इस योजना को देकर गरीब क्षेत्र के जिलों का डवलपमेंट किया है। उसके लिए हम सब बांसवाड़ा जिले और बांसवाड़ा-डूंगरपुर के समस्त आदिवासी उनको धन्यवाद देते हैं कि यह पहला कदम उठा करके वहां के गरीब आदमियों को रोजगार से जोड़ने का जो संकल्प लिया है, वह हमारे लिए इस गांधीवादी अशोक गहलोत की देन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां रेल आने से जो 1,320 मेगावाट बिजली का थर्मल पावर स्टेशन बनने जा रहा है, क्या उससे राजस्थान के किसानों को बिजली नहीं मिलेगी? क्या उससे राजस्थान के आम आदमी को बिजली नहीं मिलेगी? यह अगर सोच बिजली पैदा करने का है, यह गरीब किसानों के प्रति सिम्पेथी और गरीब के प्रति सोच अगर है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री सम्माननीय गहलोत साहब की है। जो पिछले टाइम पर जब थर्मल पावर प्रस्तावित हुआ था, सम्माननीय सभापतिजी, सामने बैठे मेरे साथियों की भारतीय जनता पार्टी का शासन होता था और उस समय उस गरीब आदमी की जमीन का कम्पनसेशन देने तक के लिए डी एल सी रेट भी नहीं बढ़ाई थी। मात्र बारह हजार रुपये वहां की डी एल सी रेट थी और उस डी एल सी रेट के माध्यम से वह कम्पनसेशन तय नहीं हुआ था।

(श्री अजुर्न सिंह बामनिया)
उस थर्मल पावर की जमीन के काश्तकारों को, आदिवासी काश्तकारों को कम्पनसेशन देने के लिए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए सम्माननीय गहलोत साहब ने आई एस ओ की कमेटी बनाकर के जितना अधिक से अधिक हो सके, उतना कम्पनसेशन वहां के गरीब आदिवासियों को दिया और उन लोगों की जो बारह हजार और पन्द्रह हजार डी एल सी रेट की जमीन को डेढ़ लाख से दो लाख देकर के उन गरीबों का भला किया, वह है अशोक गहलोत। (व्यवधान) अभी मैं आपको उस बात का भी, सम्माननीय बिड़ला साहब, वह बात भी आपके सामने रखूंगा कि आजकल, कल से, उसके पहले नहीं था, कल से आप लोगों में बोलने का कम्पीटिशन बढ़ गया है और कम्पीटिशन इसलिए बढ़ गया है कि प्रतिपक्ष की नेता बनकर आई हैं, तो कौन अपने नम्बर ज्यादा बढ़ाये ताकि आने वाले समय में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सीधा-सीधा बोलो। टाइम कम है, आठ बजे तक है और कम से कम सोलह लोगों को बोलना है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): बोलना तो है, पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, इसलिए आप सीधे अपने बजट पर बोलें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, कोई मंत्री नहीं है, केवल दो निर्दलीय मंत्री बैठे हैं।

श्री सभापति: मंत्री तो हैं न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दोनों निर्दलीय हैं।

श्री सभापति: मंत्री तो हैं न, मंत्री तो बैठे हैं न। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): सम्माननीय सभापति महोदय, अभी काश्तकारों की बात आ रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं सम्माननीय गहलोत साहब का, मैं धन्यवाद देता हूं सम्माननीय परसादीलालजी मीणा का, उदयपुर संभाग के अन्दर काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 100 से ज्यादा लैम्प्स खोलकर उन काश्तकारों को ऋण दिया है और वहां सरकारी खजाने से अंशदान देकर उन लैम्प्स को बनाया है। उसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं कि काश्तकारों के हित में जो काम किया है, वह सराहनीय है।

उसके साथ-साथ अभी-अभी जो पूर्व कृषि मंत्रीजी बोल रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उनको पिछली बार की बात कहना चाहता हूं कि

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

पिछले समय आप कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री होते हुए बांसवाड़ा जिले में डी ए पी खाद चार सौ से लगाकर आठ सौ रुपये तक बिकी है। उस समय मैं भी विधायक था। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने खाद का जो स्टाक, खाद पर जो ध्यान दिया है, उसकी उपलब्धता सुलभ कराई और वह खाद ब्लैक में नहीं बिका। (व्यवधान) नकली बिका, असली बिका, वह आगे और अगर सुनना है तो समय मांग लो, मैं पूरी एक-एक बात सुना देता हूं।

श्री सभापति: डिमांड्स पर बोल लेना आप।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापतिजी, मरुस्थल और जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए पचास पी एच सी और पैंतीस सी एच सी, उसके पहले भी आठ सी एच सी जो राजस्थान सरकार ने खोलीं जिसमें हमारे बांसवाड़ा में भी दी हैं और अभी भी वहां के जनजाति क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, वहां की दूरी को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा जिले को पी एच सी, सी एच सी देने की कृपा करें तो मैं समझता हूं, वहां की जनता के हित में रहेगा।

साथ में प्रशासन-गांवों-के-संग ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी आधी बात तो वह बीच में डिस्कस में ही ले ली। साथ में प्रशासन-गांवों-के-संग में, माननीय सभापतिजी, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उसका लाभ लिया है और उसमें सबसे ज्यादा मूक-बधिर, उसमें सबसे ज्यादा विकलांग, असहायों को जो सर्टिफिकेट देकर उनको लाभान्वित किया है, उसके लिए सरकार और सम्माननीय गहलोत साहब धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री सभापति: अब सम-अप करें आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आदिवासी नेता हैं, बोलने दें आप। बोलो, भई, बोलो। आदिवासी नेता हो, बोलो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो सेवक बनकर यहां आया हूं और काम करता हूं।

सम्माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से ब्याज में, अल्पसंख्यकों को जो हायर एजुकेशन के लिए, लड़के-लड़कियों को ब्याज में छूट दी है, वह सोच हमारे सम्माननीय गहलोत साहब की है। अल्पसंख्यकों में एजुकेशन की कमी

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

को ध्यान में रखते हुए उनको हायर एजुकेशन और उनको एजुकेशन से जोड़ने के लिए जो योजना बनाई है, वह भी एक सराहनीय योजना है।

उसके साथ में पिछली सरकार के समय मुख्य मंत्री सहायता कोष से बी पी एल का जो भी इलाज था, उन आंकड़ों को भी आप देखें। अभी जैसे ही सरकार में आये और सम्माननीय मुख्य मंत्री ने उस मुख्य मंत्री सहायता कोष की जो योजना है, उसको लागू किया और हज़ारों लोगों का जो इलाज हुआ है मुफ्त में, वह एक गरीब आदमी के प्रति कितना सिम्पेथी रखता है उसका एक जीता-जागता उदाहरण है।

यही नहीं, मैं आपसे निवेदन दूसरे तौर पर भी करना चाहता हूं कि बी पी एल परिवार कौन होगा, कैसा होगा, आप सब जानते हैं, उसके साथ में बी पी एल परिवार को दो रुपए किलो गेहूं अगर खिलाने का काम किया है, उस गरीब के पेट में अनाज दिया है तो वह दिया है सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने। उसके पहले नहीं मिलता था।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): पहले 35 किलो मिलता था, उसको 25 कर दिया है आपने।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): स्टेट बी पी एल को किसने दिया? चार लाख परिवार फिर जुड़े हैं।

श्री सभापति: आप डिमांडों पर बोलना, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): वे आंकड़े भी इसमें हैं। हमने वह काम नहीं किया है, हमारे मंत्रियों पर आरोप नहीं लगा है।

अंत में मेरी बात कहना चाहता हूं, सम्माननीय सदस्य, कि गरीब को गणेश मानकर काम नहीं किया है, आप लोगों ने काम किया है तो वसुन्धराजी के नम्बर बढ़ाकर देवी और दुर्गा बनाकर जनता को लूट करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, यह सदन लोकतंत्र का शिरोधार्य मंच है। सदन की गरिमा और गौरव लोकतंत्र का सम्मान है। सदन के भीतर की आवाज सदन के बाहर समूचे देश और प्रदेश की दशा और दिशा को प्रतिबिंबित करती है। 63 वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास में

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आधुनिकवाद की होड़ में हम धीरे-धीरे अधिनायकवाद की तरफ चलते रहे। 63 वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास के पन्ने अगर हम उठा कर देखें, जितने भी आम चुनाव हुए, जितने भी दलों ने अपने-अपने समय में अपनी-अपनी सरकारें बनाईं, उन सब के घोषणा पत्र के अन्दर एक शब्द, एक वाक्य और एक भाव समानान्तर मिलता है, किसान के बदहाली और गरीब की गरीबी। इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए अनेकों बार सरकार और दलों ने अपनी-अपनी सरकारों का निर्माण किया। इस सदन के पटल पर, इस सदन के स्वरूप में हम दलों में बंट जाते हैं लेकिन आम जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो उसी किसान की बदहाली की दुहाई दे-देकर, खुशहाली का सपना दिखाकर हम निर्वाचित होने का सत्कर्म करते हैं। इस सदन के भीतर आकर, इस सदन के अन्दर अपनी भावनाओं को रखने के पहले हमें दलों की हदों को और दलों के संविधान के उन पन्नों को उठाकर देखना पड़ेगा जो दलगत राजनीति के अन्दर कहीं-न-कहीं जनता के वास्तविक अभिप्राय से ओतप्रोत उन भावनाओं को कुंठित करता है जिसके लिए ही लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है।

मैं आपके माध्यम से, आदरणीय, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं संविधान के उस अनुच्छेद का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके आधार पर प्रजातंत्र के अन्दर संघीय प्रणाली में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर इस सदन की क्या विशेषता है। भारत के संविधान की धारा 293- ''इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान मण्डल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करें, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक का है। ''बजट और बजट को क्रियान्वित करने के लिए या सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो आप उधार लेते हैं, 293 अनुच्छेद कांस्टिट्यूशन का बाध्य करता है कि उधार लेने का काम सिर्फ एक्ट आफ लेजिस्लेचर से हो सकता है। आदरणीय, मैं इस बात के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा। अगर एफ आर बी एम की बाध्यता नहीं होती तो 2005 तक जितनी सरकारें आईं, जितने बजट के लिए निवेश किए, जितने आपने उधार लिए, उससे पहले इस सदन से कोई एक्ट के स्वरूप में हमने इजाजत नहीं ली और अगर वे उधार लिए तो हमने कांस्टिट्यूशन के इस प्रोविजन का उल्लंघन करते हुए लिये हैं। यह तो एफ आर बी एम एक्ट के आने के बाद, हमें मजबूरी में राजस्थान एफ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आर बी एम एक्ट लाना पड़ा। अब राजस्थान एफ आर बी एम एक्ट आपको क्या कहता है, आपके अधिकारियों की गैलेरी में कई विद्वान अधिकारीगण भी विराजे हुए हैं, आपको एफ आर बी एम इस बात के लिए बाध्य करता है के आपके आय के जो स्रोत हैं, आपकी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो सरकार की रेवेन्यू है, उससे दुगनी वोल्युम में या दुगनी संख्या में आपका कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 52 हजार की रेवेन्यू इंटेक है तो आपको एक लाख तक का कर्ज लेने की एफ आर बी एम अनुमति देता है। आपने एफ आर बी एम का एक संशोधन, एफ आर बी एम एक्ट में संशोधन का बिल आज शायद पेश करने की इजाजत मांगी है। अब, आदरणीय, अगर आप पन्ने उठाकर के देखेंगे, जिस प्रकार से हमने कर्ज लिया है, 52 हजार की रेवेन्यू की तुलना में 1 लाख 7 हजार का कर्ज आप ले चुके हैं। अगर आपको 28 हजार की योजना को लागू करना है तो यह आप मानकर के चलिए कि 1 लाख 7 हजार से 1 लाख 18 हजार तक का कर्जा आप ले लेंगे। जब आप 1 लाख 18 हजार का कर्ज ले लेंगे और आपकी आय 58 हजार है तो आपने उससे दुगना कर्ज ले लिया। यानी यहां से जो कानून बना, जिस एफ आर बी एम के तहत आपने कानून बनाया, उसका उल्लंघन तो आप पहले ही कर चुके हैं।

अब एक ओर सीएजी एक बात कहता है, सीएजी यह कहता है कि उधार हम किसको कहते हैं, हम उधार सिर्फ उसको ही नहीं कहते हैं कि जो हमने अपने खाते में उधार बना रखी है। आज राज्य सरकार की इतनी कंपनियां हैं जिसमें चाहे बिजली वाली कंपनी हो या और कोई कंपनी हो, जो राजकीय इकाइयां हैं, उनके उधार के लिए जितनी सरकार ने गारंटी दे रखी है, वह भी उधार की श्रेणी में आती है। आदरणीय, 39 हजार करोड़ की गारंटी, उधार की हमने गारंटी दे रखी है। अगर वह इसमें जोड़ लें तो डेढ़ लाख करोड़ का उधार आपने ले लिया। सीधी-की सीधी एफ आर बी एम एक्ट की आपने धज्जियां उड़ा दीं।

हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का एक ही तो अधिकार है इस विधायिका को कि इसकी बगैर अनुमति के एक पैसा आप खर्च नहीं कर सकते और यह भी बाध्यता है कि इसकी बगैर अनुमति के एक पैसे का आप कर्ज भी नहीं ले सकते। यह एफ आर बी एम एक्ट के लागू होने के बाद में आपकी बाध्यता थी लेकिन, आदरणीय, हुआ क्या? हमने आफ बजट बोरोइंग्स के नाम पर, यह कह कर हाथ धो दिया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक पत्र का, जब सी ए जी ने इस बारे में जिक्र किया तो एक अर्द्धशासकीय पत्र सी ए जी को भी मिला और हमें भी मिला। मैं वह पत्र पढ़कर इसलिए बताना चाहता हूं कि कम से कम इससे आपको यह समझ आ जाएगा कि उस पत्र के माध्यम से यहां अधिकारीगण ने यह बात समझाने की कोशिश की कि आफ-बजट बोरोइंग्स उन कंपनियों की लायबिलिटी हैं, जिन कंपनियों ने कर्ज लिया है वे ही उस कर्ज को चुकाएंगे। आदरणीय, 25 हजार करोड़ का कर्ज तो डिस्काम ने ही ले रखा है। अब आप यह बता दीजिए कि वे कहां से चुकाएंगे? 25 हजार करोड़ के कर्ज की गारंटी तो गवर्नमेंट आफ राजस्थान की है। उस कंपनी के पास में इतने संसाधन हैं क्या कि वह कर्ज चुका दें? सी ए जी यह बात कहता है कि जिन कंपनियों का इस्तेमाल आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कर रहे हैं, जो सरकार की पोपुलिस्ट स्कीम को कर रहे हैं, अगर आप बिजली को सब्सिडाइज्ड दे रहे हैं तो वह आपकी योजना है कि आप एक काश्तकार को रिबेट में बिजली दे रहे हैं। इसलिए उस कंपनी का खर्चा और उस कंपनी की लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी बन जाती है।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 39 हजार करोड़ की टोटल रकम है, 39 हजार करोड़ की लायबिलिटी को लेकर यहां क्यों नहीं आते? इस सदन से इजाजत क्यों नहीं लेते कि 39 हजार करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है? आज बात यह कहते हैं कि 99 हजार करोड़ हमारे ऊपर कर्ज है। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि डेढ़ लाख के कर्ज को यहां कहने में आपको शर्म क्यों आ रही है? आखिर यह जनता ही तो चुकायेगी। आज प्रत्येक राजस्थान के नागरिक पर 18 हजार का कर्जा नहीं है, प्रत्येक नागरिक के ऊपर 25 हजार से ऊपर का कर्ज हो गया है। उस कर्ज को बताने में आप शर्म क्यों कर रहे हैं ?

एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हमने सब कुछ किया, हम जो कुछ करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग में करते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि 2009-10 का जब बजट लाया गया था तो हमारे कैपिटल रिसीट्स में अनुमानित जो था, वह 11,932 था। आप अभी जो बजट लेकर आये, उसमें उसको संशोधित कर दिया और संशोधित करने के बाद कैपिटल रिसीट्स का खाता आपका 10,212 का आपने अनुमान किया। अब आदरणीय, दोनों इन्हीं के डाक्युमेंट्स हैं। एक तीसरी एजेंसी और है जो इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डाक्युमेंट को मानिटर करती है, वह है कंप्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल। सी.ए.जी. की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यह ही कैपिटल रिसीट्स जो बी.ई. के नाम पर पड़ी है, वह 8,461 और 112, 8,561 या 502। तो या तो यह डाक्युमेंट सही है या वह डाक्युमेंट सही है। आखिर जनता को किस बात का आप बताना चाह रहे हैं? यह सी.ए.जी. जो इनके मंथली एक्सपेंडिचर को मानिटर करता है, उसकी सेकंड फार्मेट की फोटोकापी है। आखिर आप यह तो बतायें कि जो आंकड़े आप सदन को दे रहे हैं, क्या वे ही आंकड़े आप सी.ए.जी. को दे रहे हैं? क्या सी.ए.जी. ने जो आंकड़े अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, वे आपके आंकड़ों से अलग हैं? आप भी तो मानिटर करते होंगे। यह मंथली फ्लो आफ फंड्स का खाता है जहां प्रत्येक मंथ के फ्लो आफ फंड्स के बारे में सी.ए.जी. आपका अकाउंटिंग करता है।

अब मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं इसलिए जो भी व्यक्ति अगर यहां अर्थशास्त्री है, वह यह कहना चाहे कि आपमें कोई त्रुटि है तो मैं सुधार लूंगा। आप जी एस डी पी की बात कर लीजिये। 2010-11 का जो आपके पास में यह इकोनोमिक रिव्यू आया है, इसमें आप 1990-91 की जी एस डी पी पकड़िये। जो 2009-10 में 1990-91 की जी एस डी पी थी वह 2010-11 में ही बदल गयी। जो 2000-01 की जी एस डी पी थी वह 2010-11 में बदल गयी। जब जी एस डी पी का आंकड़ा बदल दिया तो प्रतिशत बदल जाएगा। जब प्रतिशत बदल जाएगा तो आगे वाले सालों में जिस प्रतिशत के अनुपात में आपने घटत-बढ़त बनायी थी, वह बदल जाएगी। अब मुझे यह कह दें कि कांस्टेंट और करंट प्राइसेज में हमने बेंचमार्क 2004-05 को बना दिया तो मैं यह मानता हूं कि 2002, 2003, 2004, 2005 बदल सकते हैं क्योंकि क्विक एस्टिमेट्स होंगे लेकिन 1990-91 का तीस वर्ष पुराना 2,000 का बीस वर्ष, दस वर्ष पुराना, ये जी एस डी पी का आंकड़ा आपने बदल दिया और आंकड़ा भी कैसे बदला, वह मैं आपको निवेदन कर देता हूं। आंकड़े के अन्दर जहां 1990-91 का एक आंकड़ा कहता था, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि 1990-91 में हमारी जी एस डी पी 25,076 रही, वहां अगर आप 2010-11 का लेंगे तो वह कह रहा है कि 27,315 रही। 1990-91 के जी एस डी पी के आंकड़े को हम बदल रहे हैं। यह आपके इकोनोमिक रिव्यू की है। अब मुझे कोई यह कह दे कि 2004-05 के बैंचमार्क को हमने ले लिया तो 1990-91 की जी एस डी पी कैसे बदलेगी? ये आपकी किताबों में से है, मैंने तो कोई ली नहीं।

अब आप इसको भी छोड़ दीजिये। अब आप आ जाइये, हम बहुत सी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात करते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि आखिर केन्द्र सरकार की क्या हालत है। केन्द्र सरकार ने आम गरीब आदमी को अनुदान पहुंचाने के लिए प्रत्येक स्टेट को एक इन्होंने सेस लगा रखा है, टेलीफोन पर भी, मोबाइल्स पर भी है और सी.ए.जी. की रिपोर्ट का मैं वह अंश पढ़ देता हूं क्योंकि समय का अभाव है-"Pointing on how the government has been diverting the funds intended to provide subsidies to the rural 'aam ad-ami' .."अब मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं और कहां के, ग्रामीण आम आदमी की, " …CAG report said that Rs. 20,000 crore collected under the Universal Service Obligation Fund between 2004 to 2008 towards subsidizing the rural telephony, only Rs. 6,000 crore was spent. The remaining amount was diverted into other funds." यह तो केन्द्र सरकार का काम है। आप फरमायें, हम कल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, धीरे-धीरे आपका फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में बदलता जा रहा है। कल को आपको केन्द्र सरकार के पास में जाना पड़ेगा, केन्द्र सरकार आपको यह कहेगी कि हम आपको अपने टैक्सेज की अंश राशि देंगे। अंश राशि मिलने के आपको कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं क्या?

इसके अलावा आप देख लीजिये," Government levied 5% from the gross revenue of telephone licenses…." अब ये 2 स्पेक्ट्रम हो, 3 स्पेक्ट्रम हो, बैंड हो मुझे यह नहीं मालूम लेकिन यह हर स्पेक्ट्रम में हैं …" , under the USOF to be used for subsidizing the rural telephony." अब आपकी रूरल टेलीफोनी सब्सिडाइज्ड हो गयी क्या? यह इसलिए है कि सी.ए.जी. का बैंचमार्क जो था, उसने यह कहा था कि हम उन बातों को कर रहे हैं और इसमें मैं यह अभी नहीं कहना चाहता, 51 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने ऐसे एन.जी.ओज को डाइवर्ट कर दिये जिनका लेखा-जोखा आज तक नहीं लिया गया। उस 51 हजार करोड़ का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसमें साफ लिखते हैं – "Over Rs. 51,000 crore was allotted for these flagship schemes for 2007-08 which got transferred into the bank accounts of NGOs and autonomous bodies at the district level. However, the government has not been able to provide CAG with any account-ing." ये इन्हीं की रिपोर्टस है, हमारी तो रिपोर्ट है नहीं। सरकार चाहे राज्य की हो, सरकार चाहे केन्द्र की हो, बात तो हम सिर्फ इतनी कर रहे हैं।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आदरणीय, हमारे इंडस्ट्रीज मंत्री नहीं हैं लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त खींवसर से आने वाले आदरणीय एम एल ए एक प्रश्न का उत्तर चाह रहे थे तो आदरणीय मंत्री

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

महोदय ने एक बात कही थी कि मानसागर झील की फाइल तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के यहां दो साल तक पड़ी रही और दो साल पड़ी रहने के पीछे क्या अभिप्राय था। आदरणीय, उसमें यह भी लिखा है कि मानसागर झील की बुक वेल्यू क्या है, आज की तारीख में तो 330 करोड़ रुपये बतायी है।

अब, आदरणीय, मैं आपके सामने एक चीज पेश करना चाहता हूं। इसी राज्य में 2008 के लिए एक किसी फर्म ने एल्ट्रोपालिस नाम के एयरपोर्ट जैसे एविएशन हब के लिए एम ओ यू दस्तख्त करवाया था। 2008 से 2011 तक वह वहां का वहां पड़ा है। अब यह तो 330 करोड़ का था, वह तो 4,500 करोड़ का है। अब यह बता दीजिये कि आप हमसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं ?

उसी की मैं आपको कहता हूं, उसी के एक भाग की डिटेल करता हूं। जिस फंडिंग के बारे में हम बात करते हैं, रिसर्जेंट राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में निवेश लाने की बात करते हैं, मैं आपको हवाला देना चाहता हूं कि एक 26.8.2009 को हाई पावर कमेटी की मीटिंग होती है, इस मीटिंग के बाद में वर्तमान उद्योग मंत्री 23 सितम्बर, 2009 को वीआईपी/ आईपीडीएमआईसी/016676-83 एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अन्दर इस बात का कमिटमेंट दे दिया जाता है निवेश वालों को कि हम आपको 21 दिन के भीतर-भीतर, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं वे सारे मिनट्स की बात भी बता दूंगा, 21 दिन के भीतर-भीतर हम आपको क्लीयरेंस दे देंगे। सर, ताज्जुब की बात तो यह है कि 23 सितम्बर, 2009 को उसी दिन, यह जिन अधिकारियों के बीच में हुई प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी डब्ल्यू डी, प्रिंसिपल सेकेट्री, अरबन डवलपमेंट, माइंस, एनर्जी, रीको, पिडकोर, इन्हीं में से एक आदमी उसी दिन गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखता है कि हमने इस प्रकार के निवेश में किसी इंडिविजुअल मोड पर नहीं पी.पी.पी. मोड पर देने को कहा है। उसी मिनट्स के अन्दर से वह निकल कर जाता है, निकल कर जाकर बाहर जाता है। एक अधिकारी, जिस मीटिंग को मंत्री महोदय हैड कर रहे थे, हाई पावर मीटिंग के अन्दर जो डिसिजन दिये, उसी के बिलकुल उलटे डिसिजन की सूचना गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे देता है। आप यह बताइये कि किस प्रकार की कंपेटीबिलिटी की बात कर रहे हैं हम? अगर आप चाहें तो मैं उन लेटर के नंबर भी दे देता हूं और उन लेटर के बारे में सम्पूर्ण जानकारी भी दे देता हूं। आखिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके यहां निवेश आएगा किस आधार पर? आप चाहते क्या हैं हमसे? आप चाहते क्या हैं राजस्थान से? दो महीने में तो गुजरात

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में टाटा को एन ओ सी मिल गई थी और ढाई साल में तो कार प्रोड्यूस होकर बाजार में आ गई थी। यहां ढाई साल तो लाइसेंस पर विचार करने में लगा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम एकल खिड़की चालू कर रहे हैं।

आप इसको भी छोड दीजिए, यह भी हो सकता है कि किसी की व्यक्तिगत बात होगी, मैं तो यह कह रहा हूं कि आज यहां सुबह बहस हो रही थी कि गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे-ऐसे हमारे यहां सैनिक हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं बिलकुल सूक्ष्म रूप में बताऊंगा कि राजस्थान की जनता और राजस्थान के नागरिक, अगर राजस्थान की जनसंख्या राष्ट्र की जनसंख्या का 5 प्रतिशत है ना लेकिन राष्ट्र के सैन्य बल में हमारा 8 परसेंट का हिस्सा है। 5 परसेंट जनता 8 परसेंट सैनिकों को भेज रही है और 8 परसेंट सैनिक जो जा रहे हैं उनमें ज्यादातर झुंझुनूं, सीकर, इस शेखावाटी क्षेत्र के जा रहे हैं। आदरणीय, पूर्ववर्ती सरकार ने चाहे वह नागौर हो, चाहे शेखावाटी हो, चाहे वह अलवर हो, पूर्ववर्ती सरकार ने इसी शेखावाटी को एक यूनिवर्सिटी दी थी, आप तो वह कुछ नहीं कर पाये। निवेश करने वाला कोई एक बच्चा आया, उसने इसी शेखावाटी में अल्ट्रोपोलिस नाम का एविएशन हब खड़ा करने की बात की, वहां का पूरा का पूरा चित्र बदल जाता, आप उसको भी ढाई साल से रोक कर बैठे हैं। न तो आप पैसा लगाने को तैयार हो और कोई बाहर से पैसा लगाने के लिये आता है, उसको आप लगाने नहीं देते। आखिर आप यह तो बतायें कि क्यों नहीं करना चाहते? आप मत दीजिए जिसने आवेदन किया है लेकिन अब आप जगह तक बदलने की बात करते हैं। आप यह कहते हैं कि शेखावाटी के उस अंचल में नहीं लगेगा, या तो हम इसको नीमराना ले जायेंगे या कहीं और जगह ले जायेंगे। क्यों ले जायेंगे? जहां मरने की बात आती है, बलिदान की बात आती है तब तो शेखावाटी, और निवेश की बात आती है तो कोई और जगह। आखिर आपको इस बात के लिये बाध्य करना पड़ेगा, आपकी मर्जी हो जिसको दीजिए, पी पी पी मोड में दीजिए, जोइंट वेंचर में जाइए लेकिन कम से कम शेखावाटी का हक हम नहीं छिनने देंगे। आखिर मेरे नाम के पीछे भी शेखावत लगता है। मैं चाहे जयपुर जिले का रहने वाला क्यों न हूं, भूगोल और पटवारी ने रेखा क्यों न खींच दी हो लेकिन इस रग में भी वहां का खून दौड़ता है, वहां के शौर्य, लोगों के बलिदान से हम भी कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर कुछ पैसे की सौगात दे देते हैं तो उन पर एहसान नहीं करते। उस भौगोलिक परिस्थिति में उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भू-भाग का अधिकार बनता है, उस अधिकार को इस सरकार को देना होगा इसके लिये हम बाध्य करते हैं।

मैं आखिर में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय, ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं, आपने जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन की बात की। आदरणीय, अगर आप सोलर मिशन की बात कर रहे हैं तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का कांग्रेस साइंस पर जो भाषण था उसको पढ़ना पड़ेगा । आज भी सोलर एनर्जी कामर्शियली वाएबल नहीं है। जब तक आपका फोटोवोल्टिक सेल्स का 45 परसेंट प्लस का ऊर्जा का संरक्षण वापस नहीं हो, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको पैनास्टेट यूनिवर्सिटी, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि इससे समय कम लगेगा? उन्होंने साफ कहा था, ''Keeping the requirement in mind, can we find an innovative solution to the use of nano ...'' अब आपने स्पेस साइंस की बात की है लेकिन कोई साइंस तब तक कारगर नहीं है जब तक आप नैनो साइंस लेकर नहीं आयेंगे। नैनो साइंस से मतलब किसी नैनो कार से नहीं है, it is a concept, most emerging concept. अगर आपको नैनो-टेक्नोलोजी को लेकर आना है, नैनो-टेक्नोलोजी के साथ में पैन-स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ में अगर आप कोलेबोरेशन करेंगे तो आपके प्लांट, जिससे आप सौर ऊर्जा करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहते हैं तो सार्थक होंगे। सिर्फ सोलर वाले को लाकर लगा देने से वह सिर्फ आपके सी ई आर ले जायेगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के नाम पर कार्बन क्रेडिट ले जायेगा, वह आपको यहां ऊर्जा देने नहीं आ रहा। उसके कम्पलशंस हो सकते हैं, जो इन्सेंटिव्ज हैं क्लीन एनर्जी के, कार्बन क्रेडिट्स के, वह ले जायेगा लेकिन क्या उससे राजस्थान को एनर्जी मिल जायेगी ?

यहां डाक्टर साहब विराजे हुए हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है, वह पानी के साथ-साथ स्वच्छ पानी की है और स्वच्छ पानी के लिये कार्बन नैनो-फिल्टर जैसी परियोजना को आपको हाथ में लेना पड़ेगा। कार्बन नैनो-फिल्टर पानी में जितना प्रदूषण होता है या उसमें जो बैक्टेरिया होते हैं उसको फिल्टर करता है और सबसे इकोनोमिक है। आपने रिसर्च तो रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, अगर प्रभुलाल जी ने यह बात की है, आपने रिसर्च की सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को तो मोनसेंटो के हवाले कर दिया। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चाहे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मेट्रो लाने के लिये आप दुर्गापुरा के एग्रीकल्चर फार्म की जमीन का अधिग्रहण कर लें लेकिन कम से कम सोचें, 40 वर्ष लगे थे उस फार्म के लैंड को और सोइल को एरिड कल्टिवेशन की साइंटिफिक लैब बनाने में । साइंटिफिक लैब ऐसे नहीं बनती, 15-15 साल लग जाते हैं उसमें वह एन्वायरनमेंट और क्वालिटी करने में। आप दो मिनट में उसको मेट्रो को देने को तैयार हो गये।

आखिर में मैं यह कहता हूं, अभी आप बांसवाड़ा की बात कर रहे थे ना ब्राडगेज लाने की, यह ब्राडगेज कोई आम आदमी के लिये नहीं आ रही है, इनको न्यूक्लीयर प्लांट लगाना है वहां, न्यूक्लीयर प्लांट लगाने के लिये इनको ब्राडगेज की लाइन चाहिये। कम से कम सदन को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि न्यूक्लीयर प्लांट को लगाने के लिये हमको क्या प्रतिबंध लगाने पडेंगे, क्या प्रिकाशंस लेने पड़ेंगे, इस बात की बहस होने के बाद ही इजाजत देनी चाहिये। वरना कल तो जो कोल ब्लाक्स हमको नहीं दे रहा था, वह एन्वायरनमेंट मिनिस्टर हमको कहेगा कि आप न्यूक्लीयर प्लांट लगाओ। यहां का किसान तो बिजली के लिये त्राहि-त्राहि करें और आप न्यूक्लीयर प्लांट के लिये ब्राडगेज देखने के लिये तैयार हो गये। इस बात के लिये हमको कम से कम बाध्य होना पड़ेगा।

(समय : 18.45 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर विचार करके, बहुत से ऐसे विषय हैं जो हमारे दूसरे सहयोगी उठायेंगे। बगैर किसी की आलोचना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और सदन को आगाह करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के और राज्य के आम नागरिक के बारे में हम सोचें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री करण सिंह राठौड़।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, 2011-12 का बजट जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, जब कल मुख्य मंत्रीजी बजट पेश कर रहे थे, सारे राजस्थान की जनता उस बजट को गम्भीरतापूर्वक सुन रही थी और जब मैं विधान सभा से बाहर निकला तो कुछ बी जे पी के विधायकों ने कहा कि कहीं यह चुनावी बजट तो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उधर बैठे

(श्री करणसिंह)

नेता यह बोलते हैं तो समझ लेना चाहिये कि बजट अच्छा है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दो घंटे चालीस मिनट में चार-पांच गिलास पानी जरूर पिये होंगे मगर आपको कहीं भी पानी पीने का मौका नहीं दिया। उनका जो सोच है, उनके मन का जो विचार है, जिस तरह वे राजस्थान को बनाना चाहते हैं, जिस तरह वे गांव के गरीब को, जिसकी झोंपडी में आज तक कोई जाकर देखता नहीं था उस झोंपड़ी में उजाला करने की बात उन्होंने सोची है। यह बजट ऐसा बजट नहीं है, जैसा अभी हमारे गुलाबचन्द जी कटारिया साहब ने फरमाया था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बना था पर उसमें बदबू आती थी और उधर बैठने वाले नेताओं का दिल दुखता था कि हो क्या रहा है, शर्म आती थी उस शासन में और जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं सामने, उनका सिर शर्म से झुकता था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आदिवासियों को, सहरियों को, गरीबों को, नि:शक्तजनों को जिसको आप पहचानते नहीं हैं कि नि:शक्तजन क्या होता है, बेरोजगार युवाओं को, सैनिकों को, अल्पसंख्यकों को, आम जनता को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इसलिए इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, इसमें तो गांव और गरीब जनता की भलाई की बात दिखेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने से आदमी के दिल का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, भवन जरूर खड़ा हो जायेगा मगर उस पर आरोप-प्रत्यारोप लगता है और उसी कारण आपको उधर बैठना पड़ा है।

हमारे मुख्य मंत्रीजी की भावना रही है, इस बजट में शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस बजट को पेश किया है और इसके अन्दर दाल-रोटी खाने की भी आपकी व्यवस्था की है। जब कल मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे कि दाल-रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, उनकी भावना यह नहीं है कि और कुछ मत खाओ, उनकी भावना यह थी कि सादगी से रहो, दाल-रोटी खाना भी आपको सुलभ कराएंगे और आपको हम पूरी व्यवस्था देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दाल-रोटी खाने के अलावा आपको मना कर दिया, यह सारी एक गरीब जनता के लिये, दाल-रोटी की व्यवस्था करने की बात की है। उसको हमको अलग तरह से मिथ्या प्रचार करके, गलत प्रचार नहीं करना चाहिए।

मैंने अभी हमारे राव राजेन्द्र सिंह साहब को भी सुना है। बहुत ही अच्छा उनका राष्ट्र के प्रति और राजस्थान के प्रति सजेशन था। मैं उनका सम्मान करता हूं। मगर जब सुबह-सुबह बहस चलती है और प्रश्नकाल होता है,

(श्री करणसिंह)

जब मीडिया वाले बैठे रहते हैं तो उधर के लोग हल्ला करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। मतलब 3 घण्टे तो हल्ला करना ही करना है। कोई बात, न बात का नाम और वे क्या बोलते हैं चले जाने को, बहिर्गमन, क्या बोलते हैं, बहिर्गमन, बस नाम आ जाएगा कल बहिर्गमन। मैं कहना चाहता हूं, छोटी-छोटी बातों पर बहिर्गमन, फिर वापस आ जाएंगे; फिर बहिर्गमन, फिर वापस आ जाएंगे; फिर बहिर्गमन, फिर वापस आ जाएंगे; फिर बहिर्गमन। ऐसी व्यवस्था, यह राजस्थान की जनता को टेलीकास्ट किया जाए पूरी जनता को कि हम क्या बोलते हैं। हमारे चरित्र पर, हमारी छाती पर हाथ रखकर देखिये, हम क्या हैं। कौन आदमी ईमानदार है और कौन बे-ईमान है, यह जनता भी जानती है और माननीय सदन के माध्यम से सब पहचानने का पूरा प्रयास करती है। मैं उधर के पक्ष की बुराई नहीं कर रहा हूं, उधर के पक्ष में भी भले आदमी बैठे हुए हैं। उधर भी भले बैठे हुए हैं, इधर भी भले बैठे हुए हैं। आप भी भले हो, आप भी दुःख पाओगे, मेरे साथ चलो आप।

इसलिये, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, वह गरीब के प्रति, झोंपड़ी में रहने वाले के प्रति और आम जनता के लिये सराहनीय बजट है। सड़कों में उन्होंने धार्मिक सड़कों को जोड़ने की बात कही है। आप तो धार्मिक कपड़े पहन लेते हो पीले, आपने कौन से धार्मिक स्थानों की सड़कें बनाईं? एक सड़क नहीं बनाई। धार्मिक उन्माद फैलाते हो, धार्मिक सड़कें नहीं बनाई। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक स्थानों को सड़क से जोड़ने की बात की।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप इनको क्यों हंसाने के लिये खड़ा कर देते हैं?

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप नीचे गरदन करके बैठो और मेरी बात को गम्भीरता से सुनो। धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिये आपकी भावना की कद्र की है, इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ हमारे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं सड़कों के बारे में कि ये जो सड़कें बनती हैं, गांवों के अन्दर जो सड़कें बनती हैं, गांव के बाहर छोड़कर चले आते हैं। उस स्कीम को, सड़क को गांव के लास्ट, अन्तिम छोर तक बनाया जाए ताकि जो गांव की गंदगी, खुरंजे और रास्ते की जो प्राब्लम्स आती हैं, वह सड़क को अन्तिम छोर तक बनाया जाए। यह मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग है। साथ ही साथ राजस्थान में अभी भी कई ऐसे गांव पड़े हुए हैं जो ग्रेवल सड़क से जुडे हुए नहीं हैं, उन सड़कों को भी गम्भीरता से लिया जाए। हमें

(श्री करणसिंह)

विकास भी करना है और हमें सुशासन भी देना है और हमारी जो योजना है, उसका लाभ भी जनता को दिलाना है।

साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार का जो प्रयास है, उसमें हम कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी राव राजेन्द्रसिंह साहब बोल रहे थे कि एटोमिक पावर के द्वारा आप बिजली बनाओगे। आज हमारा देश 20-30 साल पीछे है। अमरीका, जर्मनी, जापान आज हमसे आगे हैं। यह करार जो हुआ है, इससे आने वाले समय में हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। 1,100 करोड़ रुपये हमारी सरकार रेलवे लाइन बिछाने के लिये दे रही है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसमें कुछ न कुछ सोचा होगा। इसलिये राजस्थान के लिये यह खुशखबरी है। इसका हमको विरोध नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कुछ लागों ने मेट्रो ट्रेन का विरोध किया था। मेट्रो ट्रेन जिस दिन राजस्थान में जयपुर की धरती पर चलेगी तो तीतरखेड़ी, मेरे गांव का आदमी मेट्रो ट्रेन को देखने के लिये आयेगा कि कैसी है। ऐसा नहीं है कि सवारी नहीं मिलेगी, ये आसपास चूरू, झुंझुनूं, दुनिया भर के लोग मेट्रो ट्रेन देखने आएंगे। इसलिये आपका जीवन स्तर भी आगे बढ़ेगा और जयपुर का विकास होगा। आप आने वाली योजनाओं का विरोध करोगे तो आप आगे जनता को जवाब नहीं दे पाओगे। या तो आपका खुद का विकास करने का नहीं है और या फिर आप कुछ करने नहीं देना चाहते हैं।

मैं इसी के साथ-साथ, बिजली के बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी का प्रयास है, मेरे छबड़ा क्षेत्र में भी थर्मल पावर प्लांट लगा है। एक हजार मेगावाट आपके समय में लगा और 1320 मेगावाट हमारे गहलोत साहब ने दिया। बिजली के क्षेत्र में हम प्लांट लगावें पर पानी की व्यवस्था हमको करनी होगी। पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी तो प्लांट नहीं चलेंगे। माननीय बिजली मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे छबड़ा के अन्दर बेट्री डैम है और उस बेट्री डैम से, किसानों के लिये बेट्री डैम बना था, उसमें 200 एम.सी.एफटी. पानी थर्मल पावर प्लांट के लिए रिजर्व किया है, उस बेट्री डैम की हाइट बढ़ी है, पर किसानों को पानी और न थर्मल प्लांट को पानी, दोनों को नहीं मिल पाता है क्योंकि बारिश कम होने की वजह से डैम में पानी कम है। इसलिये मेरा सुझाव है और बहुत गम्भीर सुझाव है, थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिये और किसानों को आगे बढ़ाने के लिये, पार्वती नदी पास में बहती है जिसमें बरसात के दिनों में पानी बह कर निकल जाता है, हजारों क्यूसेक्स पानी हमारा बहकर निकलता है, उस हजारों क्यूसेक्स पानी को बचा

(श्री करणसिंह)

करके ड्रेनेज के माध्यम से बेट्री डैम में डाला जाए ताकि बेट्री डैम में पानी रहेगा जिससे किसानों को पानी मिलेगा और बिजली का प्रोडक्शन भी जारी रहेगा।

मैं इसी के साथ-साथ जल संसाधन पर आना चाहता हूं। मैं हाड़ौती क्षेत्र का हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में दिया उसकी मैं सराहना करता हूं। माननीय भरतसिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी भावना भी सदैव रही है। हमारे क्षेत्र में नदियां बहती हैं, हमारे क्षेत्र में बिजली पैदा होती है, हमारे क्षेत्र में ब्राड-गेज लाइन है। हमारा कोटा क्षेत्र औद्योगिक नगरी है और शिक्षा नगरी है। साथ ही नदियों की भरमार हमारे क्षेत्र में है पर बरसात का पानी बह करके निकल जाता है। सारी स्कीम्स जो बनती हैं गंग नहर, इंदिरा नहर की मरम्मत के लिये, कोटा नहर की मरम्मत के लिये, जो पानी हमारा बहकर निकल जाता है उस पानी को बचाने की जरूरत है। उस पानी को बचाने के लिये इस बजट के अन्दर, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पानी को बचाने के लिये जो जगह-जगह हमारी नदियां बहती हैं हाड़ौती के अन्दर, चाहे काली-सिंध हो, चाहे चम्बल हो, चाहे परवन हो, चाहे पार्वती हो, चाहे सतलज हो, चाहे चन्द्रभंगा हो, कई नदियां बहती हैं और उनका बरसात का पानी बहकर निकल जाता है, मैंने पिछले वर्ष भी इसको सदन को बताने का प्रयास किया था मगर इस बजट में भी इसके अन्दर कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। मैं हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि पानी बचाने के लिये, पानी से जीवन है और पानी से विकास है, पानी से औद्योगिक विकास है और कोटा आज पानी की वजह से है, इसलिये पानी के लिये योजना बनाई जाए।

साथ ही साथ मैं पानी की योजना बनाने के साथ-साथ, कोटा को, हाड़ौती रीजन के लिये बजट में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। दर्रा सेंक्चुअरी, आपके सवाई माधोपुर से दर्रा तक एक ट्यूरिज्म सर्किल बनाया जाए। कोटा औद्योगिक नगरी है, कोटा पानी की नगरी है, कोटा बिजली की नगरी है सब तरह से हम सम्पन्न हैं पर मान लो ट्यूरिज्म की दृष्टि से हम पिछड़े हैं तो हाड़ौती को भी ट्यूरिज्म सर्किट पर उभारा जाए। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया हाड़ौती का। मैं साथ में यह कहना चाहता हूं कि अगर यह काम पिछली सरकार कर जाती तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर नदियों पर डैम बन जाते, नदियों पर एनिकट बनाते या पानी की व्यवस्था करते या हाड़ौती को ट्यूरिज्म सर्किट पर लाते तो मेरे ख्याल से आज मुझे इस सदन में यह बात कहने की आवश्यकता नहीं होती।

(श्री करणसिंह)

हमारे भाई बोलते हैं, हमने विकास कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर दिया, हमने विकास की गति पैदा कर दी। विकास खतम हो गया। विकास नहीं था वह। वह जो काम हुए, उनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ, वह सारा आपके सामने है। मेरे साथी फिर कहते हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, जनता भूली नहीं उस चीज को और हम भूलने भी नहीं देंगे। हमारा काम जगाने का है। अभी किरण माहेश्वरी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है। वह 22,500 करोड़ वालों का तो पता ही नहीं है, 22,500 करोड़ वालों का तो कोई नाम लेता नहीं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं इस सदन के माध्यम से कि जो राजस्थान की जनता को लूटकर गये हैं, ऐसे बे-ईमान कोई भी आदमी हों, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बी.जे.पी. का हो, उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए । 22,500 करोड़ रुपये 90-बी

(समय : 19.00 बजे)

के माध्यम से पूरे राजस्थान के अन्दर जो एक बवाल खड़ा हुआ था और मैं... (व्यवधान) 22,500 करोड़ का भ्रष्टाचार, ऐसी बेईमानी की बात, हमारी सरकार के माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिए आज तक एक आरोप नहीं लगा। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप तो अपनी बात करो। 22,500 करोड़ की तो बात ही खतम हो गई। कहां है? किस बात को कर रहे हो? प्रमाण ही नहीं है आपके पास। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह कोली।

श्री करणसिंह (छबड़ा): नहीं, मैं बैठा नहीं हूं। इनको बैठाइये। मेरी बात को जब ये बैठेंगे, तब मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने नाम बोल दिया है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं तो इनको मर्यादा सिखाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने अगला नाम बोल दिया।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरी बात कुछ बाकी है। इस सदन में ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या मजाक चल रहा है? यह क्या हो रहा है?

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन में नौटंकी नहीं है यह। (व्यवधान) आप लोग तालियां बजाते हो, आप लोग हंगामा खड़ा करते हो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो, तब हम कुछ नहीं बोलते और जब खुद पर आरोप लगता है तो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह काहे का मजाक हो रहा है? यह बहस हो रही है? काहे पर बहस हो रही है?

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपने जो काम किया है वह ... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बजट में कुछ नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह काहे पर बहस हो रही है ?

श्री करणसिंह (छबड़ा): ... (व्यवधान) तब यह कहते हैं कि ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: हो गई चापलूसी, विराजो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बजट में कुछ नहीं हुआ है। मुख्य मंत्रीजी से गुहार कर रहे हो और फिर बढ़िया बजट बता रहे हो, यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पानी में नहीं हुआ, बिजली में नहीं हुआ और अब भी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह कोली।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरे थर्मल पावर प्लांट बना। सारी जमीन को लूट ले गये और ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 76 हजार करोड़, दो लाख करोड़ ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: पैसे तो आप खा गए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 2 जी का घोटाला हुआ है ... (व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप जांच कराओ। माननीय सभापति महोदय, 2 जी घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला; क्या बात करते हो, +++ जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिए। कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह काहे की बात कर रहे हैं? यह बजट पर बहस कर रहे हैं या कोई चौपड़ पर भाषण दे रहे हो?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): +++ दुबारा कभी नहीं आओगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, विराजें। श्री बहादुर सिंह कोली। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री बहादुर सिंह कोली।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, 2011-12 का यह जो बजट पेश हुआ, उस बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) यह जो बजट पेश हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप जारी रखें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, और भी बहुत से लोगों को बोलना है। माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें, अभी आप में से बहुत से लोगों को बोलना है। सबको मौका मिलेगा। माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, 2011-12 के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी जो यह बजट भाषण पढ़ा गया और यह बजट पेश हुआ, यह बजट झूठ का पुलिंदा है और जनता के साथ बेईमानी है और धोखा है। अभी तीन बार बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी पढ़ चुके हैं। जैसे कोई बच्चा सुबह ही सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता है, संकट मोचन, संकट को दूर करने के लिए, इस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी तीन बार से यह बजट पढ़ रहे हैं। यह संकट मोचन तो नहीं है, इस बजट से जनता का संकट जरूर आ गया। इस जनता के संकट को दूर करने के लिए यह बजट पेश नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य बड़े गुणगान कर रहे थे कि ये प्रशंसा करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र आप अपनी कांस्टीट्यूएंसी को छोड़ कर किसी दूसरी जगह, आप जहां कहीं भी कोई बुजुर्ग बैठे हों, चाहे दस आदमी बैठे हों, वहां आप चुपचाप जाकर बैठना, वे आप लोगों को भूल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं। (व्यवधान) वे आप लोगों को भूल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): आज भारतीय जनता पार्टी को जनता याद कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने का तीन साल के अन्दर, दो साल के अन्दर पांच किलोमीटर रोड एक विधायक को दे दी तो बड़े खुश हो रहे थे, बड़ी-बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं परन्तु आप लागों को मालूम नहीं कि जो हमारी सरकार थी, माननीय वसुन्धराजी की सरकार थी, जिस गांव से होकर, जिस कस्बे से होकर निकलते थे, जहां डामर की रोड्स हुआ करती थीं वहां पानी से वे रोड खराब हो जाती थी, वहां पर सी.सी. सड़क माननीय वसुन्धराजी की सरकार में बनीं और दो-दो फुट ऊंची लेयर की सड़कें थीं। आज वहां पर जो जनता निकलती है, आम आदमी निकलता है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं, वसुन्धराजी को याद करते हैं, आपको कोई याद नहीं करता है। जिन गांवों में, जिन कस्बों में जो सड़कें रह गई थीं, माननीय वसुन्धराजी की प्रस्तावित थीं, वे सड़कें अब भी अधूरी पड़ी हुई हैं। वे सड़कें जो गांव और जो कस्बों में से होकर

(श्री बहादुर सिंह)

निकलती हैं, वहां अब पानी भरा रहता है, दो-दो फीट, एक-एक फीट के खड्डे हैं। तो मैं आप लोगों से, मित्रों, आपकी बात बताने जा रहा हूं। (व्यवधान)

यह जो बजट पेश हुआ, माननीय सभापति महोदय, यह किसान विरोधी बजट है, व्यापारी विरोधी बजट है, दलित विरोधी बजट है, आम आदमी विरोधी बजट है, युवा विरोधी बजट है। इस बजट के अन्दर जो घोषणाएं की गईं, आम आदमी की जो जरूरतें हैं, उस आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश नहीं किया गया। यह सरकार का पैसा, सरकार का पैसा नहीं है, यह आम आदमी का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, व्यापारी का पैसा है; उस पैसे को गलत तरीके से खर्च करने का इन्होंने बजट पेश किया है। उसमें भ्रष्टाचार हो, उस प्रकार से इन्होंने बजट पेश किया है। किसानों का ध्यान रखना चाहिए था, युवाओं का ध्यान रखना चाहिए था। आज के अख़बार में भी आया है कि इसमें 60 परसेंट, 40 परसेंट झूठी घोषणाएं हैं। युवाओं को नौकरी देने की थी, उसमें 30 परसेंट, 40 परसेंट, आज के ही अख़बार में यह छपा है, पुरानी घोषणाएं ही दुबारा से बोल दी गई हैं। किसानों का कोई भी हित नहीं देखा। आज किसान, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल-रोटी जो खिलाने वाला, आज दाल के भाव क्या है, पर दाल-रोटी खिलाने वाला किसान है और दाल-रोटी खाने के साथ में पानी भी पीने के लिए चाहिए। पानी पीने के लिए जो बजट में रखा है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उससे पूरे राजस्थान का गांव और ढाणी और कस्बे का आदमी पानी नहीं पी सकता, दाल नहीं खा सकता और दाल-रोटी खिलाने वाले का, जो दाल-रोटी खिलाता है, उसका बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान कर्ज से दब रहा है। बजट में लेनी चाहिए किसानों के हित की बात। किसान ट्रेक्टर खरीदता है, किसान को सब्सिडी देनी चाहिए थी ट्रेक्टर के ऊपर। किसान ट्रोली खरीदता है, किसान थ्रेशर खरीदता है, किसान हल खरीदता है, उस पर सब्सिडी देनी चाहिये थी। उसके लिये अलग से बजट लाना चाहिये था और ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं। इसमें कहीं भी किसान के बारे में नहीं सोचा गया। आज जब किसान फसल पैदा करता है, माननीय सभापति जी, किसान कर्जे में दबा हुआ होता है। किसान को अपने बेटे की भी शादी करनी होती है, किसान को लड़की की भी शादी करनी होती है तब उस फसल को किसान औने-पौने दामों में बेचता है और अपना खर्चा चलाता है। जो भी शादी या जो करना है, वह उससे कार्य करता है।

(श्री बहादुर सिंह)

किसान का इस बजट में ध्यान रखना चाहिये था। तहसील या जिले लेवल पर बड़े बड़े गोदाम बनाने चाहिये थे और उन गोदामों में किसान का अनाज रखते या किसान कम ब्याज पर उस अनाज को गिरवी रख सकता था और जब किसान की फसल के भाव ऊंचे होते, तब वह किसान बेचता तो किसान का भी फायदा होता और जनता का भी फायदा होता। मगर इसमें किसानों के कहीं पर कोई फायदे के बारे में नहीं सोचा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति जी, पानी के बारे में बताऊं, आज वाटर लेवल 350 फीट पर, 400 फीट पर पहुंच गया है। गांवों में हैंडपम्प लगे हुए हैं। महिलाएं चार-चार हैंडपम्पों पर लटकी रहती हैं पर पानी नहीं निकलता। (व्यवधान) अब आप भी वहीं लगा रहे हैं। तो हर गांव के अन्दर एक बड़ी टंकी होनी चाहिये थी, डीप-बोर होना चाहिये था। उनको पानी के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट के अन्दर लेना चाहिये था। माननीय सभापति जी, अभी भरतपुर के लिये घोषणा की है कि हम बंध बारेठा से पानी लायेंगे। बंध बारेठा से पानी पहले भी आ रहा है और बंध बारेठा से पाइप लाइन की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के समय में हो गयी थी और वह कार्य भी होने वाला है और मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा कर रहे हैं कि हम भरतपुर को बंध बारेठा से पानी पिलायेंगे। मुख्य मंत्रीजी, इन असत्य घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भरतपुर के अन्दर जिस चीज की आवश्यकता थी, वहां के अधिकारियों से, वहां के जन-प्रतिनिधियों से, यह कांग्रेस के विधायकों ने भी हल्ला मचाया था कि हमसे भी राय ले लेते, वहां के जन-प्रतिनिधियों से आप राय लेते, हमसे लेते। वहां के कर्मचारी, अधिकारियों से, तहसीलदार हैं, कलक्टर हैं, एस.डी.एम. हैं, उनसे भी राय लेते कि यहां पर किस चीज की आवश्यकता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापतिजी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। बोला कहां हूं? अभी तो बहुत है मेरे पास बोलने के लिये।

माननीय सभापतिजी, भरतपुर जिले के अन्दर आपके कुम्हेर का किला, वैर का किला, भुसावर का किला, बयाना का किला, डीग का किला, उनके लिये

(श्री बहादुर सिंह)

बजट का कुछ भी प्रावधान नहीं रखा। सरकार उसके लिये बजट देती तो जो भी पर्यटक आते हैं, पर्यटन के आधार पर वहां की जनता को मजदूरी मिलती, रोजगार मिलता। इसमें भरतपुर के लिये कहीं कुछ नहीं रखा। भरतपुर जिले के अन्दर सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं। वे बावड़ियां बहुत पुरानी हैं। उनमें कुएं हैं बगल में कमरे बने हुए हैं, वे जर्जर हो गये हैं। उनके लिये कोई भी ध्यान नहीं रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, नदबई के अन्दर बाइ-पास, बयाना के अन्दर ब्रह्मबाद के अन्दर दो-दो घंटे जाम लग जाता है। वहां रेलवे का ओवरब्रिज होना चाहिये था, उसका इस बजट में कहीं प्रावधान नहीं रखा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। मैं अगला नाम बोल रहा हूं, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापतिजी, अभी यह कागज तो लिया ही नहीं मैंने।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया विराजें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा बोल लेने दो।

श्री सभापति: आप ग्यारह मिनट बोल लिये, अब विराजें। कृपया विराजें। श्री भगवान सहाय सैनी। आप विराजें, मैंने नाम बोल दिया है। अगला नाम बोल दिया गया है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात कहना चाहता हूं इधर से .. (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने कल 9 मार्च को सदन में 2011-12 का जो बजट पेश किया... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आम आदमी, गरीब किसान, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया गया है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इस बजट में प्रदेश के सभी 32 जिलों का समावेश करते हुए सभी जिलों के विकास की योजना इस बजट में रखी गयी है। यह जो बजट रखा गया, यह सर्वोत्तम बजट है। इससे और अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था। विपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है, यह नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह हम कांग्रेस के लोग ही नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रदेश की प्रेस भी यह कह रही है। आज अखबारों में सुबह था कि यह आम बजट है और जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उन्होंने लिखा है कि अल्प आय के लोगों को 730 रुपये मासिक बचत होगी और दूसरी ओर उच्च आय वर्ग के लोगों को 695 रुपये मासिक बचत होगी। जब हर वर्ग को बचत होगी तो यह बजट किस दृष्टि में अच्छा नहीं है, यह बात मुझे समझ में नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट बहुत अच्छा बजट है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी जिलों में, लगभग सभी विधान सभा क्षेत्रों में विकास कराने की घोषणाएं इसमें की हैं। सभापति महोदय, 28,461 करोड़ रुपये इन्होंने प्रस्तावित किये हैं, जो अनुमानित योजना से 961 करोड़ रुपये ज्यादा है। दाल, गेहूं, चावल, पी.डी.एस. केरोसीन, कृषि ट्रेक्टर, 500 रुपये तक के बैग, जयपुरी रजाइयां, इनको टैक्स मुक्त करके जो प्रस्ताव रखा, वह काफी सराहनीय है।

सबसे बड़ी बात यह है, माननीय सभापति महोदय, इस बजट में एस.सी., एस.टी. हेतु 16.16 प्रतिशत तथा 13.02 प्रतिशत सम्बन्धित विभागों के बजट मदों में अलग से अंकित किया है। यह प्रदेश में पहली बार हुआ है। एस.सी., एस.टी. का बजट दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे लोगों के काम आता था। इस बार बजट अलग से अंकित किया है, यह निश्चित रूप से जो एस.सी, एस.टी. की आबादी होगी, लोग होंगे, उनके यह काम आयेगा। यह इस बजट का मुख्य ध्येय है।

ऊर्जा क्षेत्र में 12,067 करोड़ रुपये इसमें प्रस्तावित किये गये हैं जो इस

(श्री भगवान सहाय सैनी)

पूरी योजना का 42 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 में राज्य क्षेत्र में 1,862 मेगावाट व निजी क्षेत्र में 810 मेगावाट क्षमता बिजली का उत्पादन करना प्रस्तावित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, दो वर्ष पहले बिजली की छीजत जो 40-42 प्रतिशत होती थी, दो वर्ष में उसे 24 प्रतिशत तक ला दिया है और आने वाले समय में जब उत्पादन अधिक होगा, जगह-जगह जी एस एस स्थापित होंगे, जैसे अंता में 765 मेगावाट, फागी में 765 मेगावाट का, इस तरह पूरे राजस्थान में जी एस एस स्थापित किये जा रहे हैं और जब 2013 तक ये सभी संसाधन, तंत्र स्थापित हो जायेंगे तो निश्चित रूप से बिजली की छीजत 15 प्रतिशत तक आ जायेगी। यह राजस्थान के लिये उपलब्धि होगी। माननीय सभापति महोदय, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार लाने की दृष्टि से ओ एण्ड एम वृत्तों का, खण्डों-उप खण्डों का पुनर्गठन किया जायेगा। ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कालाडेरा में भी एक सहायक अभियन्ता कार्यालय प्रस्तावित है, इसलिए सहायक अभियन्ता कार्यालय स्वीकृत करें। गत वर्षों में 1,52,781 कृषकों को कृषि कनेक्शन दिये गये हैं और इस बार 65,000 कृषि कनेक्शन प्रस्तावित किये गये हैं। अभी हमारे पूर्व कृषि मंत्रीजी कह रहे थे कि कृषकों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कृषि कनेक्शन किसानों को दिए जाएंगे और सड़कें बनेंगी, किसान चलेंगे। किसान उत्पादन जो करेगा, उसको वह मण्डी तक लाएंगे। तो वह सबके काम आएंगी। मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि गैर आबादी में घरेलू कनेक्शन देने के लिए जो बन्दिश कर रखी है, उसको भी आप हटायें। बी पी एल के विद्युत कनेक्शन में काफी ढिलाई चल रही है। इसकी अन्तिम तारीख 31 मार्च, 2011 है, यह बिलकुल नजदीक है, अब तक 50 परसेंट ही बी पी एल के कनेक्शन ही हो पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, विद्युत दुर्घटना में आम जन की मृत्यु होने पर जो पच्चीस हजार रुपये देय था, उसको ढाई लाख रुपये कर देना एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है।

पेयजल के लिए 3,010 करोड़ रुपये इसमें प्रस्तावित किये गये हैं जो पहले से 151 करोड़ रुपये अधिक हैं। माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए एस सी और एस टी मोहल्लों और बस्तियों के लिए अलग से सिंगल फेस बोरिंग स्थापित किये गये हैं और आने वाले समय में 3,414 बस्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 2011-12 में योजना मद में 1,420 करोड़ रुपये का यानी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद में 1,200 करोड़ रुपये

(श्री भगवान सहाय सैनी)

का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 839 एस सी व एस टी बस्तियों में लगभग 47 करोड़ रुपये पेयजल के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, इससे व्यवस्था में सुधार किया जाएगा जिसमें पुरानी लाइनों को बदलने एवं हैंडपम्पों के सुधार हेतु 183 कस्बों के लिए लगभग साठ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। माननीय जलदाय मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चौमूं में जल योजना की स्कीम काफी दिनों से पेंडिंग है, उस स्कीम को स्वीकृत करवायें और जो पुरानी लाइनें हैं उनकी जगह नई लाइनें डलवाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 3,020 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान रखा गया है जो पहले 2,652 करोड़ का था। पचास नयी पी एच सी, पैंतीस पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। सी एच सी पर एफ आर यू संचालन हेतु 335 कनिष्ठ विशेषज्ञ व अन्य पद, महिला स्वास्थ्य कार्यकताओं के पद सृजित किये जाएंगे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय अस्पतालों में सभी मरीजों को दो अक्टूबर से नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवायी जाएंगी, यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। बी पी एल व मुख्य मंत्री सहायता कोष की 01 जनवरी, 2009 से लागू योजना में 66 लाख लोगों का इलाज अब तक हुआ है और इस इलाज में और भी उपलब्धि हो, इसके लिए बी पी एल के अलावा जो ए पी एल हैं, उनकी भी चालीस हजार रुपये तक की पात्रता थी, उसको बढ़ाकर साठ हजार करने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कालाडेरा जो पी एच सी है, उसको सी एच सी में क्रमोन्नत करने के लिए एक वर्ष पहले आपने कहा था कि जब भी सी एच सी क्रमोन्नत होंगी तो कालाडेरा का ध्यान रखा जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि कालाडेरा में सी एच सी स्वीकृत करवायें। चौमूं सी एच सी में प्रति वर्ष छह हजार डिलिवरी होती हैं और महिला चिकित्सालय में अठारह हजार होती हैं। जयपुर वाले महिला चिकित्सालय की वन थर्ड डिलिवरीज चौमूं में होती हैं। स्टाफ के नाम पर चौमूं में केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है जबकि महिला चिकित्सालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिसटेंट प्रोफेसर, स्पेशल सर्जन, जे एस अनेक पद हैं। इतने पद होते हुए महिला चिकित्सालय, जयपुर का औसत डिलिवरी का प्रति वर्ष

(श्री भगवान सहाय सैनी)

अठारह हजार और चौमूं का छह हजार। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चौमूं में चार पद जे एस, स्त्री रोग के स्थापित करें तथा हमारे आसपास की जो पी एच सी हैं, हस्तेड़ा, कालाडेरा, सामोद, खेजरोली, इटावा भोपजी में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार तो इधर देखें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): देख रहा हूं। साहब...स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत करवाने की कृपा करें। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि जयपुर का दबाव कम करने के लिए, चौमूं राजधानी का उप-नगर है, जयपुर जिले का प्रमुख कस्बा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चौमूं में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी उपलब्ध करवायें तो जयपुर पर दबाव नहीं बढ़ेगा। हर रोग के लिए आम आदमी को जयपुर नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए चौमूं में दो सौ बेड का महिला एवं जनरल जिला चिकित्सालय स्थापित करवायें जिससे चौमूं के आसपास के लोगों को वहीं पर इलाज मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, नि:शक्तजनों के लिए अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु निदेशालय स्थापित करने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि विधवा को जो पेंशन दी जाती है, उसके लिए शर्त रखी जाती है, पच्चीस साल का बड़ा बेटा हो तो उसको पेंशन नहीं मिलती। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि विधवा के लिए जो शर्त है वह हटनी चाहिए, विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए। बच्चा चाहे पच्चीस साल का हो या तीस साल का हो, विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए। यह इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए।

पशुपालन में सौ पशु चिकित्सा उप-केन्द्र एवं दो सौ औषधालय क्रमोन्नत करने का प्रस्तावित किया गया है। चौमूं भी पशुपालक क्षेत्र है, मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि चौमूं का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे यहां चिकित्सालय स्वीकृत करें।

सभापति महोदय, इस बजट में हस्तनिर्मित कागज के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गयी है। राजस्थान मूल्य कर अधिनियम 2003 की अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 97 के अनुसार सभी प्रकार का कागज पांच प्रतिशत दर से कर योग्य है जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में कर नहीं लगता है। राज्य में हस्तनिर्मित कागज पर कर वसूल किया जा रहा है जिससे

(श्री भगवान सहाय सैनी)

सरकार को प्रति वर्ष पच्चीस लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इस लघु उद्योग से हजारों लोग जुडे हुए हैं। आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि हस्तनिर्मित कागज पर पांच परसेंट जो टैक्स है उसको समाप्त करवाने की कृपा करें।

अभी चर्चा हो रही थी, सभापति महोदय, निर्वाचन क्षेत्र में बासा फतेहपुरा में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्ववर्ती सरकार के जन-प्रतिनधियों ने विज्ञान विषय खोलने का शिलान्यास कर दिया और आज तक वहां कोई विज्ञान विषय नहीं खुला। मतलब ये जाने वाले थे, इन्होंने सोचा कि भाटा तो लगा दें तो इन्होंने उद्‌घाटन तो कर दिया और आज तक वहां विज्ञान विषय नहीं खुला। इस तरह के ये लोग हैं, इसीलिए उधर बैठे हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, गोविन्दगढ़ में उप-तहसील स्वीकृत करवाने की राजस्व मंत्रीजी कृपा करें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, चौमूं क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है, पानी डार्क जोन में आ गया है। कालाडेरा में कोका कोला की फैक्टरी स्थापित है, उस फैक्टरी को बन्द करवाने के लिए पहले भी, 2002 में भी काफी संघर्ष किया गया था, विधान सभा में भी प्रश्न लगाया गया था। आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस कोका कोला इण्डस्ट्री को वहां से शिफ्ट करवाया जाए या उसको बन्द करवाया जाए जिससे कि पानी थोड़ा बहुत, जो भी बचा है, वह किसानों के काम आये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि चौमूं में स्टेडियम का निर्माण पिछले दस वर्षों से पेंडिंग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि चोप में आर सी ए को स्टेडियम के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, चौमूं में भी स्टेडियम के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। मैं अगला नाम बोल रहा हूं। आप विराजिए। श्री सुखराम कोली।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय, दो मिनट। जयपुर में मेट्रो

(श्री भगवान सहाय सैनी)

रेल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का विस्तार यदि चौमूं तक कर दिया जाता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा होगा और चौमूं जयपुर के बीच आम आदमी उससे आयेगा-जायेगा। जितनी भीड़-भाड़ है और एक्सीडेंट होते हैं, वह बचेंगे, इसके अलावा डीजल और पेट्रोल में बचत होगी। तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मेट्रो रेल परियोजना को चौमूं तक बढ़ायें जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, गत वर्ष भी हमें बहुत आशा थी कि हमारे धौलपुर जिले को कुछ न कुछ तो मिलेगा और इस वर्ष भी हम बहुत बड़ी आशा लगाये हुए थे। पता नहीं, धौलपुर-वासियों ने कौनसा अपराध कर दिया है जो उपेक्षा के शिकार रहते हैं। जहां पर एक तरफ डकैत अपनी बंदूक से गोली चला कर हमें घायल करते हैं, दूसरी तरफ मुख्य मंत्रीजी अपने बजट बाणों से हमें घायल करते हैं। अगर मैं कहूं इन शब्दों को कि 'देख कर इस बजट को रोने लगा यूं आसमां, बेदर्द को दर्द की कैसे सुनाऊं दास्तां,' ऐसे बेदर्दी मुख्य मंत्री ने हमारे धौलपुर जिले को बिलकुल ही कुछ नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम यहां शिक्षा की बात करें, जैसे हमारे वहां काफी कुछ तालियां बटोर रहे थे, अब मैं तो अपने धौलपुर जिले की बात करता हूं, धौलपुर जिले में जितने भी विद्यालय हैं उनमें अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। दूर-दूर तक विद्यालय एक-दो हैं, वहां पर अधिकांश जो छात्र हैं वे बेचारे दूर-दूर से आते हैं और यह आशा लेकर आते हैं कि हमें विद्यालय में जाकर कुछ पढ़ने को मिलेगा परन्तु जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं, वहां पर कोई भी अध्यापक नहीं मिलता है। तो यह बड़ी विडम्बना है। माननीय सभापति महोदय, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, सरकार कहती है, हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वहां पर घटिया मिड-डे मील जिसको खा-खाकर के छोटे-छोटे नौनिहाल बीमार पड़ते हैं और सरकार उनका कोई बंदोबस्त नहीं करती है।

माननीय सभापति महोदय, समानीकरण के नाम पर मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन विद्यालयों को इसलिए बंद कर दिया गया कि दूसरा विद्यालय नजदीक था और उनमें 25 छात्र संख्या थी। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, पांच किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई विद्यालय है और उसमें अगर 25 छात्र संख्या है तो वह समानीकरण के दायरे में नहीं आना चाहिए। परन्तु उस समानीकरण का बहाना लेकर उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया।

(श्री सुखराम)

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर जिला पहले से ही पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पर सुविधाओं की अगर कल्पना करें तो मेरे हिसाब से एक मजाक होगा परन्तु फिर भी उन विद्यालयों में जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, एक अगर उनकी तरफ, बच्चों की तरफ भी अगर मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता महोदय ध्यान देते तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि होती परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें धौलपुर के नाम पर कुछ नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, हद तो तब हो जाती है कि जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ., दोनों मिलकर के अग्निशमन सिलेंडरों के नाम पर घटिया सिलेंडर खरीदते हैं और उन सिलेंडरों का बिल जो सरकार ने यहां से प्रस्तावित किया है, उसके आधार पर उठाते हैं। अगर यह गलत है तो आप उन बिलों का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है या जो एक तरह से आकलन है, वह आप उनसे करवा सकते हैं उन बिलों के। ऐसे 75 परसेंट बिल हैं मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में जहां पर शैक्षणिक सामग्री के लिए जो, शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा विभाग यहां से पैसा भेजता है और उनका फर्जी बिल लगाकर उनका बिल उठाते हैं। अख़बार में भी आया, उसको काफी उछाला गया परन्तु उस डी.ई.ओ. के विरुद्ध, उस बी.ई.ओ. के विरुद्ध और उन तमाम दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

माननीय सभापति महोदय, हम यह सोच रहे थे, पहले तो धौलपुर पूरा उपेक्षा का शिकार होता है परन्तु धौलपुर में भी मेरा विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार होता है; क्यों, क्योंकि मेरा 75 प्रतिशत जो क्षेत्र है वह डांग क्षेत्र है। हम यह आशा कर रहे थे, मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में आई.टी.आई. कालेजों की घोषणा की है, बसेड़ी उप-खण्ड पर कोई आई.टी.आई. कालेज नहीं है, हम सोच रहे थे शायद इस बार मिल जाए परन्तु इस बार भी हमारी जो इच्छाएं थीं वे इच्छाएं सिर्फ इच्छाएं बन कर रह गयीं।

जहां एक तरफ एक मात्र गर्ल्स विद्यालय है बसेड़ी में जिसमें, माननीय सभापति महोदय, आज जो संख्या है, मैं समझता हूं 700-800 बालिकाएं पढ़ती हैं परन्तु उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो को-एजुकेशन और दूसरा विद्यालय चलता है बसेड़ी में ही, उसके पास इतना भवन है, उसमें मात्र 105 लड़के हैं और स्टाफ उसमें 35 आदमियों का है। यह कैसी विडम्बना है? एक तरफ समानीकरण की बात करते हो और दूसरी तरफ जहां

(श्री सुखराम)

पर छात्र संख्या ज्यादा है, छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां व्यवस्था नहीं है और जहां छात्रों की संख्या कम है, वहां पर विद्यालय में अध्यापक लगा रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम यह भी सोच रहे थे कि हमारे धौलपुर जिले में बाड़ी और बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा, राजाखेड़ा और धौलपुर, तीनों धौलपुर में हैं महाविद्यालय परन्तु हम यह सोच रहे थे कि बाड़ी या बसेड़ी में अगर एक कन्या महाविद्यालय खुल जाता तो निश्चित रूप से बाड़ी और बसेड़ी की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर चिकित्सा के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं कीं, यहां चिकित्सा मंत्रीजी नहीं हैं, उन्होंने गत वर्ष मुझे आश्वासन दिया था। धौलपुर जिले का एक मात्र यूनानी चिकित्सालय नांदनपुर डांग क्षेत्र में स्थित है परन्तु आज उस यूनानी चिकित्सालय के पास अपना कोई भवन नहीं है। उसकी जितनी दवाइयां यहां से जाती हैं, सब बरसात में भीग जाती हैं। परन्तु उस यूनानी चिकित्सालय को भी इन्होंने उपेक्षा का शिकार किया।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग लाखों रुपए के उपकरण खरीदता है और वे सारे उपकरण आज भी अस्पतालों में धूल चाट रहे हैं। आखिर जब उनकी आवश्यकता नहीं थी तो उनको खरीदा क्यों गया? और जब खरीदा गया तो फिर उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? और उनका उपयोग क्यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी अधिकारी हैं? उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां ट्रोमा वार्ड गत वर्ष स्वीकृत किया जिला अस्पताल धौलपुर में, मैं यह कहना चाहता हूं, इस सदन को बता देना चाहता हूं कि अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो उस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र लिया जाता है कि यह बिल्डिंग अनुपयोगी है और जब वह प्रमाण पत्र मिल जाता है तब उस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है परन्तु धौलपुर जिले में राजाओं के जमाने की बिल्डिंग बनी हुई थी, उस बिल्डिंग को बिना किसी परमिशन के तोड़ दिया गया और उसमें से 55 लाख रुपये का जो मैटेरियल निकला उसको पी.एम.ओ. और सम्बन्धित ठेकेदार खा गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, हमारी एक और इच्छा थी, हम डाकुओं के

(श्री सुखराम)

बीच में जिंदा रहते हैं। माननीय हमारे संसदीय सचिव ने कहा था वह सही है, धौलपुर जिला ऐसा है कि जब भी हम निकलते हैं, हमें पता नहीं किधर से गोली आये और हमें छूती हुई निकल जाए, पता नहीं हम कब धराशाही हो जाएं। परन्तु हम चाहते थे, हमारी कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर आम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। नांदनपुर क्षेत्र मेरा ऐसा क्षेत्र है जो बीचों-बीच डांग में स्थित है और वहां बार-बार मेरे मांग उठाने के उपरान्त भी, मैंने काफी निवेदन किया कि वहां पर एक नांदनपुर थाना बन जाए, उस थाने से कम से कम डांग क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को महफूज समझ सकें, अपने आप को सुरक्षित समझ सकें परन्तु इस बजट में वहां पर भी एक पैसा देने की कोशिश नहीं की।

माननीय सभापति महोदय ,ए.डी.एफ. या एस.पी. आफिस हो, जहां कहीं भी हम देखते हैं, एस.पी. आफिस है, एस.पी. साहब कहते हैं कि हम कैसे आपका सहयोग करें, आप जानते हो कि दस-दस साल पहले खरीदे हुए वाहन हैं, उन वाहनों से अगर डकैतों का पीछा करेंगे तो, मैं समझता हूं, शायद वे सात जन्म में भी उन डकैतों को नहीं पकड़ सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, यहां पर तीन-तीन महिलाएं, यह उदाहरण था, तीन-तीन महिलाएं इच्छा मृत्यु की मुख्य मंत्रीजी से गुहार करती हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह है आपकी कानून-व्यवस्था यहां पर।

माननीय सभापति महोदय, हम सोच रहे थे, हमारे पूरे धौलपुर जिले की मांग थी चम्बल लिफ्ट योजना की, उस चम्बल लिफ्ट योजना को ज्यादा नहीं तो सर्वे के लिए ही यह स्वीकृत कर देते परन्तु उस हैड में कितना डाला गया, एक रुपया। भाई, एक रुपया तो आज कोई भिखारी होता है, वह भी दस रुपये मांगता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। इससे पहले कि मैं अगला नाम बोलूं, कृपया समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल ही समाप्त कर रहा हूं।

(श्री सुखराम)

एक मेरा बिन्दु है, वह बिन्दु यह है कि चम्बल से निकलने वाली जो बजरी है, उस बजरी का जो दोहन है वह दोहन धौलपुर की जनता के लिए खुलना चाहिए क्योंकि जो यहां पर घड़ियाल हैं, पूरे धौलपुर में घड़ियाल नहीं हैं। वहां पर सर्वे कराना चाहिए और घड़ियालों के लिए अलग से चिह्नित किया जाए और बजरी के लिए अलग चिह्नित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में धौलपुर और करौली क्षेत्र ऐसे हैं जहां के पत्थर से लाल किला और जाने कौन-कौनसी बिल्डिंगें बनवायीं और आज उस पत्थर पर ...

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस पत्थर व्यवसाय को चौपट करने के लिए, आज धौलपुर का पत्थर व्यवसायी डबल रायल्टी वसूली का शिकार हो रहा है और उसके साथ दोहरी नीति अपनायी जा रही है। मार्बल क्षेत्र में एक बार रायल्टी ली जाती है परन्तु धौलपुर जिले के पत्थरों पर दो बार रायल्टी ली जाती है। यह जो दोहरी नीति है, कम से कम हमें कुछ नहीं देते तो हमारे पत्थर व्यवसायियों का इतना तो कर देते कि उस रायल्टी का एक नियम बनाते। जिस तरह से मार्बल निकलता है, उसी तरह से यहां ली जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, मैं अगला नाम बोल रहा हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, यहां पर थर्मल पावर, बिजली की लाइनें इतनी अस्त व्यस्त हैं, दो साल से हमारा बिजली की लाइन का काम पड़ा हुआ है।

श्री सभापति: अब आप आसन का कहना नहीं मान रहे। श्रीमती सज्जन कटारा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो वर्ष 2011-12 के बजट का अनुमान प्रस्तुत किया गया, इस सम्बन्ध में पक्ष में बोलना चाहती हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं, उन्होंने प्रदेश की जनता के तमाम हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाया। बजट बहुत अच्छा है, गरीब, एस सी, एस टी, ओ बी सी, महिलाओं और प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने राजकीय अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाइयां 2 अक्टूबर, 2011 से नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है तथा थैलेसीमिया व हिमोफिलिया के मरीजों को भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूं।

मैं आभार व्यक्त करती हूं कि योजना आयोग में राज्य की वर्ष 2011-12 की योजना का आकार 27,500 करोड़ रुपये का निर्धारित किया था मगर योजना का आकार 28,461 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है जो अनुमोदित योजना से 961 करोड़ रुपये अधिक है। इससे राज्य के निर्धन, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग का विकास होगा, मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पी एम जी एस वाई योजना के अन्तर्गत गांवों के अलावा ढाणियों को चिह्नित कर 250 व इससे अधिक आबादी वाली 3,749 ढाणियों एवं मगरों को सड़कों से जोड़ने के लिए चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य केन्द्र से स्वीकृत करवाए हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा।

इसके साथ ही आगामी दो वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर मिसिंग लिंक की सड़कें, धार्मिक स्थानों की सड़कें और सुदृढ़ीकरण की सड़कों को जोड़ने के लिए 1,400 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य है। इससे कई गांव आपस में जुड़ेंगे। यह कार्य प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में किया जाएगा और सात करोड़ रुपये के काम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में होंगे। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में 65,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन एवं 500 किसानों को ऊर्जा आधारित पम्पसेट प्रदान करने की घोषणा की, जो कि स्वागत योग्य है। हमारी सरकार किसानों के पक्ष में है, किसानों के हितों की हमेशा रक्षक रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है।

पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल की राज्य में बढ़ती हुई निरन्तर मांग के चलते हुए भू-जल की स्थिति कमजोर होती जा रही है। पानी की उपलब्धता तथा आवश्यकता के अन्तर के आधार पर नये स्रोत विकसित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यह बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इस वर्ष के अन्त तक एस सी, एस टी, अल्पसंख्यकों की 3,414 बस्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, जो बहुत ही अच्छा है।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

मैं आभार व्यक्त करती हूं मुख्य मंत्रीजी का, उन्होंने उदयपुर की जलापूर्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही देवास परियोजना जिसकी लागत 379 करोड़ रुपये है, 202 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और इस वर्ष बजट में पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से इस वर्ष के अन्त तक यह योजना बनकर तैयार होगी और उदयपुर शहर के वासियों को पानी मिलेगा। ए सी एम टनल में एक मजदूर नारायण नाम का फंस गया था, सात दिन तक अन्दर फंसा रहा। हमारे मुख्य मंत्रीजी की तत्परता से इस मजदूर को वापस निकालने का काम किया और जिन्दा बाहर निकाला। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। इस कारण से इस कार्य में दो महीने की देरी हुई है लेकिन फिर भी कुछ ही समय में इस योजना का पानी उदयपुर में लाया जाएगा। जो हमारी विपक्षी बहन किरण माहेश्वरी ने कहा कि योजना अधरझूल में चल रही है, मैं बताना चाहती हूं कि यह हमारी सरकार द्वारा बनाई गई, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मोहनलालजी सुखाड़िया द्वारा बनाई गई थी और अभी मुख्य मंत्रीजी के 1998 के टेन्योर में, पूर्व में जब मुख्य मंत्री थे, तब देवास योजना को प्रारम्भ किया था और मानसी-वाकल योजना को प्रारम्भ किया गया तथा उदयपुर में पेयजल के लिए उन्होंने जलापूर्ति की। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि अभी जल्दी से जल्दी देवास योजना का पानी उदयपुर में लाने का प्रावधान किया है।

मैं गहलोत साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, महिलाओं का हमारी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है, अभी भी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। उदयपुर के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय में 50 शय्याओं की वृद्धि करने का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। आशा एवं साथिन के मानदेय में वृद्धि की है और इनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को पहले कक्षा दस में साइकिलें वितरित की जाती थीं लेकिन अब कक्षा आठ पास करके नवीं में जाने वाली बालिकाओं को साइकिलें वितरित की जायेंगी जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बालिकाओं को आगे बढ़ने का और अच्छा पढ़ने का एक अवसर मिलेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को मैस भत्ता 1000 से बढ़ाकर 1,250 कर दिया है, यह अच्छा कदम है, इससे उक्त बालक-बालिकाएं पढ़ने में अधिक रुचि ले सकेंगी। इन्दिरा आवास योजना में एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में लगभग दस लाख ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

मैं अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करती हूं कि इस तरह से कमजोर तबके पर पूरा ध्यान दिया गया है, इस बजट के अन्दर हरेक वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से गरीबों की भलाई का बजट है। ग्रामीण क्षेत्र के एस.सी., एस.टी., महिलाओं का और कमजोर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कल सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2011-12 का बजट पेश किया। सरकार द्वारा बजट पेश करना उनकी संवैधानिक मजबूरी है और बजट में लोक-लुभावनी घोषणाएं करना, यह सरकार की अपनी मजबूरी है। पिछले जो दो बजट थे उनका जो हश्र हुआ, मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बजट का वह हश्र नहीं हो और जो भी घोषणाएं हुई हैं, उसका लाभ जनता को मिल जाए। इस बात का भी आप वर्ष भर ख्याल रखें, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

अब जैसा बजट पेश किया, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को इस बात का अहसास हो गया कि यदि हमने कुछ नहीं किया तो अब यह जनता हमको भगाने में ज्यादा देरी नहीं करेगी। मैं इस बात के लिये तो सरकार को धन्यवाद दूंगा, दो साल बाद ही सही पर आप में सद्‌बुद्धि तो आयी और कुछ अच्छी घोषणाएं आपने कर दीं लेकिन ये घोषणाएं ही रहीं तब तो कुछ मिलने वाला नहीं और इनका क्रियान्वयन हो गया तो हो सकता है, प्रदेश की जनता को थोड़ी-बहुत राहत मिल जाए। वैसे सबको पता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जादुई कारनामे भी जानते हैं, मास्टरी उनकी जादूगरी में है, काला और धौला, सब जानते हैं वे और जैसा जादू में होता है, जो चीज दिखती है वह वास्तविकता या हकीकत नहीं होती, मात्र नजरों का भ्रम होता है। यह बजट भी देखने में, पढ़ने में, सुनने में हो सकता है अच्छा लगे पर यह भ्रम नहीं निकल जाए, जादुई करतब जैसा नहीं हो जाए, इसका भी आप थोड़ा ख्याल रखें।

माननीय सभापति महोदय, भले ही दावा कर दे सरकार कि हमने इस बजट के माध्यम से महंगाई कम की है, गरीब को राहत दी है, जन-सुविधाओं की बहुत बड़ी घोषणाएं हमने की हैं या रोजगार के अवसर भी हमने बहुत सारे खोल दिये, ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं, कोई इससे महंगाई कम होगी नहीं,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गरीबों को उससे राहत मिलने वाली नहीं। जिस रोजगार को देने की बात आप पिछले दो वर्षों से कर रहे हैं, उस बात को आपने इस बार भी दोहरा दिया। होगा क्या? आगे क्या होगा, यह तो किसी को भी नहीं पता कि क्या यह साल भी ऐसे ही निकल जायेगा। विकास के नाम पर सड़कों में जरूर आपने कुछ प्रावधान किये और उसका परिणाम कब देखने को मिलेगा, यह तो वक्त बतायेगा।

फिर भी माननीय मुख्य, मंत्रीजी को अपने कुछ सुझाव जरूर देने चाहूंगा। उन्होंने काफी वर्गों को लॉलीपाप दिये हैं तो उनको भी दे दें कुछ वे। मेरा पहला तो सुझाव है, आपने गेहूं में, चावल में, दाल में, केरोसिन में वैट खतम करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया लेकिन आटा, मैदा, बेसन को आपने छोड़ दिया। माननीय सभापति महोदय, यह सच्चाई है कि गरीब गेहूं नहीं खरीद पाता, वह तो रोज का एक-दो किलो आटा लाकर अपने परिवार का पेट भरण करता है। उसके पास टाइम ही नहीं कि गेहूं ले, पिसाई के लिये चक्की पर जाए, उसका आटा बनाए। जितना पैसा कमाया, शाम को वह आटा लेकर आ गया। तो आटा, बेसन, मैदा पर भी वैट खतम करने की मेहरबानी माननीय मुख्य मंत्री महोदय कर दें।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में दस लाख मकान बनाकर देंगे इंदिरा आवास में। बहुत अच्छी बात है, आप दे देंगे तो हम भी आपको धन्यवाद देंगे लेकिन शहरी क्षेत्र में जो गरीब हैं, उसने कौनसा गुनाह कर दिया कि उसको इस योजना का लाभ नहीं मिले? साथ ही शहरी क्षेत्र में जो कृषि भूमि पर मकान बने हुए हैं, उनमें जो बाह्य विकास शुल्क की राशि बढ़ायी है सरकार ने, पहले 50 रुपये स्कवायर गज राशि थी बाह्य विकास शुल्क की, वह आपने 250 रुपये कर दी और 40 रुपये प्रति वर्ग गज से सीवरेज चार्ज। एक गरीब अगर अपना पट्टा बनवाना चाहेगा तो उसका खर्चा एक हजार स्कवायर फीट के मकान पर 60,000 रुपये आयेगा। तो यह जो आपने राशि बढ़ायी है ना, उसको वापस आप सीमित कर दें ताकि कोई गरीब पट्टा लेना चाहे, मकान तो आप मत दो कोई दिक्कत नहीं है, मकान उसका बन गया, उसका पट्टा बनवाना चाहे तो वह कम से कम इतना पैसा तो दे सके जिससे उसका पट्टा बन सके, वरना पट्टा भी नहीं बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, विधवा और परित्यक्ता जो अप्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर लगी हुई हैं, उनका मानदेय जो माननीय वसुन्धराजी ने तय

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किया था 2,750 रुपये प्रति माह, 5 साल हो गये, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में तीन गुणा बढ़ोतरी हो गयी 5 सालों में। जो हमारी न्यूनतम मजदूरी थी, वह 5 सालों में दुगनी हो गयी। तो यह तो विधवा, परित्यक्ता अप्रशिक्षित अध्यापिकाएं लगी हुई हैं उनका मानदेय भी निश्चित रूप से इस सरकार को बढ़ाना चाहिये।

साथ ही सरकार बड़ी-बड़ी घोषणा करती है कि हम नि:शक्तजनों के लिये बहुत कुछ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, दो साल से लगातार सरकार यह बात कर रही है, काम क्या किया ? पहले चरण में नि:शक्तजन की पहचान...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या आप सबकी अनुमति से सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया 9.00 बजे तक।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सरकार ने कहा हमने नि:शक्तजनों की पहचान कर ली, उनको लिस्टेड कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया, बाद में कहा, हमने उनको नि:शक्तजन कार्ड उपलब्ध करवा दिये पर दो साल होने को आये, एक भी नि:शक्तजन को किसी भी योजना में लाभान्वित इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है, जब आपने पहचान कर ली, कार्ड बना दिये तो उनके राहत की कोई न कोई घोषणा, जब आपने इतनी सारी घोषणाएं कीं तो वह भी कर देते ताकि उनको भी जो उम्मीद आपसे बंधी हुई है, वह उनकी पूरी हो जाती।

माननीय सभापति महोदय, विकलांग पेंशन के बारे में इस सदन में कई विधायकों ने कई बार विषय उठाये कि विकलांग को पेंशन मिलती नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

क्योंकि उसमें इतने सारे राइडर्स लगे हुए हैं कि मुश्किल से 10 परसेंट विकलांग ही पेंशन की पात्रता रखते हैं, बाकी ले नहीं पाते। तो विकलांगों को भी यह सरकार कुछ दे दे, ये जो राइडर लगे हुए हैं ना उनको हटा दें। हर विकलांग जो कमाने योग्य नहीं है, उसको सरकार की ओर से पेंशन मिल जाए।

अन्त्योदय परिवार जो हैं, जो समाज का सबसे निर्धनतम परिवार है, उसको बी पी एल की तरह सब सुविधाएं मिल जाएं, इस बात की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में नवजीवन योजना में कुछ और जातियों को सम्मिलित किया, बाठ है, भांड है, ढोली को सम्मिलित किया। मैं धन्यवाद दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इन जातियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये पर कुछ जातियां और ऐसी हैं जिनको सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। जैसे बांठिया जाति है, वह अपने परिवार का पालन-पोषण देह व्यापार के माध्यम से करते हैं, उनको भी इस धंधे से छुड़वाना होगा। उसी प्रकार से जो बावरी जाति है, चौकीदार, अधिकांश बावरी जाति के लोग अंग्रेजी बबूल को काटकर कोयला बनाने का काम करते हैं। अंग्रेजी बबूल पर इस सरकार ने रोक लगा दी, उसके बाद में उनकी रोजी-रोटी के लाले पड़ गये हैं। इसी प्रकार जोगी है, कालबेलिया, जो सांप पालते हैं या करतब दिखाते हैं, नट हैं, उनको भी इस योजना में सरकार सम्मिलित करे। हमारे पाली शहर में ऐसे सैकड़ों भील परिवार हैं जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कचरा बीनकर उनमें से कुछ चीज निकालकर बेचना है। तो जब नवजीवन योजना में आपने सात जातियों को सम्मिलित कर दिया तो इनसे भी ज्यादा और दुःखी जातियां, पिछड़ी जातियां ये हैं, उनको भी माननीय मुख्य मंत्री सम्मिलित करें, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि गांवों में आप जो नया विद्युत सम्बन्ध देते हो, मुख्य गांव में उसका शुल्क है 1,500 रुपये और गांव के पास यदि कोई ढाणी बस गयी, जो आबादी में है, पट्टाशुदा है पर मुख्य गांव का हिस्सा नहीं है, वहां आपके कनेक्शन की राशि

(समय : 20.00 बजे)

3,500 रुपये वसूल की जाती है। यह गांव में भेदभाव ठीक नहीं है। अब गांव बड़ा हो गया और गांव के समीप आबादी की कोई भूमि नहीं थी तो थोड़ी दूर जाकर के बस गये, यह उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर दिया। जो भी गांव में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कनेक्शन लेना चाहे उसकी दर माननीय मुख्य मंत्रीजी एक कर दें, यह मेरा उनसे निवेदन है। आज भी बहुत सारी ढाणियां विद्युत से वंचित हैं। इस सरकार ने उन ढाणियों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की जो शेष ढाणियां बची हैं, बहुत कम बची होंगी क्योंकि माननीय वसुन्धराजी ने बहुत सारी ढाणियों को कर दिया उस समय। बाकी जो बची थीं वे राजीव गांधी विद्युत मिशन में हो गयीं। जो शेष ढाणियां बची हैं, उनका भी विद्युतिकरण हो जाये, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बजट के माध्यम से घोषणा कर दें।

सभापति महोदय, प्रदेश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक यहां औद्योगिक निवेश नहीं होगा। इस सरकार पर उद्योगपतियों का कोई विश्वास नहीं है। मैं एक स्कीम के बारे में बता दूं, दी राजस्थान माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज स्कीम 2008, उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि जो इकाई अपने स्वयं के प्रदूषित पानी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगायेगी तो उसको उसकी लागत का 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। पाली में एक इकाई ने हिम्मत कर दी, डेढ़ करोड़ रुपये उसने खर्च कर दिये, सरकार की घोषणा के बावजूद दो साल से वह अनुदान के लिए घूम रहा है। अगर सरकार का यही तरीका रहा ना काम करने का तो ये उद्योगपति कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं सरकार के, वे ज्यादा होशियार हैं सरकार से भी। सरकार को आप कहें कि जो भी घोषणा आप करें, उद्योग नीति बनायें तो उसकी पालना भी करें ताकि आपके प्रति उनके मन में विश्वास पैदा हो।

सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पाली, जोधपुर, बालोतरा में पावरलूम इकाइयों की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। यह योजना क्या होगी, यह बजट भाषण में बताया नहीं है। यह हकीकत है कि यदि बिजली की दरों में रियायत दे दें तो पाली, जालोर और जोधपुर में हजारों लूम लग सकते हैं और उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। यहां जो अड़चन आ रही है, वह मात्र विद्युत दरों को लेकर के आ रही है क्योंकि यहां साढ़े चार रुपये है और महाराष्ट्र में मात्र सवा दो रुपये है। अगर यह विद्युत दर समान हो जाये तो मैं पाली के लिए कह सकता हूं, पाली में अभी माननीय जिला कलक्टर महोदय ने निवेश के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें हजारों लूम का प्रस्ताव निवेशकों ने दिया था। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस निवेश की प्रोत्साहन योजना की घोषणा जल्दी करें। साथ में पाली में चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कोयले का बहुत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ज्यादा उपयोग उसमें होता है। बाकी जो भी कोयला है, उसमें कोई एंट्री टैक्स नहीं है पर जो सबसे ज्यादा उपयोग में कोयला आता है, पीट कोक, उस पर तीन प्रतिशत एंट्री टैक्स है। उसके कारण पाली के जो उद्यमी हैं, कहीं से लकड़ी खरीदकर के उसको लाकर अपने बायलर में जलाते हैं, जिससे आपकी अवैध लकड़ी की कटाई होती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पीट कोक पर जो तीन प्रतिशत प्रवेश कर है उसको सरकार समाप्त कर दे तो यह कम से कम अवैध जो कटाई हो रही है लकड़ी की, वह रुक जायेगी।

सभापति महोदय, अब पाइपलाइन की बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने की हैं। माननीय जलदाय मंत्रीजी बैठे हैं, पिछली सरकार की एक छोटी-सी ढाई करोड़ की योजना मात्र, पाली से काला पीपल की ढाणी, पिछले सरकार के समय उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एक इंच पाइप उसमें नहीं बिछाया गया। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, थोड़ा इसको गम्भीरता से लें। साथ ही पाली की जो सबसे बड़ी मांग है कि जोधपुर से रोहिट और पाली को पानी मिल जाये, इस मांग को माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने पाली की जनता ने अनेकों बार रखा है। इस बजट में कम से कम जोधपुर का पानी भी पाली, रोहिट को मिल जाये, यह प्रावधान कर दें तो पाली की जनता के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा हो जायेगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पाली में आर ओ बी की घोषणा की है बजट में, यह आर ओ बी भी कोई घोषणा से नहीं मिला है हमको। यह आर ओ बी माननीय वसुन्धराजी के कार्यकाल में, माननीय राजेन्द्रजी के कार्यकाल में स्वीकृत हो गया था, उसका काम भी इनके शासनकाल में शुरू हो गया था लेकिन बाद में ज्यों ही सत्ता परिवर्तन हुई तो इस सरकार ने यह काम बंद कर दिया। लोग माननीय उच्च न्यायालय के पास गुहार लेकर गये और माननीय उच्च न्यायालय की फटकार मिली तो वापस जाकर इस काम की शुरुआत की घोषणा की। सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करे, सरकार उस बात का श्रेय ले जो सरकार खुद कर रही है।

सभापति महोदय, करीब दो मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है। मेरे सुझाव दे रहा हूं और कुछ नहीं दे रहा हूं।इस बजट में सड़कों में प्रावधान अच्छा किया, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा सरकार से इस बात का भी निवेदन है कि कई सड़कें जो दो जिलों को मिलाती हैं, एक जिले के छोर का गांव है और दूसरे जिले के छोर का

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गांव है, ये सारी सड़कें अधूरी रह जाती हैं। किसी विधायक की या किसी योजना में वे आती नहीं हैं। ऐसी सड़कें जो 5, 7, 10 किलोमीटर की हैं, जो एक जिले के गांव को दूसरे जिले के गांव से जोड़ें, ऐसी भी कुछ सड़कों का प्रावधान इस बजट में कर दें तो कई जिले आपस में जुड़ जायेंगे।

सभापति महोदय, बातें बहुत बड़ी-बड़ी और सच्चाई क्या है, वह पता है। मैंने पहले भी उठाया था, अस्पताल है लेकिन डाक्टर नहीं हैं सरकार के पास। मेरे पाली में 60 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं लेकिन मात्र 29 चिकित्सक कार्यरत हैं। कहां तो सरकार बात करती है कि हम इतने पद स्वीकृत कर रहे हैं, जो पुराने पद खाली हैं उनको तो कम से कम इस सरकार से भरवा दो आप ताकि जनता को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, यही हालत शिक्षकों की है। मेरे एक सवाल के जवाब में पिछले सत्र में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया था कि रोहिट तहसील में ऐसे 18 गांव हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। वे गांव और बढ़ गये क्योंकि कुछ के तबादले आपने बाहर कर दिये। थोड़ी कृपा करो उन बच्चों पर आप और कम से कम स्कूल चल जायें, इतने टीचर्स तो आप लगा दो।

सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यह बजट सुनने में और पढ़ने में हो सकता है कि अच्छा लगता हो सबको, हो सकता है इसमें अर्द्ध मूर्छित कांग्रेस को होश में लाने के लिए कुछ ठंडे छींटे दे दिये हों लेकिन इस बजट की यदि क्रियान्विति नहीं हुई तो जनता का सरकारों पर से विश्वास उठ जायेगा क्योंकि पिछले दो बजट जनता सुन चुकी है और अब जनता यही देखती है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। कम से कम सरकार इस बात के लिए भी पाबंद हो कि इस सदन में जो भी बजट पेश किया है सरकार ने, उसको समय पर लागू करके उसकी राहत जनता तक पहुंचा दे, यही मेरा कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 का बजट कल हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने प्रस्तुत किया। मैं सवेरे विधान सभा में बजट के लिए आ रहा था, मैं सीढ़ियों के नीचे देख रहा था कि प्रतिपक्ष के हमारे भाई सीढ़ियों के पास इकट्ठे होकर के बड़े जोश-खरोश के साथ खड़े थे। जब बजट की यहां शुरुआत हुई और पौने तीन घंटों में हमारे

(श्री मेवाराम जैन)

लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो 300 से ज्यादा घोषणाएं और किसान, मजदूर और गरीब जिसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पानी, यह सारी बातें, सारी घोषणाएं इस बजट में सुनीं तो मेरे ख्याल से प्रतिपक्ष के सदस्यों के चेहरे शायद उतर गये होंगे। इनको बोलने के लिए शब्द ढूंढने में भी काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, जिसमें बजट का प्रावधान नहीं रखा हो।

सभापति महोदय, सबसे पहले गरीब को क्या चाहिए, जिसके लिए इन्होंने गेहूं, चावल, घासलेट हो, चाहे सब्जियां हों, इन्हें सस्ती कर दो रुपये किलो गेहूं देना, बी पी एल के अन्दर मुफ्त दवाई देना, 4 लाख स्टेट बी पी एल को इसमें जोड़ना, 10 लाख बी पी एल गरीब परिवारों को मकान बनाकर देना, 40 हजार की आय वाले गरीब जिनको इलाज के लिए दवाइयों की आवश्यकता थी, उसको 60 हजार की आय की छूट देना, क्या अपने आप में कम है ? वास्तव में यह आम आदमी के लिए कितना राहतपूर्ण है। देखा जाए तो आज दिन तक का इससे महत्वपूर्ण और बढ़िया बजट, आज से पहले ऐसा कभी नहीं आया।

सड़कों की बात करें तो किस तरह से धार्मिक स्थलों को सड़कें पहली बार दी गई हैं, 16 किलोमीटर के मिसिंग लिंक्स का हो चाहे रिन्युअल का हो चाहे 250 से 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात हो। 32 आर ओ बी इस बजट में लिए गए हैं और उसमें बाड़मेर में भी हमारे पहले एक शुरू किया था, दूसरा इस बजट में और लिया है।

आप हर क्षेत्र को देखो। पानी की योजनाओं की बात करें तो पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से इतनी परियोजनाएं पहले कभी स्वीकृत नहीं हुई थीं जितनी इस बजट में हुई हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप देखिए, सिंचाई और पानी के लिए कितना बजट प्रावधान रखा गया है। मैं बाड़मेर जिले की बात करूंगा। मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिसको इस वर्ष पूरा करने का इस बजट में प्रावधान रखा गया है और चार-छह महीने में मीठा पानी बाड़मेर पहुंच जाएगा। पोकरण-फलसूंड-बालोतरा परियोजना, इसका भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। नर्बदा योजना में सिंचाई के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। अन्य पानी के लिए जो इन 2 साल में कार्य हुए हैं, एस सी और एस टी की बस्तियों का देखें चाहे आप, जिस तरह से पानी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं

(श्री मेवाराम जैन)
और जो व्यवस्था हो रही है, मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो किस तरह से गरीबों को सस्ती दर से अनाज उपलब्ध कराने की सरकार व्यवस्था कर रही है।

यदि पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पांच विभाग पंचायती राज को देने और उसमें भी आप देखो, इस बजट की पूरी डिटेल को आप पढ़ो, जो पद खाली हैं, उनको भरने का इस बजट में प्रावधान रखा गया है और पंचायतों में नए और पद भी सृजित किए गए हैं ताकि पंचायती राज संस्थाएं और मजबूत हों, आज प्रधान के लिए गाड़ी की व्यवस्था, पंचायतें किस तरह से मजबूत हों, उसके लिए धन की व्यवस्था की गई है।

नरेगा में तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस पर अंकुश लगाया है और उसके आज अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बाड़मेर ऐसा जिला है जो राजस्थान में फर्स्ट आया है और वहां जो टांकों का निर्माण हुआ है, उनसे जिस तरह से लोगों को राहत मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

बिजली के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारा राजस्थान आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर होगा। 5 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाना, यह अपने आप में क्या कोई कम बात है? आप देख रहे हैं कि आज कितनी महंगाई है और इसमें भी दरें नहीं बढ़ाना, बिजली का उत्पादन करना और कितनी ढाणियों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्दर जोड़ रहे हैं, यह बात शायद आप सभी जानते हैं और सभी को पता है, फिर भी हमें बोलने के लिए जरूरी है। यहां हम कहते हैं, बाकी अगर अपने अन्दर तक झांकें तो इतना कार्य पहले कभी आज दिन तक नहीं हुआ जितना इस विद्युत के क्षेत्र में हो रहा है। आज 60-65 हजार कनेक्शन दिए जा रहे हैं, 1,860 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में स्कूलें जरूर खुलीं, पूछो इनसे कि भर्ती हुई? उनमें शिक्षकों के पद भी नहीं दिए। इस बजट के अन्दर आप देखेंगे कि 25 हजार जो स्कूलों में पद नहीं थे, वे स्वीकृत हुए 50; हजार की भर्ती जो आप देखेंगे, अभी संशय कर रहे थे कि यह भर्ती खाली दिखावे के लिए है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले एक साल के बजट के बाद आप देखेंगे कि कितनी

(श्री मेवाराम जैन)

भर्तियां हो रही हैं। जो आपके मन में बात है, जिस तरह से आप खुश हो रहे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा कि यह एकदम क्या हो गया।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में जो काम हुआ, अभी भाई कह रहे थे कि कुछ सर्टिफिकेट दिए, क्या हुआ; आप इस पर थोड़ा मनन करो, आप खुद भी उन कैम्पों में गए होंगे, गए बगैर आप रहे ही नहीं होंगे, इतना शानदार काम इस प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के अन्दर हुआ जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ। कितनी पेंशनें हुईं, कितने विकलांगों को उसमें सहायता मिली और कितने कार्य प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में हुए, यह आप सबको पता है। नि:शक्तजनों के लिए तो आप देखेंगे, थोड़े दिनों में एक वरदान साबित होगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में इस बजट में पी एच सी और सी एच सी और डाक्टरों के पद, नर्सेज और अन्य जो खाली पद हैं, उनको भरने का इसमें प्रावधान रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सारे पद भरे जाएंगे। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में 200 बेड का हास्पिटल है, इसको 300 बेड का किया जाए और इसमें सीटी स्केन की मशीन भी लगाई जाए। हमारा क्षेत्र बोर्डर पर है और वहां आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसकी व्यवस्था करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता यहां विराजमान हैं, उनके दिमाग में यह बात आती होगी कि यह मेट्रो-मेट्रो, पहले तो यह कह रहे थे कि यह खाली मेट्रो की बात ही कर रहे हैं, लोगों को यूं ही कर रहे हैं और यहां कुछ होगा ही नहीं, अब जब काम शुरू हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है कि जयपुर में मेट्रो की क्या आवश्यकता है। पहले तो दूसरी बातें कीं और अब इस ढंग से कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर में मेट्रो का आप देख रहे हैं, यह जयपुर के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा जिसको सभी सराहेंगे।

आपने सभी जगह देखा होगा, हर विभाग में चाहे आपके पुलिस में भर्ती की बात हो, चाहे शिक्षा में भर्ती की बात हो, बजट के अन्दर इतने बिन्दु दर्शाए गए हैं, इसको हर तरह से आप देखकर, मनन कर सोचो और आम आदमी, गरीब और असहाय आदमी, व्यापारी, सभी वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनके लिए इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं, जो वातावरण बन रहा है, उसके अनुसार निश्चय ही बाड़मेर में रिफाइनरी लगेगी और इस बजट में भी उसके लिए लिखा है कि जो इसमें दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए सरकार तैयार है। इससे राजस्थान के बाड़मेर में उद्योग लगेंगे और आय भी होगी और राजस्थान का विकास होगा।

इसके साथ-साथ मैं दो-चार बातें और कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में जिप्सम उद्योग की 100 फैक्टरियां चल रही हैं, उन फैक्टरियों को जिप्सम की सप्लाइ बन्द हो गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जिप्सम की सप्लाइ, इसकी जो भी रेट फिक्स सरकार करे, उस रेट पर दिलाएं ताकि 10 हजार मजदूर और जो लघु उद्योग हैं, वे संकट में हैं, उनको राहत मिल सके और ये फैक्टरियां बंद न हों।

मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ब़ाड़मेर लिफ्ट कैनाल का सेकंड फेज बाड़मेर तक है और बाकी इसमें शिव है, जैसलमेर है, बाड़मेर तहसील है और इसमें बायतू भी है, इस सेकंड फेज का काम आप शीघ्र चालू करवाएं ताकि साढ़े पांच सौ, छह सौ जो रेवेन्यू गांव हैं, जहां पानी की भयंकर समस्या है, उनका समाधान उसमें हो सके।

मैं नगरीय विकास मंत्री से भी कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में शहरों में आपने फंड की व्यवस्था की है, उसके साथ-साथ बाड़मेर को यू आई टी घोषित करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा। बाड़मेर में कीमतें खूब बढ़ रही हैं और वहां विकास का रास्ता खुला है तो यू आई टी हो ताकि शहर का अच्छी तरह से विकास हो सके।

जोधपुर से बाड़मेर वोल्वो बस के लिए मंत्रीजी ने घोषणा की थी, हाल तक वह शुरू नहीं हुई। निवेदन करूंगा कि उसको जल्दी ही शुरू करावें।

एक निवेदन मेरा पंचायती राज मंत्री से भी रहेगा कि बाड़मेर विधान सभा में बाड़मेर तहसील और शहर शामिल हैं और उसमें तीन पंचायत समितियां लगती हैं। कहीं 8, 10 और 20 पंचायत समितियां, इस तरह से तीन भागों में बंटी हुई हैं। अब ऐसा सुनने में भी आया है और प्रयास शायद हो रहा है कि जो पंचायत समिति है उसको तहसील बनाया जा रहा है। इसलिए कई

(श्री मेवाराम जैन)

तहसीलें तो खतम हो जाएंगी और कई तहसीलें, अब बाड़मेर विधान सभा में सिर्फ बाड़मेर तहसील एक मेरे आई हुई है, उसके तीन टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें अगर संशोधन ही करना है तो विधान सभावाइज करें, अन्यथा नहीं करें ताकि इसमें दिक्कत नहीं हो, तहसील के टुकड़े नहीं हों और जनता को उसमें आने-जाने के लिए परेशानी न हो।

अंत में, विद्यार्थी मित्र जो सहायक रोजगार हैं, इनको भी आप सहायक रोजगार का जो भत्ता है, इसको बढ़ावें, बहुत कम है। इसके लिए निवेदन करूंगा, विद्यार्थी मित्रों के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके बारे में भी सोचना चाहिए, इनके भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा।

अंत में, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा बजट, आज दिन तक का सबसे ऐतिहासिक, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के लिए ऐसा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनको मैं तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): सभापति महोदय, कल जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, इसमें 10 परसेंट सत्यता है और 90 परसेंट असत्यता का पुलिंदा है। मुख्य मंत्रीजी ने कल शिड्यूल्ड कास्ट कालोनियों में पेयजल योजना (व्यवधान) 90 परसेंट। तो जो पेयजल व्यवस्था के बारे में कल बताया था कि राज्य में वर्ष 2010-11 में 445 अनुसूचित गांवों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित किये हैं, मैं भी शिड्यूल्ड कास्ट रिजर्व कांस्टीट्यूएंसी में हूं, मेरे भी करीब 70-80 बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां एक भी गांव में, एक भी हैंडपम्प गये साल 2010 में एक भी नहीं लगा और न ही किसी की मरम्मत हुई। करीब 7-8 गांवों में पेयजल योजना थी, पहले की चली हुई, सब पाइपलाइन खराब हो गईं और नई डालने का कोई काम नहीं हुआ। बजट में मुख्य मंत्रीजी ने अधिकारियों के कहने पर अपनी बात तो लिख दी, कम से कम जन-प्रतिनिधियों को पूछते कि हमारे इलाके में कहां पानी की समस्या है। मेरे कठूमर विधान सभा क्षेत्र में 65 गांव खारे पानी के हैं। जहां आसपास कोई मीठे पानी की स्कीम नहीं है। अगर कोई बाहर से पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था की जाए तो लोगों को पानी मिल सकता है। वह स्कीम न तो गये साल बनाई, न कोई इस बजट में इसकी व्यवस्था है।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय ,पी डब्ल्यू डी विभाग में हमारे अलवर जिले में केवल तीन तो अपने, आप भी अलवर जिले के हो, तीन तो आर ओ बी और 15 करोड़ रुपये मेवात योजना के लिए इस बजट में हैं। सब अलवर के विधायकों को पता है, गये साल 2010 का पैसा स्वीकृत किया था लेकिन एक भी पैसा पूरे अलवर जिले में कहीं भी काम नहीं आया। पता नहीं, वह गया कहां?

दूसरे में, आपको पता है कि हमारे अभी गुर्जर आंदोलन हुआ था, गये साल भी गुर्जर आंदोलन हुआ था, महुआ में जाम लग जाने के बाद और रोड बंद कर देने के बाद पूरा ट्रैफिक वहां पर कठूमर, नगर, डीग, गोवर्धन जी, सीकरी, पहाड़ी, जगलपुर, सब का रास्ता वही है। दिल्ली जाने वाली जो बालाजी हिण्डौन से बसें आती हैं, भुसावर साइड से जो बसें आती हैं, उनकी भी रोड वही है। बीच में खेड़ली पर रेलवे लाइन है। पूरी सड़कें, दोनों गुर्जर आंदोलनों में भी, बिलकुल बेकार हो चुकी हैं। खेड़ली मोड़ से कठूमर, कठूमर से नगर 40 किलोमीटर, कठूमर से लक्ष्मणगढ़ 20 किलोमीटर और कठूमर से गड़ीम्बसिव 22 किलोमीटर, करीब 80 किलोमीटर सड़क की दुर्गति हो गई और सैकड़ों रोडवेज की बसें इन्हीं मार्गों पर चलती हैं।

अभी धार्मिक सड़कों के बारे में बताया था, 8 महीने पहले मुझसे भी वहां के एस ई, पी डब्ल्यू डी, अलवर ने मांगा था और मैंने भी लिखकर दिया था लेकिन आज तक उन पांच किलोमीटर का काम शुरू नहीं हुआ। लम्बी-लम्बी बातें कर रहे हैं और अभी फिर बजट में बता दिया कि धार्मिक सड़कें फिर बनाई जाएंगी लेकिन आज एक साल हो गया, आज तक उनकी मरम्मत भी नहीं करा पाये। एक किलोमीटर एक जगह कर दी, आधा किलोमीटर एक जगह कर दी, आधा किलोमीटर एक जगह कर दी और पूरा रास्ता बेकार पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि खेड़ली रेलवे लाइन पर एक और आर ओ बी लगाया जाए तो सैकड़ों बसें वहां से निकलती हैं, सब नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

दूसरे में, ऐसा है कि जो बी पी एल सर्वे 2002 में हुआ था, उसमें सबको पता है कि जिनके पक्के मकान हैं, हवेलियां, गाड़ियां हैं, वे तो बी पी एल में हैं; जो वास्तविक गरीब था, वह बी पी एल में नहीं है। विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, उसमें डेली शिकायतें आती हैं कि विधवा पेंशन शुरू हुई, अचानक बंद कर दी, कोई जवाब नहीं देते, क्यों बंद कर दी। बताते हैं कि

(श्री बाबूलाल बैरवा)

साहब, 18 साल के, 20 साल के ऊपर का लड़का हो गया लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के जिसके तीन-तीन बच्चे हैं, अलग-अलग कमाकर खा रहे हैं, मां-बाप बेचारे मजदूरी करके भूखे मर रहे हैं। दिल्ली, सेंट्रल में है, दिल्ली में अब भी 60 वर्ष होने के बाद में चाहे एस सी, एस टी हो, सामान्य हो, सबको, प्रत्येक को वहां पर एक-एक हजार रुपये महीने दिल्ली सरकार दे रही है। तो वही स्थिति राजस्थान में कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट के लिए तो होनी चाहिए। हमको पता है कि आज तीन बेटे हो गये, एक कहता है कि उसके साथ रह ले, वह नहीं...। आज कर्मचारियों की भी यही हालत है, जिनके बेटे कर्मचारी हो गये तो वे मां-बाप को नहीं देते, उसके पास रह ले, उसके पास रह ले। सभापति महोदय, अब माताओं ने श्रवण कुमार पैदा करने कतई बंद कर दिये हैं। इसलिए यह बात सोचते हुए कि गरीब, वृद्ध 60 साल से ऊपर वाले की कैसे सेवा हो, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब भी बजट में जवाब दें तो इसमें संशोधन करें, प्रत्येक एस सी, एस टी के लोगों को, गरीबों को, 60 साल से ऊपर के, इनको एक-एक हजार रुपये प्रति माह व्यक्तियों को दिया जाए और प्रत्येक वृद्ध को पेंशन दी जाए। यह पण जो निकाल दिया कि 20 साल का लड़का हो गया और 18 साल का लड़का हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है। जो दिल्ली पैटर्न है वह यहां भी होना चाहिए, वहां भी कांग्रेसी सरकार है।

दूसरे में, गये साल के बजट में आया था, अब भी बजट में आया है, सम्बल योजना जिस गांव में शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी 50 परसेंट से ज्यादा है, उस गांव को सम्बल योजना में जोड़ दिया गया। कठूमर क्षेत्र में ऐसे 5 गांव हैं, खेलनी, नगली भावना, नगला सीताराम, नगला केसरिया, नगला भगोरी, सबको पांच-पांच लाख रुपये की हमारे पास सूचना आई कि पांच-पांच लाख रुपया उनको दे दिया गया है लेकिन एक साल बीत गया, दूसरा बजट पेश कर दिया, चवन्नी भी आज उन गांवों में लगी नहीं। कई गांव उन्होंने अनुसूचित जाति, उसमें बताया कि साहब, बजट में दे रखा है कि उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, सभापति महोदय, ए.ईएन. कार्यालय खेड़ली में 10 फाइलें मांगीं कि 10 फाइल जब लगेंगी तब कनेक्शन होगा। 10 फाइलें शिड्यूल्ड कास्ट की हैं, वह भी बी पी एल के और वह डिमांड नोट भेज दिया, सबको 19,116 रुपये, प्रत्येक को। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के ही एक व्यक्ति ने फाइल जमा करवाई और वह बी पी एल है, शिड्यूल्ड कास्ट का, उसका डिमांड नोटिस

(श्री बाबूलाल बैरवा)

आया, एक लाख 36 हजार का। यह एक शिड्यूल्ड कास्ट की स्थिति है। अब शिड्यूल्ड कास्ट के लिए बजट में यह कर दिया और उसमें वह कर दिया।

हमारे 33 केवीए जी एस एस कठूमर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैं, स्वीकृति हुए करीब एक साल हो गया और एक भी 33 केवीए जी एस एस पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ। एक दूसरे में, किसी जमींदार के मान लो डी पी चोरी हो गई, तो उसमें यह तय कर रखा है कि भाई, जब तक एफ आई आर दर्ज नहीं होगी तब तक डी पी नहीं मिलेगी। थानेदार एफ आई आर एक महीने में दर्ज करता है। आज एक बैरवा मोहल्ले में 5 फरवरी को डी पी चोरी हो गई और उसकी एफ आई आर दर्ज की है उसने एक मार्च को, एक महीने बेकार रहा। अब डी पी की क्या हालत है, अब आप जानते हैं, डी पी मिलती भी नहीं है। आज 2007 तक के कनेक्शन पूरे कर दिये, 2008 का चल रहा है; स्थिति यह है कि जो पांच हजार दे जाए वह तो डी पी ले जाए, जो पैसे नहीं दे, वह रोता डोले। यह स्थिति ए.ईएन. कार्यालय, खेड़ली की है। बिना पैसे कुछ भी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। अब आपने तय कर रखा है कि बी पी एल, एस सी की जो कालोनियां हैं, उनको फ्री में बिजली देंगे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जब डिमांड नोटिस 20-20 हजार रुपये के और 5-5 हजार रुपये की रिश्वत दें डी पी के लिए तब उनका कनेक्शन होता है। इसके कारण से वे भी रोते डोल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इसमें मेरा निवेदन है कि ज्यों ही शहर के अन्दर विदेशी गाड़ी घुसती है तो पहली बार तो जो पब्लिक के लपके हैं वे उनको लूटे बिना नहीं छोड़ते और उसके बाद में पुलिस के लपके, वे परेशान करते हैं। दूसरी विदेशी नम्बर, दिल्ली नम्बर या राजस्थान के बाहर के नम्बर की गाड़ी आती है तो पुलिस से कैसे-कैसे उन लोगों को जूझना पड़ता है, यह बहुत दुःखद घटना है। इसलिए थोड़ा इस पर कंट्रोल किया जाए।

दूसरी बात यह है कि अभी यातायात विभाग में टार्गेट फिक्स कर दिये कि इतने पैसे आपको जमा कराने होंगे। उससे हम रोजाना देख रहे हैं कि एक मोटर साइकिल पर 3-3 सवारी, 4-4 सवारी, 4 सवारी बैठे तो 4 हेलमेट और हेलमेट की स्थिति यह है कि अभी सर्दी का मौसम है और हवा नहीं चल रही है, वे हेलमेट ऐसे हैं कि गर्मी के दिनों में हवा में उड़ जायेंगे। 75-80 साल की बुढ़िया

(श्री बाबूलाल बैरवा)

बैठी है और वह टोपी टाइप हेलमेट पहने बैठी है। उसके बाद फिर कोई भी हो, पुलिस वाले हों तो या तो तेरा लाइसेंस दिखा, हेलमेट दिखा, गाड़ी के कागज दिखा, फलां दिखा कहते हैं और जब तक उससे वसूली नहीं की जाए उसको छोड़ते नहीं हैं। टार्गेट फिक्स कर रखा है और जब तक वसूल नहीं किये जाएं, चाहे वह पैसा राज्य सरकार के पास जाए या कम पैसे हैं तो पुलिस की जेब में जाता है। आम नागरिक की जेब से तो पैसा गया, चाहे वह राज्य सरकार के बजट में जाए या पुलिस की जेब में जाए। इसलिए इसमें थोड़ा निर्देश देने की आवश्यकता है क्योंकि टार्गेट फिक्स किये हैं तो पुलिस को तो वे टार्गेट पूरे करने हैं। इसलिए इसको कम से कम कंट्रोल किया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी शिड्यूल्ड कास्ट के लिए कटारिया जी ने बताया था कि गये 5 सालों में एस सी के लिए 58,818.24 करोड़ रुपये उनकी सुविधाओं के लिए चाहे उसमें एस सी के मोहल्ले में सामुदायिक भवन बने चाहे सीसी रोड बने, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे कोई स्वास्थ्य की या अस्पतालों की व्यवस्था हो, किये थे परन्तु उनको दिया था 1,741.52, यानी 2.96 प्रतिशत पैसा दिया, और चाहिए था 83,51, ये नहीं दिया गया। 10093.22 करोड़ के बजाय उन्हें मिला था 1,741 करोड़ और 8,351.69 करोड़ रुपया अभी एस सी के लिए शेष है। तो मेरा निवेदन है कि यदि यह राशि राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए मिल जाए और इससे क्षेत्र की आबादी के हिसाब से कांस्टीट्यूएंसीवाइज बांट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पेयजल व्यवस्था, सड़कों की समस्या और शिड्यूल्ड कास्ट की कई समस्याएं इससे दूर हो सकती हैं।

भ्रष्टाचार के ऊपर थोड़ी-सी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंट के गलियारों में मैने पढ़ी है कि कभी किसके ऊपर इल्जाम लगा, कभी किसके ऊपर लगा लेकिन जो दिल्ली में सरकार है उसके बारे में बताते हैं कि :- 100 लाख = एक खोखा, 100 करोड़ =1 मधु कोड़ा, 1000 करोड़ =1 राडिया, 100 करोड़ =1 कलमाड़ी, 2 लाख करोड़ =1 राजा, 1 कलमाड़ी 1+ राजा =1 +++ । जय हिन्द।

श्री सभापति: आप एस सी कोटे से और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। श्री रामलाल मेघवाल। अनुपस्थित हैं, सचेतक महोदय नोट करें। श्री शंकर सिंह। श्री लालशंकर घाटिया, अनुपस्थित हैं, सचेतक महोदय। श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आ गये; क्या कोई, यह अपन रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं क्या कि एक मिनट बस रोकिये, आ रहे हैं? निकल गई बस आगे।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.35 बजे शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर रोक हेतु कार्य योजना

60. श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कुल कितने प्रकरण खाद्य वस्तुओं में मिलावट के पकड़े गये?

(2) क्या उक्त में से किसी मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में दिनांक 01.01.07 से 28.02.11 तक कुल 269 विभिन्न खाद्य पदार्थो के नमूने जांच हेतु लिये गये जिनमें से 68 नमूने मिलावटी/मिसब्राण्ड पाये गये ।

(2) उक्त 68 मिलावटी/मिसब्राण्ड पाये गये प्रकरणों में से 54 प्रकरणों में मिलावट/मिसब्राण्ड के लिए पाये गये दोषियों के विरुद्ध पीएफए एक्ट 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष प्रकरणों में दोषी व्यक्ति/भागीदारों के नाम पते प्राप्त करने की कार्यवाही अनुसंधान में है । अनुसंधान पूर्ण होते ही दोषियों के विरुद्व चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी ।

(3) जी हां। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में निहित प्रावधान अनुसार मिलावटी/मिसब्राण्ड खाद्य वस्तुओं के विक्रय को रोकने हेतु विभाग द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में 2 तथा सम्पूर्ण राज्य में 82 खाद्य निरीक्षक अधिकृत कर जांच व नमूनीकरण का कार्य निरन्तर करवाया जा रहा है ।

कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु तय मानदण्डों में शिथिलता

61. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष प्रदेश में बाजरे व मूंग की अच्छी पैदावार हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर बाजरे व मूंग की खरीददारी शुरू की थी? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने समर्थन मूल्य खरीद पर बाजरे व मूंग के केन्द्र खोले हैं? यदि हां, तो कितने व किस-किस संस्था के माध्यम से?

(4) राज्य में बाजरे व मूंग का उत्पादन सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितना हुआ व सरकारी खरीद कितने टन हुई एवं समर्थन मूल्य पर खरीद कम होने के क्या कारण रहे?

(5) क्या यह सही है कि बाजरे व मूंग के सरकार द्वारा समर्थन मूल्य खरीद के तय मानदण्ड सख्त थे, जिसके कारण खरीद कम हुई ? क्या सरकार इसमें शिथिलता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष अच्छी बरसात एवं अनुकूल मौसम के कारण राज्य में बाजरे व मूंग की अच्छी पैदावार हुई है ।

(2) जी हां। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर बाजरे व मूंग की खरीददारी शुरू की गई।

समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं राजफैड द्वारा दिनांक 01-11-2010 से खरीद प्रारम्भ की गई। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु दिनांक 29-10-10 को राजफैड द्वारा आदेश जारी किए गए ।

(3) जी हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 25 एवं राजफैड द्वारा 44 केन्द्र बाजरे की खरीद बाबत खोले गए। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु 27 क्रय केन्द्र राजफैड द्वारा खोले गए।

(4) राजस्व मण्डल से प्राप्त द्वितीय उत्पादन अनुमान के अनुसार इस वर्ष राज्य में बाजरे की पैदावार 49.75 लाख मैट्रिक टन एवं मूंग की पैदावार 6.62 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है।

इस वर्ष राजफैड द्वारा 6.95 टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा

(कृषि मंत्री)

11.00 टन बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई । बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद कम होने का कारण घोषित मापदण्डों के अनुरूप बाजरे का क्रय केन्द्रों पर नहीं आना रहा । मूंग का समर्थन मूल्य बाजार भाव से कम होने, वर्षा से उत्पादन प्रभावित होने एवं दागी होने के कारण मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण खरीद नहीं हो सकी।

(5) समर्थन मूल्य पर खरीद के मापदण्डों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शिथिलता देने का अधिकार भी भारत सरकार को ही है ।

पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर में ठेके पर करवाये जा रहे कार्य

62. डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीकानेर शहर के पी.बी.एम. हास्पिटल में सभी मुख्य बीमारियों का इलाज मरीजों को उपलब्ध है?

(2) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा संबंधी व अन्य कार्यों के लिए कौन-कौनसी इकाइयों का कार्य ठेके पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय में कितनी लिफ्टें हैं तथा उनमें कितनी चालू स्थिति में व कितनी कितने समय से बंद हैं? क्या सरकार उक्त लिफ्ट ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में सभी मुख्य बीमारियों का इलाज मरीजों को उपलब्ध है।

(2) पी.बी.एम. चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा संबंधी कार्य ठेके पर नहीं दिया गया है, जबकि चिकित्सालय समूह की आन्तरिक व बाहरी परिसर का सफाई कार्य, सुरक्षा कार्य व वार्ड ब्वायज द्वारा कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है तथा एम.आर.आई. व सी.टी. स्केन मशीनें, एम.के. मेडिकेयर सर्विसेज द्वारा निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी हैं जो कि दिनांक 22.03.2010 से जांच कार्य कर रही हैं।

हृदय रोगियों के इलाज हेतु आउटसोर्सिंग से चिकित्सक, एनेस्थेटिक, ओ.टी. नर्स, टैक्नीशियन एवं परफ्यूनिस्ट आदि बुलाये जाते है जो कि मय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उपकरणों के आते हैं तथा एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टि, ई.पी. स्टडी विथ आर.एफ. ऐबीलेशन, बैलुन वैल्वोटामी, पेसमेकर, सीटी सर्जरी इत्यादि करते हैं।

(3) पी.बी.एम. चिकित्सालय में चार लिफ्ट हैं। जिसमें से तीन लिफ्ट चालू हैं व एक लिफ्ट माह नवम्बर, 2006 से खराब है। लिफ्ट अत्यधिक पुरानी होने के कारण ठीक कराया जाना सम्भव नही है।

महानरेगा योजना में सामग्री क्रय हेतु विज्ञापन

63. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में संचालित महा नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विज्ञापनों, कार्यशालाओं के प्रचार-प्रसार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है और उक्त से सामग्री क्रय हेतु कितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समितियों द्वारा महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय करने हेतु कुल कितनी राशि व्यय हुई एवं सरकार द्वारा क्रय आदेश निरस्त करने से इस राशि का क्या सदुपयोग हुआ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों एवं पंचायत राज विभाग द्वारा विज्ञापनों, कार्यशालाओं के प्रचार-प्रसार पर राशि रुपये 1027.58 लाख व्यय हुई है। सामग्री क्रय हेतु जारी विज्ञापन पर राशि रुपये 435.29 लाख व्यय हुई है। व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायत समितियों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय करने हेतु विज्ञापनों पर राशि रुपये 329.67 लाख का व्यय हुआ है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। क्रय आदेश निरस्त नहीं किये गये बल्कि ग्राम पंचायतों के पास दोनों विकल्प उपलब्ध रहे हैं। अतः किसी राशि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विज्ञापन पर हुये व्यय का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	विज्ञापनों, कार्यशालाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय राशि		सामग्री क्रय करने हेतु विज्ञापनों पर व्यय राशि		पंचायत समितियों द्वारा सामग्री क्रय करने हेतु विज्ञापनों पर व्यय राशि	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	30.71		6.43		शून्य	
2.	अलवर	23.84	17.50	23.40	14.34	26.22	
3.	बांसवाडा	23.54	19.62	14.24	11.05	25.19	
4.	बारां	19.93		6.02		6.02	
5.	बाडमेर	48.44	16.48	10.65	9.97	10.65	9.97
6.	भरतपुर	16.55		9.62		18.72	
7.	भीलवाड़ा	65.56		39.67		34.35	
8.	बीकानेर	13.85		8.95		2.60	
9.	बून्दी	14.88	5.15	5.10	1.96	1.70	0.10
10.	चित्तौड़गढ़	33.11		16.23		4.40	
11.	चूरू	12.15	16.77	2.16	12.02	14.19	
12.	दौसा	25.33		20.98		6.85	
13.	धौलपुर	5.59	3.00	2.39		1.81	
14.	डूंगरपुर	15.51	8.19	8.14	1.87	6.75	1.04
15.	श्रीगंगानगर	27.25		22.31		22.31	
16.	हनुमानगढ़	9.62		5.80		5.12	
17.	जयपुर	41.89		15.82		15.82	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	जैसलमेर	11.89	10.59	2.44	2.39	2.44	1.36
19.	जालौर	18.61	13.93	6.84		6.84	
20.	झालावाड़	12.39		5.65		2.27	
21.	झुन्झुनूं	12.22		9.69		3.92	
22.	जोधपुर	26.11		8.91		2.42	
23.	करौली	29.99	20.99	2.97	3.83	0.45	1.11
24.	कोटा	6.93	4.89	3.67	3.65	0.83	1.94
25.	नागौर	48.40	28.58	27.03	15.64	25.90	15.53
26.	पाली	18.07	18.47	4.68	5.42	2.23	4.99
27.	राजसमन्द	22.59	3.04	11.07	1.00	11.07	1.00
28.	स. माधोपुर	17.80	8.49	1.86	1.84	1.18	1.23
29.	सीकर	31.78		2.83		1.46	
30.	सिरोही	29.31		13.12		13.12	
31.	टोंक	44.02		12.83		4.92	
32.	उदयपुर	23.95		10.60		7.20	
33.	प्रतापगढ़	16.44	16.73	4.57	3.64	2.22	0.23
योग		**1027.58**		**435.29**		**329.67**	

कोटड़ा महाविद्यालय में रिक्त पद

64. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटड़ा महाविद्यालय में प्रोफेसरों के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, कोटडा में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 7 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 04 पद रिक्त हैं। सूचना संलग्न कर संलग्नक "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। रिक्त पदों में से 457 रिक्त पदों पर व्याख्याताओं के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2010 को जारी की जा चुकी हैं। आयोग से चयनोपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के पदस्थापन करते समय कोटडा महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	विषय	कब से रिक्त हैं
1.	अंग्रेजी	06.05.2006 से रिक्त
2.	हिन्दी	06.01.2011 से रिक्त
3.	राजनीति शास्त्र	07.01.2010 से रिक्त
4.	लोक प्रशासन	06.05.2006 से रिक्त
5.	समाज शास्त्र	कार्यरत
6.	भूगोल	कार्यरत
7.	इतिहास	कार्यरत

ब्यावर को जिला में क्रमोन्नत

65. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुये ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18/3/06 से राज्य में नवीन जिलों के गठन एवं पुर्नगठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नये

(राजस्व मंत्री)

जिले स्थापित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था।

जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा तहसील ब्यावर को जिला बनाने की मांग किये जाने पर उक्त समिति को अजमेर जिले की तहसील ब्यावर व केकड़ी के भी प्रकरण अग्रेषित किये गये थे। ब्यावर को जिला बनाने के बारे में उक्त समिति द्वारा कोई अभिशंषा नहीं की गयी है।

वर्तमान में जनगणना 2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से प्रशासनिक इकाइयों (जिला, तहसील एवं ग्राम) के पुर्नगठन/सीमा परिवर्तन पर 31 मार्च, 2011 तक जनगणना निदेशालय, भारत सरकार का प्रतिबन्ध है।

(स्थगित प्रश्न)

(गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2011)

खाद्य निरीक्षकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश

10. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थो की सैम्पलिंग करने के लिये प्रतिदिन के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि में खाद्य पदार्थों के सैम्पल प्रतिदिन निश्चित संख्या में संग्रह करने के लिये खाद्य निरीक्षकों को निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षो में सरकार द्वारा खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है:-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में निहित प्रावधान अनुसार राज्य में खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम हेतु राज्य/संभाग/

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जिला मुख्यालयों पर 82 खाद्य निरीक्षकों को अधिकृत कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच व नमूनीकरण की गत दो वर्षो में की गई कार्यवाही का विवरण :-

वर्ष	जांच हेतु लिये गये नमूने	मिलावटी/ मिसब्राण्ड पाये गये नमूने	माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालान/दर्ज मुकदमे
01.01.09 से 31.12.09 तक	5761	1004	966
01.01.10 से 31.12.10 तक	8000	1756	1043
01.01.11 से 31.01.11 तक	334	14	0

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 22.06.09 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें दिनांक 22.06.09 से 31.01.11 तक 37578 प्रतिष्ठानों की जांच की गई व मिलावट का संदेह होने पर 11705 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थो के जांच हेतु लिये गये हैं जिनमें से 2477 नमूने अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये।

अपमिश्रित/मिसब्राण्ड पाये गये प्रकरणों में से 1760 प्रकरणों में मिलावट के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध पीएफए एक्ट की धारा 7/16 के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष 717 अपमिश्रित/मिसब्राण्ड प्रकरणों में दोषियों के नाम पते प्राप्त करने की कार्यवाही अनुसंधान में है जिसके पूर्ण होते ही दोषियों के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी । विगत दो वर्षो में मिलावट की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

मिलावट की मौके पर ही जांच व आम उपभोक्ता को जानकारी देने हेतु राज्य के जिला जयपुर में 2 तथा अन्य सभी जिलों में एक-एक कुल 34 मोबाईल वाहन में जांच प्रयोगशाला स्थापित कर आम उपभोक्ता को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी मौके पर ही प्रदान की जा रही है। उक्त कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग एवं मार्गदर्शन में सम्पादित किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 35 जन विश्लेषक (प्रशिक्षु) की अनुबंध पर नियुक्ति कर दी गई है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 4.55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार जांच प्रयोगशालाओं में उपकरण/रसायन व मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जो केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्यों में लागू किया जा रहा है, की क्रियान्विति हेतु राज्य में कार्यरत जन विश्लेषकों/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों एवं 2 खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलवाया गया । शेष सभी कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेनरों से प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नही। सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अपितु मासिक 12 नमूने (वार्षिक 144 नमूने) जांच हेतु लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य निर्धारण के आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी नही। खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुसार आबंटित किया जाना विचाराधीन नहीं है। खाद्य निरीक्षकों को मासिक 12 नमूने पीएफए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

विभाग में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों द्वारा नमूनीकरण के अतिरिक्त अपमिश्रित प्रकरणों के माननीय न्यायालय में विचाराधीन केसों में साक्षी हेतु उपस्थित होने, अपमिश्रित प्रकरणों के चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अपमिश्रित प्रकरणों में मिलावट के लिये दाषियों के नाम पते की अनुसंधान की कार्यवाही भी की जाती है जिसके कारण खाद्य निरीक्षकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर जिले में उचित मूल्य की दुकानों में वृद्धि

66. श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(1) जिला अलवर में राशन की उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं तथा किन-किन डीलरों को आबंटित कर रखी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में बढ़ती आबादी के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) कालाबाजारी आरोपित कितने लाइसेंसधारियों को वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक निलम्बित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में दोषी पाये गये कितने लाइसेंसधारियों पर कार्यवाही की गई एवं कितने निलम्बित लाइसेंसधारियों को बहाल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अलवर जिले में कुल 966 उचित मूल्य की दुकानें हैं। पंचायत समितिवार/डीलरवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अलवर जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य की दुकानें आबंटन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1658/11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा आरक्षण संबंधी प्रावधानों के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित कर दिए जाने के कारण आबंटन की कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है।

(3) राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरते जाने के संबंध में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2011 तक 42 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) अनियमितता बरतने वाले 42 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की गई, जिनमें से 32 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र बहाल किये गये तथा 1 प्रकरण माननीय मुन्सिफ न्यायालय में विचाराधीन है, शेष 9 प्राधिकार पत्रधारक वर्तमान में निलम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा निजी कम्पनियों को बीज वितरण का ठेका

67. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन द्वारा किसानों को किस-किस जिले में कितना-कितना बीज दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने निजी कम्पनियों को बीज वितरण करने का ठेका दे रखा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस फर्म को, किन-किन शर्तो के आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन द्वारा किसानों को वर्ष 2009-10 में कुल 577862 क्विंटल एवं 2010-11 में कुल 476313 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। जिलेवार, फसलवार वितरित बीज की मात्रा संबंधी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा किसी भी निजी कम्पनी को बीज वितरण का ठेका नहीं दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत आबंटित राशि

68. श्री मानसिंह (परबतसर) व **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में राज्य में किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई एवं किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आबंटित राशि व्यय करने में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो क्यों और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में विभिन्न मदों में आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि व्यय करने में किसी प्रकार का विलम्ब नही हुआ है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह जनवरी 2011 तक रुपये 864.33 करोड़ व्यय हो चुके हैं जो आबंटित राशि का 72.25 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 में आबंटित राशि के अधिकतम व्यय के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न मदों में आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है

(राशि रुपये करोड़ में)

मदवार	आबंटित राशि	व्यय राशि (माह जनवरी, 2011 तक)
आरसीएच फ्लेक्सी पूल	329.10	217.00
एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल	525.94	348.51
रूटीन इम्यूनाईजेशन	21.31	6.59
पल्स पोलियो	19.63	5.59
आईडीडी	0.18	0.09
आईडीएसपी	3.16	2.14
एनवीबीडीसीपी	3.47	2.06
एनएलईवी	1.60	1.35
एनबीसीपी	11.71	7.09
आरएनटीसीपी	19.20	8.51
आईएससी-आयूष	25.25	17.11
सीएसएस-इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस	235.83	248.29
योग	**1196.38**	**864.33**

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा मेवात बालिका छात्रावास हेतु भू-आबंटन

69. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेवात विकास बोर्ड द्वारा अलवर में मेवात बालिका छात्रावास खोले जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मेवात बालिका छात्रावास निर्माण हेतु राशि का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितनी व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मेवात विकास बोर्ड की राशि के विनियोजन (खर्च) हेतु संबंधित क्षेत्र में मेव समाज की आबादी का न्यूनतम प्रतिशत होना नियमानुसार आवश्यक है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या नगर विकास न्यास अलवर द्वारा ट्रस्ट बैठक में सशुल्क या नि:शुल्क मेवात विकास बोर्ड को भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या नगर विकास न्यास अलवर जो कि स्वयं एक ट्रस्ट है, नियमानुसार मेवात विकास बोर्ड को नि:शुल्क भूमि प्रदान करने का निर्णय ले सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्णय की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्घ है।

(2) जी हां। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत बालिका छात्रावास निर्माण हेतु 285.80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की 16वीं बैठक दिनांक 28.6.10 में लिए गये निर्णयानुसार स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति की प्रति संलग्न परि.-2 पर उपलब्घ है।

(3) जी हां। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत मेव परिवार आबादी होना आवश्यक है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) नगर विकास न्यास, अलवर की बैठक दिनांक 6.1.2011 में मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत बालिका छात्रावास हेतु अरावली फैज प्रथम में 5000 वर्ग मीटर भूमि नि:शुल्क आबंटित हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया ।

भूमि आबंटन राजस्थान नगर विकास न्याय/नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया । नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्घ है ।

(5) जी हां। राजस्थान नगर विकास न्यास/नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि आबंटित कर सकती है । नियमों की प्रति संलग्न परि.-3 पर उपलब्ध हैं ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलपुर जिले में चयनित परिवारों को विद्युत कनेक्शन

70. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षो में राजाखेड़ा एवं पंचायत समिति धौलपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कितने बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन दिये गये हैं और कितने लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बढ़ते विद्युत भार की वजह से धौलपुर स्थित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की क्षमता कम हो रही है? यदि हां, तो इसके निदान हेतु सरकार की भविष्य में क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षो में राजाखेड़ा एवं पंचायत समिति धौलपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को जारी एवं लम्बित कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

श्रेणी	जारी कनेक्शनों का विवरण	
	पं. स. धौलपुर	पं. स. राजाखेड़ा
बीपीएल	1167	1693
ए.पी.एल.	485	924
	लम्बित कनेक्शनों का विवरण	
	पं. स. धौलपुर	पं. स. राजाखेड़ा
बीपीएल	5141	2751
ए.पी.एल.	2049	3325

(2) जी नहीं। धौलपुर में 132 केवी जी.एस.एस. जो अब 220 केवी जी.एस.एस. में क्रमोन्नत हो गया है, निर्मित है। वर्तमान में उक्त जी एस एस विद्युत भार के अनुरूप है। भविष्य में विद्युत भार में वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त क्षमता का ट्रासंफार्मर लगाया जा रहा है जिससे जी.एस.एस. की क्षमता में वृद्धि होगी।

शहीद/घायल सैनिकों के परिजनों को सहायता के लम्बित प्रकरण

71. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों एवं घायल सैनिकों के परिवार वालों ने कल्याणकारी योजना में आवेदन किये हैं? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2011 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों का निस्तारण हुआ एवं कितने विचाराधीन हैं तथा विचाराधीन होने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार भविष्य में युद्ध में शहीद या घायल सैनिकों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परिवारजनों को समयबद्ध तरीके से सम्मानपूर्वक लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) जी हां। 1.1.71 से 31.3.99 की अवधि के दौरान युद्ध/आपरेशनों में शहीद/स्थाई रूप से विकलांग सैनिक के एक आश्रित को नियोजन देने का प्रावधान किया गया है। परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

शहीद सैनिकों की विरांगनाओं को सम्मान भत्ता के रूप में 750/- रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

1.4.99 एवं उसके बाद शहीद/स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को कारगिल पैकेज देय है। परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

विभिन्न युद्धों में मरणोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उनके आश्रितों को गैलेण्ट्री अवार्ड की सुविधा देय है। परिशिष्ट ''ग'' संलग्न है।

(2) जी हां। 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2011 तक 238 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 167 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। 05 प्रकरण नियमों के अन्तर्गत नहीं होने के कारण निरस्त किये गये। 66 आवेदन विचाराधीन हैं, जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों में विचाराधीन हैं एवं उनके निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां। युद्ध में शहीद या घायल सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानपूर्वक लाभांवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश परिशिष्ट ''क'' परिशिष्ट ''ख'' एवं परिशिष्ट ''ग'' की पालना में प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों का समय पर नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलपुर जिले के राशन सामग्री विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

72. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में धौलपुर में राशन की कितनी दुकानें संचालित हैं? पंचायत समिति एवं वार्ड वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) उक्त राशन की दुकानों पर बी. पी. एल. परिवार एवं आमजन को कौन-कौनसी वस्तुओं का वितरण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में उक्त जिले में इन वस्तुओं की गुणवत्ता माप एवं वितरण प्रणाली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें सही पाई गईं तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला धौलपुर में 401 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। पंचायत समितिवार एवं वार्डवाइज सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त राशन की दुकानों पर बी पी एल परिवार एवं आमजन को वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि गत दो वर्षों में उक्त वस्तुओं की गुणवत्ता, माप एवं वितरण प्रणाली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले में गत दो वर्षों में 161 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें वर्ष 2009-10 में 122 तथा वर्ष 2010-11 में 39 शिकायतें प्राप्त हुई। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। इन शिकायतों के विरुद्ध जांच कार्यवाही की गई। अनियमितता पाये जाने पर 161 डीलरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। सूची परिशिष्ट- 3 पर संलग्न है। जिनमें से 20 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। सूची परिशिष्ट- 4-1 पर संलग्न है तथा 2 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। सूची परिशिष्ट- 4-2 पर संलग्न है एवं 6 डीलरों के विरूद्ध संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। सूची परिशिष्ट-4-3 पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

73. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रणवीर पहलवान)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 में सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र नये खोले या क्रमोन्नत किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितने? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम पंचायत कांटोली, नगर, चान्दसेन, कचोलिया, चौसला, लाम्बाकलां एवं भावंता में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये हैं? क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुसार नये उप केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कलमण्डा, आवडा एवं सवांरिया में पशु चिकित्सा उप केन्द्र संचालित हैं? क्या सरकार इन गांवों की जनसंख्या एवं उपखण्ड पर स्थित प्रथम श्रेणी चिकित्सालय से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए कलमण्डा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में और आवडा व सवांरिया उपकेन्द्र को पशु औषधालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2010-11 में नवीन खोले गये उप केन्द्र एवं क्रमोन्नत की गई संस्थाओं की जिलेवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम पंचायत कांटोली, नगर, चांदसेन, कचोलिया, चौसला, लाम्बाकलां एवं भावंता में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

नये उपकेन्द्र आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार खोले जाते हैं।

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं को आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार क्रमोन्नत किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बालिका भ्रूण हत्या में संलिप्त दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही

74. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) व **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) प्रदेश में वर्तमान में पुरुषों एवं महिलाओं का लिंगानुपात क्या है? जिलेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी चिकित्सकों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफी के माध्यम से गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर बालिका भ्रूण हत्यायें की जा रही हैं? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 921/1000 है जिलेवार लिंगानुपात का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें निजी चिकित्सकों द्वारा सोनोग्राफी के पश्चात कन्या होने का आधार बताकर, गर्भवती महिला के चार माह के गर्भ का समापन किया गया है। इस प्रकरण से संबंधित सोनोग्राफी सेन्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिये निलम्बित किया जा चुका है एवं संबंधित प्रकरण राज्य समुचित प्राधिकारी के पास अन्वेषणाधीन है। प्राप्त शिकायत एवं सोनोग्राफी सेन्टर के निलम्बन आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य से होने वाली गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 दिनांक 01.01.1996 से लागू किया है। राज्य में पिछले दो वर्षो में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निजी चिकित्सकों के विरुद्ध 112 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण, प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

महानरेगा में कार्यरत कार्मिकों की अनुबंध पर नियुक्ति

75. **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में महानरेगा में कार्यरत रोजगार सहायकों को सेवा से पृथक् किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? हटाए गए कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अनिल जैन)

(2) क्या सरकार महानरेगा में कार्यरत अन्य तकनीकी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो हटाए जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार महानरेगा में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में जिले में कुल व्यय का 6 प्रतिशत तक अनुमत है। जिन पंचायत समितियों में प्रशासनिक मद में 6 प्रतिशत से ज्यादा व्यय हो रहा है एवं जिन पंचायतों में रोजगार की मांग नहीं थी वहां के ग्राम रोजगार सहायकों को अस्थायी तौर पर हटाया गया है। हटाये गये ग्राम रोजगार सहायकों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में 6 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में तथा जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग नहीं है, उन ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित तकनीकी सहायकों एवं अन्य स्टाफ के पास कार्य नहीं होने की स्थिति में हटाया जा सकता है।

(3) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सीधे अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिकों के कारण हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को सीधे अनुबन्ध पर रखने का विचार नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, झालावाड़

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-राजस्थान

जिला झालावाड़

ग्राम रोजगार सहायक

पंचायत समिति : खानपुर

1. श्री पंकज गौतम ग्राम पंचायत दहीखेड़ा
2. श्री मुकुट बिहारी बैरवा ग्राम पंचायत गाडरवाडा डूण्डी

3. श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सरखण्डिया
4. श्री बद्रीलाल मेघवाल ग्राम पंचायत आकोदिया
5. श्री पुरूषोतम गोड ग्राम पंचायत जरगा
6. श्री हेमराज सुमन ग्राम पंचायत पनवाड
7. श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत बिशनखेडी

पंचायत समिति : झालरापाटन

1. श्री राजेश कुमार पाटीदार ग्राम पंचायत कलमण्डीकलां
2. श्री मनोज कुमार शर्मा ग्राम पंचायत खेडला
3. श्री मुकेश पाटीदार ग्राम पंचायत खानपुरिया
4. श्री मनोज कुमार पाटीदार ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा
5. श्री संदीप पाटीदार ग्राम पंचायत सोहनपुरा
6. श्री संजय कुमार पाटीदार ग्राम पंचायत नारायणखेडा
7. श्री महेश सोनी ग्राम पंचायत सालरिया
8. श्री कृपाल सिंह ग्राम पंचायत अलावा

ह./-
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, झालवाड़

कामां मुख्यालय में महाविद्यालय की स्थापना

76. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कामां के उपखंड पहाड़ी व तहसील मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कामां मुख्यालय पर कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है? क्या सरकार कामां में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय क्षेत्र कामां के उपखण्ड पहाड़ी व तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय क्षेत्र कामां में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बाली मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना

77. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के तीन उपखण्ड बाली, देसूरी व सुमेरपुर तथा चार पंचायत समिति बाली, रानी, सुमेरपुर व देसूरी एवं छह नगर पालिकाएं बाली, सादड़ी, फालना, तखतगढ, सुमेरपुर व रानी क्षेत्र के नागरिकों को सैकडों किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्व संबंधी व कलेक्ट्रेट स्तर के कार्य कराने के लिये जिला मुख्यालय कलक्टर कार्यालय पाली स्थित एडीएम कार्यालय तक जाना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी दूरी तय करके कलक्टर कार्यालय पाली तक पहुंचने में उक्त क्षेत्र के नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के धन एवं समय का अपव्यय हो रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त सभी क्षेत्रों के एडीएम स्तर के कार्य निपटाने हेतु उक्त समस्त क्षेत्र के भौगोलिक व प्रशासनिक रूप से केन्द्र में पड़ने वाले बाली मुख्यालय पर ही एडीएम कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली में 3 उपखण्ड, 4 पंचायत समितियां एवं 6 नगर पालिकाएं हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय पाली जिला कलक्टर के अधीन है। केवल कोर्ट प्रकरणों में जिला कलक्टर के साथ-साथ अतिरिक्त कलक्टर हैं। जिनके मध्य कोर्ट कार्य का विभाजन किया हुआ है, जहां तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील/निगरानी आदि प्रस्तुत होती है।

(राजस्व मंत्री)

उक्त कोर्ट कार्य के अलावा अन्य राजस्व संबंधी कार्य स्थानीय तहसील एवं उपखण्ड स्तर से सम्पादित होते हैं।

जिला कलक्टर स्तर के कार्य जिला मुख्यालय से सम्पादित होते हैं।

(2) पाली जिला तहसील मुख्यालय देसूरी से करीबन 90, बाली 75 व सुमेरपुर 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सभी कार्यालयों में अपने कार्यों हेतु पंहुचने में दूरी के अनुसार किराया एवं समय लगना स्वाभाविक है। उक्त तथ्य सभी जिलों पर समान रूप से लागू होता है।

(3) बाली मुख्यालय पर एडीएम कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर जिले में उचित मूल्य की प्रस्तावित दुकानें

78. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सार्वजनिक निर्माण प्रणाली के तहत रसद सामग्री के वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान आबंटन के क्या मानदण्ड हैं? तद्संबंधित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर में विगत तीन वर्षों में कितनी उचित मूल्य की नई दुकानें खोली गईं एवं कितनी और दुकानें कब तक आबंटित कर दी जायेंगी?

उत्तर

(1) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रसद सामग्री के वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान आबंटन के मापदण्ड निर्धारित हैं। तद् संबंधित आदेश दिनांक 27.02.2009, 06.10.2009, 30.04.2010 एवं 08.12.2010 जारी किये हुये हैं। प्रति क्रमशः परिशिष्ट-1-1, 1-2, 1-3, 1-4 पर संलग्न है।

(2) जिले में विगत तीन वर्षो में 65 नई उचित मूल्य दुकानें खोली गई हैं। 174 उचित मूल्य दुकानें खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर दुकान आबटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 1658/11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.02.2011 के परिप्रेक्ष्य में खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 26.02.2011 की पालना में आबंटन की प्रक्रिया स्थगित रखी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कीटनाशक क्रय प्रकरण के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

79. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला), **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित दलहन विकास परियोजना के तहत राज्य भर में एण्डोसल्फान कीटनाशक की खरीद की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस जिले में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में खरीद हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खरीद किस कम्पनी से किस दर पर की गई एवं खरीद के समय एण्डोसल्फान कीटनाशक का बाजार भाव क्या था? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों ने मिलीभगत कर कीटनाशक का दाम बाजार मूल्य से अधिक चुका कर राजकोष को हानि पहुंचाने का दुष्कृत्य किया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक एण्डोसल्फान क्रय नहीं की गई है। पिछले दो वर्षो में राज्य में शत प्रतिशत अनुदानित दलहन विकास परियोजना स्वीकृत नहीं थी। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी नहीं। एण्डोसल्फान 35 प्रतिशत ई.सी. का क्रय कृषि विभाग द्वारा नहीं किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

जिलेवार निर्मातावार एण्डोसल्फान कीटनाशक की अनुदानित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्य

क्र. सं.	जिले का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान पर आपूर्तित एण्डोसल्फान की दर (रुपये प्रति लीटर)	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	धानुका एग्रीटेक लिमिटेड	262	281
		इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	262	285
2.	बीकानेर	इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	284.55	285
		घरडा केमिकल्स लि.	269.85	285
		एग्रोकिंग पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.	284.55	300
3.	चूरू	इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	285	285
		एग्रोकिंग पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.	285	300
		घरडा केमिकल्स लि.	285	285
4.	अजमेर	एग्रोकिंग पेस्टी साईड्स प्रा. लि.	262.50	270
5.	जोधपुर	एक्सप क्रॉप केयर लि.	232	286
6.	टोंक	एग्रोकिंग पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.	262.50	270
		राजस्थान पेस्टीसाईड्स (प्रा.) लि.	262.50	275
		एक्सल क्राप केयर लि.	285	286
		इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	284.97	285
7.	हनुमानगढ़	इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	285	285
		कृषि रसायन एक्सपोर्टस प्रा. लि.	285	300

1	2	3	4	5
		घरडा केमिकल्स लि.	285	285
		क्रिस्टल फास्फेट्स लि.	285	294
8.	झुन्झुनूं	एग्रोकिंग पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.	285	300
9.	नागौर	एग्रोकिंग पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.	262.50	270
		इन्सेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लि.	280	285
		रेलीज इण्डिया लि.	262.50	297

गंभीर बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम

80. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्य को प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो टीकाकरण कार्य पर सरकार की कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में राज्य में किये गये टीकाकरण कार्य का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में टीकाकरण कार्य में गति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार की कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों, उपकेन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित दिवसों पर राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को बी.सी.जी., डी.पी.टी., ओ.पी.वी., मीजल्स एवं गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके नि:शुल्क लगाने की योजना बनाई हुई है। इनमें से मेडीकल कॉलेजों से संबद्ध शिशु रोग चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिदिन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डिस्पेन्सरीज पर प्रति सप्ताह तथा उपकेन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो पर महीने में एक बार टीकाकरण किया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इसके अतिरिक्त पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर शहर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर हैपेटाइटिस-बी का टीका बच्चों को नि:शुल्क लगाया जा रहा है।

सुरक्षित टीकाकरण के लिए ए.डी. सिरिंज का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सालयों में होने वाले संस्थागत प्रसवों के पश्चात् नवजात शिशुओं को बी.सी.जी का टीका एवं ओ.पी.वी. की खुराक संस्था पर ही दी जा रही है।

शहरी कच्ची बस्तियों में टीकाकरण के लिए राज्य के 8 बड़े शहरों में 43 शहरी आर.सी.एच. केन्द्र एन.जी.ओ. के माध्यम से प्रारम्भ करने की योजना है, जिनमें से 33 केन्द्र चालू कर दिए गए हैं।

जिलेवार आबंटित लक्ष्यों का विवरण एवं वर्ष 2010-11 में माह जनवरी, 2011 तक हुई उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य में गत पांच वर्षो के टीकाकरण की तुलनात्मक रिपोर्ट परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। नियमित टीकाकरण को प्रभावशाली तरीके से गति प्रदान करने के लिए निम्न योजनाएं बनाई है:-

टीकाकरण करने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इसी प्रकार इस कार्यक्रम से जुडे सभी चिकित्सकों एवं अन्य पर्यवेक्षकों को नियमित टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

टीकाकरण केन्द्रों पर सभी लक्षित लाभाविन्त उपलब्ध रहे इसके लिए सभी स्तर के पर्यवेक्षकों को प्रतिमाह इन केन्द्रों पर उपस्थित रह कर पर्यवेक्षण करने, मूल्यांकन करने एवं सपोर्टिव सुपरविजन के लिए प्रतिमाह का लक्ष्य आबंटित किया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम में आशाओं/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है तथा आंगनबाड़ी केन्द्रो पर शत प्रतिशत लक्षित उपस्थित होने पर आशा सहयोगिनियों/सोशल मोबिलाइजर को प्रोत्साहन हेतु राशि 150 रूपये प्रति सत्र भुगतान किया जा रहा है।

हैपेटाइटिस-बी की रोकथाम के लिए अभी तक जयपुर शहर में ही 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क टीके लगाए जा रहे है। इस टीके को अगले वित्तीय वर्ष से पूरे राज्य में नि:शुल्क लगाया जायेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

खसरे का एक टीका शत प्रतिशत बच्चों में रोग प्रतिरक्षण क्षमता पैदा नहीं कर पाता है, पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा तथा राजसमंद में इस वर्ष माह नवम्बर/दिसम्बर में 9 महीने से 10 वर्ष तक के 20 लाख 60 हजार 837 बच्चों को खसरे का दूसरा टीका लगाया गया । जो लक्षित बच्चों का 98.09 प्रतिशत रहा।

टीकों को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा संस्थानों को दिए गए आईएलआर/डीप (आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर/डीप फ्रिजर) फ्रिजर के अभी तक प्रातः व सायंकालीन तापमान रिकार्ड किया जाता है। इस तापमान का संधारण इलेक्ट्रोनिक तरीके से करने के लिए फ्रिजटेग नामक इलेक्ट्रोनिक उपकरण आईएलआर में रखने हेतु उपलब्ध कराने की योजना है।

जिन शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं को अगले टीकाकरण सत्र में टीका लगना है उनकी डयू लिस्ट तैयार करवाई जाकर आशा को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक गर्भवती महिला के पंजीकरण पर पीसीटीएस में नाम दर्ज किया जा रहा है, जिससे गर्भवती महिला एवं बच्चे का टीकाकरण कब हुआ है, की सूचना आनलाइन उपलब्घ हो सके।

संयुक्त कार्ययोजना- आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी एवं ए.एन.एम संयुक्त रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीके लगावें, इसके लिए चिकित्सा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा संयुक्त मानिटरिंग की जा रही है।

वैकल्पिक वैक्सीन वितरण -उपकेन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैकल्पिक वैक्सीन वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस योजना में टीकाकरण हेतु वैक्सीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से वाहन द्वारा वितरित किया जा रहा है।

टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण करने तथा गुणात्मक सुधार लाने हेतु सी.डी.सी. अटलाटां एवं यूनिसेफ के सहयोग से राज्य में चरणबद्ध रूप से टीकाकरण सुधार कार्यक्रम इसी वर्ष प्रारम्भ किया गया है। चालू वर्ष में राज्य के 5 जिलों (अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा एवं जयपुर) का चयन किया गया है। विभिन्न माडयूल्स के माध्यम से प्रतिमाह खण्ड एवं सेक्टर स्तरीय बैठकों में चिकित्सकों एवं कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के शेष जिलों में भी यह कार्यक्रम चालू करने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अलीगढ़ पंचायत समिति (टोंक) के नरेगा कार्यों का निरीक्षण

81. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों की देखभाल तथा प्रभावी रूप से सुचारु संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाकर मौके पर निरीक्षण की भी जिम्मेदारी दी गई है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या? उक्त संबंध में निर्धारित नियमों एवं जारी परिपत्र व आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च अधिकारियों के नियंत्रण का अभाव तथा मौके पर निरीक्षण की कमी के कारण कार्यक्रम के पूर्णरूपेण सफल संचालन नहीं हो पाने से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं होने के साथ ही अनेक स्थानों पर कार्य की मजदूरी का पूर्ण भुगतान भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस कारण से तथा इसके लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? कार्यवाही के विवरण सहित पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति अलीगढ़, उनियारा, टोंक में भी चल रहे कार्यों का समय पर निर्धारित निरीक्षण नहीं करने एवं मजदूरी भुगतान के संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाने संबंधी प्रकरण सामने आये हैं तथा विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त बाबत जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाकर मात्र निम्न स्तर के कर्मचारियों को राज्य सेवा से पृथक् किये जाने के क्या-क्या कारण रहे? दोषियों के विरुद्ध की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण सहित पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों की देखभाल तथा प्रभावी रूप से सुचारु संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाकर मौके पर निरीक्षण की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह किये जाने वाले निरीक्षण सम्बन्धित आदेश प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 4 (29) आरडी/नरेगा/पार्ट-III/निरीक्षण/09-10 जयपुर दिनांक 29.12.2009

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

द्वारा जारी किये गये है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले मासिक निरीक्षणों का विवरण आदेश के साथ परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अभाव एवं मौके का निरीक्षण नहीं करने के कारण ही अनेक स्थानों पर मजदूरी का पूर्ण भुगतान नहीं होता है। योजना के टास्क के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किये जाने का प्रावधान होने से निर्धारित टास्क से कम कार्य करने की दशा में सम्पादित टास्क के अनुसार मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा सम्पादित कार्य का माप के अनुसार पूर्ण भुगतान किया जाता है। श्रमिकों के निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के लिए किसी अधिकारी/कार्मिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) संबन्धित प्रकरण में कार्यो का समय पर निर्धारित निरीक्षण नहीं करने बाबत कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु कम मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में एवं अन्य प्रकार की कुल 9 शिकायतें वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में प्राप्त हुई। जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। ग्राम गुदलिया ग्राम पंचायत रूपवास पंचायत समिति अलीगढ़ में सार्वजनिक नाडा खुदाई एवं पिचिंग कार्य पर कम मजदूरी भुगतान की शिकायत के मामले में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। इस बाबत प्रत्येक जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है एवं केवल निम्न स्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं की गई हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला महाविद्यालय नागौर का भवन निर्माण प्रकरण

82. श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला मुख्यालय नागौर में महिला महाविद्यालय अपने स्वयं के भवन में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जावेगा?

(2) क्या उक्त महिला महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

(3) क्या उक्त जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय पी जी महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय में उर्दू ऐच्छिक विषय स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री हबीबुर्रहमान)

(4) क्या सरकार उक्त संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर में महिला महाविद्यालय अपने स्वयं के भवन में, भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित होगा।

(2) जी नहीं। भवन निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष की अवधि में पूर्ण होने की संभावना है।

(3) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय पी.जी. महाविद्यालय नागौर एवं राजकीय महिला महाविद्यालय नागौर में उर्दू विषय खोला जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय पी.जी. महाविद्यालय नागौर एवं राजकीय महिला महाविद्यालय नागौर में उर्दू विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

शोभ ग्राम (सीकर) के खसरा नं. 146 की भूमि

83. श्री पेमाराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर की तहसील सीकर के ग्राम शोभ में खसरा नम्बर 146 की सम्वत् 2062 से 2065 तथा 2066 से 2069 की जमाबंदी की नकल पटवार हल्का पलासरा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर के तहसीलदार के पत्रांक 2731 एवं 2742 दिनांक 9-8-2010 के पत्र की प्रतिलिपि उक्त खसरे की रिपोर्ट के संबंध में सदन की मेज पर रखें।

(3) एक ही तारीख में दो पत्र लिखने के क्या कारण हैं तथा उक्त खसरे की रिपोर्ट के संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय ने क्या आदेश दिया है? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खसरे से कितनी दूरी पर मन्दिर व सामुदायिक भवन, सड़क, हैण्डपम्प हैं तथा उक्त ग्राम में अब चरागाह भूमि कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खसरे की गलत रिपोर्ट भेजने के लिये कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जिला सीकर की तहसील सीकर के ग्राम शोभ के खसरा नम्बर 146 जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 परिशिष्ट-अ पर तथा 2066 से 2069 की नकल जमाबन्दी परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जिला सीकर के तहसीलदार सीकर के पत्रांक 2731 एवं 2742 दिनांक 9/8/2010 की प्रतियां परिशिष्ट-स एवं य पर संलग्न है।

(3) प्रश्नगत भूमि पर खनन पटटा खनन विभाग द्वारा दिनांक 6/8/2010 को राजकीय सिवाय चक भूमि मानकर जारी किया गया था। इस क्रम में तहसीलदार सीकर द्वारा अपने पत्रांक 2731 दिंनाक 9/8/2010 से प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में प्रश्नगत भूमि को जिम्मन नं. 1 की सरकारी खाते की भूमि किस्म गै.मु. पहाड़ (चरागाह) हेतु भूमि बतया गया। चरागाह तथा जिम्मन नं.-1 की सिवाय चक भूमि का खाता पृथक-पृथक होता है। तहसीलदार द्वारा भूमि को चारागाह दर्शाया जाने के कारण जिला कलक्टर, सीकर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3768 दिनांक 9/8/2010 से तहसीलदार को पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट करने हेतु लेख किया गया (परिशिष्ट-द)। उक्त पत्र के उत्तर में तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक 2742 दिनांक 9/8/2010 के द्वारा पुनः पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। इस कारण तहसीलदार द्वारा एक ही तारीख में दो पत्र लिखे गये। उक्त खसरे की रिपोर्ट के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा निर्णय लिया जाकर खनन अभियन्ता सीकर को दिनांक 10/8/2010 को पत्र लिखा गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(4) मंदिर व सामुदायिक भवन, सड़क व हैण्डपंप, इसी खसरा नम्बर 146 में स्थित है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी पूर्वी कोने पर करीब 40x 40 फीट में लीज क्षेत्र से बाहर सीमांकित पिलर-डी से 33 मीटर की दूरी पर मंदिर बना हुआ है। सार्वजनिक स्थान सीमांकित क्षेत्र की 45 मीटर की परिधि के बाहर है। इस ग्राम में चरागाह भूमि का कोई खाता नहीं है।

(5) उक्त खसरे की गलत रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई है, जिसके लिये कोई भी कार्मिक दोषी नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरकारी सस्ते आटे की पिसाई दरों में भिन्नता

84. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइंस) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

(1) क्या यह सही है कि सरकार की सस्ता आटा योजना में आटा पीसने वाली 16 फर्में पहले 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो की दर से पिसाई कर रही थीं तथा अब वही 16 फर्में 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो पर आटा पिसाई करेंगी और इसमें पौष्टिक तत्व भी मिलायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में आटा पिसाई महंगी दरों पर करवाई गई व अब उन्हीं फर्मों द्वारा सस्ती दरों पर पिसाई की जा रही है? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना में 17 फर्मों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिनमें एक फर्म 1 रुपये 99 पैसे में तथा 16 फर्म 2 रुपये 15 पैसे में कार्यरत थीं, जिनके द्वारा केवल आटे की पिसाई का ही कार्य नहीं किया जा रहा था, बल्कि फर्म द्वारा गेहूं को क्रय कर उसकी कीमत की राशि का ड्राफ्ट बनाकर भारतीय खाद्य निगम को दिया जाकर, मात्रा के अनुसार बैंक गारण्टी तथा गेहूं पर वेट राशि का भुगतान कर भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का लोडिंग व परिवहन किया जाकर मिल तक पहुंचाना व अनलोडिंग करना, पिसाई, पैकिंग, सिलाई, प्रिन्टिंग, बैग मय मैटेरियल तथा आटे पर टैक्स की राशि का भुगतान एवं राशन की दुकान, डेयरी बूथ व उपभोक्ता भण्डारों तक पहुंचाने के लिए लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग आदि समस्त कार्य किया जाता है। अब इनमें से केवल दो फर्में ही पौष्टिक तत्व मिलाकर आटा पिसाई का कार्य कर रही हैं।

(2) जी नहीं। आटे की पिसाई की दरें राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों के द्वारा खुली निविदा सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत आमंत्रित कर विभाग की क्रय समिति द्वारा निविदा की समस्त प्रक्रिया जिसमें तकनीकी बिड मय बंद लिफाफा समिति के सामने खोलकर छटनी कर योग्य फर्मों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाकर तथा वित्तीय बिड समिति के सामने खोलकर सफल निविदाकर्ता की प्रतिस्पर्धात्मक दर का निर्धारण कर फर्म का चयन कर निविदा का निस्तारण किया जाता है। इसके बाद बिन्दु संख्या 1 में अंकित सम्पूर्ण कार्यवाही सफल फर्म द्वारा की जाकर आटा वितरित किया जाता है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को समर्थन मूल्य पर खरीद के अधिकार

85. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने का वादा किया गया था? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) प्रदेश में वर्ष 2009 व 2010 में सरसों व चना का कितना उत्पादन हुआ तथा इन वर्षों में इनका समर्थन मूल्य क्या-क्या रहा तथा समर्थन मूल्य पर कितना-कितना चना व सरसों खरीदी गई?

(3) वर्ष 2011 में रबी में सरसों व चना की बुवाई कितने-कितने क्षेत्र में हुई तथा संभावित उत्पादन कितना होगा? क्या सरकार सरसों व चना की बम्पर फसल को देखते हुये सरसों व चना को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को स्थायी खरीद केन्द्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषकों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा हर वर्ष प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं । भारत सरकार द्वारा आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रमुख जिन्सों की खरीददारी की जाती है ।

(2) प्रदेश में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में चने का उत्पादन क्रमशः 9.80 लाख मिट्रिक टन एवं 5.35 लाख मिट्रिक टन हुआ तथा सरसों का उत्पादन क्रमशः 34.66 लाख मिट्रिक टन एवं 29.12 लाख मिट्रिक टन हुआ।

विपणन वर्ष 2009-10 हेतु चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1730/- रुपये प्रति क्विण्टल तथा विपणन वर्ष 2010 हेतु 1760/- रुपये प्रति क्विण्टल घोषित किया गया था । सरसों हेतु वर्ष 2009-10 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1830/- रुपये प्रति क्विण्टल एवं 2010-11 के लिए भी 1830/- रुपये प्रति क्विण्टल घोषित किया गया था ।

(कृषि मंत्री)

इन वर्षो में चना व सरसों के बाजार भाव को देखते हुए खरीद नहीं की गई।

(3) वर्ष 2011 में चना व सरसों की बुवाई का क्षेत्रफल व संभावित उत्पादन निम्नानुसार है :-

फसल का नाम	अनुमानित बुवाई क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	अनुमानित उत्पादन (लाख मिट्रिक टन)
चना	16.42	13.86
सरसों	26.24	35.55

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में चना व सरसों की खरीद के लिए राजफैड को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

(4) नहीं। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार क्रय केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जाती है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का अंकेक्षण

86. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनवरी, 2005 से नवम्बर, 2005 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विशेष आडिट कराई गई थी? यदि हां, तो विशेष आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में उक्त अवधि में उक्त मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवासीय सुविधाओं, ड्रग वेयर हाउस निर्माण, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटरों की खरीद, लेप्रोस्कोप, लेप्रोकेटर की मरम्मत, वार्षिक रख-रखाव, स्वयंसेवी संस्थाओं को विभिन्न कार्यों के आबंटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डीजल जेनरेटर सैट खरीद, जरूरत से ज्यादा दवाइयां और उपकरणों की खरीद सहित कई मामलों में आठ करोड़ की अनियमितता की गई थी? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त विशेष आडिट में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितता में लिप्त पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जून 2005 से दिसम्बर 2006 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विशेष आडिट स्टेट हैल्थ सोसायटी का किया गया था। अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति एनेक्सर-ए पर प्रस्तुत है।

(2) विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित प्रकरणों में निम्नानुसार अनियमित राशि बताई गई है :-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर आवासीय सुविधा व ड्रग वेयर हाउस के निर्माण कार्यों की निविदाओं की अतार्किक स्वीकृति से वित्तीय भार व अन्य अनियमितताएं रुपये 523.66 लाख (पैरा सं0 1)
2. ब्लड बैंक रेफ्रीजरेटर्स के अनियमित क्रय से वित्तीय हानि रू0 112.78 लाख (पैरा सं. 2)
3. लैप्रोस्कोप/लैप्रोकेटर की मरम्मत वार्षिक रख-रखाव व स्पेयर पार्टस के क्रय संबंधी अनियमितताएं रु. 138.91 लाख (पैरा सं. 3)
4. गैर सरकारी संगठनो को योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो/कंसलटेन्सी के आबंटन/स्वीकृति में अनियमितताएं (पैरा सं0 4)
5. एनेस्थिसिया प्रशिक्षण हेतु मैनिक्वीन के अनावश्यक क्रय से वित्तीय हानि राशि रु. 14.83 लाख (पैरा सं. 5)
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 36 डीजल जनरेटर सेट पर अवरूद्ध राशि रु. 72.95 (पैरा सं. 6)
7. स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप सेवा केन्द्र/योग्य दम्पति पंजिका व अन्य प्रपत्रों के मुद्रण में अनियमितताएं रु. 1.55 लाख (पैरा सं. 7)

योग :- रु. 863.68 लाख

उक्त प्रकरणों में विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाकर क्रमशः निम्नानुसार टिप्पणी अंकित की गई है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1. मिशन में निर्माण कार्यो के निष्पादन में पी. डब्ल्यू. एफ. एण्ड ए.आर. के नियमों की प्रत्येक स्तर पर अवहेलना की गयी है। एक्जीक्यूटिव कमेटी में भी निविदा स्वीकृति से अतिरिक्त वित्तीय भार लाने वाला प्रस्ताव मुख्य अभियंता के स्तर से प्रस्तुत किया गया है।
2. उक्त प्रस्ताव/निर्णय विभागीय क्रय समिति मुख्य लेखाधिकारी, निदेशक (एफ.डब्ल्यू) एवं एम.डी. (एन.आर.एच.एम.) के स्तर पर लेते हुए पत्रावली प्रमुख शासन सचिव तक भिजवाई गई है।
3. उक्त अनियमितताओं के प्रस्ताव/निर्णय क्रय समिति, मुख्य लेखाधिकारी व निदेशक (एफ.डब्ल्यू) के स्तर पर किये गये हैं।
4. वलेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन आफ इण्डिया को जननी सुरक्षा योजना हैल्प लाइन की स्वीकृति का निर्णय एक्जीक्यूटिव कमेटी के स्तर पर किया गया है।
5. मेनिक्वीन क्रय संबंधी निर्णय विभाग की क्रय समिति व यूनिसेफ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय निदेशक (एफ.डब्ल्यू) के स्तर पर लिया गया है
6. उक्त प्रस्ताव/निर्णय क्रय समिति स्तर पर किये गये व 36 डीजल जनरेटर सैट की आपूर्ति रोकने बाबत् अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) ने विलम्ब से सूचित किया। अनियमितता संबंधी प्रस्ताव/निर्णय क्रय समिति स्तर पर व खुली निविदा से मुद्रण कार्य का प्रस्ताव मुख्य लेखाधिकारी स्तर पर किया गया।

(3) जी नहीं।

1. विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार पाई गई अनियमितताओं में ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा फर्म से किये गये अनुबंध को निरस्त करने, सामान लौटाने व भुगतान नहीं करने तथा श्री वीरेन्द्र मेहता तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया। प्रति एनेक्सर-बी पर प्रस्तुत है।

विभाग के आदेश क्रमांक 854 दिनांक 30.06.08 द्वारा क्रय आदेश निरस्त करते हुए सामान लौटाने व भुगतान नहीं करने के आदेश पारित किये गये। प्रति एनेक्सर-सी पर प्रस्तुत है।

फर्म द्वारा प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया। माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय द्वारा विभाग के आदेश पर रोक लगाई गई। माननीय उच्च

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

न्यायालय द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ नियुक्त किया गया व मध्यस्थ के पारित निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा सैशन न्यायालय मे अपील की गई है जो विचाराधीन है। श्री वीरेन्द्र मेहता तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र विभाग द्वारा उप शासन सचिव (वित्त राजस्व) विभाग जयपुर को पत्रांक प.1 ( )पी.ए./एफएफडब्लू/08/9510 दिनांक 12.02.09 द्वारा भिजवा दिया गया है। प्रति एनेक्सर-डी पर प्रस्तुत है।

प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी प्राथमिक जांच सं. 47/2010 विरुद्ध मुख्य लेखाधिकारी श्री वीरेन्द्र मेहता, निदेशक (एफडब्ल्यू एण्ड आरसीएच) डॉ. एस.पी. यादव एवं विभागीय क्रय समिति के सदस्यगण अतिरिक्त निदेशक (प.क. एवं आरसीएच) डा. आर.एन.डी. पुरोहित, भण्डार अधिकारी श्री लालाराम जाट पर दर्ज की जाकर जांच की जा रही है। प्रति एनेक्सर-ई पर प्रस्तुत है।

2. लैप्रोस्कोप की मरम्मत, वार्षिक रखरखाव व स्पेयर पार्टस के क्रय संबंधित अनियमितताओं के क्रम में विभाग द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा फर्म की बैंक गारंटी अपहृत की गई। जिसके विरुद्ध फर्म द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबीट्रेटर नियुक्त किया गया। आरबीट्रेटर के निर्णयानुसार फर्म को फोरमेलाइन चैम्बर की अधिक भुगतान की गई राशि व वास्तविक मरम्मत किये गये लैप्रोस्कोप से अधिक प्राप्त की गई राशि की वसूली अपहृत की गई बैंक गारंटी से प्राप्त कर स्टेट हैल्थ सोसायटी के खाते में जमा करा दी गई है। प्रति एनेक्सर-एफ व जी पर प्रस्तुत है।

प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी प्राथमिक जांच सं. 14/2011 विरुद्ध श्री वीरेन्द्र मेहता एवं अन्य पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है एवं जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रति एनेक्सर-एच पर प्रस्तुत है।

प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु श्री वीरेन्द्र मेहता तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी को आरोप पत्र दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं प्रति एनेक्सर-आई पर प्रस्तुत है।

3. आडिट पैराज की प्रथम अनुपालना भिजवाई जा चुकी है। प्रति एनेक्सर-जे पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। इस विभाग द्वारा पत्रांक प.1()पी.ए/एफ.एफ.डब्ल्यू/08/9510 दिनांक 12.02.09 द्वारा प्रेषित आरोप पत्र संबंधित अधिकारी को कार्मिक विभाग के ज्ञापन क्रमांक प.1(251) कार्मिक/क-3/2010 दिनांक 01.12.10 द्वारा जारी कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिक जांच दर्ज की गयी है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

माफी मंदिर की जमीनों की पैरवी हेतु अधिकृत पैरोकार

67. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमियों में से पुजारियों के नाम हटाने हेतु एक आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त आदेश के पश्चात् सभी पुजारियों एवं अन्य के नाम माफी मंदिर की जमीनों से हटा दिये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि के राजस्व मामले अदालतों में चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त मामलों में मूर्ति मंदिर के पक्ष में पैरवी करने हेतु कौन अधिकृत है?

(4) क्या यह भी सही है कि मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि के पक्षकार के रूप में पुजारी पैरवी कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या वे राज्य सरकार की ओर से अधिकृत हैं या स्वहित के कारण पैरवी कर रहे हैं?

(5) क्या सरकार उक्त मामलों में पैरवी करने हेतु राजकीय स्तर पर पैरोकार नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(4)राज. 4/90/37 दिनांक 13.12.91 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन प्रकरणों में कार्यवाही किसी न्यायालय में विचाराधीन है या रेफरेंस विचाराधीन है, उनको छोड़कर ऐसे प्रकरणों में पुजारियों के नाम हटा दिये गये हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि के राजस्व मामले अदालतों में चल रहे हैं। ऐसे मामलों में मूर्ति मन्दिर के पक्ष में पैरवी हेतु सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार और राजस्व न्यायालयों में सरकार की ओर से नियुक्त राजकीय अधिवक्ता अधिकृत हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि के पक्षकार के रूप में पुजारी भी पैरवी कर रहे हैं किन्तु वे राज्य सरकार की ओर से अधिकृत नहीं हैं। स्वहित के कारण पैरवी कर रहे हैं।

(राजस्व मंत्री)

(5) इन प्रकरणों में अलग से राजकीय पेरोकार नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रकरण जहां भी विचाराधीन हैं वहां यथा स्थिति तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजकीय अधिवक्ता अथवा माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं, अतः अलग से पेरोकार नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.2(4)राज/4/90/37   जयपुर, दिनांक 13.12.1991

प्रेषित :-उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर।
भू-प्रबंध आयुक्त जयपुर
समस्त जिला कलेक्टर्स।

परिपत्र

विषय :-मन्दिर देव मूर्ति की खातेदारी भूमि में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम के संबंध में।

1- यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है कि जिन मन्दिरों की निजी भूमि है उनके संबंध में देव मूर्ति के नाम के साथ पुजारी या शिकायत के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड (जमा बन्दी) में होना चाहिए अथवा अलग से इस प्रयोजन हेतु बनाये गये किसी अन्य रिकार्ड में। देवमूर्ति एवं शाश्वत अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस बिन्दु का विधि विभाग से भी परीक्षण कराया गया तथा विधि विभाग ने इस पर उपरोक्त राय से सहमति व्यक्त की है।

2- जमाबन्दी अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स अर्थात् रिकार्ड आप टेनेन्सी राइट्स है जिसकी प्रविष्टि से कृषक के काश्तकारी अधिकार की अवधि प्रतिपादित होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जमाबन्दी में केवल काश्तकारी कानून में कृषक के अधिकार ही दर्ज किये जाते हैं। मन्दिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किस के द्वारा की जावेगी तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार आदि के विवाद का हल किस प्रकार होगा यह पूर्णतया दीवानी मामले है जो केवल दीवानी न्यायालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं तथा वही इन्हें तय करने में सक्षम है। इनका संबंध न तो राजस्व रिकार्ड से है और न ही यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

3- राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की वसूली इत्यादि कार्यवाही की सुविधा

के हिसाब से पुजारी का नाम भी देव मूर्ति के नाम के साथ जमाबन्दी में लिखने की परम्परा चली आ रही है जबकि सही स्थिति यह है कि पुजारी या शिकायत का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होना चाहिए। जमाबन्दी में ऐसे इन्द्राजों का गत वर्षो में काफी दुरूपयोग किया गया है। देवमूर्ति की भूमि की दावेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करा ली है तथा पुजारियों द्वारा हजारों अवैध हस्तान्तरण/बेचान हुए हैं जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ी है। ऐसे अवैध हस्तान्तरणों/बेचानों को निरन्त करने हेतु अनगिनत "रैफरेन्स" राजस्व मण्डल को किये गये हैं व किये जा रहे हैं।

4- पुजारी या शिकायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार है तो वह दीवानी अधिकार है जिसका संबंध दीवानी न्यायालय है। राजस्व कानूनों अथवा काश्तकारों के अधिकारों से उसका कोई संबंध नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिकायत का नाम लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :-

1) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिकायत का नाम नहीं लिखा जावे।

2) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मन्दिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

3) जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कालम में अंकित किया जावे।

5. यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

6. इन निर्देशों की पालना दि. 31.1.92 तक अवश्य की जानी चाहिए तथा इसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवावें।

7. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना भिजवायें।

आज्ञा से,
ह./-
उप शासन सचिव

खाजूवाला के काश्तकारों के लम्बित खातेदारी प्रकरण

68. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम तख्तपुरा, भांडसर, कृष्णनगर, रामनगर, लालावाली, गौरीसर, चेचड़ा, लाखनसर, सतासर, लूणखां, कंकराला, भानीपुरा कावनी, रामसर, जयमलसर व अमरपुरा के कितने काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलना अभी शेष हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) छतरगढ़, पूगल व खाजूवाला में प्रशासन गांवों के संग अभियान में सम्पूर्ण रकम जमा कराने वाले कितने काश्तकारों को खाते दारी अधिकार दे दिये गये व कितने प्रकरण लम्बित हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम तख्तपुरा, भांडसर, कृष्णनगर, रामनगर, लालावाली, गौरीसर, चेचड़ा, लाखनसर, सतासर, लूणखां, कंकराला, भानीपुरा कावनी, रामसर, जयमलसर, अमरपुरा के जिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलना बकाया है, उनकी कुल संख्या 1300 है। सूची परिशिष्ट 1 (अ), 1 (ब) और 1 (स) पर है।

(2) जी हां।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के क्षेत्राधिकार के अधीन तहसील पूंगल के जिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, उनकी संख्या 122 है। सूची परिशिष्ट 3 (अ) पर है। इस क्षेत्र में कुल 20 काश्तकार ऐसे हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण रकम जमा करा दी है किन्तु अभी तक खातेदारी दिया जाना बकाया है। सूची परिशिष्ट 3 (ब) पर है। कारण उक्त सूची में वर्णित है।

जिला कलक्टर, बीकानेर के क्षेत्राधीन स्थित तहसील छतरगढ़, पूंगल व खाजूवाला में अभियान के दौरान कुल 1085 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट 3 (स) पर है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण राशि जमा कराने वाला निर्विवाद कोई भी काश्तकार खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले में पटवारियों के रिक्त पद

69. श्री पेमाराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पटवारियों की कमी को पूरा करने के लिये नई भर्तियां शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) जिला सीकर में तहसीलवार पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा किस-किस तहसील में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जिले में उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पटवारियों के 2122 रिक्त पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात सफल आशार्थियों को पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

(2) जिला सीकर में तहसीलवार पटवारियों के कुल 274 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम कार्यालय /तहसील	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं
1.	फतेहपुर	28	05	2010 से
2.	लक्ष्मणगढ़	39	04	02-2010 से 02-2011 से
3.	सीकर	53	02	01-2010 से 01-2010 से
4.	दातारामगढ़	48	02	2010 से
5.	श्रीमाधोपुर	54	01	2010 से
6.	नीमकाथाना	48	04	01-2008 से 03-2010 से
7.	जिला कार्यालय	04	—	—

(राजस्व मंत्री)

(3) हाल ही में माह जनवरी, 2011 में 1106 पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है तथा राज्य में पटवारियों के 1984 रिक्त पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात सफल आशार्थियों को पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

भीलवाड़ा जिले के नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में रिक्त पद

70. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2009 के पश्चात् नवीन उपखण्ड कार्यालय कहां-कहां पर खोले गये तथा उक्त कार्यालयों में कब-कब विधिवत रूप से कार्य प्रारम्भ किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला भीलवाड़ा के नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने पदों पर पदस्थापन किया गया तथा कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 9(1)राज./ग्रुप-1/97/पार्ट -2 दिनांक 9/9/2009 से 47 नये उपखण्डों का सृजन एवं 5 सृजित सहायक कलक्टर कार्यालयों को उपखण्ड कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाकर 52 नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले गये हैं। नवीन उपखण्ड कार्यालयों में विधिवत रूप से कार्य प्रारम्भ किये जाने का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राजस्व मंत्री)

(3) जिला भीलवाड़ा में नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में स्वीकृत पदों के मुकाबले नवसृजित उपखण्ड कार्यालयों में कुल 4 स्टोनों के पद रिक्त हैं तथा उपखण्ड कार्यालयों में कार्य सम्पादन हेतु तहसील मुख्यालय से लिपिकों की प्रतिनियुक्ति कराई गई है।

(4) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	नवसृजित उपखण्ड कार्यालय	कार्य प्रारम्भ की दिनांक
1	2	3	4
1.	अजमेर	पीसांगन	25.3.2011
		सरवाड़	19.3.2011
		भिनाय	19.3.2011
2.	बांसवाड़ा	गढ़ी	16.3.2011
		बागीदौरा	16.3.2011
3.	बारां	अन्ता	1.12.2009
		छीपाबड़ौद	4.12.2009
4.	बाड़मेर	बायतु	19.3.2010
		चौहटन	21.12.2009
		रामसर	16.3.2010
		सिवाना	26.3.2010
5.	भरतपुर	पहाड़ी	15.3.2010
6.	भीलवाड़ा	आसीन्द	18.3.2010
		रायपुर	18.3.2010

1	2	3	4
		बिजौलिया	18.3.2010
		कोटडी	18.3.2010
7.	बीकानेर	कोलायत	16.9.2009
		पूगल	16.9.2009
		छत्तरगढ़	16.9.2009
8.	चित्तौड़गढ़	राश्मी	25.3.2010
		डूंगला	25.3.2010
		भदेसर	25.3.2010
9.	चूरू	तारानगर	19.12.2009
10.	धौलपुर	सैपऊ	22.3.2010
11.	डूंगरपुर	आसपुर	7.4.2010
12.	गंगानगर	पदमपुर	6.11.2010
		सादुलशहर	27.9.2010
		श्रीविजयनगर	5.7.2010
13.	जालौर	सायला	18.3.2010
		बागौडा	19.3.2010
14.	झालावाड़	गंगधार	3.3.2010
15.	झुंझुनूं	बुहाना	25.3.2010
16.	जोधपुर	लूनी	20.9.2009
		भोपालगढ़	2.6.2010
17.	करौली	नादौती	26.10.2009
18.	नागौर	खींवसर	9.4.2010
19.	पाली	रायपुर	4.12.2009

1	2	3	4
		रोहट	2.3.2010
		मारवाड़ जंक्शन	22.3.2010
20.	प्रतापगढ़	पीपलखूंट	5.2010
21.	राजसमन्द	आमेट	7.11.2009
		रेलमगरा	21.12.2009
		देवगढ़	8.6.2010
22.	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	12.11.2010
		मलारनाडूंगर	29.11.2010
		खण्डार	16.6.2010
23.	सिरोही	शिवगंज	22.3.2010
		पिडंवाड़ा	6.11.2009
24.	उदयपुर	ऋषभदेव	19.3.2010
		लसाड़िया	19.3.2010
		गोगुन्दा	19.3.2010
		सराड़ा	19.3.2010

मालपुरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

71. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक के कस्बा मालपुरा स्थित गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर विगत 2 वर्षों में अवैध रूप से अतिक्रमण किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जिले की मालपुरा विधान सभा मालपुरा क्षेत्र में मालपुरा से सदरपुरा सड़क के पास स्थित सिवाय चक भूमि पर तथा मालपुरा से लाम्बा

(श्री रणवीर पहलवान)

हरिसिंह रोड पर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी भूमि पर? सरकार द्वारा अब तक उक्त जमीन पर से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में स्थित गै.मु. तालाब की भूमि पर विगत दो वर्षों में लगभग 70-80 व्यक्तियों द्वारा कच्चे मकान व बाड़े बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमणों में से अधिकांश अतिक्रमण सन्निकट समय में किये गये हैं। जिनका विस्तृत सर्वे करवाया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार, प्रकरण में सन्निकट समय में हुये अस्थाई अतिक्रमणों के लिये तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से विस्तृत जांच करवायी जा रही है। उक्त अतिक्रमणों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) टोंक जिले की मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में मालपुरा से सदरपुरा सड़क के पास स्थित ख.नं. 174/487/2 रकबा 36.01 बीघा सिवायचक गै.मु. रास्ते की भूमि वाके ग्राम बृजलालनगर पर सम्वत् 2067 में पांच व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, जिनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है। इसी प्रकार मालपुरा से लाम्बा हरिसिंह रोड पर ग्राम मालपुरा में स्थित ख.नं. 1430/1/1 रकबा 1.00 बीघा सिवायचक पर एक व्यक्ति का अतिक्रमण है जिसके विरुद्ध भी धारा 91 के तहत कार्यवाही कर तारामीरा फसल नष्ट करवाई गई एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया है।

सोजत में पटवारियों के रिक्त पद

72. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में कितने पटवार हलका हैं?

(2) क्या प्रत्येक पटवार हलके में पटवारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस हलके में एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत में 44 व तहसील रायपुर में 13 कुल 57 पटवारी हलका हैं।

(2) जी नहीं। जिन पटवार हलकों में पटवारी नियुक्त नहीं हैं, उनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

तहसील सोजत-

1) सोजत–I 2) आलावास 3) धीनावास 4) नयागांव 5) थरासनी 6) शिवपुरा 7) धुरासनी 8) खामल 9) मालपुरिया कलां 10) लाणेरा 11) करमावास 12) गुडा बिंजा 13) बगंडी – 14) गुडाकलां 15) गुडा रामसिंह

तहसील रायपुर-

1) मोहरा कलां 2) कुशालपुरा 3) बांसिया 4) रामपुरा कलां

5) रायपुर II

पटवारियों की कमी के कारण प्रत्येक पटवार हलके में पटवारी नियुक्त नहीं है।

बिछिवाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय (डूंगरपुर) में तहसील कार्यालय की स्थापना

73. **श्री लालशंकर घाटिया** (डूंगरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नये तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पंचायत समिति मुख्यालय बिछिवाड़ा पर तहसील कार्यालय खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में कोई वित्तीय प्रावधान किया हुआ नहीं है।

(2) वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2010-11 में तहसीलों के गठन/क्रमोन्नत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। जनगणना 2011 के प्रक्रियाधीन होने के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के गठन तथा सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को दिनांक 31/3/2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है। अतः इस संबंध में अभी कोई विचार किया जाना संभव नहीं है।

सांभर कस्बे (फुलेरा) में भूमि का बेचान

74. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा सांभर में खसरा नम्बर 163, 164 एवं 165 की कितनी-कितनी भूमि वर्ष 1980 से पूर्व किस-किस के नाम दर्ज थी? दस्तावेज की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का वर्ष 1980 के बाद बेचान हुआ अथवा दान में दी गई है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा, कब-कब किसके पक्ष में कितनी-कितनी भूमि का बेचान किया गया अथवा दान में दी गई? उक्त कार्यवाही के समस्त दस्तावेजात की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 163 की भूमि किसके कब्जे में कब से है एवं किसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है? दस्तावेज की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त खसरा नम्बर 163 की भूमि का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो मामले का विवरण एवं वर्तमान स्थिति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा सांभर के खसरा नम्बर 163, 164 एवं 165 खतौनी सेटलमेंट संवत 2015 से 2029 के खाता संख्या 408 के अनुसार माफी घासीशाह कादर शाह सुलेमान शाह पुत्र अकबर शाह कौम फकीर मुसलमान सा. देह के नाम दर्ज है। जिसमें खसरा नम्बर 163 रकबा 3.06 बीघा गै.मु. कब्रिस्तान, खसरा नं. 164 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. बगीची, खसरा नं0 165 रकबा 0.18 बीघा बंजड दोयम कुल रकबा 4.08 बीघा है। इसके पश्चात् रिकार्ड में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है:-

1- नामा. संख्या 107 दिनांक 20.6.1965 के द्वारा विरासत से सुलेमानशाह पुत्र वजीरशाह का नाम स्वीकार हुआ।

2- नामा. संख्या 316 दिनांक 28.02.1973 में सुलेमानशाह द्वारा बेचान से ख.नं. 163 रकबा 3.06 बीघा भूमि रामविलास पुत्र रामकंवर महाजन, मन्ना पुत्र बालू माली के नाम हुआ।

(राजस्व मंत्री)

3- नामा. सं. 393 दिनांक 13.05.1974 से बेचान से ख.नं. 164 रकबा 0.01 बीघा गोपाल लाल पुत्र शंकरलाल पारीक के नाम हुआ।

4- नामा. सं. 616 दिनांक 3.10.1977 से बेचान से ख.नं. 164 रकबा 0.01 बीघा जानमोहम्मद पुत्र रमजानी के नाम हुआ।

5- जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 के खाता सं. 74 के अनुसार ख.नं. 164 रकबा 0.02 बीघा ताराचन्द पुत्र जोधराज ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज हुआ।

6- नामा. सं. 391 दिनांक 28.02.1974 से ख.नं. 165 रकबा 0.02 बीघा शकूर खां पुत्र अलीम खां के नाम हुआ था शकूर खां द्वारा बेचान से नामा.सं. 392 दिनांक 28.02.1974 द्वारा ताराचन्द पुत्र जोधराज ब्राह्मण सा.देह के नाम हुआ।

7- नामा.सं. 415 दिनांक 23.7.1974 के ख.नं. 165 में से 0.01 बीघा सुलेमान द्वारा बेचान करने पर नूरमोहम्मद पुत्र मांगू खां इमामुद्दीन खां पुत्र दीनमोहम्मद जाति मुसलमान के नाम रकबा 0.01 बीघा स्वीकार हुआ।

8- खसरा नं. 165 का शेष रकबा जमाबंदी अनुसार सुलेमानशाह के नाम 0.15 बीघा बदस्तूर रहा। दस्तावेजों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि का वर्ष 1980 के बाद बेचान व दान हुआ है जो निम्न प्रकार है:-

अ. यह कि ख.नं. 163 रकबा 3.06 बीघा भूमि का रामविलास पुत्र रामकंवर महाजन मन्ना पुत्र बालू माली द्वारा सम्पूर्ण भूमि का दान करने पर नामा. सं. 928 दिनांक 30.08.1988 के द्वारा नगरपालिका मण्डल सांभरलेक के नाम दर्ज हुआ।

ब. 1. यह कि खसरा नं. 164/3 रकबा 0.01 बीघा जान मोहम्मद पुत्र रमजानी मुसलमान की विरासत से नामा. सं. 982 दिनांक 06.06.91 द्वारा शहीदन बेवा जान मोहम्मद के हुई। शहदीन द्वारा बेचान करने पर नामा. सं. 984 दिनांक 26.06.1991 के अनुसार अंजुमन हुसामिया रजिस्टर्ड दरगाह शरीफ सांभर जरिये अध्यक्ष काजी इमामुद्दीन के रकबा 0.01 बीघा हुआ।

2. खसरा नम्बर 164/1 रकबा 0.02 बीघा खसरा नं0 165/3 रकबा 0.15 बीघा का सुलेमानशाह की विरासत से नाम. संख्या 705 दिनांक

(राजस्व मंत्री)

31.05.82 के द्वारा हफीजन बेवा सुलेमान शाह हुआ। उक्त खसरा नम्बर का बेचान करने पर नामा. सं. 955 दिनांक 24.03.1990 एवं ख.नं. 164/2 रकबा 0.11 बीघा का गोपाललाल पुत्र शंकरलाल पारीक द्वारा बेचान करने से नामा.सं. 954 दिनांक 24.03.1990 के द्वारा ख.नं. 164/1 रकबा 0.02 बीघा, 164/2 रकबा 0.01 बीघा 165/3 रकबा 0.15 बीघा कुल किता 3 रकबा 0.18 बीघा का अंजुमन हुसामिया इसलामिया दरगाह शरीफ सांभर बजरिये अध्यक्ष काजी इमामुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद एवं जनरल सेक्रेटरी नूरमोहम्मद कुरेशी सा. देह के नाम हुआ।

3. ख.नं. 165/1 रकबा 0.02 बीघा का ताराचन्द पुत्र जोधराज पारीक द्वारा बेचान करने से नामा. सं. 801 दिनांक 18.01.1999 से नाथूलाल पुत्र राजेश कुमार जाति ब्राह्मण सा. देह ना.बा. जरिये वली पिता राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति गौड ब्राह्मण सा. देह के नाम हुआ। नामा. सं. 1532 दिनांक 28.04.01 से रूपान्तरण होने से सिवायचक हुई।

4. खसरा नं. 165 ख.नं. 0.01 बीघा इमामुद्दीन पुत्र मजीद खां हिस्सा 1/2 की विरासत से नामा. सं. 1154 दिनांक 27.07.1997 द्वारा मु. रजिया बेवा इमामुद्दीन, इकरामुद्दीन ऊर्फ बिल्लु, सागीर अहमद सलीम ऊर्फ राजा रियाजुद्दीन पि. इमामुद्दीन मुसलमान हुआ। उक्त खसरा नं. 165/2 का नूरमोहम्मद पुत्र मांजूखां रजिया बेवा इमामुद्दीन वगैरह द्वारा बेचान करने पर नामा. सं. 1165 दिनांक 22.11.07 से शमीम ऊर्फ गुड्डू पुत्र बाबूखां मुसलमान हुआ। दस्तावेजों की प्रति संलग्न है।

(3) यह है कि वर्तमान में खसरा नं. 163 रकबा 3.06 बीघा की भूमि में राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित सांभर लेक बस डिपो बना हुआ है। नामा. सं. 928 दिनांक 30.3.88 से खसरा नम्बर 163 का राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी अनुसार नगरपालिका मण्डल सांभर लेक के नाम दर्ज है। जमाबन्दी नकल संलग्न है।

(4) जी हां। खसरा नं. 163 की जमीन पर न्यायालय राजस्थान वक्फ अभिकरण जयपुर में वाद संख्या 33/2000 अंजुमन हुसामियां इसलामिया कमेटी विरुद्ध नगरपालिका सांभर विचाराधीन है। जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.03.11 नियत है। इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 48/2000 में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2000 को यथास्थिति रखने के आदेश दिए हुए हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नाथद्वारा तहसील में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति

75. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की तहसील नाथद्वारा में राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की नाथद्वारा तहसील में राजस्व कर्मचारियों के निम्नानुसार पद रिक्त हैं -

क्र. सं.	नाम पद	रिक्त पद
1.	भू.अ.नि.	2
2.	पटवारी	16
3.	कार्यालय सहायक	1
4.	तहसील राजस्व लेखाकार	1
5.	वरिष्ठ लिपिक	3
6.	कनिष्ठ लिपिक	5
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10

भू.अ. निरीक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु संभागीय आयुक्त उदयपुर को निर्देशित किया जा चुका है।

हाल ही में माह जनवरी, 2011 में 1106 पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है तथा राज्य में पटवारियों के 1984 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की विज्ञप्ति राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी की जा चुकी है।

कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु जिला कलक्टर राजसमन्द को लिखा जा चुका है एवं तहसील राजस्व लेखाकार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को लिखा गया है।

परबतसर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में निष्पादित कार्य

76. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में प्रशासन गांवों की और अभियान में क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिविरवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के शिविर के रजिस्टर कहां विद्यमान हैं और इनका कार्यवाही प्रभारी कौन है? उक्त अभियान में शिकायत, सुझाव व मांग के रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अभियान में जिन-जिन व्यक्तियों के कार्य अधिकारियों की लापरवाही से छूट गये हैं तथा विकलांग, वृद्धावस्था, बी.पी.एल. आदि का लाभ लेने से वंचित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र परबतसर में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान कुल 3559 शिकायत एवं मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। उन पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रार्थना पत्र/शिविरवार संलग्न सूची परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र परबतसर में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के शिविरों का रजिस्टर उपखण्ड अधिकारी परबतसर के कार्यालय में उपलब्ध है। पंचायत समिति क्षेत्र परबतसर के लिये शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी परबतसर रहे हैं। शिविरों से सम्बन्धित शिकायत/मांग से सम्बन्धित रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र परबतसर में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के शिविरों के दौरान जिन व्यक्तियों ने भी आवेदन पत्र दिये थे, उनका नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। अभियान के मुख्य-मुख्य 34 कार्यों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। जो व्यक्ति अभियान के दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये, उनके लिये राज्य सरकार द्वारा बहुद्देश्यीय शिविरों का आयोजन प्रति माह प्रति तहसील एक गिरदावर मुख्यालय पर 10 तारीख को प्रति तहसील मुख्यालय पर 25 तरीख को विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद आयोजित किये जायेंगे। वंचित व्यक्ति इन बहुउद्देश्यीय शिविरों में आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शेरगढ़ तहसील क्षेत्र में रिक्त पद

77. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील शेरगढ़ क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों, पटवारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत व कितने कार्यरत तथा कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के राजस्व विभाग के अधीन अधिकारियों/ पटवारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम कार्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़	उपखण्ड अधिकारी	1	1	—
		शीघ्र लिपिक	1	—	1
		वरिष्ठ लिपिक	1	1	—
		कनिष्ठ लिपिक	1	1	—
		च. श्रे. कर्म.	1	1	—
2.	तहसीलदार शेरगढ़	तहसीलदार	1	1	—
		नायब तहसीलदार	2	2	—
		भू.अ.नि/आफिस कानूनगो	7	5	2
		पटवारी	46	35	11
		क. लेखाकार	1	—	1
		तहसील राजस्व लेखाकार	1	—	1

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5	6
		वरिष्ठ लिपिक	3	2	1
		कनिष्ठ लिपिक	9	7	2
		वाहन चालक	1	—	1
		च. श्रे. कर्म.	22	18	4
3.	उप कोषाधिकारी शेरगढ़	उप कोषाधिकारी	1	1	—
		क. लेखाकार	1	—	1
		च. श्रे. कर्म.	1	—	1

(2) जी हां। हाल ही में माह जनवरी, 2011 में 1106 पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है तथा राज्य में पटवारियों के 1984 रिक्त पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात सफल आशार्थियों को पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

राज्य में राजस्व विभाग के अधीन उपखण्ड कार्यालयों में शीघ्र लिपिकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रियाधीन है। अन्य रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु जिला कलक्टर जोधपुर/संभागीय आयुक्त, जोधपुर को लिखा गया है एवं कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, च.श्रे. कर्मचारी एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया गया है।

बाड़मेर आगौर ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

78. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर शहर एवं ग्राम पंचायत बाड़मेर आगौर में कुल कितने सरकारी खसरे हैं एवं उक्त में कितने बीघा जमीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(2) उक्त सरकारी जमीन में से वर्तमान में कितने बीघा खाली है एवं कितने बीघा पर अतिक्रमण किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बाड़मेर शहर एवं ग्राम पंचायत बाड़मेर आगौर में कुल 80 सरकारी खसरे हैं जो राजस्थान सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज है। इसमें 2494.15 बीघा भूमि है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सरकारी जमीन में से वर्तमान में 1942.06 बीघा भूमि खाली है व 552.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है । विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए प्रयास कर रही है। इस अतिक्रमित भूमि को मुक्त करवाने हेतु तहसीलदार बाडमेर द्वारा 148 अतिक्रमियों के विरुद्व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 303 बीघा भूमि से बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये हैं तथा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्यवाही जारी है। शेष अतिक्रमियों के विरूद्ध उक्त प्रावधान के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फूटोलाव व भोण्डाखेड़ा ग्राम (जमवारामगढ़) में गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

79. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम फूटोलाव व भोण्डाखेड़ा में गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? क्या उक्त कारण गत दो वर्षों से महानरेगा में मेड़बंदी कार्य बाधित है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कब से कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम फूटोलाव में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फूटोलाव स्थित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रार्थना पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में स्थित चरागाह भूमि पर से तहसीलदार/नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में जाने हेतु रिकार्ड में आम रास्ता नहीं है? क्या सरकार पंचायत भवन में जाने हेतु रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम फूटोलाव में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत भवन, औषधालय भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार भवन के कार्यालयों में जाने हेतु आम रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र दिया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ स्थित ग्राम पंचायत फूटोलाव में ग्राम फूटोलाव व भोण्डाखेड़ा में स्थित गै.मु. चरागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने से महानरेगा अन्तर्गत मेड़ बंदी का कार्य बाधित नहीं हुआ।

(2) जी हां। ग्राम फूटोलाव में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत दिनांक 13.11.10 को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फूटोलाव स्थित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनकी हलका पटवारी द्वारा जांच कराने पर चरागाह भूमि पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं पाया गया। प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त ग्रामों की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत फूटोलाव में पंचायत भवन में जाने का रास्ता

(राजस्व मंत्री)

पंचायत भवन की उत्तर दिशा की ओर से मुख्य सड़क तक जाने का राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ है जिसका ख.नं. 122 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी ख.नं. 122 में पंचायत भवन, औषधालय भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार घर आदि सरकारी भवन बने हुए हैं। ग्राम फूटोलाव की मुख्य आबादी से भी एक रास्ता इन सरकारी भवनों तक जा रहा है जो खातेदारी भूमियों से होकर जा रहा है। उक्त सरकारी भवनों (पंचायत भवन, पटवार भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, औषधालय) को जाने के लिए दोनों तरफ से मौके पर रास्ता चालू है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

(5) ग्राम पंचायत फूटोलाव में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत भवन, औषधालय भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार भवन आदि के कार्यालय में जाने हेतु आम रास्ता काटने का प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी मौके पर जांच करने पर पाया गया कि इन भवनों को जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख्य सडक से तलाई के पास होकर जाने का रास्ता ख.नं. 122 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके पर चालू है। तथा मुख्य आबादी ग्राम फूटोलाव से भी खातेदारी भूमि से होकर रास्ता उक्त भवनों तक जा रहा है तथा मौके पर चालू है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखीं गयीं)

हरसौली उप तहसील (अलवर) का क्रमोन्नयन

80. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप तहसील को तहसील स्तर का दर्जा देने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उप तहसील हरसौली जिला अलवर को तहसील का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त उप तहसील में कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप तहसील को तहसील स्तर का दर्जा देने के संबंध में कोई नियम बने हुए नहीं हैं।

(राजस्व मंत्री)

राज्य में नई राजस्व इकाइयों का गठन क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखा जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(2) राज्य सरकार के पत्र संख्या प-9 (110)राज-1/2002 दिनांक 25/10/2002 द्वारा तहसील कोटकासिम के नायब तहसीलदार को मुख्यालय हरसौली में अकाल राहत कार्यों व अन्य राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु लगाया गया था। वर्तमान में उक्त व्यवस्था जिले में प्रभावी नहीं है।

ग्राम हरसौली को उप तहसील का दर्जा न तो पूर्व में दिया गया था और न ही वर्तमान में उप तहसील सृजित है। ऐसी स्थिति में हरसौली को तहसील का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 के उत्तर अनुसार उप तहसील सृजित नहीं होने के कारण कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

सहाड़ा में चरागाह, श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण

81. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चरागाह, श्मशान व कब्रिस्तान की भूमि पर कहां-कहां कितने वर्षों से कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जो कि राजस्व तहसील रायपुर, सहाड़ा एवं भीलवाड़ा (आंशिक) में स्थित है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 228 व्यक्तियों द्वारा 102.79 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिनके विरुद्ध राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर जुर्माना आरोपित कर बेदखली की कार्यवाही की गई है। अतिक्रमियों की सूची संलग्न है। श्मशान, कब्रिस्तान की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में अतिक्रमण के प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(2) वर्तमान में क्षेत्र की चरागाह, श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण का कोई प्रकरण विचाराधीन ही नहीं है। उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों पर अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धाउवास ग्राम (जयपुर) की जागीर भूमि का अधिग्रहण

82. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार श्री हरिनारायण की ग्राम धाउवास (धावास) जिला जयपुर की जागीर भूमि अधिगृहित की गई थी? यदि हां, तो अधिगृहित की गई भूमि के खसरा नं. मय रकबा के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) भूतपूर्व जागीरदार श्री हरिनारायण (अथवा हरिनारायण पुरोहित) को उनकी जागीर अधिग्रहण के पश्चात् किस स्थान पर कितनी बीघा भूमि वास्ते खुदकाश्त आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में ग्राम धाउवास जिला जयपुर की खसरा नं. 172, 186 से 188 की भूमि किसके नाम रिकार्ड में दर्ज है? नामान्तरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के पश्चात् जयपुर जिले से संबंधित भूतपूर्व जागीरदारों के नाम/जागीर के नाम के रिकार्ड में हरिनारायण अथवा हरिनारायण पुरोहित के नाम से भूतपूर्व जागीरदारों के नाम/जागीर के नाम के रिकार्ड में हरिनारायण अथवा हरिनारायण पुरोहित के नाम से भूतपूर्व जागीरदार हैं? जयपुर जिले से संबंधित (जयपुर जिले की समस्त तहसील के अनुसार) समस्त भूतपूर्व जागीरदारों के संबंध में विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें। भू.पू. जागीरदार का नाम, जागीर का नाम जहां के जागीरदार थे, कुल रिसम्पशन की गई भूमि का रकबा, खुदकाश्त हेतु आबंटित भूमि का खसरा नं. मय रकबा, खुदकाश्त भूमि जहां आबंटित की गई उस ग्राम का नाम, पट्टा किसके द्वारा जारी किया गया जागीर कमिश्नर अथवा जागीर कलक्टर, खुदकाश्त हेतु आबंटित की गई सम्पूर्ण भूमि का कब्जा दे दिया गया है अथवा उनमें से शेष रही भूमि का कब्जा दिया जाना है?

(श्री विजय बंसल)

(5) उक्त जिले से संबंधित ऐसे कितने भूतपूर्व जागीरदारों के प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें उनकी जागीर रिसम्पशन करने के उपरान्त उन्हें अपने क्लेम के बदले या तो कोई भूमि आबंटित ही नहीं की गई अथवा आबंटित की गई भूमि में से सम्पूर्ण भूमि का कब्जा नहीं दिया? विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें। भू.पू. जागीरदार का नाम, खुदकाश्त हेतु भूमि कब, कहां एवं कितनी आबंटित की गई और उनमें से कितनी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है-दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री हरिनारायण पुरोहित भूतपूर्व जागीरदार तालाब गांव व श्योसिंहपुरा तहसील लालसोट तत्कलीन जिला जयपुर हाल जिला दौसा को ग्राम डिडोल तहसील बस्सी के खसरा संख्या 140 में से 51 बीघा भूमि आबंटित की गयी थी।

(3) वर्तमान में ग्राम धाउवास तहसील जयपुर के खसरा संख्या 172, 186 से 188 की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। श्री हरिनारायण पुरोहित भूतपूर्व जागीरदार तालाबगांव एवं श्योसिंहपुरा तहसील लालसोट तत्कालीन जिला जयपुर हाल जिला दौसा के पूर्व जागीरदार हैं।

जयपुर जिले से सम्बन्धित भूतपूर्व जागीरदारों की रिजम्पशन की गयी भूमि की सूचना जिले की विभिन्न तहसीलों से संकलित की जा रही है। इस सूचना के संकलन में समय लगने की सम्भावना है। शीघ्र ही अलग से सूचना विधायक महोदय द्वारा चाही गयी तालिका में माननीय विधायक को व विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दी जावेगी।

जयपुर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों को आबंटित भूमि का कब्जा दिया अथवा नहीं से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जयपुर जिले से सम्बन्धित भूतपूर्व जागीरदारों के लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति, सूचना व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

कृषि उप निदेशक, करौली को घटिया बीज की प्राप्त शिकायतें

83. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने फ़र्म शिव ट्रेडर्स, हिण्डौन सिटी को राज सीड्स की एजेन्सी दिनांक 18-10-2010 को दी थी? यदि हां, तो शिव ट्रेडर्स के मालिक का नाम मय पता सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फ़र्म द्वारा अधिक दामों पर गेहूं का बीज बेचने व गेहूं का उगाव नहीं होने की शिकायत कृषि उप निदेशक, करौली को प्राप्त हुई? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट सीडस कारपोरेशन लिमिटेड हिण्डौन इकाई ने कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार), करौली से फर्म द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत बीज लाइसेन्स सहित आवेदन करने पर दिनांक 18-10-2010 को निगम का अधिकृत विक्रेता बनाया गया। उक्त फर्म के मालिक का नाम बृजेश कुमार निवासी स्टेशन रोड, हिण्डौन सिटी, पोस्ट हिण्डौन, जिला करौली है।

(2) जी नहीं। शिव ट्रेडर्स, हिण्डौनसिटी से सम्बन्धित अधिक दामों पर गेहूं का बीज बेचने व गेहूं नहीं उगने की शिकायत उप निदेशक कृषि (विस्तार), करौली को प्राप्त नहीं हुई है।

डेगाना के राजीव गांधी कृषक साथी योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

84. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से कितने आवेदन पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उनका निस्तारण कितने समय में किया गया और कितने प्रकरण किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 1 जनवरी, 2009 से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति दिनांक, निस्तारण दिनांक एवं निस्तारण से शेष प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में फसल बीमा का भुगतान

85. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर की किस-किस पंचायत समिति में किस-किस फसली जिन्स के खराबे पर फसली बीमा की राशि का कितना-कितना प्रतिशत भुगतान कहां-कहां किया गया? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फसल बीमा की राशि का प्रतिशत तय करने के क्या-क्या मानदण्ड थे? क्या किसानों से फसल बीमा की सम्पूर्ण राशि प्रीमियम पर जमा करवाने के बाद भी काश्तकारों के खराबे की पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर आंशिक बीमा राशि का भुगतान किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार किसानों को जितनी राशि का बीमा करवाया गया था, उतनी ही राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर की सभी तहसीलों में खरीफ 2009 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी जिसमें 2,87,842 कृषकों द्वारा 7.22 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि जमा कराकर फसलें बीमित कराई गई जिस के विरुद्ध 2,66,417 कृषकों को 165.80 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि देय थी जिसका 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है। फसलवार दिए गए मुआवजे का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

रबी 2009-10 में जोधपुर जिले में केवल मौसम आधारित बीमा योजना की क्रियान्विति की गई जिसमें 61,478 कृषकों द्वारा 2.17 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि जमा कराकर फसलें बीमित कराई गई जिसके विरुद्ध 13,446 कृषकों को 1.87 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि देय थी, जिसका 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है । विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है ।

(कृषि मंत्री)

खरीफ 2010 में जोधपुर सहित समस्त राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना की क्रियान्विति की गई। खरीफ 2010 में 3,43,384 कृषकों द्वारा 8.07 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि जमा कराकर फसलें बीमित कराई गई जिसके विरुद्ध 1,19,873 कृषकों को 1.31 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि देय थी जिसका 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है । फसलवार दिए गए मुआवजे का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। तहसीलवार बीमित कृषक, बीमित राशि, मुआवजा राशि का विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है । राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना में तहसील स्तर तक के आंकड़े नोडल बैंकों/बीमा कम्पनियों द्वारा संधारित किए जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामवार आंकड़े संधारित नहीं किए जाते हैं।

(2) जी हां । राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर मुआवजा राशि तय की जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों में वर्षा की कमी, सूखा दिवस एवं अधिक वर्षा की जोखिम कवर किए गए थे । निर्धारित किए गए मानक ट्रिगर [TRIGGER] से विचलन होने पर ही निर्धारित राशि का मुआवजा देय होता है । सम्पूर्ण बीमित राशि मुआवजे के रूप में दिए जाने का ट्रिगर [TRIGGER] भी निर्धारित है । निर्धारित मानक से 100 प्रतिशत विचलन होने पर ही पूर्ण बीमित राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है । जितना मानक से विचलन होता है उसी अनुरूप मुआवजा देय होता है।

(3) जी नहीं । योजना में निर्धारित किए गए मानकों से विचलन होने पर ही मुआवजा दिया जाता है । यदि मौसम केन्द्र पर निर्धारित मानक से पूर्ण रूप से विचलन होने पर ही पूर्ण बीमित राशि का भुगतान बीमित कृषकों को किया जाता है । पूर्ण बीमित राशि का भुगतान किए जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में बी.पी.एल. परिवारों हेतु आबंटित चीनी

86. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक जिला भरतपुर को

(श्री बहादुर सिंह)
सरकार द्वारा बी पी एल परिवारों को कितनी चीनी वितरण के लिए आबंटित की गई तथा किस तहसील में कितनी चीनी वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मई व जून 2010 में ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण नहीं किया गया? यदि नहीं, तो किस राशन डीलर को कितनी चीनी आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक भरतपुर जिले को सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों हेतु आबंटित व तहसीलवार वितरित लेवी चीनी का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) माह मई, 2010 में 161.5 एवं जून, 2010 में 161.5 मै. टन लेवी चीनी का आबंटन किया गया, परन्तु भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., भरतपुर द्वारा लेवी चीनी का उठाव नहीं करने के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त माहों (मई व जून, 2010) में चीनी का वितरण नहीं हुआ व राशन डीलरों को लेवी चीनी आबंटित नहीं की गई।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

1 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक भरतपुर जिले को बीपीएल परिवारों हेतु आबंटित व तहसीलवार वितरित लेवी चीनी का विवरण

क्र. सं.	माह	आबंटित मात्रा (एमटी)	उठाव (एमटी)	तहसीलवार वितरित मात्रा (एमटी)										
				भरतपुर शहर	ग्रामीण भरतपुर	कुम्हेर	नदबई	डीग	नगर	कामां	पहाड़ी	वैर	बयाना	रूपवास
1.	1/10	161.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2/10	161.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3/10	161.5	161.5	15.2	10.9	10.5	10.8	13.4	13.7	14.8	13.5	25.1	12.0	21.6
4.	4/10	161.5	161.5	15.2	10.9	10.5	10.8	13.4	13.7	14.8	13.5	25.1	12.0	21.6
5.	5/10	161.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	6/10	161.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	7/10	161.5	161.5	15.2	10.9	10.5	10.8	13.4	13.7	14.8	13.5	25.1	12.0	21.6

जिला रसद अधिकारी
भरतपुर

बहरोड़ में गैस आपूर्ति हेतु कार्य योजना

87. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्तमान में किस-किस कम्पनी की गैस ऐजेंसियां संचालित हैं? तथा उनके पास घरेलू एवं व्यावसायिक गैस कनेक्शन कितने-कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त एजेंसिंयों के पास उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण समय पर उपभोक्ताओं को गैस वितरण नहीं हो रही है? क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्तमान में दो गैस एजेन्सियां अधिकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. शहीद सतवीर गैस एजेन्सी (एच.पी.सी.एल.):- इस गैस एजेन्सी के पास घरेलू गैस के डीबीसी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता 5609, एसबीसी 9963, व्यावसायिक कनेक्शन 96 हैं।
2. बहरोड इण्डेन गैस सर्विस (आई.ओ.सी.एल.):- इस गैस एजेन्सी के पास घरेलू गैस डीबीसी 4804 एवं एसबीसी 11476, व्यावसायिक कनेक्शन 153 जारी किये हुये हैं।

(2) जी नहीं, राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वर्तमान में कार्यरत दो गैस एजेन्सियों द्वारा ग्राहकों को रिफिल आपूर्ति करने में कोई बाधा नहीं है। कभी-कभी आपूर्ति कम होने से उपभोक्ताओं को कुछ विलम्ब से रिफिल मिलती है। राज्य स्तरीय समन्वयक की सूचना के अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आई.ओ.सी.एल. द्वारा शाहजहांपुर, बर्डोद एवं दुमरोली में राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना के अन्तर्गत तीन गैस एजेन्सियां स्थापित किया जाना विज्ञापित किया हुआ है।

धौलपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

88. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(1) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन एवं निरस्त करने बाबत नियम निर्धारित किये हुये हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी नियम, परिपत्र तथा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त दुकानों के उचित संचालन के लिये सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से जांच करने बाबत् भी नियम/परिपत्र जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो क्या धौलपुर ज़िले में दुकानों की जांच नियमान्तर्गत की गई है?

(3) विगत दो वर्षों में धौलपुर ज़िले में कितनी शिकायतें उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुई तथा उनमें से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है? उक्त शिकायतों की जांच कार्यवाही तथा निस्तारण संबंधी आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों के ज़रिये उपभोक्ताओं को मिल रहे कैरोसीन व खाद्यान्न आदि वस्तुओं को और अधिक सही एवं पारदर्शी तरीके से वितरित करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु विभाग द्वारा दिशा-निर्देश दिनांक 27.02.2009, 06.10.2009, 30.04.2010 एवं 08.12.2010 जारी किये हुये हैं, जिसके तहत समय-समय पर रिक्त/नवसृजित दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाती है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 के तहत प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। दिशा-निर्देश व नियमों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उचित मूल्य की दुकानों के संचालन एवं उनकी जांच/निरीक्षण के संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी किये हुये हैं, जिसकी पालना में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा नियमित जांच/निरीक्षण किये जाते हैं, जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) धौलपुर जिले में विगत दो वर्षों में 161 उचित मूल्य की दुकानों की शिकायतें प्राप्त हुईं। इन 161 शिकायतों के प्रकरण दर्ज किये जाकर 52 प्रकरणों में जांच कर अनियमितता पाई जाने पर प्रकरणों का निस्तारण किया

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

गया है, शेष 109 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 15 से 21 तारीख की अवधि में उपभोक्ता सप्ताह के दौरान सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विभाग द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी किया जाकर नियंत्रित वस्तुओं की देखरेख एवं निगरानी हेतु जांच एवं निरीक्षण के अधिकार और शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट 4-1 पर संलग्न है। इसके अलावा राज्य स्तरीय दो जांच दलों का गठन किया जाकर जांच एवं निरीक्षण कराये जा रहे हैं। आदेश दिनांक 20.01.2011 की प्रति परिशिष्ट 4-2 पर संलग्न है। जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समितियों का भी गठन कर लिया गया है, जिसके आदेश यथाशीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अनूपगढ़ में नये गोदाम की स्थापना

89. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं?

(2) क्या सरकार गेहूं को सड़ने से बचाने के लिए नये गोदाम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के गोदामों में वर्ष 2010-11 में कितना सरकारी अनाज सड़ चुका है और सरकार गेहूं को सड़ने से बचाने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है।

(2) जी हां। राजस्थान क्षेत्र में गेहूं को सुरक्षित संग्रहित करने के लिए पीईजी-2008 स्कीम के तहत 2.60 लाख मै. टन क्षमता के कवर्ड गोदाम

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

नोडल एजेन्सी राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से निर्मित करवाये जा रहे हैं, जो कि 1 ½ वर्ष में तैयार होंगे।

(3) राजस्थान क्षेत्र में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के गोदामों में वर्ष 2010-11 के दौरान कोई भी अनाज नहीं सड़ा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ (बूंदी) का क्रमोन्नयन

90. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति, बूंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति, बूंदी के खटकड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में आवश्यकता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति बूंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे ।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में आवश्यकता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति बूंदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे!

मकराना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

91. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेल फीमेल नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेब, एक्स-रे स्टाफ के स्वीकृत पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? रिक्त पदों की सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र में भी पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं जिसे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने पर अथवा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा अयोग से चयनित अभ्यार्थियों से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है। लेकिन एस बी सिविल रिट पीटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.10 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मेरीट सूची के आधार पर नियुक्ति के अंतरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु चयनित अभ्यार्थियों को जिला आबंटित किया जा चुका है। प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरा जायेगा।

सहायक रेडियोग्राफर का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है, जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती अवधि
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	1/09
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	10/05
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	10/08
ग्रामीण चिकिसा अधिकारी	1	1/07
ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1	5/10
नर्स श्रेणी द्वितीय	6	4/08(3), 5/10, 9/10 (2)
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	3	2/03, 10/05, 9/10
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	28	11/05, 11/07(13), 7/08, 7/09, 8/09(2), 10/09, 11/09(2), 12/09, 5/10 (4), 9/10, 1/11
सहायक रेडियोग्राफर	1	11/10
लैब टेक्नीशियन	1	1/11

नोट :- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 28 पद रिक्त हैं, परन्तु उनमें से 26 पदों पर अनुबंध (संविदा) वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है।

कुम्भलगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

92. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उसमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चिकित्सा अधिकारियों में से महिला चिकित्सा अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, कुम्भलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाडा में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में महिला चिकित्सक के नाम से अलग से कोई पद स्वीकृत नही है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में अराजपत्रित कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरांन्त यथा सम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता अनुसार भरे जायेंगे।

ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों से यथा सम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता अनुसार भरने के प्रयास किये जा रहे है ।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अंतरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य स्तरीय वरियता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

वार्ड बाय का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरा जावेगा ।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
1	2	3	4
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बी.सी.एम.ओ.)	1	1	05/2010
ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	3	—	—
ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1	1	05/2010

1	2	3	4
नर्स श्रेणी प्रथम	2	1	05/97
नर्स श्रेणी द्वितीय	5	1	08/07
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	02/07
कनिष्ठ लिपिक	1	—	—
लैब टेक्नीशियन	2	—	—
रेडियोग्राफर	1	—	—
वार्ड बाय	6	1	01/07
सफाई कर्मचारी	2	—	—

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनांतर्गत जिला सिरोही को आबंटित राशि

93. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य किये गये? माहवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के अन्तर्गत सिरोही को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना बजट आवंटित किया गया तथा किस-किस योजना में कितना व्यय किस कार्य के लिए किया गया? माहवार, योजना मदवार व व्यय की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के अन्तर्गत आबंटित बजट ग्रामीण क्षेत्र में आमजन के स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम व चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय व आवासीय मकानों की सुविधाओं में ज्यादा व्यय किया गया है? यदि हां, तो क्यों व कितना कहां-कहां किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में एनआरएचएम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

1. जननी सुरक्षा योजना 2. परिवार कल्याण कार्यक्रम 3. चिकित्सा संस्थानों में संविदा (अनुबंध) पर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति 4. उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कक्ष निर्माण 5. चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण 6. चिकित्सा संस्थानों को अनटाइड फंड व वार्षिक रखरखाव 7. मेडिकल मोबाइल यूनिट 8. टीकाकरण ।

उपरोक्त कार्यक्रमों की माहवार स्थिति एवं इन पर किया गया माहवार व्यय परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं

(2) सिरोही जिले को वित्तीय वर्ष जनवरी 2009 से मार्च 2009 तक 288.84 लाख रुपये आबंटित हुए । इसमें से 276.16 लाख रुपये व्यय किए गए । विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक के लिए 756.10 लाख रुपये आबंटित किए गए इसमें से 685.23 लाख रुपये व्यय किए गए। विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 995.45 लाख रुपये आबंटित हुए जिसमें से दिसम्बर 2010 माह तक 730.46 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के अन्तर्गत आवंटित बजट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए ही मुख्यत: व्यय किया जाता है। चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय निर्माण हेतु बजट खर्च नहीं किया गया है। चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय (डयूटी रूम) भी बनाया जाता है। मिशन के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु जारी की गयी स्वीकृतियां भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं स्वीकृति पी.आई.पी. के अनुरूप ही जारी की गयी हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी (भरतपुर) का क्रमोन्नयन

94. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती जाहिदा खान)

(1) क्या सरकार पहाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) अब उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक क्रमोन्नत करने की कार्यवाही पूर्ण होगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी पंचायत समिति नगर के अन्तर्गत आती है । पंचायत समिति नगर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 2.31 लाख है और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। आगामी वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे ।

(2) उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 में अंकित विवरण अनुसार आगामी वर्षो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी (जयपुर) में आवश्यक सुविधाओं हेतु आबंटित राशि

95. **श्रीमती अन्जु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक एवं आई. सी. यू. खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत 50 लाख रुपये का उपयोग किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती अन्जु खन्गवाल)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी (जयपुर) में एफआरयू के रूप में चयनित है। ब्लड बैंक का प्रावधान केवल जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु ही है।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु आवश्यक उपकरण यथा डीजल जनरेटर, माइक्रोस्कोप एवं सेन्ट्रिफ्यूज मशीन एनआरएचएम के माध्यम से सप्लाई किये जा चुके हैं। इस संस्था में ब्लड स्टोरेज यूनिट का लाइसेंस दिनांक 19.04.2010 को प्राप्त हो चुका है। उक्त केन्द्र पर ब्लड डोनेशन कैम्प शीघ्र ही आयोजित कर ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू किया जाना प्रस्तावित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आई.सी.यू. खोले जाने का प्रावधान नही है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी में मिशन निदेशक एनआरएचएम राजस्थान के आदेश दिनांक 06.09.2010 के द्वारा रुपये 50 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति के अन्तर्गत ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय मय दो स्टाफ रूम, 1 मीटिंग हाल एवं औषधि भण्डार गृह हेतु 3 कमरों का निर्माण कार्य किया जाना है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है एवं इस पर अभी कोई व्यय नहीं किया गया है। यह कार्य माह जुलाई 2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण व आवश्यकता के अनुसार पंचायत समिति बस्सी के 2 ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण/अनुदान

96. **श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को गत पांच वर्षों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि का ऋण/अनुदान दिया गया ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को गत पांच वर्षों (वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक) में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभिन्न गतिविधियों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत कुल 3135.01 करोड़ रुपये की राशि ऋण/अनुदान के रूप में तथा 38.64 करोड़ रुपये की सामग्री प्राप्त हुई है। मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-अ

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को गत पांच वर्षों (वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक) में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत प्राप्त ऋण/अनुदान राशि एवं सामग्री का विवरण निम्नानुसार है

ऋण/अनुदान **(राशि रुपये करोड़ों में)**

क्र. सं.	मद का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :						
1.	आरसीएच फ्रलेक्सीपूल	40.01	105.22	157.07	297.44	181.50	781.24
2.	एनआरएचएम के अन्तर्गत अतिरिक्त गतिविधियां	33.55	187.63	266.36	227.23	227.51	942.27
3.	रूटीन इम्यूनाइजेशन	11.41	0.75	2.15	12.18	6.51	33.00
4.	पल्स पोलियो टीकाकरण	7.23	12.54	14.30	24.50	22.65	81.23

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अन्य रोग कार्यक्रम	20.13	16.32	24.95	31.97	28.00	121.37
6.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (अवसंरचना रखरखाव)	133.67	132.02	185.28	196.53	272.26	919.76
	कुल योग	**246.00**	**454.48**	**650.11**	**789.85**	**738.43**	**2878.87**
ब	**राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना**	24.92	48.18	71.89	67.32	43.83	256.14
	महायोग	**270.92**	**502.66**	**722.00**	**857.17**	**782.26**	**3135.01**

सामग्री

क्र. सं.	**मद का नाम**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**कुल योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	103-एमसीएच	6.45	4.95	—	—	—	11.40
2.	200-अन्य व्यय	4.30	10.88	5.35	4.20	2.51	27.24
	कुल योग	**10.75**	**15.83**	**5.35**	**4.20**	**2.51**	**38.64**

निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जयपुर के अधीन मृत आश्रित की नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

97. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निदेशालय, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवायेंएं राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक : ई 12/एम (1430)मृ.आ/09 दिनांक 27-7-09 एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक स्था 111/2009/4295 दिनांक 8-9-09 के क्रम में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है? इस संबंध में किये गये समस्त पत्राचार की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रार्थी श्री शब्बीर हुसैन स्व. बली मोहम्मद गोरी के आवेदन करने के पश्चात् अन्य आवेदकों को नियुक्ति दे दी गई? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब एवं क्यों और इसको अभी तक भी नियुक्ति नहीं देने एवं इतने विलम्ब के क्या-क्या कारण रहे? नामवार सूची मय कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त पक्षपातपूर्ण कार्य को उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर व नहीं, तो इसके लिये सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त को अभी भी नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) निदेशालय के पत्र क्रमांक 735 दिनांक 27.7.09 के द्वारा श्री शब्बीर हुसैन पुत्र स्व. श्री वली मोहम्मद गौरी को मृतक आश्रित नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति देने के प्रकरण में आश्रित के मूल आवेदन पत्र दो प्रतियों में भाग संख्या 1 व 5 तक की पूर्ति कर भिजवाने बाबत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को लिखा गया। जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक स्था-111/2009/4295 दिनांक 8.9.09 के द्वारा मृतक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रकरण निदेशालय में भिजवाये जाने पर प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

गया की मृतक आश्रित के द्वारा करीब 18 वर्ष की अवधि के पश्चात् नियुक्ति हेतु आवेदन करने के फलस्वरूप नियुक्ति हेतु समय सीमा में शिथिलता प्रदान करने के लिए एकल पत्रावली निदेशालय की डायरी सं. 414 दिनांक 20.5.10 के द्वारा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को भिजवाई गई।

इस संबंध में निदेशालय के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 30.8.10, 802 दिनांक 7.9.10, 953 दिनांक 18.10.10 एवं 1132 दिनांक 22.12.10 के द्वारा कार्मिक विभाग को स्मरण पत्र लिखे गये। प्रतियां परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

कार्मिक क-2 विभाग ने उनके आई.डी. क्रमांक 722/कार्मिक/क-2 दिनांक 10.2.2011 के द्वारा प्रकरण में विलम्ब अवधि 20 वर्ष 5 माह 12 दिन होने के कारण उच्च स्तर पर निर्णयाधीन है।

(2) जी हां। शब्बीर हुसैन पुत्र स्व. श्री वली मोहम्मद गौरी उदयपुर के आवेदन करने के पश्चात मृतक आश्रित आवेदकों जिनके द्वारा मृतक आश्रित नियम 1996 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई थीं, को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है जिसकी सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

श्री शब्बीर हुसैन के प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए अभी तक शिथिलता नही दी गयी है एवं प्रकरण उच्च स्तर पर निर्णयाधीन बताया है। अतः नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।

(3) श्री शब्बीर हुसैन के प्रकरण में पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। प्रकरण अत्याधिक देरी से प्रस्तुत होने के कारण शिथिलता हेतु कार्मिक विभाग में उच्च स्तर पर लम्बित है।

(4) कार्मिक विभाग से शिथिलता प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कार्यालय औषधि नियंत्रक, राजस्थान के अधीन रिक्त पद

98. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में औषधि नियंत्रक राजस्थान के अधीन किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं एवं उक्त में से कितने-कितने पद

(श्री सुन्दरलाल)

किस-किस संवर्ग के कब-कब से रिक्त हैं? जिलेवार/पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) औषधि नियंत्रण संगठन, राजस्थान के अधीन वर्तमान में 2-औषधि नियंत्रक, 25-सहायक औषधि नियंत्रक एवं 70-औषधि नियंत्रण अधिकारियों के पद सृजित है। औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों के रिक्त पदों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रकों एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन्हें शीघ्र ही भरा जायेगा ।

परिशिष्ट-अ

औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों के रिक्त पदों की जिलेवार सूचना

औषधि नियंत्रक

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	मुख्यालय	01	01.11.2010 (सेवानिवृति पर)
सहायक औषधि नियंत्रक			
1.	सीकर	01	01.03.2011 (सेवानिवृति पर)
2.	श्रीगंगानगर	01	दिनांक 14.07.2009 से श्री हीरालाल बंसल को आदेशों की प्रतिक्षा में किये जाने पर
3.	चित्तौड़गढ़	01	01.11.2010 (सेवानिवृति पर)
4.	स. माधोपुर	01	21.09.2010 से स्थानान्तरण पर

1	2	3	4
5.	अजमेर	01	दिनांक 05.06.2009 से श्री सी.बी. गुप्ता को आदेशों की प्रतिक्षा में किये जाने पर
6.	नागौर	01	दिनांक 24.05.2010 से नवसृजित पद
7.	झालावाड़	01	दिनांक 24.05.2010 से नवसृजित पद
8.	बाड़मेर	01	दिनांक 24.05.2010 से नवसृजित पद
9.	जयपुर (मुख्यालय)	02	दिनांक 24.05.2010 से नवसृजित पद
10.	जयपुर	02	दिनांक 24.05.2010 से नवसृजित पद

औषधि नियंत्रण अधिकारी

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	जयपुर (मुख्यालय)	02	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
2.	जयपुर	03	दिनांक 24.5.2010 से नवसृजित पद
3.	धौलपुर	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
4.	करौली	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
5.	डूंगरपुर	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
6.	जैसलमेर	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
7.	बारां	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
8.	कोटा	03	दो पद दिनांक 24.5.2010 से नवसृजित तथा एक पद स्थानान्तरण से रिक्त
9.	चूरू	01	स्थानान्तरण पर रिक्त
10.	टोंक	01	स्थानान्तरण पर रिक्त

1	2	3	4
11.	अजमेर	02	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
12.	नागौर	01	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
13.	अलवर	03	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
14.	भरतपुर	02	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
15.	सीकर	01	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
16.	उदयपुर	03	दो पद दिनांक 24.5.2010 से नवसृजित तथा दो पद स्थानान्तरण से रिक्त
17.	हनुमानगढ़	01	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
18.	श्रीगंगानगर	01	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
19.	जोधपुर	03	दो पद दिनांक 24.5.2010 से नवसृजित तथा दो पद स्थानान्तरण से रिक्त
20.	प्रतापगढ़	01	दिनांक 24.5.2010 से दो पद नवसृजित
21.	बीकानेर	04	दो पद दिनांक 24.5.2010 से नवसृजित तथा दो पद स्थानान्तरण से रिक्त

नोट :-

1. श्री दिवाकर पटेल, औषधि नियंत्रण अधिकारी के पद पर कार्यरत है, परन्तु उन्हें सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पद विरुद्ध लगा रखा है।
2. श्री संजय सिंघल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में कार्य सम्पादन हेतु लगा रखा है।
3. श्री राजकमल छीपा, औषधि नियंत्रण अधिकारी वर्तमान में निलम्बित है।

राजसमंद के चिकित्सालयों में रिक्त पद

99. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसंमद में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के अन्तर्गत 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण) स्वीकृत हैं, जिनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नही है ।

(2) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अतरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य स्तरीय वरियता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यार्थियों का चयन कर जिला आबंटित किया जा चुका है। रिक्त पदों को यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे।

कनिष्ठ लिपिक एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जावेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार हैं

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती अवधि
1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांकरोली	चिकित्सा अधिकारी	1	-	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	1/2011
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	—
	लैब टैक्नीशियन	1	-	—
	कनिष्ठ लिपिक	1	1	8/2009
	वार्ड बाय	1	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुवारिया	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वार्ड बाय	2	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवा	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	कनिष्ठ लिपिक	1	—	—
	वाहन चालक	1	—	—
	वार्ड बाय	1	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	3/2006
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोही	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वार्ड बाय	2	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपली आचार्यान	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—

1	2	3	4	5
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	8/2009
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	कनिष्ठ लिपिक	1	—	—
	वार्ड बाय	1	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साकरोदा	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1/2001
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1/2001
	वार्ड बाय	1	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ी	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	1	1997
	वार्ड बाय	2	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपली अहिरान	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—

1	2	3	4	5
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वार्ड बाय	2	1	12/07
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिलुण्ड	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वार्ड बाय	2	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरज	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1/2011
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	—	—
	लैब टैक्नीशियन	1	—	—
	वाहन चालक	1	—	—
	वार्ड बाय	1	—	—
	सफाई कर्मचारी	1	—	—

औषध नियंत्रकों को निरीक्षण हेतु निर्धारित मानदण्ड

100. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दवा निर्माता कम्पनीज/फैक्ट्रीज में उत्तम एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप दवा उत्पादित/निर्मित हो, इस हेतु औषध नियंत्रण का पृथक् सैल कार्यरत है? यदि हां, तो औषध नियंत्रक प्रथम एवं द्वितीय के अधीन कितने-कितने जिलों का पृथक्-पृथक् प्रकार है तथा उनके अधीन कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं? उत्पादित दवाओं के निर्धारित मानदण्डों एवं निरीक्षण के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जयपुर संभाग में कितने-कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा कहां-कहां का किन-किन दवा निर्माता फैक्ट्रीज का कब-कब निरीक्षण किया और कितने सैम्पल्स लिये गये तथा किन-किन का मानकों के विपरीत दवाओं के कितने प्रकरण प्रकाश में आये?

(3) गत दो वर्षों में औषध नियंत्रक प्रथम/द्वितीय द्वारा जयपुर जिले की किन-किन दवा फैक्ट्रीज, दवा कम्पनीज का कब-कब ओचक निरीक्षण किया व कितने-कितने सैम्पलस् लिये गये और क्या-क्या अनियमितताएं पायी गईं एवं क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और औषध नियंत्रक के क्या-क्या कार्य निर्धारित हैं?

(4) नकली दवाओं के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए औषध नियंत्रक संगठन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं व इस हेतु सरकार ने क्या कार्य-योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। औषधि नियंत्रण संगठन में औषधि नियंत्रक के 2 पद स्वीकृत हैं। औषधि नियंत्रक-प्रथम के पास 16 जिलों व औषधि नियंत्रक-द्वितीय के पास 17 जिलों का कार्यभार है तथा उनके अधीन जिलों में कार्यरत औषधि नियंत्रण अधिकारी (औषधि निरीक्षक) उनके अधीन है।

उत्पादित दवाओं के निर्धारित मानदण्डों का उल्लेख ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 के द्वितीय शेड्युल (परिशिष्ट-अ) में प्रस्तुत है। तथा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्माताओं के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 52 परिशिष्ट-ब में प्रस्तुत है।

(2) औषधि नियंत्रण अधिकारियों (ड्रग इंस्पेक्टर्स) द्वारा गत दो वर्षों में जयपुर सम्भाग के दवा निर्माता फैक्ट्रीज के 123 निरीक्षण किये गये एवं 10 दवाओं के नमूने लिये गये जिनमें से 04 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा कोई नमूना अवमानक नहीं पाया गया है सूचना परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत हैं।

(3) औषधि नियंत्रक स्वयं के द्वारा फैक्ट्रीज के निरीक्षण नहीं किये जाते हैं और न ही नमूने लिये जाते हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सिग आथोरिटी एवं नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचित किया हुआ है, जिनकी शक्तियां उक्त नियमावली के नियम 69, 85 व नियम 50 में उल्लेखित है परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(4) नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने हेतु औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा औषधि निर्माताओं तथा विक्रेताओं की दुकानों व फैक्ट्रीयों के नियमित निरीक्षण करवाये जाते हैं तथा जांच हेतु औषधियों के नमूने लिये जाते हैं। नकली पाये जाने पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है तथा अवमानक होने की स्थिति में संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक द्वारा निर्माता के लाइसेंस/प्राडेक्ट्स अनुमति को निरस्त अथवा निलम्बित करने की कार्यवाही की जाती है।

औषधि नियंत्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2010-11 में 25 नये पद औषधि नियंत्रण अधिकारियों के तथा 07 नये पद सहायक औषधि नियंत्रकों के सृजित किये गये हैं। जिससे नकली दवाओं के कारोबार पर शिकंजा और मजबूती से कसा जा सकेगा।

मुख्यालय पर सहायक औषधि नियंत्रक के नेतृत्व में "नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ" का गठन कर अधिकारी को पदस्थापित किया गया है।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रतनगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

101. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजकुमार रिणवां)

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़, राजलदेसर व छापर के कौन-कौन से अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक, महिला चिकित्सक, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम. व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र, रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में भी पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नती समिति की बैठक आयोजित होने पर यथा संभव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से तथा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरांन्त यथा सम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकतानुसार भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अंतरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य स्तरीय वरियता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नती समिति की बैठक आयोजित होने पर यथा सम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से तथा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरांन्त यथा सम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24/25.11.2010 को नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जा चुके हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के अंतरिम आदेश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर राज्य स्तरीय वरियता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़, राजलदेसर व छापर के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक, महिला चिकित्सक, नर्स श्रेणी-प्रथम-द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों का संख्या विवरण	रिक्ति अवधि
1	2	3	4
सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़	वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	5/10
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	10/09
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1	08/09
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	03/10
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	08/10
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ऐनेस्थेसिया)	1	10/10
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	06/10
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	05/10
	चिकित्सा अधिकारी	8	07/07 07/08 09/08 08/09 05/10 11/10 01/11 01/11
	चिकित्सा अधिकारी	5	06/10 (5)
	चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	06/07
	नर्स श्रेणी प्रथम	6	04/91 (6)

1	2	3	4
	नर्स श्रेणी द्वितीय	24	08/09 (4) 10/09 (3) 12/09 (1) 06/10 (10) 11/10 (2) 01/11 (2) 12/10 (1) 09/07 (1)
	वार्ड बाय	1	06/10
जिला क्षय निवारण केन्द्र, रतनगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी.)	1	04/09
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	11/04, 06/07, 07/08
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजलदेसर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	05/07
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	06/08
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	05/10
राजकीय डिस्पेंसरी, छापर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	12/09
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	02/11
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	12/09
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खडेराबड़ा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	05/10
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुसुमदेसर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	01/11
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोगलिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	01/11
उप स्वास्थ्य केन्द्र, आलसर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	01/10

सीकर जिले में विद्युत लाइनों की स्थापना हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

102. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर वृत्त में इस वित्तीय वर्ष में 132, 220, 440 एवं 770 के.वी.ए. ग्रिड सब-स्टेशन की लाइनें डाली जा रही हैं? यदि हां, तो कहां से कहां तक?

(2) उक्त लाइनें जिन किसानों के खेतों से गुजर रही हैं, क्या उनको भूमि, फसल एवं पेड़ों के बदले मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितना?

(3) सरकार द्वारा टावर लगाने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि तथा फसल एवं पेड़ों के मुआवजे की क्या दरें निर्धारित हैं? दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर वृत्त में केवल 132 के.वी. की निम्नलिखित लाइनें डाली जा रही हैं :-

1. 132 के.वी. लाइन धोद - लोसल
2. 132 के.वी. लाइन धोद – काछवा
3. 132 के.वी. लाइन रीको – रींगस जीएसएस (I/A)
4. 132 के.वी. लाइन श्रीमाधोपुर – थोई
5. 132 के.वी. लीलो आंतरोली लाइन
6. 132 के.वी. लाइन रानोली – खंडेला मोड़
7. 132 के.वी. लाइन मनोहरपुर – अजीतगढ़

(2) जिन किसानों के खेतों से होकर उपरोक्त हाइटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, उनका भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 164 के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा देय नहीं है। फसल एवं फलदार पेड़ों की मुआवजा राशि राज्य सरकार से संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कृषि अधिकारी द्वारा निर्धारित एवं सत्यापित करने के बाद निगम द्वारा संबंधित व्यक्ति को दी जाती है। वर्तमान में रुपये 88519 (अट्ठासी हजार पांच सौ उन्नीस) राशि का मुआवजा दिया जा चुका है एवं अनुमानित रुपये तीन लाख का मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) टावर बनाने में एवं तारों के नीचे आने वाली भूमि का वर्तमान में कोई भी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। केवल खड़ी फसल एवं फलदार पेड़ों के नुकसान की मुआवजा राशि संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कृषि अधिकारी द्वारा निर्धारण एवं सत्यापन के अनुसार निगम द्वारा संबंधित व्यक्ति को दी जाती है।

विराट नगर तहसील में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

103. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील विराटनगर में 132 केवी का एक भी ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है जबकि सम्पूर्ण तहसील कृषि सिंचित क्षेत्र है तथा आये दिन विद्युत आपूर्ति सही नहीं होने की शिकायत आती रहती है? क्या सरकार विराटनगर तहसील में 132 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 11/33 केवी के कितने ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां प्रस्तावित हैं तथा यह कब तक स्वीकृत होंगे?

(3) पाछूडाला, जोधपुरा, खेलना व तुलसीपुरा में स्वीकृत 11/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे?

(4) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन लाडकाबास कब स्वीकृत हुआ एवं यह कब बन कर तैयार हुआ तथा उसके प्रवाह लाइन कब-कब किस-किस फिडर में शुरू की गयी तथा इस पर कुल कितनी लागत आयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील विराटनगर में 132 केवी का एक भी ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है। तहसील विराटनगर में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जायेगा।

(2) पंचायत समिति विराटनगर में ग्राम खेलना में 33/11 केवी का सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्य स्थानों पर सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) ग्राम खेलना में 33/11 केवी के सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2011-12 में पूर्ण कर लिया जाना लम्बित है। ग्राम पाछूडाला, जोधपुरा व तुलसीपुरा में 33/11 केवी के सब-स्टेशन के प्रस्ताव परीक्षण के अनुसार वर्तमान नीति के अनुरूप तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य नहीं है। भविष्य में साध्यता के अनुसार स्वीकृत कर बनाये जा सकेंगे।

(4) 132/33 केवी के ग्रिड सब-स्टेशन लाडकाबास (पावटा) दिनांक 20.3.2008 को स्वीकृत किया गया था। यह सब-स्टेशन 24.3.2010 को बनकर पूर्ण हो गया। उक्त ग्रिड सब-स्टेशन से 33 केवी के निम्नांकित फीडर प्रस्तावित थे जिसमें 33 केवी आंतेला, किशनपुरा-धुलेट, पावटा, प्रागपुरा, मण्डा भूरी-भडाज है। इनमें से एक 33 केवी फीडर पावटा-बडनगर को दिनांक 16.12.2010 को 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन लाडा का वास से जोड़कर विद्युत प्रवाह किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है, उक्त ग्रिड सब स्टेशन की कुल लागत 5,01,65,717 रुपये आयी है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन के लम्बित आवेदन पत्र

104. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से घरेलू बिजली कनेक्शन के आवेदन पत्र लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा घरेलू बिजली हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कितना व इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा यह कब तक सम्भव हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 2010-11 में ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कुल 339169 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में स्वीकृत योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 251380 घरेलू कनेक्शन और दिये जाने प्रस्तावित हैं। जिनका कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां । भारत सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की थी । इस योजना के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत आबाद ग्रामों का विद्युतिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों तक विद्युत तंत्र की स्थापना कर 2011 तक विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में 1749818 बी.पी.एल. व 479597 सामान्य कुल 2229415 ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों को घरेलू कनेक्शन देना प्रस्तावित हैं। माह जनवरी 2011 तक 913592 बी.पी.एल. व 639724 सामान्य कुल 1553316 आवासों को घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में सम्मिलित होने से वंचित रह गई 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों को सम्मिलित करते हुए राज्य के 22 जिलों की पूरक योजनाएं बनाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई हैं तथा शेष जिलों की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड से स्वीकृति उपरान्त इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाकर इसमें सम्मिलित ढाणियों व आवासों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

100 आबादी से कम आबादी वाली ढाणियों/छितराये हुए क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र में गैर आबादी क्षेत्रों के परिवारों के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जोधपुर डिस्काम में नियम विरुद्ध पदोन्नति

105. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डिस्काम में एक बाबू को टेक्नीकल असिस्टेंट (इंजीनियर) के पद पर लगाया गया था? यदि हां, तो किस अधिकारी ने किन नियमों के तहत? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी तकनीकी पद पर इस तरह से तदर्थ व्यवस्था पर पदस्थापन करना नियमों के विपरीत है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जोन में कार्यरत सब-स्टेशन अटेंडर द्वितीय को नियम विरुद्ध अपने व्यक्तिगत फायदे के तहत पदोन्नत कर कार्यालय अधीक्षक, प्रथम के पद पर गैर कानूनी रूप से नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा एवं अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? संबंधित नियुक्ति/पदोन्नति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जोधपुर डिस्काम, हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 2454 दिनांक 25.10.10 द्वारा वरिष्ठ लिपिक श्री किशन तायल को तकनीकी सहायक एवं अनुभाग अधिकारी के अवकाश पर होने या टूर पर होने पर उनके द्वारा अनुमोदित पत्रों एवं रूटीन कार्यालय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था। उक्त व्यवस्था अधीक्षण अभियन्ता ने कार्य व्यवस्था के रूप में की। उक्त आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। संबंधित अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जोधपुर डिस्काम, हनुमानगढ़ को सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्काम के पत्र क्रमांक 990 दिनांक 22.11.10 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(3) बीकानेर जोन में कार्यरत किसी भी सब-स्टेशन अटेण्डेन्ट द्वितीय को पदोन्नत कर कार्यालय अधीक्षक प्रथम के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

प्रपत्र-अ

JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED HANUMANGARH
OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER

No. JVNL/SE/06/HM/Es./00 Date 25.10.2010

OFFICE ORDER

Looking to the vacant post of Section Officer, Sh. Krishan Tayal UDC of this office is hereby ordered to look after the work of the post of Section Officer (OGM), JOVVNL, Hanumangarh as well as TA to superintending Engineer (OGM) JVVNL, Hanumangarh in absence of the officer so posted against said post either on tour or leave, in addition to his own duties and hereby authorized to sign all the official papers duly approved by the undersigned & routine official work fill The joing of section officer or further orders.

Superintending Engineer (OGM)

झालावाड़ जिले के कृषकों को नियमित विद्युत आपूर्ति

106. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला झालावाड़ के किसानों को ट्रिपिंग मुक्त बिजली मिल रही है? यदि नहीं, तो क्या कुछ खास उपकरणों की कमी के कारण यह बिजली में ट्रिपिंग आ रही है?

(2) क्या सरकार किसानों को ट्रिपिंग मुक्त बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले के किसानों को सामान्यत ट्रिपिंग मुक्त बिजली मिल रही है । अपवाद स्वरूप कभी–कभी विद्युत लाइन में फाल्ट आने के कारण या ओसीबी अथवा ट्रांसफार्मर आदि खराब होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या आ जाती है जिसे शीघ्र ही ठीक कर विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी जाती है।

(2) जी हां। तकनीकी कारणों से विद्युत आपूर्ति में कभी कभी व्यवधान आ जाता है, जिसे कम करने हेतु विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

फ्लाई ऐश के आवंटन में अनियमितता

107. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 6 नवम्बर, 2008 के तहत 20 प्रतिशत ड्राई ईएसपी फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्लाक व टाइल्स बनाने वालों को वरीयता पर दिया जाना प्रस्तावित है?

(2) उक्त नोटिफिकेशन के बाद 20 प्रतिशत फ्लाई ऐश में से कितनी-कितनी ईंट, टाइल्स व ब्लाक बनाने वाले उद्योगों को दी गई व कितनी अन्य को और किन कारणों से दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) कोटा एवं छबड़ा थर्मल से निकलने वाली फ्लाई ऐश किन अधिकारियों द्वारा लघु उद्योगों को नहीं दी जाकर इनके लिये आरक्षित फ्लाई

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

ऐश को सीमेंट उद्योगों को गत 3 वर्षों में वर्षवार व उद्योगवार कितने-कितने प्रतिशत आबंटन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) नोटिफिकेशन के मानदण्डों के विपरीत गत 3 वर्षों में फ्लाई ऐश के गलत एवं अनियमित आबंटन के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिस दिनांक 6 नवम्बर, 2008 एवं तत्पश्चात फाइनल गजट नोटिफिकेशन दिनांक 3 नवम्बर, 2009 के तहत 20 प्रतिशत ड्राई ईएसपी फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्लाक व टाइल्स बनाने वालों को अधिमानता के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है और यदि ऐसे उद्योगों की मांग, मात्रा 20 प्रतिशत से कम हो जाती है तो शेष मात्रा का यथासम्भव विद्युत केन्द्र द्वारा विक्रय या व्ययन किया जा सकता है।

(2) उक्त नोटिफिकेशन के तहत उत्पादन निगम के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा वर्तमान में इन लघु उद्योगों की आवश्यकतानुसार फ्लाई ऐश उपलब्ध कराई जा रही है। इन लघु उद्योगों को देने के बाद बची हुई फ्लाई ऐश या जो सीमेन्ट कम्पनियां अपना आबंटित राख नहीं उठाती उसको अन्य उद्योगों को दे दी जाती है। वर्तमान में इन छोटे उद्योगों की आवश्यकता 10 प्रतिशत से कम है एवं भविष्य में इनकी आवश्यकता बढ़ने पर इनको 20 प्रतिशत तक अधिमानता के आधार पर दी जायेगी।

कोटा थर्मल पावर स्टेशन विगत 10 महीनों (अप्रैल-10 से जनवरी-11) में उद्योगों को आपूर्ति की गई राख का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन द्वारा विगत 10 महीनों (अप्रैल-10 से जनवरी-11) में उद्योगों को आपूर्ति की गई राख का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन द्वारा विगत 10 महीनों (अप्रैल-10 से जनवरी-11) में उद्योगों को आपूर्ति की गई राख का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 11 जून, 2010 से प्रारम्भ हुआ है। इस परियोजना के आस-

(ऊर्जा मंत्री)

पास ईंट, टाइल्स व ब्लाक बनाने वाले लघु उद्योग कम मात्रा में हैं जिनको उनकी आवश्यकतानुसार राख उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) कोटा एवं छबड़ा थर्मल स्टेशन द्वारा लघु उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार फ्लाई ऐश उपलब्ध कराई जाती है एवं वर्तमान में किसी भी उपयोगकर्ता का आवेदन लम्बित नहीं है। बची हुई फ्लाई ऐश जो ये उद्योग नहीं ले पाते या सीमेन्ट कम्पनियां अपना आबंटित राख नहीं उठाती उसको अन्य उद्योगों को दे दी जाती है जिससे राख का पूर्ण निस्तारण किया जा सके। पिछले 3 वर्षों में कोटा थर्मल पावर स्टेशन में फ्लाई ऐश का लगभग 100 प्रतिशत निस्तारण किया गया है। विगत 3 वर्षों में कोटा थर्मल द्वारा दी गई राख का उद्योगवार विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 11 जून, 2010 से प्रारम्भ हुआ है। इस परियोजना के आस-पास ईंट, टाइल्स व ब्लाक बनाने वाले लघु उद्योग कम मात्रा में हैं जिनको उनकी आवश्यकतानुसार राख उपलब्ध करवाई जा रही है। ईंट भट्टा व्यवसायी यदाकदा छबड़ा परियोजना से राख ले जाते हैं।

(4) भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार उपरोक्त उत्तर-2 में वर्णित प्रक्रिया से उत्पादन निगम के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश का निस्तारण किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बड़ी सादड़ी के अविद्युतीकृत गांव/ढाणियां

108. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्तर के सर्वे के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सैकड़ों गांव/ढाणी आज भी अविद्युतीकृत हैं? यदि हां, तो पंचायतवार उक्त अविद्युतीकृत गांव/ढाणियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अविद्युतीकृत ढाणियों में से 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों का विद्युतीकरण वर्तमान में शुरू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं 100 से कम आबादी वाली ढाणियां निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाली ढाणियों का विद्युतीकरण मुख्य मंत्री

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

सबके लिए विद्युत योजना में किया जाना स्वीकृत/प्रस्तावित है? यदि हां, तो पूर्ण/अपूर्ण प्रस्तावित कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने तथा प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ कराने तथा उक्त अविद्युतीकृत ढाणियों को उक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 305 गांव में से 299 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं, इनमें से 6 गांव अविद्युतीकृत हैं, जिनमें से 3 गांव रेठा, रूडा एवं गढवेला वन आच्छादित क्षेत्र में हैं, एक गांव–करमाखेडा डूब क्षेत्र एवं छितराई आबादी में है एवं दो गांव–पीपलापानी एवं कुण्डवा रूण्डी का विद्युतीकरण कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अविद्युतीकृत गांव एवं ढाणियों का पंचायत वार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 100 से अधिक की आबादी वाली 160 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसका विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है । शेष रही 100 से अधिक आबादी वाली 109 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अन्तर्गत किया जा रहा है। 100 से कम आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में दिनांक 31.3.2010 तक प्राप्त आवेदनों को विद्युतीकरण कर निस्तारित किया जा चुका है।

(3) विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति उपरान्त शीघ्र पूर्ण कराया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीडूंगरगढ़ में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

109. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 2009-10 में किसानों को

(श्री मंगलाराम गोदारा)

कितने नये कृषि कनेक्शन दिये गये? क्या जिन-जिन किसानों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया था उन सभी को कृषि कनेक्शन दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए सामान तो दे दिया जाता है लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त क्षेत्र में किसान का ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे जल्दी से बदल के नहीं दिया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2010 तक कितने 33 व 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हुए व कितने ग्रिड सब-स्टेशन बनाये गये व किस-किस गांव में बनाये गये? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में वर्ष 2009-10 में कुल 1319 किसानों को नये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं।

दिनांक 31.12.2007 तक आवेदित सभी 1837 किसानों के मांग पत्र वर्ष 2009-10 में जारी किये गये थे । उनमें से 1710 आवेदकों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करायी गई। फरवरी 2011 तक 1672 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं, शेष 38 आवेदकों का लाइन कार्य पूर्ण हो चुका है व ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन जारी किये जा रहे है।

(2) किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु प्रथम चरण में विद्युत लाइन का सामान दिया जाता है तथा लाइन कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय चरण में मीटर युक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाता है।

वर्ष 2010-11 में फरवरी माह तक 746 ट्रांसफार्मर जले हैं, उनके सापेक्ष 687 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं। शेष 59 ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 2009 से 2010 तक चार 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से चालू (Commissioned) ग्रिड सब-स्टेशनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	ग्रिड सब स्टेशन का नाम	चालू (Commissioned) करने की दिनांक
1.	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन दुल्चासर में	31.7.2009
2.	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन रिडी में	24.6.2010

एवं स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	ग्रिड सब स्टेशन का नाम	चालू (Commissioned) करने की दिनांक
1.	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन उपनी में	31.7.2009
2.	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन लालम देसर बडा में	24.6.2010

वर्ष 2009-10 तक 33/11 के.वी. के कुल 17 सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये थे। उनमें से 8 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। शेष 9 का कार्य प्रगति पर है। विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	स्थापित सब-स्टेशन/गांव का नाम	प्रगति स्थापना	
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2009-10
1	2	3	4
1.	सालासर	मार्च-09	—
2.	राजेड़ू	मार्च-09	—
3.	जोधासर	—	मार्च-10
4.	कुन्तासर	—	अप्रैल-10
5.	सांवतसर-द्वितीय	—	अप्रैल-10
6.	कल्याणसर पुराना	—	अगस्त-10
7.	पुनरासर	—	फरवरी-10
8.	कुन्पालसर	—	फरवरी-10

1	2	3	4
9.	जाखासर	—	कार्य प्रगति पर है।
10.	बैनीसर	—	कार्य प्रगति पर है।
11.	जैतासर	—	कार्य प्रगति पर है।
12.	उदरासर	—	कार्य प्रगति पर है।
13.	सातलेरा	—	कार्य प्रगति पर है।
14.	सोनीयासर गोदारा	—	कार्य प्रगति पर है।
15.	सारणा जोहड (बाना)	—	कार्य प्रगति पर है।
16.	रजाणा जोहड (बाना)	—	कार्य प्रगति पर है।
17.	कोटासर	—	कार्य प्रगति पर है।

नगर में नवीन पशु चिकित्सालय

110. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं? उक्त चिकित्सालयों में कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव सुन्दरावली, मानोता कलां, जालूकी, पालका, पान्होरी, सेउ, खोह जनूथा में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में 5 पशु चिकित्सालय क्रमशः नगर, गुलपाडा, सीकरी, जनूथर एवं ककडा में संचालित हैं । इन पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(पशुपालन मंत्री)

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद होने की अवधि
1.	नगर	पशुधन परिचर	4/2001 से
2.	गुलपाडा	जलधारी	7/2008 से
3.	सीकरी	पशु चिकित्सा सहायक पशुधन परिचर	12/2009 से 2/2004 से
4.	जनूथर	पशुधन परिचर	4/2001 से
5.	ककडा	पशुधन परिचर जलधारी	10/1998 से 11/2009 से

रिक्त पदों को आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर भरा जाता है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव सुन्दरावली, मानोता कलां, जालूकी, पालका, पान्होरी, सेठ, खोह जनूथा में पशु चिकित्सालय खोलना प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता एवं उपलब्धता होने पर पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं ।

केकड़ी के पशु चिकित्सा केन्द्र

111. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां स्थापित हैं? उक्त पशु चिकित्सा केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 22 पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों के स्थान तथा उनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है ।

(2) रिक्त पदों को आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर भरा जाता है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2010-11 में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में एक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ग्राम धून्धरी में स्वीकृत किया जा चुका है1 नवीन उपकेन्द्र आवश्यकतानुसार खोले जाते हैं ।

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों पर स्टाफ के पर्याप्त पद उपलब्ध होने के कारण नवीन पद सृजित किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	स्थान जहां संस्था कार्यरत है	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति															
			व. पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकि. अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशु परिचारक		जलधारी		गडरिया		सफाईकर्ता	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकि.	केकड़ी	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—
2.	पशु चिकि.	सरवाड़	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	1	1	—
3.	पशु चिकि.	सराना	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
4.	पशु चिकि.	बघेरा	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	पशु चिकि.	बाजटा	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1
6.	पशु चिकि.	कादेडा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
7.	पशु चिकि.	सावर	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
8.	पशु चिकि.	देवगांव	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
9.	पशु चिकि.	सांपला	—	—	1	—	—	—	2	—	1		1	—	—	—	1	1
10.	पशु चिकि.	बोगला	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
11.	पशु चिकि.	प्रान्हेडा	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
12.	पशु चिकि.	बिसून्दनी	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
13.	पशु चिकि.	घटियाली	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.	उपकेन्द्र	आलोली	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15.	उपकेन्द्र	खवास	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16.	उपकेन्द्र	पीपलाज	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	पशु चिकि.	जोताया	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
18.	उपकेन्द्र	मेहरूकलां	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
19.	उपकेन्द्र	ताजपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	उपकेन्द्र	जूनिया	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	उपकेन्द्र	पारा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	उपकेन्द्र	धून्धरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

मालपुरा में पशु चिकित्सकों द्वारा अनियमितताएं

112. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पशुओं के गलघोटू एवं खुरपका, मुंहपका बीमारी की वेक्सीन की निर्धारित दर एक रुपया प्रति पशु (गलघोटू) व दो रुपये प्रति पशु (मुंहपका, खुरपका) पशुपालकों से वसूल करने का प्रावधान है? क्या सरकार के पास निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या सरकार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रशिक्षित करने एवं बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार में राशि व्यय की जाती है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना व्यय तथा प्रचार का माध्यम क्या रहता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह शुल्क टीकाकरण सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है।

वर्तमान में टीकाकरण की निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी हां। टोंक जिले में पशुपालकों को प्रशिक्षित करने के लिए राशि रु. 52,750 प्रति वर्ष तथा बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार में राशि रु. 16,000 व्यय की जाती है। प्रचार का माध्यम मुख्यतः पेम्पलेट वितरण एवं पशुपालक गोष्ठी रहता है।

घटिया चीज निर्माण हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

113. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सेना की ओर से खराब क्वालिटी का चीज वापिस आर.सी.डी.एफ. को भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब एवं कितनी मात्रा में? उक्त चीज का निर्माण कब हुआ एवं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) घटिया गुणवत्ता का चीज सेना को भेजे जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि आर.सी.डी.एफ. ने उक्त चीज को आम जनता को बेचने हेतु जिला दुग्ध संघों को कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब एवं क्यों? संबंधित पत्र/निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) सेना द्वारा लौटाये गये उक्त चीज की कुल कीमत कितनी है एवं इस हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार उक्त चीज को आम जनता को न भेज कर अन्य उपयोग में लेने अथवा नष्ट करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नही। उरमूल, बीकानेर द्वारा सेना को चीज के लाटवार कुछ सैम्पल अवश्य भेजे गये, जिसमें से कुछ सैम्पल सेना द्वारा स्वीकार नहीं किये गये।

उरमूल, बीकानेर द्वारा उत्पादित लाटवार चीज निर्माण की मात्रा मय एक्सपायरी तिथि प्रदर्श "क" पर संलग्न है।

(2) उरमूल, बीकानेर द्वारा उत्पादित चीज अभी भी अच्छी गुणवत्ता का है ।

चीज पूरी तरह गुणवत्ता पूर्ण थी इसलिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) जी हां। 10 जनवरी, 2011 को आरसीडीएफ द्वारा शीर्षस्थ संस्थान के आधार पर एक सामान्य प्रक्रियान्तर्गत विभिन्न दुग्ध पदार्थों के समान ही अच्छी गुणवत्ता की चीज विपणन हेतु भी जिला दुग्ध संघों को पत्र प्रेषित किया गया ।

निर्देशों की प्रति प्रदर्श "ख" पर संलग्न है।

(4) सेना द्वारा चीज की कोई मात्रा नही लौटाई गई, अपितु चीज के कुछ लाट विशेष के सैम्पल अवश्य ही स्वीकार न कर वापस लौटाये गये ।

(डेयरी राज्य मंत्री)

उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-2 में वर्णनानुसार कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है।

(5) जी नहीं। चूकिं उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-2 में वर्णित तथ्यानुरूप विभिन्न स्तरीय प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में भी चीज की गुण्वत्ता अच्छी पाई गई है, अत: इसे अन्य उपयोग में लेने अथवा नष्ट करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदर्श "क"

लाटवार निर्मित मात्रा, निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट का विवरण

लाट नं.	मात्रा (मिट्रिक टन)	निर्माण तिथि	एक्सपायरी डेट सेनानुसार	प्रशीतन तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस व एक्सपायरी डेट
41	8.380.8	जनवरी, 2010	जुलाई, 2010	अक्टूबर, 2010
42	7.862.4	जनवरी, 2010	जुलाई, 2010	अक्टूबर, 2010
43	8.496.0	जनवरी, 2010	जुलाई, 2010	अक्टूबर, 2010
44	8.208.0	जनवरी, 2010	जुलाई, 2010	अक्टूबर, 2010
45	7.041.6	जनवरी, 2010	जुलाई, 2010	अक्टूबर, 2010
49	7.128	मार्च, 2010	सितम्बर, 2010	दिसम्बर, 2010
60, 61, 62	21.355.2	अप्रैल-मई, 2010	नवम्बर, 2010	फरवरी, 2011
1, 2, 3, 4, 5	32.5	जुलाई, 2010	फरवरी, 2011	मई, 2011

नोट :- सेना द्वारा चीज एक्सपायरी डेट का निर्धारण सामान्य ताप पर रखने के कारण 6 माह है, तथा दुग्ध संयन्त्र में चीज का भण्डारण प्रशीतन तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस पर होने के कारण एक्सपायरी डेट निर्माण तिथि से 9 माह है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी लिमिटेड

RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY LIMITED

No.RCDF/Mktg./F.06/(54/8415)2010-11/34100-13 dated 01/2011

E-mail/Fax Message

Managing Director,
District Milk Producers
Cooperative Union Ltd.,
Bikaner

Sub :- Disposal of Processed Cheese presently lying at Bikaner.

Dear Sir,

This is in continuation to previous letter No. 30282-90 dated 10/12/2010, 30780-88 dated 13/12/2010, 33825-26 dated 07.01.2011 and further e-mail/fax message date 07.01.2011.

Today on 10/01/2011, RCDF after having discussions with MD/ Incharge (Marketing) of respective Milk Unions, the Milk Unionwise targets have been set for sale of Processed Cheese during the month of January, 2011 as per details given below :-

S No.	Name of Milk Union	Quantity (In MT)
1.	Jaipur (including Delhi)	04
2.	Hanumangarh	01
3.	Kota	01
4.	Jodhpur	01
5.	Udaipur	02
6.	Ajmer	01
7.	Chittorgarh	01
8.	Alwar	01
9.	Bhilwara	0.5
10.	Bikaner (Target Sale)	02
	TOTAL	14.5

The Incharge (Marketing) of respective Milk Union has consented the above sale targets and suggested that a sale promotion scheme is needed to be given considering the old age of Cheese. The scheme order will be issued separately.

MD, URMUL may therefore ensure to supply the above quantity of Cheese of good quality, having proper stamping and sufficient shelf life within a day or two.

It is also advised that may please constitute a team of 2-3 officers for fast disposal of product with regular monitoring at your level.

Thanking you.

Yours faithfully,
General Manager (Mktg.)

उदयपुर डेयरी में दुग्ध परिवहन में अनियमितता

114. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी द्वारा अपने यहां टैंकरों के माध्यम से दूध के लाने ले जाने का काम किया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक किन-किन टैंकरों से दूध का लाना ले जाना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टैंकरों से दूध लाने ले जाने के लिए क्या किसी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कार्यरत टैंकरों का मालिक, ड्राइवर व रजिस्ट्रेशन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी के नियमों के तहत डेयरी में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/परिवारजन या उनके रिश्तेदार टेण्डर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? यदि हां, तो क्या डेयरी के ही ड्राइवर की पत्नी, भाणजा या अन्य रिश्तेदारों के नाम से टेण्डर लगाये गये ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक दुग्ध परिवहन हेतु प्रयुक्त टैंकरों का विवरण प्रदर्श-"क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। टैंकरों से दूध परिवहन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है।

इस अवधि में कार्यरत टैंकर मालिक, ड्राइवर एवं रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। डेयरी के ही ड्राइवर की पत्नि श्रीमती कैलाश कुंवर एवं दो भान्जो श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री नंदसिंह के नाम से टेण्डर लगाये गये थे, जिसमें से श्री सुरेन्द्र सिंह का टेण्डर स्वीकृत हुआ था।

नियमों हेतु टेण्डर प्रपत्र की शर्त संख्या-22 प्रदर्श-'ग' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध क्रय की दरें

115. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सूरजभान धानका)

क्या यह सही है कि राजस्थान डेयरी द्वारा प्रदेश के अलग-अलग शहरों/कस्बों में पशुपालकों/किसानों से एक ही पशु की अलग-अलग दर से दूध की खरीद की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। दूध खरीद दर निर्धारण हेतु जिला दुग्ध संघों से प्राप्त प्रस्ताव पर संघ की भौगोलिक परिस्थिति, दुग्ध संकलन क्षमता, स्थानीय विपणन एवं लाभार्जन क्षमता सहित अन्यान्य पहलुओं पर समग्र दृष्टिकोण से विचार कर आरसीडीएफ स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित दुग्ध संघ द्वारा दूध खरीद दर निर्धारित की जाती है। उक्त कारणों से एक ही पशु की अलग-अलग दर से दूध की खरीद होती है।

उरमूल डेयरी, बीकानेर को वित्तीय सहायता

116. डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) व **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों से घाटे में चल रही उरमूल डेयरी, बीकानेर का घाटा वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्त में 32 करोड़ से अधिक का हो गया है? यदि हां, तो घाटे के कारणों एवं इसके लिए उत्तरदायी कारकों के प्रति सरकार ने क्या निर्णय/योजना तैयार की है?

(2) उरमूल डेयरी, बीकानेर को घाटे से उबारने के लिए क्या बोर्ड/सरकार विशेष वित्तीय पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घाटे के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

1. दुग्ध संकलन की मात्रा में लगातार कमी होना।
2. पिछले कई वर्षो सम्वत् 2059, 2061, 2063, 2065 तथा 2066 सूखे की स्थिति के कारण दुग्ध उत्पादन में कमी होना।
3. दूधियों एवं प्राइवेट डेयरियों द्वारा संघ के कार्यक्षेत्र से सब स्टैण्डर्ड दुग्ध संकलन करना।
4. संचालन व्यय, स्थाई एवं परिवर्तनशील लागत में लगातार वृद्धि होना।

(डेयरी राज्य मंत्री)

5. डेयरी संयंत्र अत्यधिक पुराना होने के कारण (स्थापित वर्ष 1976) रखरखाव के खर्च में लगातार बढ़ोत्तरी।

6. स्थानीय दुग्ध बिक्री का कम होना।

कारकों के प्रति वर्तमान में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खेरली एवं चीलपुरा ग्राम पंचायत (धौलपुर) में बकाया राशि संबंध में

117. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत खेरली एवं चीलपुरा में वर्ष 1997-98 से 2010-11 तक किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत क्या-क्या विकास कार्य स्वीकृत किये गये और कितनी राशि इन पंचायतों को प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय हुई एवं कितना कार्य पूर्ण व अपूर्ण हुआ और कितनी राशि शेष रही? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बकाया राशि वापस पंचायत या पंचायत समिति में जमा कराई गई ? यदि नहीं, तो उक्त बकाया राशि किसके पास कब से है?

(4) उक्त बकाया राशि जमा न कराने में कौन-कौन दोषी हैं और दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत खेरली एवं चीलपुरा में वर्ष 1997-98 से 2010-11 तक वर्षवार स्वीकृत किये गये विकास कार्य एवं इन पंचायतों को दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में उक्त ग्राम पंचायतो को दी गई धनराशि में व्यय राशि, बकाया राशि एवं कार्यों की भौतिक स्थति (पूर्ण या अपूर्ण) का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(पंचायतीराज मंत्री)

(3) ग्राम पंचायत को स्वीकृत वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि में से वापस जमा कराई गई एवं ग्राम पंचायत के खाते में बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) उक्त बकाया राशि के समायोजन/वापिस जमा न कराने में दोषी पाये गये तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री सुनील शर्मा को निलम्बित कर नियमानुसार राशि वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलीगढ़ ग्राम पंचायत (टौंक) की दुकानों से प्राप्त आय

118. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के अधीन कार्यरत दैनिक तथा मासिक वेतनभोगी स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय/स्थाई वेतन एवं मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आदेश/दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या? जारी आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए सरकार तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तथा पंचायत स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की जाकर नियुक्तियां की जाती हैं?

(3) क्या निजी आय के स्रोत की कमी वाली ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए चुंगी अनुदान आदि राशि के अतिरिक्त पंचायत समिति/जिला परिषद एवं सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो किस प्रक्रियान्तर्गत किस-किस मद से? आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या ग्राम पंचायत अलीगढ़ (टौंक) के स्वामित्व की दुकानों से प्राप्त आय की राशि से दैनिक/मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन/ मजदूरी का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो दुकानदार प्राप्त आय के ब्यौरों सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम रोजगार सहायक संविदा पर नियोजित है। जिन्हें प्रारम्भ में प्रतिमाह

(पंचायतीराज मंत्री)

रुपये 2500/- मानदेय दिया गया था। विभाग के पत्र दिनांक 07.04.2010 के द्वारा दिनांक 01.04.2010 से रुपये 3500/- प्रतिमाह मानदेय दिया गया है। निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाता है। अनुबन्ध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायतो में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये चुंगी अनुदान के अतिरिक्त कोई अन्य राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत अलीगढ़ में 10 दुकानों की दर 100 रुपये प्रतिमाह प्रति दुकान की दर से किराया प्राप्त होता है। विवरण परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कानूजा ग्राम पंचायत (पाली) में सड़क मार्ग पर अतिक्रमण

119. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा में माध्यमिक विद्यालय के पास से हरिजन मौहल्ला तक जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा एवं कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण से यहां के आम नागरिक एवं यहां से गुजरने वाले यातायात को प्रतिदिन होने वाली असुविधा को देखते हुये सरपंच कानूजा की ओर से अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार को शिकायतें प्रेषित हैं? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई और प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली की पंचायत समिति, रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा में माध्यमिक विद्यालय के पास हरिजन मोहल्ला तक जाने वाली सड़क

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पर श्री चन्द्रसिंह, शेरसिंह, छत्तरसिंह वगैराह पुत्र पेमसिंह, पाचु, उदयसिंह एवं मिठालाल, राजूराम नाई आदि लोगों ने पत्थर डालकर पिछले दो वर्ष से अतिक्रमण कर रखा है।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत कानूजा की ओर से एवं ग्राम पंचायत कार्यालय से किसी प्रकार की शिकायतें उपरोक्त अतिक्रमण के संबंध में नहीं की गई हैं।

(3) उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया है एवं किये गये अतिक्रमण को ग्राम पंचायत कानूजा द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रतापगढ़ जिले में महिला महाविद्यालय की स्थापना

120. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नए महिला महाविद्यालय खोलने के क्या मानदंड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला प्रतापगढ़ में छात्राओं की संख्या एवं जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य के किस-किस तहसील क्षेत्र में घोषणा के बाद भी वर्ष 2009-10 में महाविद्यालय नहीं खोले गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महिला महाविद्यालय खोलने के पृथक से कोई मानदण्ड नहीं हैं।

(2) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) 2009-10 में तहसील क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की घोषणा नहीं की गई।

बामनवास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

121. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र बामनवास में

(श्री नवलकिशोर)

राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां के लिये? सूची सदन की मेज पर रखें तथा इन्हें अब कब तक खोल दिया जायेगा?

उत्तर

जी नहीं। विभाग को बामनवास विधान सभा क्षेत्र, बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के कोई प्रस्ताव आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

122. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र प्रति वर्ष कितनी राशि की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निम्न छात्रवृतियां महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को स्वीकृत की जाती हैं :-

1. **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति :-**

स्नातक स्तर

प्रथम वर्ष- रु. 1080/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

द्वितीय वर्ष- रु. 1980/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

तृतीय वर्ष - रु. 2180/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

स्नातकोत्तर स्तर

प्रीवियस कक्षा - रु. 2160/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

फाइनल कक्षा –रु. 2880/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

2. **महिला योग्यता छात्रवृति :-**

स्नातक स्तर

प्रथम वर्ष- रु. 1080/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

द्वितीय वर्ष- रु. 1980/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

तृतीय वर्ष - रु. 2160/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

स्नातकोत्तर स्तर

प्रीवियस कक्षा - रु. 2160/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

(उच्च शिक्षा मंत्री)

फाइनल कक्षा - रु. 2880/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

3. **मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति :-**

स्नातक स्तर- रु. 500/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

स्नातकोत्तर स्तर- रु. 750/- प्रतिछात्र

4. **भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून छात्रवृति** :- प्रत्येक छात्र को रु. 2700/- वार्षिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

5. **कारगिल छात्रवृति** :- रु. 3600/- वार्षिक की दर से सभी कक्षाओं के अध्ययन हेतु छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

6. **शोध छात्रवृति** :- रु. 30000/- वार्षिक की दर से छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

7. **उर्दू छात्रवृति** :- स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु रू. 1200/- वार्षिक की दर से और पी.जी. डिग्री अध्ययन हेतु रू. 1800/- वार्षिक की दर से छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

8. **भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति** :- रु. 1800/- वार्षिक की दर से सभी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को यह छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

9. **ललित कला छात्रवृति** :- रु. 720/- वार्षिक की दर से तथा निपुण के लिये रु. 1440/- वार्षिक की दर से छात्रवृति स्वीकृत की जाती है ।

रामगढ़ (अलवर) में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

123. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कुल कितने आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां पर स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आयुर्वेद औषधालयों में स्वीकृत पद अनुसार कार्मिक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो किस-किस औषधालय में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में नये

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कुल 11 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत पद, पदस्थापित, रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षो में नये औषधालय खोलने के प्रस्तावों पर गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार करते समय रामगढ़ का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार कर लिया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्साधिकारी, नर्स/कम्पा. एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	स्थान औषधालय	चिकित्साधिकारी			नर्स/कम्पा.			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
		स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अलावडा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
2.	बाम्बोली	1	—	1	1	1	—	1	1	—
3.	बहाला	1	1	—	1	1	—	1	1	—
4.	चोरोटी पहाड	1	1	—	1	1	—	1	1	—
5.	खोडा करमाली	1	1	—	1	1	—	पद स्वीकृत नहीं	—	—
6.	मुबारिकपुर	1	1	—	1	1	—	पद स्वीकृत नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	नौगांवा	1	—	1	1	1	—	पद स्वीकृत नहीं	—	—
8.	नसवारी	1	1	—	1	1	—	1	1	—
9.	तिलवाड	1	1	—	1	1	—	1	1	—
10.	दीनार	1	1	—	1	1	—	पद स्वीकृत नहीं	—	—
11.	गण्डूरा	1	1	—	पद स्वीकृत नहीं	—	—	1	1	—

निवाई-पीपलू में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

124. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कौन-कौनसे आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? उक्त औषधालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रमोन्नत करने एवं नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन कौन से एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई एवं पीपलू एक ही विधान सभा क्षेत्र है। निदेशालय आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय झिलाय तथा शेष 28 आयुर्वेद औषधालय के रूप में संचालित है।

उक्त संचालित चिकित्सालय/औषधालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में आयुर्वेद औषधालयों को क्रमोन्नत करने एवं नये औषधालय खोलने के प्रस्तावों पर गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार करते समय निवाई व पीपलू का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार कर लिया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	स्थान औषधालय	चिकित्साधिकारी			नर्स/कम्पा.			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
		स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	झिलाय	1	1	—	2	1	1	1	1	—
2.	बहड	1	1	—	1	1	—	1	1	—
3.	भरथला	1	1	—	1	1	—	1	1	—
4.	बडगांव (टाटोली)	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
5.	चोगाई	1	1	—	1	1	—	1	1	—
6.	चनानी	1	1	—	1	1	—	1	1	—
7.	टारडा तुर्की	1	1	—	1	1	—	1	1	—
8.	टोडवाडी	1	—	1	1	1	1	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	दतवास	1	1	—	1	1	—	1	1	—
10.	डांगडथल	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	पद सृजित नहीं	—	—
11.	जोला	1	1	—	1	1	—	1	1	—
12.	झिराना	1	1	—	1	1	—	1	1	—
13.	जामडोली	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
14.	करेडा बुजुर्ग	1	1	—	1	—	1	1	1	—
15.	खण्डदेवत	1	1	—	1	1	—	1	1	—
16.	खण्डवा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
17.	लोहरवाडा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
18.	लुहारा	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
19.	ललवाडी	1	—	1	1	1	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	मुण्डिया	1	1	—	1	1	—	1	—	1
21.	निवांई	1	1	—	1	1	—	1	1	—
22.	नटवाडा	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
23.	पहाड़ी	1	1	—	1	1	—	1	1	—
24.	रानौली	1	1	—	1	1	—	1	1	—
25.	रजवास	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
26.	राहोली	1	1	—	पद सृजित नहीं	—	—	1	1	—
27.	सिन्दडा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
28.	सिरोही	1	1	—	1	1	—	1	—	1
29.	सुनारा	1	1	—	1	1	—	1	1	—

भूतपूर्व सैनिकों के नाम की भूमि का नामान्तरकरण

125. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा वर्ष 1985 से 1995 में किये गये आवेदनों पर वर्ष 2003 से 2009 में भूमि का आबंटन किया गया है, यदि हां? तो इस दौरान कितने सैनिकों को भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1985 से 2003 की अवधि में कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु हो गई? क्या सरकार उस नई आबंटित भूमि को भूतपूर्व सैनिक की पत्नी/परिवार के सदस्यों के नाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार से भूतपूर्व सैनिकों की पत्नी/परिवारों द्वारा सैनिक के नाम सर्वप्रथम भूमि आबंटन का नोटिस प्राप्त होने पर विभाग को सैनिक की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र एवं स्वयं के नाम भूमि स्थानान्तरण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ? क्या सरकार इन पर निर्णय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन हेतु 1985 से 1995 के बीच कोई आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे।

दिनांक 01/06/1983 से 30/07/1983 तक की अवधि में भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। वर्ष 2003 से 2009 तक के मध्य कुल 4197 भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आबंटन किया गया है।

(2) जी हां। आवंटन आदेश जारी होने के बाद किन्तु आबंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाने के प्रकरणों के सम्बन्ध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 7(4) में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/06/2007 की अधिसूचना से प्रावधान किया गया है-

''परन्तु जहां आबंटिती की, ऐसा लिखित आदेश पारित किये जाने के पश्चात किन्तु आबंटित भूमि का कब्जा लेने के पूर्व, मृत्यु हो जाती है तो

(उपनिवेशन मंत्री)
उसकी पत्नी या पति या यदि पत्नी या पति जीवित नहीं हो तो, उस पर आश्रित उसके विधि वारिसान आबंटित भूमि का कब्जा ले सकेंगे।

किन्तु आबंटन आदेश जारी होने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान को अधिकार/कब्जा नहीं मिलता है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.4(4)उप/89 दिनांक 6/10/2007 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि आबंटन आदेश जारी होने से पूर्व यदि किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई है तो इसके विधिक वारिसान को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। उपरोक्तानुसार ऐसे मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु होने के पश्चात उनकी पत्नी/परिवार द्वारा स्वयं के नाम भूमि स्थानान्तरण हेतु कुल 607 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में भूमि का आबंटन

126. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2004 में जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में सामान्य एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के भूमिहीनों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? उक्त समय से अब तक सामान्य श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिए कितने मुरब्बे/बीघा भूमि उपलब्ध है? उक्त में आरक्षित वर्ग के लिए कितनी भूमि आबंटित कर दी गई है व कितनी पत्रावलियों में आवेदकों को आबंटन किया जाना शेष है और शेष रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2004 में जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में सामान्य आबंटन के तहत सामान्य श्रेणी में 52883 व अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में 10271 अर्थात कुल 63154 भूमिहीनों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

उक्त समय से अब तक सामान्य श्रेणी के लिये आरक्षित 56483.01 बीघा कमाण्ड व 13971.16 बीघा अनकमाण्ड अर्थात कुल 70454.17 बीघा भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित 32445.01 बीघा कमाण्ड व 5867.09 बीघा अनकमाण्ड अर्थात कुल 38312.10 बीघा भूमि उपलब्ध थी।

(उपनिवेशन मंत्री)

उपरोक्तानुसार उपलब्ध भूमि मे से सामान्य श्रेणी के लिये आरक्षित भूमि मे से 26966.19 बीघा कमाण्ड व 3911.11 बीघा अनकमाण्ड अर्थात कुल 30878.10 बीघा का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित भूमि में से 8929.06 बीघा कमाण्ड व 1155.10 बीघा अनकमाण्ड अर्थात कुल 10084.16 बीघा का आबंटन किया गया है।

वर्तमान में सामान्य श्रेणी के तहत 51313 और अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी के तहत 9684 अर्थात कुल 60997 पत्रावलियों में आबंटन किया जाना शेष है। जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में सीएडी चकों मे रकबा राज उपलब्ध नहीं होने व कई आवेदकों के आवेदन पत्रों में फोटो फार्म तस्दीकसुदा प्राप्त नहीं होने के कारण यह आवेदनपत्र लम्बित है।

राजगढ़ पंचायत समिति (चूरू) में महानरेगा योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी

127. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू में महानरेगा के तहत विगत दो वर्षो में कार्यरत मजदूरों को चुकाई गई मजदूरी में न्यूनतम मजदूरी की क्या दर रही है?

(2) पंचायत समिति राजगढ़, जिला चूरू की ग्राम पंचायतवार उक्त अवधि की न्यूनतम मजदूरी क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू की किसी ग्राम पंचायत में न्यूनतम मजदूरी 5 एवं 10 रुपये के बीच की रही? यदि हां, तो क्या इन कार्यो हेतु पुनः मस्टररोल जारी किये गये हैं तथा इस हेतु कौन उत्तरदायी है?

(4) सरकार द्वारा उक्त संबंध में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत विगत 2 वर्षो 2008-09 एवं 2009-10 में चूरू जिले में पंचायत समिति राजगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भुवाड़ी में कार्य पखवाड़ा अवधि दिनांक 16.11.2009 से 30.11.2009

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

तक, ग्राम पंचायत ढाणी बड़ी में कार्य पखवाड़ा अवधि दिनांक 01.01.2010 से 15.01.2010 में तथा ग्राम पंचायत हमीरवास में कार्य पखवाड़ा 02.07.2008 से 15.07.2008 में मजदूरी दर प्रतिदिन 2 रुपये रही है, जो जिले की न्यूनतम मजदूरी दर है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू की वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में ग्राम पंचायतवार न्यूनतम मजदूरी दर का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू की कुछ ग्राम पंचायतों में न्यूनतम मजदूरी 5 रुपये से 10 रुपये के बीच रही है, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिन कार्यों पर उक्त मजदूरी दर आयी है, उन कार्यों पर श्रमिकों द्वारा की गयी रोजगार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए पुनः मस्टररोल जारी किये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी का भुगतान टास्क आधारित है। अतः इसी अनुसार मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है तथा रोजगार की मांग के अनुसार मस्टररोल जारी किये गये हैं।

(4) जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक दिनांक 14.09.2010 में यह विषय चर्चा में आने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ने कार्यक्रम अधिकारी को उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश पत्रांक 10182-83 दिनांक 30.09.2010 से दिये हैं।

तत्पश्चात श्रमिकों को कम भुगतान के प्रकरण में अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को लिखित चेतावनी-पत्र भविष्य में पुनरावृति नहीं करने के जारी कर दिये गये हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में महानरेगा योजनान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य

128. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में महानरेगा योजना में नाडियों की खुदाई का कार्य करवाया गया है?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या कच्चे कार्यों में उन नाडियों की इतनी खुदाई करवायी गई है कि पानी का ठहराव नहीं हो पाता है?

(3) क्या यह सही है कि बरसात के पानी हेतु भराव क्षेत्र भी कम पड़ जाता है?

(4) क्या सरकार नाडियों के स्थान पर वृक्षारोपण, सड़कों की पटरियों के निर्माण आदि का कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कच्चे नाड़ियों में पानी का ठहराव मिट्टी की गुणवत्ता, पानी का सीपेज, वर्षा की मात्रा आदि पर निर्भर करता है। नाडी की खुदाई कार्य ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही जारी किया जाता है।

(3) भराव क्षेत्र बारिश की मात्रा एवं उसके अन्तराल पर निर्भर रहता है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्य ही करवाये जाते हैं। जहां भी वृक्षारोपण, पटरियों का निर्माण प्रस्तावित हुए हैं, स्वीकृत किये गये हैं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-57 की सूची)

परिशिष्ट-क

ग्राम पंचायत कुईइन्दा पंचायत समिति, बालेसर जिला-जोधपुर में दिनांक 02.03.2011 को सर्वे के दौरान उपलब्ध कराये गये पट्टों की प्रतियां के अनुसार पट्टाधारियों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टा धारक	पट्टा आबंटन की दिनांक
1	2	3
1.	श्री हरिराम पुत्र रूपाराम	25.12.74
2.	श्री मिश्रा राम पुत्र नारायण राम	25.12.74
3.	श्री तगाराम पुत्र बनसा राम	25.12.74
4.	श्री लालूराम पुत्र मेधाराम	25.12.74
5.	श्री चम्पाराम पुत्र मेधाराम	25.12.74
6.	श्री लालूराम पुत्र भूराराम	25.12.74
7.	श्री छगनाराम पुत्र जोधाराम	25.12.74
8.	श्री शंकराराम पुत्र बुदाराम	25.12.74
9.	श्री किरपा राम पुत्र मंगलाराम	25.12.74
10.	श्री जानाराम पुत्र मंगलाराम	25.12.74
11.	श्री लिखमाराम पुत्र किशनाराम	25.12.74
12.	श्री नेमाराम पुत्र पुनाराम	25.12.74
13.	श्री माणक राम पुत्र जग्गाराम	25.12.74
14.	श्री लूणाराम पुत्र खेताराम	25.12.74
15.	श्री मेहराराम पुत्र किशनाराम	25.12.74
16.	श्री राजूराम पुत्र लूणाराम	25.12.74

1	2	3
17.	श्री भीयाराम पुत्र हरीराम	25.12.74
18.	श्री नेनाराम पुत्र मोमताराम	25.12.74
19.	श्री भोजाराम पुत्र मोमताराम	25.12.74
20.	श्री रेवन्तराम पुत्र मोमताराम	25.12.74
21.	श्रीमती अणची पत्नी चनणाराम	25.12.74
22.	श्री सेवाराम पुत्र बनसाराम	25.12.74
23.	श्री बीरमाराम पुत्र दारूराम	25.12.74
24.	श्री गेनाराम पुत्र शंकराराम	25.12.74
25.	श्री शंकराराम पुत्र हरजीराम	25.12.74
26.	श्री चनणाराम पुत्र लोंगाराम	25.12.74
27.	श्री छगनाराम पुत्र राणाराम	25.12.74
28.	श्री रावतराम पुत्र मधाराम	25.12.74
29.	श्री दुर्गाराम पुत्र पेमाराम	25.12.74
30.	श्री दीपाराम पुत्र पेमाराम	25.12.74
31.	श्री मोहनराम पुत्र हरकाराम	25.12.74
32.	श्री मूलाराम पुत्र हेमाराम	25.12.74
33.	श्री धुडाराम पुत्र हेमाराम	25.12.74
34.	श्री फोजाराम पुत्र गुणेशाराम	25.12.74
35.	श्री हरकाराम पुत्र मोतीराम	25.12.74
36.	श्री कानाराम पुत्र हरकाराम	25.12.74
37.	श्री चेतनराम पुत्र मोतीराम	25.12.74
38.	श्री सिदाराम पुत्र चेतनराम	25.12.74
39.	श्रीमती समदा पत्नी बीरमाराम	25.12.74

1	2	3
40.	श्री केवलराम पुत्र हरकाराम	25.12.74
41.	श्री रूपाराम पुत्र हरकाराम	25.12.74
42.	श्री धेवरराम पुत्र लखाराम	25.12.74
43.	श्री मन्छाराम पुत्र लखाराम	25.12.74
44.	श्री सोनाराम पुत्र बुद्वाराम	25.12.74
45.	श्री चनणाराम पुत्र बुद्वाराम	25.12.74
46.	श्री गंगाराम पुत्र फुसाराम	25.12.74
47.	श्री हरकाराम पुत्र गणेशाराम	25.12.74
48.	श्री पदमाराम पुत्र गुणेशाराम	25.12.74
49.	श्री फौजाराम पुत्र लोंगाराम	25.12.74
50.	श्री मोहनदास पुत्र लालदास	25.12.74
51.	श्री देवाराम पुत्र कोजाराम	25.12.74
52.	श्री पताराम पुत्र हेमाराम	25.12.74
53.	श्री किरताराम पुत्र माधाराम	25.12.74

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-58 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

दो वर्ष पूर्व क्रय किये गये मीटरों की दर

क्र. सं.	डिस्काम	घरेलू मीटर की दरें (रुपये)	कृषि कनेक्शन के मीटर की दरें (रुपये)
1.	जयपुर	840.48	1613.12
2.	अजमेर	840.00	1613.12
3.	जोधपुर	844.00	1613.12

परिशिष्ट "ब"

मीटर जलने पर उपभोक्ता से ली जाने वाली राशि

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आदेशित विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन 2004 की धारा 30 में उपभोक्ता की गलती/दोष के कारण मीटर जलने पर उपभोक्ता से मीटर की कीमत लिए जाने का प्रावधान है, जो निम्न प्रकार है :-

1. किसी मीटर के बन्द हो जाने/त्रुटिपूर्ण हो जाने/जल जाने पर निगम निरीक्षण कर मीटरिंग तन्त्र को, जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए की उपभोक्ता द्वारा अधिक भार सहित मीटर में किसी भी प्रकार से हेरा-फेरी की गयी है या उसे क्षति पहुंचाई गयी है, जिस मामले में उपभोक्ता व्यय वहन करेगा, अपने व्यय पर प्रतिस्थापित करेगा।

अत: वर्तमान में अजमेर डिस्काम में उपभोक्ता की गलती से मीटर क्षतिग्रस्त होने/जलने पर घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता से वर्तमान में क्रय किये गये मीटर की कीमत के अनुसार क्रमश: राशि 9660.00 एवं 3005.00 प्रति मीटर ली जा रही है। उपभोक्ता के गलती के अतिरिक्त खराब/जलने पर मीटर बदलने की कोई राशि नहीं ली जाती है।

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-59 का विवरण)

प्रपत्र "क"

शौर्य पदक धारकों को देय सुविधा

क्र. सं.	पदक का नाम	नकद राशि	भूमि या भूमि के बदले नकद राशि
1.	परमवीर चक्र	2.25 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
2.	अशोक चक्र	2.00 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
3.	महावीर चक्र	1.50 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
4.	कीर्ति चक्र	1.20 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
5.	वीर चक्र	1.00 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
6.	शौर्य चक्र	0.75 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद
7.	सेना/वायु/नौ सेना मेडल	0.30 लाख रुपये	25 बीघा भूमि या भूमि के बदले रुपये 2.00 लाख नकद

परिशिष्ट-4

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

नवजीवन योजना द्वारा बाबरी (चौकीदार), साठिया, कालबेलिया व जोगी जातियों के पिछड़ेपन में सुधार

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार नवजीवन योजना के द्वारा अवैध शराब के निर्माण व धंधे में लिप्त सासी आदि जातियों को इस धंधे से छुटकारा दिला उन्हें अन्य व्यवसाय एवं रोजगार से जोड़ने का कार्य शुरू किया है उसी क्रम में बाबरी (चौकीदार) जाति जिसका मुख्य व्यवसाय अंग्रेजी बबूल की अवैध कटाई कर उसे बेचना या उससे कोयला निर्माण करना है। साठिया जाति जिससे अधिकांश परिवार देह व्यापार में लिप्त है इनकी रोजी-रोटी का प्रमुख साधन देह व्यापार ही है। कालबेलिया एवं जोगी जाति के अधिकांश परिवार सांप पकड़ने, गली मोहल्लों में उसके करतब दिखाने एवं गाना गाकर भीख मांग कर अपना भरण पोषण करते हैं एवं नट जाति का प्रमुख कार्य करतब दिखाना एवं नाचना गाना है इसी से ये अपनी आजिविका चलाते हैं। अभी भी बावरी, साठिया कालबेलिया, जोगी एवं नट समाज की मुख्यधारा से अलग थलग है। इन जातियों की अधिकांश आबादी अभी भी अशिक्षित है एवं अत्यन्त ही निर्धन है। अन्य समाज इन्हें हेय दृष्टि से देखते है एवं गांवों में होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित नहीं करते। अनुसूचित जाति में होने के बावजूद भी आजादी के 64 वर्ष बीत जाने पर इन्हें आरक्षण का विशेष लाभ नहीं मिल पाया है। निजी व्यवसायिक संस्थान भी इन जातियों के लोगों को नौकरी पर रखने से हिचकतें है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि बावरी, साठिया, कालबेलिया, जोगी एवं नट जातियों हेतु नवजीवन योजना की तर्ज पर कोई योजना की घोषणा कर इन्हें शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक समरसता का अवसर देवें, इन्हें इनके वर्तमान धंधे से मुक्ति दिला सम्मानजनक रोजगार का अवसर दिलावें। इन जातियों के परिवारों के नाम बी.पी.एल. सूची में स्वत: ही जोडकर बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ इन्हें दिलवायें ताकि ये भी समाज मुख्यधारा से जुड सके एवं सम्मानजनक अपना जीवन यापन कर सकें।

ज्ञानचंद पारख
(पाली)

डिमांड राशि जमा पश्चात् भी कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाना

1. बिजली विभाग द्वारा जिले में कृषि कनेक्शन हेतु किसानों के डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद भी लम्बे समय से कृषि कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण किसान वर्ग रबी की फसल को लेकर भारी समस्याओं में है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषि कनेक्शन नहीं होने का आरोप सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किये जा रहे शिथिलता पूर्ण कार्य पर लगाया जा रहा है। इस प्रकार विद्युत विभाग के अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों से पल्ला झाड़ने पर किसानों के द्वारा डिमाण्ड राशि भरने के बाद शीघ्र कनेक्शन होने की अपेक्षा में बुवाई फसल को लेकर भारी समस्या में हैं वही फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जिसके कारण आने वाले समय में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। अत: जिन किसानों ने डिमाण्ड जमा करवाया गया है उनको 15 दिवस के भीतर कृषि कनेक्शन किये जावें ताकि रबी की फसल प्रभावित नहीं हो सके।
2. विद्युत विभाग द्वारा दीपावली के त्यौहार पर ही मेंटीनेंस को लेकर लगातार 5 से 7 घंटों की प्रतिदिन अघोषित विद्युत कटौती की जाती है जबकि पूरा साल विद्युत विभाग को मेंटीनेंस के लिए मिलता है। क्यों नहीं प्रतिदिन की कार्यवाही कर ट्रांसफार्मर व लाइनों को व्यवस्थित रखा जाता है। वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बीच राह खड़े ट्रांसफार्मर एवं खम्बों से आमजनों तथा राहगीरों को भारी समस्या हो रही है इसके साथ ही आये दिन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। जैसा कि सिरोही में भाटकडा चौराहे पर हाइवे पर लगा ट्रांसफार्मर कई बार हादसों का शिकार हुआ और ठीक करने की कार्यवाही में कई घंटों की अघोषित विद्युत कटौती की गई परन्तु विभाग द्वारा इसको सुरक्षित स्थान पर रखने की आज दिनांक तक योजना नहीं की गई। इसी प्रकार गांव गोयली व रामपुरा में बीच राह पर बिजली के टांसफार्मर व खम्बे खड़े हैं। इस प्रकार पूरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या है इसके लिए विभाग स्तर पर सर्वे कर सार्वजनिक स्थान पर बीच राह खड़े ट्रांसफार्मर व खम्बों को हटाये जावें।
3. बिजली विभाग द्वारा सामान्यतया किसी ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल को हटाने में डिमाण्ड निकाला जाता है परन्तु सार्वजनिक स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल को हटाने के लिए किसी व्यक्तिगत रूप से उक्त डिमाण्ड राशि को भरना सम्भव नही होता है जिसके कारण सार्वजनिक स्थानों पर बीच राह में खड़े ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल नहीं हटाये जाने के कारण आमजन के साथ

राहगीरों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। अत: जनहित में सार्वजनिक स्थानों पर खड़े ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल को विभाग स्तर पर ही हटाया जावे। ताकि आमजन को किसी हादसों का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

ओटाराम देवासी

(सिरोही)

जैसलमेर के गांवों में फ्लोराइड से स्वास्थ्य पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव

मैं राज्य सरकार एवं माननीय जलदाय विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला जैसलमेर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लूणार, विदा, खुहडी, सम, कमोई, दामोदरा, डेडा, चिपला, म्याजलार, करडा, पोसीना, दबडी, सता आदि के राजस्व गांवों में फ्लोराइड युक्त एवं खारा पानी है। जिसे वहां की स्थानीय जनता पी रही है। जबकि गडरा नहर लूणार व दबडी क्षेत्र के पास से गुजरती है एवं वहां पर मीठा पानी उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में मीठे पानी की भयंकर समस्या है। स्थानीय जनता द्वारा फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन किया जा रहा है जिससे कई बीमारियां होने की आशंका है।

अत: जनमांग, जनहित को देखते हुए फ्लोराइड युक्त क्षेत्र को गडरा नहर से पेयजल योजना बनाकर जोड़ा जावे। स्थानीय जनता को मीठा पानी उपलब्ध करवा कर स्थानीय जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

छोटू सिंह भाटी

(जैसलमेर)

मातृकुंडिया बांध से हिन्दुस्तान जिंक को पानी देने से सिंचाई हेतु पानी की अनुपलब्धता

मातृ कुन्डिया बांध से फेजा फीडर द्वारा भीलवाड़ा को पानी दिया जा रहा है। इसी नहर से हिन्दुस्तान जिंक माइन्स को पानी दिया जा रहा है। इससे राशमी पंचायत समिति क्षेत्र के कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है। किसानों को फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे किसानों में काफी रोष है।

अत: जनहित में मातृ कुन्डिया बांध से नहर निकाल कर राशमी के किसानों को सिंचाई के पानी दिया जावे ताकि किसानों को फसलों हेतु सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। इस क्षेत्र के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। अधिकतर लोगों का जीवनयापन केवल मात्र खेती पर ही निर्भर है। अत: कृपया इन किसानों की न्यायोचित मांग पर आवश्यक रूप से ध्यान देकर इस नहर का कार्य

तुरन्त करवाया जावे ताकि किसानों का सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके, जिससे बेकार हो रही फसलों को राहत मिल सके।

शंकर लाल बैरवा

(कपासन)

नदबई में रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के कस्बा नदबई में आवागमन की मुख्य समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी।

कस्बा नदबई में एक रेलवे क्रोसिंग है। जो कि कस्बे के मुख्य बाजार में पड़ता है। इस मार्ग पर दिन भर आम जनता का आवागमन होता रहता है एवं हल्के एवं भारी वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है। रेलवे क्रोसिंग के बन्द होने पर क्रोसिंग के दोनों ओर काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है। पुलिस प्रशासन को सामान्य हालात बनाने के लिए कई घन्टों तक काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

मेरा निवेदन है कि वर्षो से चली आ रही उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए बाइपास (आर.ओ.बी.) निर्माण के लिए सी.आर.एफ., नाबार्ड एवं अन्य किसी योजना के तहत राशि स्वीकृत कराने की कृपा करें ताकि कस्बे निवासी वर्षो से चली आ रही आवागमन की समस्या से निजात पा सकें।

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

(नदबई)

अध्यापकों को राशन की दुकानों पर निरीक्षण हेतु लगाने से उत्पन्न अव्यवस्था

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष माह मई, 2010 से हर माह की दिनांक 15 से 21 तक राज्य कर्मचारियों व अध्यापकों को राशन वितरण करने वाली दुकानों पर निरीक्षण हेतु लगाया जाता है। उक्त दिनों में राजकीय अवकाश व अन्य अवकाश के दिनों में भी उनको उक्त दुकानों के निरीक्षण का कार्य करना पड़ता है। जिसकी एवज में उनको न तो क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया जाता है और ना ही कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। उक्त दिनों में शिक्षकों के द्वारा राशन की दुकानों का निरीक्षण कार्य करने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान होता है तथा राज्य कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण कार्य करने पर दैनिक राजकीय कार्य बाधित होता है जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई व दैनिक राजकीय कार्य

हेतु आने वाले नागरिकों को भी राजकीय कार्य हेतु बार बार चक्कर लगाना पड़ता है व उनके कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं तथा अनेक प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग के द्वारा ही वितरण व निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय हो पाएगी व शिक्षा व अन्य राजकार्य भी बाधित नहीं होंगे।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर इसका अविलम्ब समाधान कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री मान सिंह

(परबतसर)

प्रिंटिंग टेक्नोलाजी डिप्लोमा धारकों को उच्च शिक्षा प्राप्ति में आ रही परेशानी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा मण्डल का सूचना संग्रह (इन्फोरमेशन बुलेटिन) का बिन्दु क्रमांक 1 जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजस्थान जोधपुर से डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को प्रथम प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था करता है। संदर्भित बुलेटिन के अनुसार प्रिटिंग टेक्नोलोजी के डिप्लोमा धारकों को LEEP 2009 के अन्तर्गत स्नातक अभियांत्रिकी द्वितीय वर्ष में प्रवेश का अधिकार प्राप्त है, परन्तु राजस्थान सरकार के अन्तर्गत अपने ही बनाये नियमों को तकनीकी शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने से संविधान प्रदत्त शिक्षा के मूल अधिकार का उल्लंगन हुआ है। सरकार अपने ही बनायें नियमों को नहीं माने तो अन्याय की स्थिति पैदा होती है। ज्ञातव्य है कि जहां भारत सरकार शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के प्रयासरत है, वही राजस्थान सरकार किसी अध्ययन शाखा के छात्रों को शिक्षा के अधिकार से बाधित करने में जुटी है।

तकनीकी शिक्षा मण्डल के स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रिटिंग टेक्नोलोजी के डिप्लोमा प्राप्त धारकों को 2004 से अब तक आगे की स्नातक उच्च शिक्षा के मूल अधिकार से जानबूझ कर कर वंचित किया गया है। और बोर्ड के अनुसार उच्च शिक्षा इसलिए उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है क्योंकि राजस्थान के किसी भी कॉलेज में प्रिंटिंग टेक्नोलोजी में B.E./B.TECH शाखा संचालित नहीं है।

महोदय, जबकि प्रिन्टर टेक्नोलोजी के डिप्लोमा धारक छात्रों की मांग है कि जब प्लास्टिक टेक्नोलोजी में B.E./B.TECH की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अन्य विषयों में B.E./B.TECH में प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। तो फिर ये सुविधा

समान रूप से प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के डिप्लोमा धारकों को क्यों नहीं दी जा सकती है। प्रिटिंग टेक्नोलोजी के छात्रों को राजस्थान के अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में B.E./B. TECH द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।

अत: निवेदन है कि प्रिंटिंग टेक्नोलोजी डिप्लोमा धारकों को उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आ रही समस्या का निवारण करावें ताकि छात्र वर्ष 2010-11 के सत्र से उच्च शिक्षा का लाभ उठा सकें। अन्यथा छात्रों को इस हेतु सीमावर्ती राज्यों में असुविधाजनक परिस्थितियों में अध्ययन करने को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार या तो प्रिंटिंग टेक्नोलोजी में B.E./B.TECH की शिक्षा शुरू करे अथवा प्लास्टिक टेक्नोलोजी के डिप्लोमा छात्रों की भांति प्रवेश दिलाने की कृपा करें।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

सिरोही में क्षतिग्रस्त सड़कों से घटित दुर्घटनाएं एवं आमजन को अनुभूत कठिनाई

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान सिरोही जिले की आपके विभाग से संबंधित ज्वलंत समस्याओं की ओर दिलाते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्याओं के समाधान के लिए आप अधिकारियों को वांछित निर्देश प्रदान करावें इन समस्याओं के लिए मैन पूर्व में भी कई बार सरकार का ध्यान दिलाया है जिनका समाधान बहुत जरूरी है वर्षो से जनता निम्न समस्याओं का हल चाहती है किंतु हल नहीं होने से जनता परेशान है।

1. सिरोही के आगे बारी घाटे में हर दूसरे दिन होने वाली दुर्घटनाओं से व यातायात जाम से छुटकारा दिलाने के लिए इस एक्सीडेंट जोन की सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर चौड़ा करवाया जाये।
2. करोटी से आबूरोड़ के बीच 16 किलोमीटर सड़क जो कि जर-जर अवस्था में होने से कठिनाई हो रही है।
3. माउण्ट से सिरोही की 100 किमी. दुरी को 45 कि.मी. कम करने के लिए माउण्ट आबू गुलाबगंज की वर्षो से अधुरी पड़ी डामर सड़क को पूर्ण करवाने का कार्य शीघ्र करावें।
4. मण्डार बाइपास व रेवदर बाइपास का कार्य बी.ओ.टी. में शामिल करवाकर दुर्घटनाओं से राहत दिलवाई जायें।
5. मण्डार हायवे से रोहुआ सम्पर्क सड़क पर पेवर सड़क बनाना।

6. मीठन मारोल भैरूगढ़ भटाणा ग्रेवल रोड़ को डामर रोड़ बनावे यह गुजरात से आने के लिए बहुत उपयोगी मार्ग है।

7. सिरोही मण्डार मार्ग पर डबाणी पुलिये पर हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का कार्य बी.ओ.टी. योजना में शामिल करवाया जाये। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय इन कार्यो को मध्यनजर रखते हुए स्वीकृति प्रदान करावें।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

राजाखेड़ा नगरपालिका में अग्निशमन सुविधाजनक का ध्यान

मेरे विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की नगर पालिका में अग्निशमन (Fire Brigade) नहीं होने के कारण शहरी एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने से Fire Brigade धौलपुर मुख्यालय से बुलाई जाती है। धौलपुर जिला मुख्यालय की राजाखेड़ा नगर की दूरी 35 किलोमीटर है और बीच में रेलवे क्रोसिंग पड़ने की वजह से अग्निशमन की गाड़ी आने में घंटों लग जाते है। जिसकी वजह से अग्निकांड को शीघ्र रोकना सम्भव नहीं हो पाता है और जब तक अग्निशमन की गाड़ी आती है तब तक अग्निकांड से बहुत नुकसान हो चुका होता है।

अत: राज्य सरकार को शीघ्र यहां के लिए फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराना चाहिये। सरकार यह बतलायें कि यह सरकार फायर ब्रिगेड नगर पालिका धौलपुर को कब तक उपलब्ध करायी जावेगी।

रविन्द्र सिंह बोहरा

(राजाखेड़ा)

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संसाधन व बजट की कमी

अजमेर स्थित संभाग स्तरीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय विभिन्न चिकित्सीय संसाधनों व आवश्यक बजट के अभाव में तथा स्टाफ की कमी के चलते दुर्दशा का शिकार है तथा मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

इस चिकित्सालय की सी.टी. स्कैन मशीन लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से खराब पड़ी है, सक्षम व्यक्ति तो बाहर से जांच की व्यवस्था कर लेते है, परन्तु बीपीएल, पेंशनभोगी व निर्धन रोगियों तथा गंभीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को इस जांच के अभाव में समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

इस चिकित्सालय का भवन लगभग 100 वर्ष पुराना है, जिसको जगह-जगह से नियमित मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता रहती है, परन्तु मरम्मत हेतु पर्याप्त बजट के अभाव में अस्पताल भवन के हाल बेहाल है।

इस चिकित्सालय के बाल रोग विभाग में अपर्याप्त भवन एवं अपर्याप्त पलंगों के कारण एक पलंग पर दो-दो एवं कभी-कभी तीन-तीन बीमार बच्चों को सुलाया जाता है।

चिकित्सालय में स्वीकृत पलंग संख्या-738 से भी अधिक पलंग संख्या विद्यमान है परन्तु नर्सिंग स्टाफ 738 पलंगों के अनुसार भी पूरा नहीं होने से विभिन्न वार्डो में एवं चिकित्सालय में व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। चिकित्सालय के फिजीयोथेरेपी विभाग का भवन जर्जर अवस्था में है तथा व्यायाम उपकरण भी बहुत पुराने हो चुके है। न्यूरोसर्जरी विभाग व यूरोलोजी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार इस संभाग स्तरीय चिकित्सालय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक बजट व चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता एवं स्टाफ की कमी को दूर करने हेतु तत्काल कदम उठाते हुए जनता को राहत प्रदान करावे।

श्री वासुदेव देवनानी
(अजमेर उत्तर)

नरेगा के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायत राज के अन्तर्गत कराये जा रहे नरेगा कार्यों में मिट्टी के कार्यों की जगह पक्के कार्य करावें जावें। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कुऐं खुदवाना, नहरे बनाना, आबादी क्षेत्र में सी.सी. रोड़, नालियां अनेक ऐसे कार्य है, जिन्हें नरेगा के माध्यम से किये जा सकते है।

आज स्थिति यह है कि नरेगा कार्यो को मिली भगत द्वारा एक ही कार्य को कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा घर बैठे कर ही माप तौल कर एम.बी. भर दी जाती है। जिसकी वजह से ग्रामीण व्यक्ति अपने खुद के खेतों में भी खेती नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से आज पक्के कार्यों या किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। कहते है जब हमें बिना मेहनत के पैसे मिल रहे है तो हम मेहनत का कार्य क्यों करें। इससे हमारे देश का नागरिक मेहनत और कार्यों से विमुक्त हो जाएगा, जो हमारे देश के भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विभाग को विभागानुसार कार्यो का विभाजन कराया

जाऐं। ताकि उक्त कार्य पूर्ण गुणवत्ता अनुसार किया जा सकें। नरेगा के अन्तर्गत चाईना पैटर्न पर स्वरूचि अनुसार ट्रेनिंग देकर आत्म स्वालम्बी बनाया जाऐं। ताकि अपने घरों में बैठकर ही जीवनोपार्जन का साधन जुटा सकें।

नरेगा के अन्तर्गत बीपीएल एवं अन्य निर्धन परिवारों को आवासीय व्यवस्था कराई जाय। नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्य कराया जाऐं ताकि अकाल एवं बाढ़ से राहत मिल सकें एवं पानी मिलने से कृषक इस देश में हरित क्रान्ति ला सकें।

नरेगा कार्यों का भुगतान समय पर व सही ढंग से हो सकें एवं बैंकों पर भी कार्यभार कम हो सके जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर (बी.टी.एम.) बायों मैट्रिक ट्रेलर मशीन लगावायी जाय ताकि ग्राम का गरीब व्यक्ति 24 घण्टे में कभी भी पैसे निकाल कर उसका उपयोग कर सकें। नरेगा कार्यो को सुव्यवस्थित एवं सुगमता पूर्वक करने हेतु तत्काल रिक्त चल रहे सचिवों एवं कनिष्ठ अभियंताओं के पद भरे जाऐं।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बार में फर्जी हाजरियों द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी शिकायत होने पर भी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, यानि कि भ्रष्टाचार की जांच करने गया बार चौकी इन्चार्ज भी फर्जी हाजरी वाले व्यक्ति के परिवारों से पैसे लेकर उन्हीं की गवाही लेकर जांच की इतिश्री कर दी, जिसकी पुन: जांच कराई जाऐं एवं दोषी अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर सजा दिलाई जाएं व वहां का सरपंच एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसके डुप्लीकेट हस्ताक्षर वहां के पूर्व प्रधान के पुत्र द्वारा ही करके कार्य किये जाते है। वह हस्ताक्षर भी वेरीफाई कराई जाएं। यह जांच भी किसी बी.डी.ओ. या बड़े अधिकारी से कराई जाएं। ताकि सभी तथ्य सामने आ जायेंगे।

हरिसिंह रावत

(भीम)

पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षकों को AICTE वेतनमानों से वंचित रखा जाना

प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं कि राज्य सरकार के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा प्रदान किये जाते है। जहां इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग प्रवक्ताओं की नियुक्तियां एक समान वेतनमान पर की जाती रही है। प्रवक्ता की नियुक्ति के समय नॉन इंजीनियरिंग में स्नातक, डिप्लोमा व अनुभव को डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाती रही है।

इसी समकक्षता के फलस्वरूप इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग प्रवक्ताओं को 13/01/1999 को राज्य सरकार द्वारा AICTE के अनुरूप चौथा वेतनमान जारी किये गये। इसके उपरान्त 25 अक्टूबर, 2001 को पॉलिटेक्निक शिक्षकों को AICTE के अनुरूप पांचवा वेतनमान भी जारी कर दिया गये। इन विषयों के लिए जारी मान्यता पत्र में भी इन शिक्षकों को AICTE वेतनमान देने की शर्त के तहत ही विश्व बैंक ने कर्ज दिया था।

राज्य सरकार द्वारा ये वेतनमान सेवा नियमों में संशोधन की शर्त पर दिये गये थे। परन्तु विभाग की लापरवाही की हद तो देखिये कि सेवा नियमों में संशोधन के बिना ही पात्र अपात्र में अंतर करने के बजाय, विषयों के आधार पर अन्तर कर दिया और राज्य सरकार ने 8 जनवरी, 2010 इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग के अलग-अलग सेवा नियम बना दियें। यह सरासर अन्यायपूर्ण है और न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है जिसमें strictly AICTE नियम लागू करने की शर्त पर ही AICTE वेतनमान दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इससे अपात्र इंजीनियरिंग प्रवक्ताओं को भी AICTE वेतनमान का लाभ मिल गया जबकि पात्रता रखने वाले नॉन इंजीनियरिंग प्रवक्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया।

12 वर्ष तक AICTE वेतनमान देने के पश्चात् राज्य सरकार ने इंजिनियरिंग व नॉन इंजिनियरिंग के अलग-अलग सेवा नियम बना दिये और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के नॉन इंजिनियरिंग शिक्षकों का वापिस राज्य सरकार के वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा रहा है।

इस प्रकार तकनीकी शिक्षा के इतिहास में पहली बार नॉन इंजिनियरिंग शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया है जबकि नॉन इंजिनियरिंग विषयों में अधिकतर महिलाऐं कार्यरत है।

विडम्बना तो देखिये कि उसी समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल पर अपनी सरकार को दांव पर लगा रही थी। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर तो देखिये कि एक तरफ तो केन्द्र में महिला आरक्षण का नाटक और दूसरी तरफ राजस्थान में महिला शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों को आर्थिक नुकसान।

इंजिनियरिंग व नॉन इंजिनियरिंग शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आधारभूत योग्यताऐं एक समान होने के बावजूद इस तरह का भेदभाव न्यायसंगत नहीं है।

माननीय इस विषय में विशेष अनुरोध यह है कि राज्य सरकार में कार्यरत बी.डी.एस. (4+1 वर्ष), एम.बी.बी.एस. (5+1 वर्ष), बी.एच.एम.एस. एवं बी.ए.एम.एस.

(4+1/2+1 वर्ष) एवं एम.एम.एस.सी. (2 वर्ष) में अर्जित डिग्री में असमानता होने के बावजूद समस्त चिकित्सकों को एक ही वेतनमान दिये जाते है। केन्द्र सरकार की रक्षा सेवाओं में डिग्रीधारक, स्नातक व एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी को एक ही कैडर में रखते हुए एक समान वेतनमान दिया जाता है।

विशेष उल्लेख यह है कि इन्ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत लाइब्रेरियन व पी.टी.आई. को AICTE वेतनमान दिये जा रहे है। जो कि शिक्षण प्रक्रिया में अधीनस्थ का कार्य करते है। ये RPSC चयनित भी नहीं है व इनका चयन 1400-2600 की वेतन श्रृंखला में निदेशालय स्तर पर हुआ था। जबकि शिक्षण कार्य से सीधे तौर पर जुडे हुए शिक्षकों को AICTE वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है।

चन्द्रकांता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)